

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

अप्रैल, 2022
I.S.S.N. : 2457-0494

उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त

संपादक

श्री अविनाश शुक्ला

श्री असलम खान

सहायक संपादक

श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक

श्री महीपाल सिंह

श्री जसवन्त सिंह

श्री जाहन्वी शेखर शर्मा

श्री अमर्त्य हेम विप्र पाण्डेय

ISSN-2457-0494

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 195/-

वार्षिक : ₹ 2,100/-

© 2022 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग,
भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा
मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0494

उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

अप्रैल, 2022 अंक - 4

प्रधान संपादक
कमला कान्त

संपादक
अविनाश शुक्ला



[2022] 2 उम. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on
Website <https://bharatkosh.gov.in/product/product>

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001.
दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका प्रतिमाह आपके अवलोकनार्थ उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित प्रतिवेद्य निर्णय, जो न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, विधि छात्रों और अकादमीशियनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, का प्रकाशन करता है। आप लोगों से प्राप्त सुझावों के आधार पर हमको अपनी पत्रिका की गुणवत्ता सुधारने और अपने कार्य को और अधिक निखारने की शक्ति प्राप्त होती है। कृपया अपने अमूल्य सुझावों से हमें अवगत कराते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें।

इस अंक के माध्यम से आपके अवलोकनार्थ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **बैंक आफ बड़ौदा बनाम मैसर्स कारवा ट्रेडिंग कंपनी और एक अन्य** [2022] 2 उम. नि. प. 1 वाले मामले में तारीख 10 फरवरी, 2022 को पारित निर्णय प्रकाशित किया जा रहा है। इस मामले में अपीलार्थी बैंक ने प्रत्यर्थी उधार लेने वाले को दो बंधक संपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर अवधि ऋण और नकद उधार सीमा प्रदान की थी। उधार लेने वाला करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार ऋण का प्रति संदाय करने में विफल रहा। अतः बैंक द्वारा उधार लेने वाले का खाता अननुपालनीय आस्ति (एन.टी.ए.) घोषित कर दिया गया। उधार लेने वाले पर 2002 के सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन बकाया राशि की मांग करते हुए सूचना तामील की गई। बैंक ने स्थावर संपत्तियों/आवासीय मकान का सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया और 2002 के सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन सूचना जारी कर दी। बैंक ने 2002 की अधिनियम की धारा 14 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया, इसे मंजूर कर लिया गया और बैंक ने पुलिस की सहायता से आवासीय मकान का कब्जा ले लिया, जो उधार लेने वाले की बंधक संपत्तियों में से एक थी। तत्पश्चात् बैंक ने आवासीय संपत्ति का सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय किए जाने के प्रयोजनार्थ सूचना जारी की। इस संपत्ति के विक्रय के लिए नियत आरक्षित मूल्य 48.65 लाख रुपए था। उधार लेने वाले ने अधिनियम की धारा 17 के अधीन जयपुर स्थित

(iv)

ऋण वसूली अधिनियम के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करते हुए बैंक की नीलामी को चुनौती दी । ऋण वसूली अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए निर्देशित किया कि यदि उधार लेने वाला तारीख 20 जनवरी, 2014 को दोपहर 12 बजे तक बीस लाख रुपए की रकम जमा कर देता है तो बैंक बोलियों को स्वीकार तो कर सकता है किंतु उन बोलियों के आधार पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लेगा और यदि उधार लेने वाला 28.65 लाख रुपए की बकाया रकम के संदाय में व्यतिक्रम कारित करता है, तो यह आदेश स्वतः रद्द हो जाएगा । ऋण वसूली अधिकरण ने यह मत भी व्यक्त किया कि यदि उधार लेने वाला तारीख 27 जनवरी, 2014 को या इसके पूर्व बैंक के पास 48.65 लाख रुपए जमा कर देता है, तो बैंक प्रश्नगत संपत्ति के मूल हक विलेखों सहित प्रतिभूत आस्ति के कब्जे का परिदान कर देगा । ऋण वसूली अधिकरण द्वारा पारित पूर्वोक्त अंतरिम आदेश को बैंक द्वारा ऋण वसूली अपीली अधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई । अपीलार्थी बैंक का पक्षकथन यह था कि सार्वजनिक नीलामी में बैंक को 71 लाख रुपए तक की बोलियां प्राप्त हुई हैं और सुसंगत समय बिंदु पर उधार लेने वाले के विरुद्ध शोध्य ऋण दो करोड़ रुपए से अधिक का था और यदि उधार लेने वाला बंधक संपत्ति का मोचन कराने का इच्छुक है, तो वह संपूर्ण दायित्व का उन्मोचन करके बंधक संपत्ति प्राप्त कर सकता है ।

ऋण वसूली अपीली अधिकरण ने यह मत व्यक्त करते हुए अपील खारिज कर दी कि चूंकि संपत्ति का आरक्षित मूल्य 48.65 लाख रुपए था, जो उधार लेने वाले ने जमा कर दिया था और बैंक को 71 लाख रुपए तक की बोलियां प्राप्त हुई थीं तथा बोली लगाने वाले बोलीदाता अग्रिम धनराशि जमा कराने में विफल रहे थे । अतः जब उधार लेने वाला उक्त संपत्ति को 71 लाख रुपए में क्रय करने के लिए तैयार है, तो ऋण वसूली अधिकरण द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती । अपीली अधिकरण द्वारा पारित आदेश को जयपुर, उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई । विद्वान् एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय और आदेश द्वारा ऋण वसूली अधिकरण और

(v)

ऋण वसूली अपील अधीकरण, दोनों के आदेशों को मुख्यतः इस आधार पर अपास्त कर दिया कि उक्त आदेश 2002 के सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के उल्लंघन में थे । उधार लेने वाले उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को जयपुर, उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष चुनौती दी । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने अपील को मंजूर करते हुए बैंक को निर्देशित किया कि उधार लेने वाले द्वारा बैंक को 17 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि का संदाय किए जाने पर प्रतिभूत संपत्ति को निर्मोचित कर दिया जाए और उधार लेने वाले को संपत्ति का कब्जा हक विलेखों सहित सौंप दिया जाए । बैंक ने उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित होकर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपील मंजूर करते हुए अभिनिर्धारित किया कि जहां उधार लेने वाले द्वारा बैंक/प्रतिभूत लेनदार को बंधक संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी की सूचना के प्रकाशन की तारीख के पूर्व किसी समय संपूर्ण संदेय रकम का संदाय उपगत खर्चों और व्यय सहित न किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में उधार लेने वाले को संपूर्ण दायित्व से उन्मोचित नहीं किया जा सकता और प्रतिभूत लेनदार/बैंक को बंधक संपत्तियों की नीलामी की कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता ।

इस अंक में केंद्रीय अधिनियम पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 को भी जानार्थ प्रकाशित किया जा रहा है । इस संपूर्ण अंक का परिशीलन करने के पश्चात् आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं ईप्सित हैं ।

अविनाश शुक्ला
संपादक

उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

अप्रैल, 2022

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अनुज सिंह उर्फ रामानुज सिंह उर्फ सेठ सिंह बनाम बिहार राज्य	142
आबिद-उल-इस्लाम बनाम इन्द्र सेन दुआ	23
देवेन्द्र सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य	118
बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम मैसर्स कारवा ट्रेडिंग कंपनी और एक अन्य	1
भारत संघ और अन्य बनाम एम. दुरईसामी	60
मनोज सिंह बनाम बिहार राज्य (देखिए पृष्ठ सं. 142)	
मोहम्मद फ़िरोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य	74
संसद् के अधिनियम	
पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 - 33

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 304ख, 498क और 120ख [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख] – दहेज मृत्यु – दहेज मृत्यु की उपधारणा – मृतका का विवाह के छह माह के भीतर अपने दांपत्य निवास से गुम हो जाना और बाद में शव एक नदी में पाया जाना – मृतका के शव पर मृत्यु-पूर्व की क्षतियां पाया जाना – मृतका के पति, सास और देवर के विरुद्ध दहेज की मांग के लिए मृतका के साथ क्रूरता और उसे तंग करने की शिकायत दर्ज किया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाना – अपील में उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया जाना – दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील – अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षियों के तर्कपूर्ण साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध करने में सफल रहने पर कि मृतका के साथ उसके विवाह के लगभग छह माह के भीतर दांपत्य निवास में उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता की गई थी और तंग किया गया था तथा उसकी मृत्यु अस्वाभाविक परिस्थितियों में हुई थी, वहां यह उपधारणा की जाएगी कि मृतका की दहेज मृत्यु कारित की गई थी और अभियुक्तों द्वारा उक्त उपधारणा का खंडन करने में असफल रहने पर दोषसिद्धि उचित है, तथापि, यह पाए जाने पर कि दहेज की मांग केवल पति के फायदे के लिए थी और अन्य अभियुक्तों (सास और देवर) के विरुद्ध मामला सिद्ध न होने पर केवल पति को दोषसिद्ध करना और अन्य अभियुक्तों को संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त करना उचित होगा ।

देवेन्द्र सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य

118

– धारा 324 और 307/34 [सपठित आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27] – खतरनाक आयुधों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना – अभियुक्तों द्वारा भूमि विवाद को लेकर क्षतिग्रस्त-इत्तिलाकर्ता को अग्न्यायुध से क्षतियां कारित किया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को धारा 307/34 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाना – अपील में उच्च न्यायालय द्वारा धारा 307 के अधीन दोषसिद्धि को धारा 324 में उपांतरित किया जाना और आयुध अधिनियम के अधीन दोषसिद्धि की पुष्टि किया जाना – दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील – संधार्यता – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, साक्षियों के साक्ष्य से यह सिद्ध होता हो कि अभियुक्त-अपीलार्थी अग्न्यायुधों से लैस होकर घटनास्थल पर मौजूद थे और भूमि विवाद को लेकर हुई कहासुनी में अग्न्यायुधों से क्षतिग्रस्त-इत्तिलाकर्ता को स्वेच्छया उपहति कारित की थी, वहां अभियुक्तों की दोषसिद्धि और दंडादेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा ।

**अनुज सिंह उर्फ रामानुज सिंह उर्फ सेठ सिंह बनाम
बिहार राज्य**

142

– धारा 376(2)(i)(ड), 363, 366 और 302 [लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(i)(ड) और धारा 6 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 106] – बलात्संग और हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा चार वर्षीया बालिका को अपने साथ ले जाना और बलात्संग तथा शारीरिक क्षतियां कारित किया जाना – विपदग्रस्त-मृतका क्षतिग्रस्त हालत में खेत में बेहोश पड़े हुए पाया जाना – क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु हो जाना – विपदग्रस्त-मृतका को अंतिम बार अभियुक्त

के साथ देखा जाना – अभियुक्त द्वारा विपदग्रस्त के साथ से अलग होने के बारे में कोई स्पष्टीकरण न दिया जाना – दोषसिद्धि – जहां अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध सभी परिस्थितियों को अलग-अलग युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया गया हो और साबित की गई परिस्थितियों से इतनी निश्चयक श्रृंखला बनती हो कि वह अभियुक्त ही था जिसने अपराध कारित किया था और उसकी दोषिता के सिवाय अन्य किसी कल्पना की संभाव्यता को नकारा जा सकता है, वहां पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर की गई अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है ।

मोहम्मद फ़िरोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य

74

– धारा 376(2)(i)(ड), 376क, 363, 366 और 302 [लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(i)(ड) और धारा 6 तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 354(3) और 235(2)] – बलात्संग और हत्या – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा चार वर्षीया बालिका को अपने साथ ले जाना और बलात्संग तथा शारीरिक क्षतियां कारित किया जाना – क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु हो जाना – दोषसिद्धि – मृत्यु दंडादेश – लघुकरण – यद्यपि अपराध की घोरता और गंभीरता पर विचार करते हुए अभियुक्त के मृत्यु दंडादेश को लघुकृत करते हुए उसके शेष नैसर्गिक जीवन के लिए कारावास का दंडादेश देना समुचित होगा, तथापि, प्रतिकारक और सुधारात्मक न्याय के बीच संतुलन बनाते हुए उसे बीस वर्षों के कारावास का दंडादेश देना उचित होगा ।

मोहम्मद फ़िरोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य

74

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (1958 का 59)

– धारा 14(1)(ड), धारा 25ख(5) और 25ख (8) – बेदखली – वास्तविक आवश्यकता – मकान मालिक द्वारा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किराएदार को बेदखल किए जाने के लिए किराया नियंत्रक के समक्ष आवेदन फाइल किया जाना – किराएदार-प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिरक्षा करने की इजाजत के लिए किराया नियंत्रक के समक्ष फाइल किया आवेदन खारिज हो जाना – किराएदार द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण आवेदन को अपील की तरह कार्यवाही करते हुए मंजूर किया जाना – संधार्यता – चूंकि अधिनियम में विधानमंडल द्वारा किराया नियंत्रक के आदेश के विरुद्ध अपील का उपबंध नहीं किया गया है और उच्च न्यायालय को केवल पुनरीक्षण की शक्ति होने के कारण उसके द्वारा किराया नियंत्रक के आदेश में हस्तक्षेप करने की परिधि अत्यंत निर्बंधनात्मक और उन मामलों तक सीमित होने के कारण जहां अभिलेख को देखने से ही गलती प्रकट होती हो और यह शक्ति अवर न्यायालय पर एक अधीक्षण की प्रकृति की होने के कारण उसकी भूमिका केवल विनिश्चय करने में अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में अपना समाधान करने तक है, इसलिए जहां किराया नियंत्रक द्वारा मकान मालिक की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किराएदार की बेदखली के लिए एक विस्तृत सकारण आदेश पारित किया गया हो और उच्च न्यायालय द्वारा किराया नियंत्रक के निष्कर्षों को उलटा तक न गया हो किंतु फिर भी पुनरीक्षण आवेदन को एक अपील की तरह मानते हुए मंजूर किया गया हो, वहां उच्च न्यायालय का ऐसा दृष्टिकोण विधि के अनुसार संधार्य नहीं कहा जा सकता है ।

– धारा 14(1)(ड) – बेदखली – वास्तविक आवश्यकता – मकान मालिक द्वारा किराए पर दिए गए परिसर का वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किराएदार को बेदखल किए जाने के लिए किराया नियंत्रक के समक्ष आवेदन फाइल किया जाना – किराएदार द्वारा मकान मालिक के पास आनुकल्पिक वास-सुविधा और अन्य संपत्तियां होने की दलील दिया जाना – किराया नियंत्रक द्वारा दलील को नामंजूर करते हुए मकान मालिक के आवेदन को मंजूर किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में आनुकल्पिक वास-सुविधा के संबंध में मकान मालिक के उत्तर को अस्पष्ट होने के आधार पर खारिज करते हुए पुनरीक्षण आवेदन मंजूर किया जाना – संधार्यता – जहां किराएदार द्वारा मकान मालिक के पास अन्य संपत्तियां विद्यमान होने की दलील दी जाती है किंतु किराया नियंत्रक के समक्ष इस आशय का कोई अभिवचन न किया गया हो, वहां ऐसी दलील किराएदार के फायदे के लिए तब तक प्रवृत्त नहीं हो सकती है जब तक कि उसके द्वारा कोई ऐसी समर्थनकारी सामग्री प्रस्तुत न की गई हो कि वे संपत्तियां वास-सुविधा के लिए युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त हैं ।

आबिद-उल-इस्लाम बनाम इन्द्र सेन दुआ

23

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54)

– धारा 13(2), 13(4), 14 और 17 [सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का नियम 8 और 9] – अपीलार्थी-बैंक द्वारा प्रत्यर्थी-उधार लेने वाले को दो बंधक संपत्तियों की प्रतिभूति के विरुद्ध आवधिक ऋण प्रदान किया जाना – उधार लेने वाले द्वारा करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार ऋण

का प्रतिसंदाय करने में असफल रहना – उधार लेने वाले का खाता अननुपालनीय आस्ति (एनपीए) बन जाना – उधार लेने वाले को 1,85,37,218.80 रुपए की मांग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन सूचना जारी किया जाना – बैंक द्वारा स्थावर संपत्ति/आवासीय मकान का सांकेतिक कब्जा लिया जाना और धारा 13(4) के अधीन सूचना जारी किया जाना – बैंक द्वारा आवासीय संपत्ति का सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय करने की सूचना जारी किया जाना – आरक्षित कीमत 48.65 लाख रुपए नियत किया जाना – उधार लेने वाले द्वारा नीलामी को चुनौती देते हुए ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल किया जाना – अधिकरण द्वारा उधार लेने वाले को केवल 48.65 लाख रुपए जमा किए जाने पर बंधक संपत्ति का कब्जा उन्मोचित करने/सौंपने का निदेश देते हुए अंतरिम आदेश पारित किया जाना – बैंक द्वारा ऋण वसूली अपीली अधिकरण के समक्ष फाइल की गई अपील खारिज हो जाना – उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा ऋण वसूली अधिकरण और ऋण वसूली अपीली अधिकरण के आदेशों को अधिनियम की धारा 13(8) के उल्लंघन में होने के आधार पर खारिज किया जाना – खंड न्यायपीठ द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश को अपास्त किया जाना और बैंक को उधार लेने वाले द्वारा 17 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि अर्थात् 1,85,37,218.80 रुपए के कुल शोध्य के विरुद्ध केवल 65.65 लाख रुपए जमा किए जाने पर प्रतिभूत संपत्ति का हक विलेखों सहित कब्जा सौंपने का निदेश दिया जाना – औचित्य – जहां उधार लेने वाले द्वारा बैंक/प्रतिभूत लेनदार को बंधक संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी की सूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्व किसी समय पर संपूर्ण संदेय रकम का उपगत खर्चों और व्यय सहित संदाय न किया गया हो, वहां उधार लेने वाले को संपूर्ण दायित्व से उन्मोचित नहीं किया

जा सकता है और प्रतिभूत लेनदार-बैंक को बंधक संपत्तियों की नीलामी कार्यवाहियां करने से अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है ।

बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम मैसर्स कारवा ट्रेडिंग कंपनी और एक अन्य

1

सेवा विधि – केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964

– नियम 3(1)(i), (ii) – सरकारी सेवा में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी बनाए रखना – सरकारी सेवक-प्रत्यर्थी द्वारा लोक धन का कपट-वंचन किया जाना – कपट उजागर होने पर अपचारी कर्मचारी द्वारा कपट-वंचित रकम को विभाग में जमा किया जाना – अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा गंभीर प्रकृति के साबित अवचार के आधार पर कर्मचारी को सेवा से हटाया जाना – केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा सेवा से हटाने के आदेश को अनिवार्य सेवा-निवृत्ति में उपांतरित किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया जाना – संधार्यता – जहां सरकारी कर्मचारी द्वारा लोक धन का कपट-वंचन करने के अति गंभीर प्रकृति के साबित हो गए अवचार के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उसे सेवा से हटाने का भानपूर्ण विनिश्चय किया गया हो और विभागीय जांच में कोई प्रक्रियात्मक चूक या अनियमितता न हो, वहां मात्र यह कारण कि अपचारी कर्मचारी द्वारा कपट उजागर होने पर संपूर्ण कपट-वंचित रकम को स्वेच्छया जमा कर दिया था और कर्मचारी का निष्कलंक लंबा सेवा काल रहा है, प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित सेवा से हटाने के दंड के आदेश में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं हो सकता है ।

भारत संघ और अन्य बनाम एम. दुरईसामी

60

[2022] 2 उम. नि. प. 1

बैंक ऑफ बड़ौदा

बनाम

मैसर्स कारवा ट्रेडिंग कंपनी और एक अन्य

[2022 की सिविल अपील सं. 363]

10 फरवरी, 2022

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) – धारा 13(2), 13(4), 14 और 17 [सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का नियम 8 और 9] – अपीलार्थी-बैंक द्वारा प्रत्यर्थी-उधार लेने वाले को दो बंधक संपत्तियों की प्रतिभूति के विरुद्ध आवधिक ऋण प्रदान किया जाना – उधार लेने वाले द्वारा करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार ऋण का प्रतिसंदाय करने में असफल रहना – उधार लेने वाले का खाता अननुपालनीय आस्ति (एनपीए) बन जाना – उधार लेने वाले को 1,85,37,218.80 रुपए की मांग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन सूचना जारी किया जाना – बैंक द्वारा स्थावर संपत्ति/आवासीय मकान का सांकेतिक कब्जा लिया जाना और धारा 13(4) के अधीन सूचना जारी किया जाना – बैंक द्वारा आवासीय संपत्ति का सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय करने की सूचना जारी किया जाना – आरक्षित कीमत 48.65 लाख रुपए नियत किया जाना – उधार लेने वाले द्वारा नीलामी को चुनौती देते हुए ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल किया जाना – अधिकरण द्वारा उधार लेने वाले को केवल 48.65 लाख रुपए जमा किए जाने पर बंधक संपत्ति का कब्जा उन्मोचित करने/सौंपने का निदेश देते हुए अंतरिम आदेश पारित

किया जाना – बैंक द्वारा ऋण वसूली अपीली अधिकरण के समक्ष फाइल की गई अपील खारिज हो जाना – उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा ऋण वसूली अधिकरण और ऋण वसूली अपीली अधिकरण के आदेशों को अधिनियम की धारा 13(8) के उल्लंघन में होने के आधार पर खारिज किया जाना – खंड न्यायपीठ द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश को अपास्त किया जाना और बैंक को उधार लेने वाले द्वारा 17 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि अर्थात् 1,85,37,218.80 रुपए के कुल शोधय के विरुद्ध केवल 65.65 लाख रुपए जमा किए जाने पर प्रतिभूत संपत्ति का हक विलेखों सहित कब्जा सौंपने का निदेश दिया जाना – औचित्य – जहां उधार लेने वाले द्वारा बैंक/प्रतिभूत लेनदार को बंधक संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी की सूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्व किसी समय पर संपूर्ण संदेय रकम का उपगत खर्चों और व्यय सहित संदाय न किया गया हो, वहां उधार लेने वाले को संपूर्ण दायित्व से उन्मोचित नहीं किया जा सकता है और प्रतिभूत लेनदार-बैंक को बंधक संपत्तियों की नीलामी कार्यवाहियां करने से अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी-बैंक ने प्रत्यर्थी-उधार लेने वाले को दो बंधक संपत्तियों की प्रतिभूति के विरुद्ध 100 लाख रुपए का अवधि ऋण और 95 लाख रुपए की नकद उधार सीमा प्रदान की थी । उधार लेने वाला करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार अवधि ऋण का प्रतिसंदाय करने में असफल रहा । उधार लेने वाले का खाता अननुपालनीय आस्ति (एनपीए) बन गया । उधार लेने वाले को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् सारफेसी अधिनियम, 2002 कहा गया है) की धारा 13(2) के अधीन 1,85,37,218.80/- रुपए की राशि की मांग करते हुए एक सूचना तामील की गई । बैंक ने स्थावर संपत्ति/आवासीय मकान का सांकेतिक कब्जा ले लिया और सारफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अधीन भी एक सूचना जारी की । अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक आवेदन फाइल किया गया, जिसे मंजूर किया गया और बैंक ने पुलिस की

सहायता से आवासीय मकान का कब्जा ले लिया, जो उधार लेने वाले की बंधक संपत्तियों में से एक संपत्ति थी। उसके पश्चात् बैंक ने आवासीय संपत्ति का सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय करने की सूचना जारी की। उक्त प्रतिभूत आस्ति के विक्रय के लिए नियत आरक्षित मूल्य 48.65 लाख रुपए था। उधार लेने वाले ने अधिनियम की धारा 17 के अधीन ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के समक्ष एक प्रतिभूतिकरण आवेदन (एसए) फाइल करके बैंक की नीलामी को चुनौती दी। ऋण वसूली अधिकरण द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया कि यदि उधार लेने वाला तारीख 20 जनवरी, 2014 को 12.00 बजे दोपहर तक 20 लाख रुपए जमा कर देता है, तो बैंक बोलियों को स्वीकार तो करेगा किंतु बोलियों को अंतिम नहीं करेगा/प्रतिभूत आस्ति के विक्रय की पुष्टि नहीं करेगा और यदि उधार लेने वाला 28.65 लाख रुपए की बकाया रकम के संदाय में व्यतिक्रम करता है, तो अवरोध आदेश स्वतः रद्द हो जाएगा। ऋण वसूली अधिकरण ने यह भी मत व्यक्त किया कि यदि उधार लेने वाला तारीख 27 जनवरी, 2014 को या इससे पूर्व बैंक के पास 48.65 लाख रुपए जमा कर देता है, तो बैंक प्रश्नगत संपत्ति के मूल हक विलेखों सहित प्रतिभूत आस्ति का कब्जा परिदान कर देगा। ऋण वसूली अधिकरण द्वारा पारित किए गए पूर्वोक्त अंतरिम आदेश को बैंक द्वारा ऋण वसूली अपीली अधिकरण के समक्ष अपील में चुनौती दी गई। अपीलार्थी-बैंक की ओर से यह पक्षकथन था कि सार्वजनिक नीलामी में बैंक को 71 लाख रुपए तक बोलियां प्राप्त हुई थीं और सुसंगत समय पर उधार लेने वाले के विरुद्ध शोध्य ऋण दो करोड़ रुपए से ऊपर था और यदि उधार लेने वाले की बंधक संपत्ति का मोचन कराने की रुचि है या वह इच्छुक है, तो वह ऐसा संपूर्ण दायित्व का निर्मोचन करके कर सकता है, न कि 48.65 लाख रुपए का संदाय करके, जैसा कि ऋण वसूली अधिकरण द्वारा आदेश किया गया है। ऋण वसूली अपीली अधिकरण ने यह मत व्यक्त करते हुए अपील खारिज कर दी कि चूंकि आरक्षित मूल्य 48.65 लाख रुपए था जो उधार लेने वाले ने जमा कर दिया था और बैंक को 61.50 लाख रुपए से 71 लाख रुपए तक की बोलियां प्राप्त हुई थीं तथा अभिकथित बोली लगाने

वाले अग्रिम धनराशि जमा करने में असफल रहे थे और जब उधार लेने वाला उक्त संपत्ति को 71 लाख रुपए में क्रय करने के लिए तैयार है, तो ऋण वसूली अधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है। बैंक द्वारा फाइल की गई अपील को ऋण वसूली अपीली अधिकरण द्वारा खारिज करते हुए पारित किए गए आदेश को उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई। विद्वान् एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय और आदेश द्वारा ऋण वसूली अधिकरण और ऋण वसूली अपीली अधिकरण दोनों के आदेशों को मुख्य रूप से इस कारण से अपास्त कर दिया कि उक्त आदेश सारफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(8) के उल्लंघन में थे। विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश को उधार लेने वाले द्वारा वर्तमान अंतर-न्यायालय अपील के द्वारा उच्च न्यायालय की खंड न्यायापीठ के समक्ष चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय की खंड न्यायापीठ द्वारा उक्त अपील मंजूर की गई और बैंक को निदेश दिया कि उधार लेने वाले द्वारा बैंक को 17 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि जमा करने पर प्रतिभूत संपत्ति को निर्मोचित कर दिया जाए और उधार लेने वाले को हक विलेखों सहित कब्जा सौंप दिया जाए। उच्च न्यायालय की खंड न्यायापीठ द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर बैंक-वित्तीय संस्था-प्रतिभूत लेनदार द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – उच्च न्यायालय की खंड न्यायापीठ ने आक्षेपित आदेश द्वारा बैंक-प्रतिभूत लेनदार को यह निदेश दिया था कि 65.65 लाख रुपए की कुल राशि का संदाय करने पर उधार लेने वाले को प्रतिभूत संपत्ति निर्मुक्त कर दी जाए और प्रश्नगत आवासीय/गृह संपत्ति के मूल हक विलेखों सहित कब्जा सौंप दिया जाए। इस प्रकार, उच्च न्यायालय की खंड न्यायापीठ ने आक्षेपित आदेश द्वारा प्रतिभूत संपत्ति/बंधक संपत्ति को कुल शोधय, जो तारीख 7 जनवरी, 2013 को 1,85,37,218.80 रुपए था, के विरुद्ध 65.65 लाख रुपए की कुल राशि का संदाय करने पर निर्मुक्त कर दिया था। उच्च न्यायालय द्वारा

पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने बंधक संपत्ति का बाजार मूल्य 71 लाख रुपए समझा था और/या माना था। ऋण वसूली अधिकरण ने जब आरंभ में उधार लेने वाले के पक्ष में अंतरिम अनुतोष प्रदान किया था, जो ऋण वसूली अपील की अधिकरण और विद्वान् एकल न्यायाधीश तथा उसके पश्चात् उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष विषयवस्तु थी, तब 48.65 लाख रुपए, जो आरक्षित कीमत/आधारिक कीमत थी, का संदाय करने पर उधार लेने वाले को बंधक संपत्ति का कब्जा सौंपने का निदेश दिया था। बैंक द्वारा सारफेसी अधिनियम के उपबंधों के अधीन कब्जा लिया गया था और सारफेसी अधिनियम की धारा 13 के अधीन यथाअपेक्षित कार्यवाहियों का अनुसरण करने के पश्चात् बंधक संपत्ति की नीलामी की गई थी और उस प्रक्रम पर उधार लेने वाले ने सारफेसी अधिनियम की धारा 17 के अधीन ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष एक अपील की थी/आवेदन किया था और इसलिए उक्त अपील को तकनीकी रूप से लंबित होना कहा जा सकता है क्योंकि ऋण वसूली अधिकरण द्वारा तारीख 17 जनवरी, 2014 को पारित किया गया आदेश एक अंतरिम आदेश था। जब सारफेसी अधिनियम की धारा 13 के अधीन नीलामी कार्यवाहियां आरंभ की गई थीं और बैंक ने सारफेसी अधिनियम की धारा 14 के अधीन कब्जा लेने के पश्चात् सारफेसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के अनुसार प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रतिभूत आस्ति को बेचा और/या अंतरित नहीं किया जाएगा, जहां प्रतिभूत लेनदार की शोध्य रकम को उसके द्वारा उपगत सभी खर्चों, प्रभारों और व्ययों सहित, उसे सार्वजनिक नीलामी के लिए सूचना के प्रकाशन या जनता या प्राइवेट सत्ता से कुटेशन या निविदा आमंत्रित करने या प्रतिभूत आस्तियों को पट्टे, समनुदेशन या विक्रय द्वारा अंतरित करने की तारीख से पूर्व किसी समय पर उधार लेने वाले या ऋणी द्वारा निविदत्त कर दिया जाता है। प्रस्तुत मामले में, यद्यपि तारीख 7 जनवरी, 2013 को शोध्य 1,85,33,18.80 रुपए थे और सार्वजनिक नीलामी में प्रतिभूत संपत्ति को बेचे बिना उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने बंधक संपत्ति को निर्मुक्त करने और उधार लेने वाले द्वारा

केवल 65.65 लाख रुपए की कुल राशि जमा/संदाय करने पर उधार लेने वाले को मूल विक्रय विलेखों सहित कब्जा सौंपने का निदेश दिया था । इस प्रक्रम पर, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि सार्वजनिक नीलामी में बंधक संपत्ति को बेचकर वसूल की गई रकम 65.65 लाख रुपए नहीं थी । यह प्राप्त हुई केवल एक सबसे ऊंची बोली थी और आगे कोई नीलामी कार्यवाहियां होने से पूर्व ऋण वसूली अधिकरण ने 48.65 लाख रुपए, जो आधारीक कीमत थी, का संदाय करने पर कब्जा सौंपने और मूल हक विलेखों को सौंपने का निदेश देते हुए अंतरिम आदेश पारित किया था, जो ऋण वसूली अपीली अधिकरण के समक्ष और विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष विषयवस्तु थी । अतः उधार लेने वाले ने प्रतिभूत लेनदार के पास संपूर्ण रकम को प्रतिभूत लेनदार को उपगत सभी खर्चों, प्रभारों और व्ययों सहित जमा नहीं किया था और जमा करने के लिए तैयार नहीं था । इसलिए प्रतिभूत लेनदार उस बंधक संपत्ति का विक्रय करने, जो प्रतिभूति के रूप में रखी गई थी और सार्वजनिक नीलामी में इसका विक्रय करके रकम वसूल करने के लिए स्वतंत्र था । इस प्रक्रम पर, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि यहां तक कि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के अनुसार भी उधार लेने वाले ने एक क्रेता के रूप में 71 लाख रुपए जमा/संदाय करने की प्रस्थापना की थी न कि बंधक संपत्ति का मोचन करने के लिए । अतः उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा बंधक संपत्ति/प्रतिभूत संपत्ति को केवल 65.65 लाख रुपए की कुल राशि का संदाय करने पर निर्मुक्त करने और उधार लेने वाले को इसका कब्जा तथा मूल हक विलेखों को सौंपने का निदेश देते हुए पारित किया गया आक्षेपित निर्णय और आदेश सारफेसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रतिकूल है । अन्यथा भी, तारीख 7 जनवरी, 2013 को 1,85,37,218.80 रुपए के कुल शोधय के विरुद्ध 65.65 लाख रुपए का संदाय करने पर उधार लेने वाले के विरुद्ध बकाया संपूर्ण दायित्व का उन्मोचन हो जाना नहीं कहा जा सकता है । यदि बंधक संपत्ति सार्वजनिक नीलामी में 71 लाख रुपए की रकम के लिए विक्रय की गई होती और बैंक ने बंधक संपत्ति का विक्रय करके 71 लाख रुपए वसूल किए होते, तो उस दशा में भी उधार

लेने वाले का बकाया रकम संदाय करने का दायित्व फिर भी बना रहेगा । बंधक संपत्ति/प्रतिभूत संपत्ति का विक्रय करके यह नहीं कहा जा सकता है कि उधार लेने वाला उसके विरुद्ध बकाया संपूर्ण दायित्व से उन्मोचित हो जाता है । बकाया अतिशेष शोध्य के संबंध में उधार लेने वाले का दायित्व फिर भी बना रहेगा । इसलिए उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने केवल 65.65 लाख रुपए की कुल राशि का संदाय करने पर बंधक संपत्ति/प्रतिभूत संपत्ति को निर्मुक्त करने और मूल हक विलेखों सहित उधार लेने वाले को कब्जा सौंपने का निदेश देकर गलती की थी । पुनरावृत्ति करते हुए, यह मत व्यक्त किया जाता है कि चूंकि बैंक ने सारफेसी अधिनियम की धारा 13 के अधीन पहले ही कार्यवाहियां आरंभ कर दी थीं और बैंक द्वारा सारफेसी अधिनियम की धारा 14 के अधीन बंधक संपत्ति का कब्जा भी ले लिया था तथा उसके पश्चात् बंधक संपत्ति का एक सार्वजनिक नीलामी करके विक्रय किया गया था और उस प्रक्रम पर उधार लेने वाला नीलामी की कार्यवाहियों को टालना चाहता था और प्रतिभूत लेनदार/बैंक को संपत्ति का विक्रय करने से अवरुद्ध करना चाहता था । ऐसी स्थिति में, बैंक/प्रतिभूत लेनदार को बंधक संपत्ति/प्रतिभूत संपत्ति का विक्रय करने से वहां अवरुद्ध किया जा सकता है जहां उधार लेने वाला संपूर्ण शोध्य को जमा कर देता है जो कि तारीख 7 जनवरी, 2013 को प्रतिभूत लेनदार को 1,85,37,218.80 रुपए था । अतः ऋण वसूली अधिकरण अपने तारीख 17 जनवरी, 2014 के आदेश में, जो सारफेसी अधिनियम की धारा 17 के अधीन अपील के लंबित रहते हुए एक अंतरिम अनुतोष आदेश था, केवल 48.65 लाख रुपए का संदाय करने पर बंधक संपत्ति को निर्मुक्त करने और उधार लेने वाले को मूल हक विलेखों सहित कब्जा सौंपने का निदेश देने में न्यायोचित नहीं था, जोकि आधारिक कीमत/आरक्षित कीमत थी और जिसे उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने बढ़ाकर इस आधार पर 65.65 लाख रुपए कर दिया था कि प्राप्त हुई सबसे ऊंची बोली 71 लाख रुपए थी (जो कार्यान्वित नहीं हुई थी क्योंकि सबसे ऊंची बोली लगाने वाला आगे नहीं आया था) । जब तक उधार लेने वाला संपूर्ण रकम को सभी खर्चों और व्ययों सहित प्रतिभूत लेनदार के पास

जमा/संदाय करने के लिए तैयार नहीं है, उधार लेने वाले को बकाया संपूर्ण दायित्व से उन्मोचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए न तो ऋण वसूली अधिकरण द्वारा और/या न ही उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा उधार लेने वाले को बकाया संपूर्ण दायित्व से उन्मोचित करने के लिए और बंधक संपत्ति को निर्मोचित करने तथा उधार लेने वाले को मूल हक विलेखों सहित कब्जा सौंपने का कोई आदेश पारित किया जा सकता था। इसलिए विद्वान् एकल न्यायाधीश ने सारफेसी अधिनियम की धारा 13(8) पर विचार करते हुए ऋण वसूली अधिकरण तथा ऋण वसूली अपीली अधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेशों को ठीक ही अपास्त किया था। विद्वान् एकल न्यायाधीश ने ऋण वसूली अधिकरण द्वारा पारित किए गए और ऋण वसूली अपीली अधिकरण द्वारा पुष्टि किए गए आदेश को अपास्त करके ठीक किया था। उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए आदेश में हस्तक्षेप करके गलती की थी और केवल 65.65 लाख रुपए की कुल राशि का संदाय करने पर उधार लेने वाले को बंधक संपत्ति/प्रतिभूत संपत्ति को निर्मुक्त करने और मूल हक विलेखों सहित कब्जा सौंपने का निदेश देकर गलती की थी। तथापि, साथ ही साथ 2014 के प्रतिभूतिकरण आवेदन सं. 9 में ऋण वसूली अधिकरण द्वारा तारीख 17 जनवरी, 2014 को पारित किया गया आदेश एक अंतरिम अनुतोष आदेश था और इसलिए यदि इस न्यायालय द्वारा अंतरिम अनुतोष आदेश को अपास्त किया जाता है, तो अपील/आवेदन का विनिश्चय और निपटारा गुणागुण के आधार पर तथा उन आधारों पर करना होगा जो उधार लेने वाले को उपलब्ध हो सकते हैं। तथापि, साथ ही साथ बैंक को सार्वजनिक नीलामी करके बंधक संपत्ति का विक्रय करने और रकम को वसूल करने तथा बकाया शोध्य को वसूल करने के लिए तब तक अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है जब तक उधार लेने वाला संपूर्ण शोध्य और संदेय रकम का प्रतिभूत लेनदार को उपगत खर्चों सहित सारफेसी अधिनियम की धारा 13(च) के अनुसार जमा/संदाय नहीं कर देता है। (पैरा 6, 6.1, 7, 7.1 और 7.2)

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2022 की सिविल अपील सं. 363.

2017 की खंड न्यायपीठ विशेष रिट अपील सं. 349 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर न्यायपीठ के तारीख 20 सितंबर, 2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	सुश्री प्रवीना गौतम, सर्वश्री पवन शुक्ला, अमन एस. शर्मा और अमन रस्तोगी
प्रत्यर्थियों की ओर से	श्रीमती शृष्टि जैन, सर्वश्री पुनीत जैन, हर्ष जैन (सुश्री) याशिका शर्मा, उमंग मेहता, हर्षवर्धन शर्मा, नीरज कुमार और (सुश्री) प्रतिभा जैन

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने दिया ।

न्या. शाह – इस अपील में अपीलार्थी-बैंक ऑफ बड़ौदा-वित्तीय संस्था - प्रतिभूत लेनदार ने यह अपील 2017 की खंड न्यायपीठ विशेष रिट अपील सं. 349 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर न्यायपीठ की खंड न्यायपीठ द्वारा तारीख 20 सितंबर, 2017 को पारित किए गए उस आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर फाइल की है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने उक्त अंतर-न्यायालय अपील मंजूर की थी और विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा तारीख 12 जनवरी, 2017 को पारित किए गए निर्णय और आदेश को अपास्त कर दिया था तथा यह निदेश दिया था कि यदि उधार लेने वाला बैंक में 17 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि जमा कर देता है, तो बैंक संपत्ति को निर्मोचित कर देगा और उधार लेने वाले को प्रश्नगत आवासीय/गृह संपत्ति के हक विलेखों सहित कब्जा सौंप देगा और उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने उक्त निर्णय और आदेश द्वारा यह भी निदेश दिया था कि उधार लेने वाले द्वारा विद्वान् ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष फाइल किए गए 2014 के एसए सं. 9 को गुणागुण के आधार पर सुने जाने के लिए इसके मूल संख्यांक पर प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

2. इस अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं :

2.1 इस अपील में अपीलार्थी-बैंक ने प्रत्यर्थी-उधार लेने वाले (जिसे इसमें इसके पश्चात् उधार लेने वाला कहा गया है) को दो बंधक संपत्तियों अर्थात् (i) चित्तौड़ रोड, बूंदी में स्थित 500 वर्ग मीटर माप का औद्योगिक भूखंड और (ii) 1-जेए-27, विकास नगर, बूंदी में स्थित 198 वर्ग मीटर माप की एक आवासीय/गृह संपत्ति की प्रतिभूति के विरुद्ध 100 लाख रुपए का अवधि ऋण और 95 लाख रुपए की नकद उधार सीमा प्रदान की थी। उधार लेने वाला करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार अवधि ऋण का प्रतिसंदाय करने में असफल रहा। उधार लेने वाले का खाता तारीख 31 अक्टूबर, 2012 को अननुपालनीय आस्ति (एनपीए) बन गया। उधार लेने वाले को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् सारफेसी अधिनियम, 2002 कहा गया है) की धारा 13(2) के अधीन 1,85,37,218.80/- रुपए की राशि की मांग करते हुए तारीख 7 जनवरी, 2013 की एक सूचना तामील की गई। बैंक ने स्थावर संपत्ति/आवासीय मकान का सांकेतिक कब्जा ले लिया और तारीख 22 अगस्त, 2013 को सारफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अधीन भी एक सूचना जारी की। सारफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 14 के अधीन एक आवेदन फाइल किया गया, जिसे 8 नवंबर, 2013 को मंजूर किया गया और बैंक ने तारीख 25 नवंबर, 2013 को पुलिस की सहायता से आवासीय मकान का कब्जा ले लिया, जो उधार लेने वाले की बंधक संपत्तियों में से एक संपत्ति थी।

2.2 उसके पश्चात् बैंक ने तारीख 16 दिसंबर, 2013 को आवासीय संपत्ति का सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय करने की सूचना जारी की। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित नियम 8 के अधीन विहित प्रक्रिया के निबंधनों के अनुसार उक्त प्रतिभूत आस्ति के विक्रय के लिए नियत आरक्षित मूल्य 48.65 लाख रुपए था। अधिसूचित की गई नीलामी की तारीख 20 जनवरी, 2014 थी। उधार लेने वाले ने सारफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 17 के अधीन ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के समक्ष 2014 का प्रतिभूतिकरण आवेदन

(एसए) सं. 9 फाइल करके बैंक की नीलामी को चुनौती दी । ऋण वसूली अधिकरण द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया कि यदि उधार लेने वाला तारीख 20 जनवरी, 2014 को 12.00 बजे दोपहर तक 20 लाख रुपए जमा कर देता है, तो बैंक बोलियों को स्वीकार तो करेगा किंतु बोलियों को अंतिम नहीं करेगा/प्रतिभूत आस्ति के विक्रय की पुष्टि नहीं करेगा और यदि उधार लेने वाला 28.65 लाख रुपए की बकाया रकम के संदाय में व्यतिक्रम करता है, तो अवरोध आदेश स्वतः रद्द हो जाएगा । ऋण वसूली अधिकरण ने यह भी मत व्यक्त किया कि यदि उधार लेने वाला तारीख 27 जनवरी, 2014 को या इससे पूर्व बैंक के पास 48.65 लाख रुपए जमा कर देता है, तो बैंक प्रश्नगत संपत्ति के मूल हक विलेखों सहित प्रतिभूत आस्ति का कब्जा परिदान कर देगा । यह विवादग्रस्त नहीं है कि उधार लेने वाले ने बैंक के पास 48.65 लाख रुपए जमा कर दिए थे ।

2.3 ऋण वसूली अधिकरण द्वारा पारित किए गए पूर्वोक्त अंतरिम आदेश को बैंक द्वारा ऋण वसूली अपीली अधिकरण के समक्ष अपील में चुनौती दी गई । अपीलार्थी-बैंक की ओर से यह पक्षकथन था कि सार्वजनिक नीलामी में बैंक को 71 लाख रुपए तक बोलियां प्राप्त हुई थीं और सुसंगत समय पर उधार लेने वाले के विरुद्ध शोध्य ऋण दो करोड़ रुपए से ऊपर था और यदि उधार लेने वाले की बंधक संपत्ति का मोचन कराने की रुचि है या वह इच्छुक है, तो वह ऐसा संपूर्ण दायित्व का निर्मोचन करके कर सकता है, न कि 48.65 लाख रुपए का संदाय करके, जैसा कि ऋण वसूली अधिकरण द्वारा आदेश किया गया है । अपीलार्थी-बैंक की ओर से यह भी पक्षकथन था कि ऋण वसूली अधिकरण द्वारा तारीख 17 जनवरी, 2014 को पारित किया गया आदेश सारफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(8) के अतिक्रमण में था । तथापि, बैंक की ओर से यह दलील दी गई कि बैंक को विचाराधीन संपत्ति का निर्मोचन करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है बशर्ते उधार लेने वाला 71 लाख रुपए की राशि का संदाय करने के लिए तैयार हो, जो बैंक को उपलब्ध सबसे ऊंची बोली है । यह दलील दी गई कि यहां तक कि इस रकम से भी अंततोगत्वा उधार लेने वाले के विरुद्ध

बकाया संपूर्ण दायित्व का निर्मोचन नहीं हो जाएगा किंतु फिर भी यदि उधार लेने वाला 71 लाख रुपए जमा कर देता है, तो बैंक को प्रश्नगत विषयाधीन संपत्ति का निर्मोचन करने में कठिनाई नहीं होगी ।

2.4 ऋण वसूली अपीली अधिकरण ने यह मत व्यक्त करते हुए अपील खारिज कर दी कि चूंकि आरक्षित मूल्य 48.65 लाख रुपए था जो उधार लेने वाले ने जमा कर दिया था और बैंक को 61.50 लाख रुपए से 71 लाख रुपए तक की बोलियां प्राप्त हुई थीं तथा अभिकथित बोली लगाने वाले अग्रिम धनराशि जमा करने में असफल रहे थे और जब उधार लेने वाला उक्त संपत्ति को 71 लाख रुपए में क्रय करने के लिए तैयार है, तो ऋण वसूली अधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है । ऋण वसूली अपीली अधिकरण द्वारा बैंक द्वारा की गई अपील को खारिज करते हुए पारित किया गया आदेश विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती की विषयवस्तु था । विद्वान् एकल न्यायाधीश ने तारीख 20 जनवरी, 2017 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा ऋण वसूली अधिकरण और ऋण वसूली अपीली अधिकरण दोनों के आदेशों को मुख्य रूप से इस कारण से अपास्त कर दिया कि उक्त आदेश सारफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(8) के उल्लंघन में थे । विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश को उधार लेने वाले द्वारा वर्तमान अंतर-न्यायालय अपील के द्वारा उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष चुनौती दी गई । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उक्त अपील मंजूर की और विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश को अभिखंडित और अपास्त कर दिया तथा बैंक को निदेश दिया कि उधार लेने वाले द्वारा बैंक को 17 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि जमा करने पर प्रतिभूत संपत्ति को निर्मोचित कर दिया जाए और उधार लेने वाले को हक विलेखों सहित कब्जा सौंप दिया जाए ।

2.5 उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर बैंक-वित्तीय

संस्था-प्रतिभूत लेनदार ने यह अपील फाइल की है ।

3. अपीलार्थी-बैंक की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल सुश्री प्रवीना गौतम ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने उधार लेने वाले द्वारा बैंक को केवल 17 लाख रुपए का अतिरिक्त संदाय करने पर उसे आवासीय/गृह संपत्ति के विक्रय विलेखों सहित संपत्ति का निर्मोचन करने और कब्जा सौंपने के लिए बैंक को निदेश देकर गंभीर गलती कारित की है ।

3.1 अपीलार्थी-बैंक की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल द्वारा यह पुरजोर दलील दी गई कि यहां तक कि जैसा कि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा मत व्यक्त किया गया है, उधार लेने वाला संपत्ति का मोचन कराने के लिए नहीं, अपितु नीलामी सूचना के निबंधनों के अनुसार बंधक संपत्ति की आरक्षित कीमत का संदाय करने पर क्रेता के पक्ष में संपत्ति का निर्मोचन करने के लिए आगे आया था । अतः यह दलील दी गई कि जब सारफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन तारीख 7 जनवरी, 2013 को सूचना जारी की गई थी और उधार लेने वाले को तामील की गई थी, उस समय पर शोध्य रकम 1,85,37,218.80 रुपए थी, इसलिए केवल 71 लाख रुपए की राशि का संदाय करने पर उधार लेने वाले को संपूर्ण शोध्य का संदाय करने के उसके दायित्व से उन्मोचित नहीं किया जा सकता है ।

3.2 अपीलार्थी-बैंक की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी दलील दी गई कि बैंक द्वारा जो समझा गया था और जिस बात के लिए सहमत हुआ था, वह यह थी कि 71 लाख रुपए का संदाय करने पर, जो प्राप्त हुई सबसे ऊंची बोली थी, उधार लेने वाले को कब्जा सौंपा जा सकता है । यह दलील दी गई कि तथापि, यह विनिर्दिष्ट रूप से स्पष्ट किया गया था कि 71 लाख रुपए का संदाय करने पर उक्त रकम से उधार लेने वाले के विरुद्ध बकाया संपूर्ण दायित्व का अंततोगत्वा निर्मोचन नहीं हो जाएगा । यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पूर्वोक्त का गलत निर्वाचन और/या

गलत अर्थान्वयन किया गया था और यह समझा गया था कि 71 लाख रुपए जमा करने पर बैंक इस बात के लिए सहमत हुआ था कि उधार लेने वाला उसके विरुद्ध बकाया उसके संपूर्ण दायित्व से उन्मोचित हो जाएगा ।

3.3 यह भी दलील दी गई कि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने उचित रूप से यह भी मूल्यांकन नहीं किया था कि नीलामी में 71 लाख रुपए की प्रस्थापना वर्ष 2013/2014 में प्राप्त हुई थी और उसके पश्चात् मूल्यांकन में वृद्धि हुई है । यह दलील दी गई कि जहां तक कि बकाया शोध्य भी बढ़ गया था जो तारीख 7 जनवरी, 2013 को 1,85,37,218.80 रुपए था । यह दलील दी गई कि अतः उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने 71 लाख रुपए को विक्रय/क्रय कीमत और/या आवासीय संपत्ति का मूल्य समझकर और/या विचार करके तात्विक रूप से गलती की थी । यह दलील दी गई कि अतः जब उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने यह निर्णय और आदेश पारित किया था कि यदि संपत्ति की नीलामी की जा सकती तो इससे 71 लाख की रुपए की अपेक्षा बहुत अधिक कीमत प्राप्त हुई होती । यह दलील दी गई कि केवल 71 लाख रुपए जमा करने पर उधार लेने वाले को उसके संपूर्ण दायित्व से उन्मोचित नहीं किया जा सकता है । यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित किया गया आक्षेपित निर्णय और आदेश सारफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) के बिल्कुल विपरीत है । यह दलील दी गई कि सारफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) के अनुसार प्रतिभूत लेनदार को शोध्य की संपूर्ण रकम को प्रतिभूत लेनदार को उपगत सभी लागत, प्रभारों और व्ययों के साथ सार्वजनिक नीलामी या जनता से कुटेशन या निविदा आमंत्रित करने की तारीख से पूर्व किसी समय जमा करने पर ही प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रतिभूत आस्ति को नहीं बेचा जाएगा । यह दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में शोध्य रकम 71 लाख रुपए की अपेक्षा बहुत अधिक थी । यह दलील दी गई कि अतः उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा केवल 65.65 लाख रुपए की कुल राशि का संदाय करने पर प्रतिभूत संपत्ति का निर्माण करने का निदेश देते हुए

पारित किया गया आक्षेपित निर्णय और आदेश सारफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (1) के बिल्कुल विपरीत है ।

3.4 अपीलार्थी-बैंक की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी दलील दी गई कि जब विषयाधीन संपत्ति को उधार लेने वाले द्वारा गृह ऋण खाते में बैंक के पास बंधक किया गया था और संपूर्ण बकाया शोध्द्य चुकाए बिना बंधक संपत्ति को निर्मोचित नहीं किया जा सकता है ।

3.5 अपीलार्थी-बैंक की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा आगे यह भी दलील दी गई कि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ यह मूल्यांकन करने में असफल रही थी कि 48.65 लाख रुपए की आरक्षित कीमत बैंक के मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित थी और विषयाधीन संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से थी, जिसमें एक वास्तविक बाजार कीमत मिल सकती थी । आरक्षित कीमत का संदाय करने पर या उधार लेने वाले को दो सबसे ऊंची बोली के औसत का संदाय करने पर तब तक प्रतिभूत विषयाधीन संपत्ति के मोचन के लिए कोई निदेश नहीं दिए जा सकते थे जब तक लागत और व्यय सहित संपूर्ण शोध्द्य संदत्त नहीं कर दिए जाते हैं ।

3.6 अपीलार्थी-बैंक की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी दलील दी गई कि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने इस तथ्य का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया था कि ऋण वसूली अधिकरण द्वारा पारित किया गया आदेश, जो ऋण वसूली अपीली अधिकरण के समक्ष बैंक द्वारा दी गई चुनौती का विषयवस्तु था जिसके द्वारा ऋण वसूली अधिकरण ने 48.65 लाख रुपए, जो आरक्षित कीमत थी, जमा करने पर उधार लेने वाले को बंधक संपत्ति को निर्मुक्त करने/कब्जा सौंपने का निदेश दिया था, वह एक अंतरिम आदेश था । अतः उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ को केवल 65.65 लाख रुपए का संदाय करने पर उधार लेने वाले को उसके संपूर्ण दायित्व से उन्मोचित करते हुए अंतिम आदेश पारित नहीं करना चाहिए था ।

3.7 उपरोक्त दलीलें देने के पश्चात् इस अपील को मंजूर करने का अनुरोध किया गया है ।

4. प्रत्यर्थियों-उधार लेने वालों की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल श्रीमती शृष्टि जैन द्वारा इस अपील का जोरदार रूप से विरोध किया गया ।

4.1 उधार लेने वाले की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल द्वारा जोरदार रूप से यह दलील दी गई कि चूंकि बैंक द्वारा सार्वजनिक नीलामी में प्राप्त की गई सबसे ऊंची बोली 71 लाख रुपए थी, जिसे उधार लेने वाला जमा/संदाय करने के लिए सहमत था और यहां तक कि पहले भी उधार लेने वाले ने ऋण वसूली अधिकरण द्वारा पारित किए गए तारीख 17 जनवरी, 2014 के आदेश के अनुसार 48.65 लाख रुपए की राशि जमा की थी, उसके पश्चात् जब उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने बैंक को 17 लाख रुपए की और राशि (इसे कुल 65.65 लाख रुपए बनाते हुए) जमा करने पर आवासीय संपत्ति को निर्मुक्त करने का निदेश दिया था और उसके पश्चात् उधार लेने वाले को मूल हक विलेखों को सौंपने का निदेश दिया था, उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया आक्षेपित निर्णय और आदेश साम्या आदेश है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है ।

4.2 यह दलील दी गई कि यहां तक कि अपीलार्थी-बैंक की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह माना था कि 65.65 लाख रुपए की कुल राशि का संदाय करने पर प्रश्नगत संपत्ति निर्मुक्त की जा सकती है । यह दलील दी गई कि अतः उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिसके कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

5. हमने संबंधित पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेलों को विस्तारपूर्वक सुना ।

6. प्रारंभ में, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने आक्षेपित आदेश द्वारा बैंक-प्रतिभूत लेनदार को यह निदेश दिया था कि 65.65 लाख रुपए की कुल राशि का संदाय करने पर उधार लेने वाले को प्रतिभूत संपत्ति निर्मुक्त कर दी जाए और प्रश्नगत आवासीय/गृह संपत्ति के मूल हक विलेखों सहित कब्जा सौंप दिया जाए। इस प्रकार, उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने आक्षेपित आदेश द्वारा प्रतिभूत संपत्ति/बंधक संपत्ति को कुल शोध्य जो तारीख 7 जनवरी, 2013 को 1,85,37,218.80 रुपए था, के विरुद्ध 65.65 लाख रुपए की कुल राशि का संदाय करने पर निर्मुक्त कर दिया था।

6.1 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने बंधक संपत्ति का बाजार मूल्य 71 लाख रुपए समझा था और/या माना था। ऋण वसूली अधिकरण ने जब आरंभ में उधार लेने वाले के पक्ष में अंतरिम अनुतोष प्रदान किया था, जो ऋण वसूली अपील की अधिकरण और विद्वान् एकल न्यायाधीश तथा उसके पश्चात् उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष विषयवस्तु थी, तब 48.65 लाख रुपए, जो आरक्षित कीमत/आधारिक कीमत थी, का संदाय करने पर उधार लेने वाले को बंधक संपत्ति का कब्जा सौंपने का निदेश दिया था। बैंक द्वारा सारफेसी अधिनियम के उपबंधों के अधीन कब्जा लिया गया था और सारफेसी अधिनियम की धारा 13 के अधीन यथा अपेक्षित कार्यवाहियों का अनुसरण करने के पश्चात् बंधक संपत्ति की नीलामी की गई थी और उस प्रक्रम पर उधार लेने वाले ने सारफेसी अधिनियम की धारा 17 के अधीन ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष एक अपील की थी/आवेदन किया था और इसलिए उक्त अपील को तकनीकी रूप से लंबित होना कहा जा सकता है क्योंकि ऋण वसूली अधिकरण द्वारा तारीख 17 जनवरी, 2014 को पारित किया गया आदेश एक अंतरिम आदेश था। जब सारफेसी अधिनियम की धारा 13 के अधीन नीलामी कार्यवाहियां आरंभ की गई थीं और बैंक ने सारफेसी अधिनियम की धारा 14 के अधीन कब्जा लेने के पश्चात् सारफेसी अधिनियम की धारा 13 की

उपधारा (8) के अनुसार प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रतिभूत आस्ति को बेचा और/या अंतरित नहीं किया जाएगा, जहां प्रतिभूत लेनदार की शोध्य रकम को उसके द्वारा उपगत सभी खर्चों, प्रभारों और व्ययों सहित, उसे सार्वजनिक नीलामी के लिए सूचना के प्रकाशन या जनता या प्राइवेट सत्ता से कुटेशन या निविदा आमंत्रित करने या प्रतिभूत आस्तियों को पट्टे, समनुदेशन या विक्रय द्वारा अंतरित करने की तारीख से पूर्व किसी समय पर उधार लेने वाले या ऋणी द्वारा निविदत्त कर दिया जाता है। प्रस्तुत मामले में, यद्यपि तारीख 7 जनवरी, 2013 को शोध्य 1,85,37,218.80 थे और सार्वजनिक नीलामी में प्रतिभूत संपत्ति को बेचे बिना उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने बंधक संपत्ति को निर्मुक्त करने और उधार लेने वाले द्वारा केवल 65.65 लाख रुपए की कुल राशि जमा/संदाय करने पर उधार लेने वाले को मूल विक्रय विलेखों सहित कब्जा सौंपने का निदेश दिया था। इस प्रक्रम पर, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि सार्वजनिक नीलामी में बंधक संपत्ति को बेचकर वसूल की गई रकम 65.65 लाख रुपए नहीं थी। यह प्राप्त हुई केवल एक सबसे ऊंची बोली थी और आगे कोई नीलामी कार्यवाहियां होने से पूर्व ऋण वसूली अधिकरण ने 48.65 लाख रुपए, जो आधारीक कीमत थी, का संदाय करने पर कब्जा सौंपने और मूल हक विलेखों को सौंपने का निदेश देते हुए अंतरिम आदेश पारित किया था, जो ऋण वसूली अपीली अधिकरण के समक्ष और विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष विषयवस्तु थी। अतः उधार लेने वाले ने प्रतिभूत लेनदार के पास संपूर्ण रकम को प्रतिभूत लेनदार को उपगत सभी खर्चों, प्रभारों और व्ययों सहित जमा नहीं किया था और जमा करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए प्रतिभूत लेनदार उस बंधक संपत्ति का विक्रय करने, जो प्रतिभूति के रूप में रखी गई थी और सार्वजनिक नीलामी में इसका विक्रय करके रकम वसूल करने के लिए स्वतंत्र था। इस प्रक्रम पर, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि यहां तक कि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के अनुसार भी उधार लेने वाले ने एक क्रेता के रूप में 71 लाख रुपए जमा/संदाय करने की प्रस्थापना की थी न कि बंधक संपत्ति का मोचन करने के लिए। अतः उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ

द्वारा बंधक संपत्ति/प्रतिभूत संपत्ति को केवल 65.65 लाख रुपए की कुल राशि का संदाय करने पर निर्मुक्त करने और उधार लेने वाले को इसका कब्जा तथा मूल हक विलेखों को सौंपने का निदेश देते हुए पारित किया गया आक्षेपित निर्णय और आदेश सारफेसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रतिकूल है ।

7. अन्यथा भी, तारीख 7 जनवरी, 2013 को 1,85,37,218.80 रुपए के कुल शोध्य के विरुद्ध 65.65 लाख रुपए का संदाय करने पर उधार लेने वाले के विरुद्ध बकाया संपूर्ण दायित्व का उन्मोचन हो जाना नहीं कहा जा सकता है । यदि बंधक संपत्ति सार्वजनिक नीलामी में 71 लाख रुपए की रकम के लिए विक्रय की गई होती और बैंक ने बंधक संपत्ति का विक्रय करके 71 लाख रुपए वसूल किए होते, तो उस दशा में भी उधार लेने वाले का बकाया रकम संदाय करने का दायित्व फिर भी बना रहेगा । बंधक संपत्ति/प्रतिभूत संपत्ति का विक्रय करके यह नहीं कहा जा सकता है कि उधार लेने वाला उसके विरुद्ध बकाया संपूर्ण दायित्व से उन्मोचित हो जाता है । बकाया अतिशेष शोध्य के संबंध में उधार लेने वाले का दायित्व फिर भी बना रहेगा । इसलिए उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने केवल 65.65 लाख रुपए की कुल राशि का संदाय करने पर बंधक संपत्ति/प्रतिभूत संपत्ति को निर्मुक्त करने और मूल हक विलेखों सहित उधार लेने वाले को कब्जा सौंपने का निदेश देकर गलती की थी ।

7.1 पुनरावृत्ति करते हुए, यह मत व्यक्त किया जाता है कि चूंकि बैंक ने सारफेसी अधिनियम की धारा 13 के अधीन पहले ही कार्यवाहियां आरंभ कर दी थीं और बैंक द्वारा सारफेसी अधिनियम की धारा 14 के अधीन बंधक संपत्ति का कब्जा भी ले लिया था तथा उसके पश्चात् बंधक संपत्ति का एक सार्वजनिक नीलामी करके विक्रय किया गया था और उस प्रक्रम पर उधार लेने वाला नीलामी की कार्यवाहियों को टालना चाहता था और प्रतिभूत लेनदार/बैंक को संपत्ति का विक्रय करने से अवरुद्ध करना चाहता था । ऐसी स्थिति में, बैंक/प्रतिभूत लेनदार को बंधक संपत्ति/प्रतिभूत संपत्ति का विक्रय करने से वहां अवरुद्ध किया जा

सकता है जहां उधार लेने वाला संपूर्ण शोध्य को जमा कर देता है जो कि तारीख 7 जनवरी, 2013 को प्रतिभूत लेनदार को 1,85,37,218.80 रुपए था । अतः ऋण वसूली अधिकरण अपने तारीख 17 जनवरी, 2014 के आदेश में, जो सारफेसी अधिनियम की धारा 17 के अधीन अपील के लंबित रहते हुए एक अंतरिम अनुतोष आदेश था, केवल 48.65 लाख रुपए का संदाय करने पर बंधक संपत्ति को निर्मुक्त करने और उधार लेने वाले को मूल हक विलेखों सहित कब्जा सौंपने का निदेश देने में न्यायोचित नहीं था, जोकि आधारिक कीमत/आरक्षित कीमत थी और जिसे उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने बढ़ाकर इस आधार पर 65.65 लाख रुपए कर दिया था कि प्राप्त हुई सबसे ऊंची बोली 71 लाख रुपए थी (जो कार्यान्वित नहीं हुई थी क्योंकि सबसे ऊंची बोली लगाने वाला आगे नहीं आया था) । जब तक उधार लेने वाला संपूर्ण रकम को सभी खर्चों और व्ययों सहित प्रतिभूत लेनदार के पास जमा/संदाय करने के लिए तैयार नहीं है, उधार लेने वाले को बकाया संपूर्ण दायित्व से उन्मोचित नहीं किया जा सकता है । इसलिए न तो ऋण वसूली अधिकरण द्वारा और/या न ही उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा उधार लेने वाले को बकाया संपूर्ण दायित्व से उन्मोचित करने के लिए और बंधक संपत्ति को निर्मोचित करने तथा उधार लेने वाले को मूल हक विलेखों सहित कब्जा सौंपने का कोई आदेश पारित किया जा सकता था । इसलिए विद्वान् एकल न्यायाधीश ने सारफेसी अधिनियम की धारा 13(8) पर विचार करते हुए ऋण वसूली अधिकरण तथा ऋण वसूली अपीली अधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेशों को ठीक ही अपास्त किया था । विद्वान् एकल न्यायाधीश ने ऋण वसूली अधिकरण द्वारा पारित किए गए और ऋण वसूली अपीली अधिकरण द्वारा पुष्टि किए गए आदेश को अपास्त करके ठीक किया था । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए आदेश में हस्तक्षेप करके गलती की थी और केवल 65.65 लाख रुपए की कुल राशि का संदाय करने पर उधार लेने वाले को बंधक संपत्ति/प्रतिभूत संपत्ति को निर्मुक्त करने और मूल हक विलेखों सहित कब्जा सौंपने का निदेश देकर गलती की थी ।

7.2 तथापि, साथ ही साथ 2014 के प्रतिभूतिकरण आवेदन सं. 9 में ऋण वसूली अधिकरण द्वारा तारीख 17 जनवरी, 2014 को पारित किया गया आदेश एक अंतरिम अनुतोष आदेश था और इसलिए यदि इस न्यायालय द्वारा अंतरिम अनुतोष आदेश को अपास्त किया जाता है, तो अपील/आवेदन का विनिश्चय और निपटारा गुणागुण के आधार पर तथा उन आधारों पर करना होगा जो उधार लेने वाले को उपलब्ध हो सकते हैं। तथापि, साथ ही साथ बैंक को सार्वजनिक नीलामी करके बंधक संपत्ति का विक्रय करने और रकम को वसूल करने तथा बकाया शोध्य को वसूल करने के लिए तब तक अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है जब तक उधार लेने वाला संपूर्ण शोध्य और संदेय रकम का प्रतिभूत लेनदार को उपगत खर्चों सहित सारफेसी अधिनियम की धारा 13(च) के अनुसार जमा/संदाय नहीं कर देता है।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर वर्णित कारणों से, यह अपील सफल होती है। उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा 2017 की खंड न्यायपीठ विशेष रिट अपील सं. 349 में तारीख 29 सितंबर, 2017 को पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश को तद्वारा अभिखंडित और अपास्त किया जाता है तथा विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा ऋण वसूली अधिकरण द्वारा तारीख 17 जनवरी, 2014 को पारित किए गए और ऋण वसूली अपीली अधिकरण द्वारा पुष्टि किए गए आदेश को अभिखंडित और अपास्त करते हुए पारित किए गए आदेश को तद्वारा प्रत्यावर्तित किया जाता है। अपीलार्थी-बैंक बंधक संपत्ति अर्थात् आवासीय मकान की नए सिरे से बोलियां आमंत्रित करके नीलाम करने के लिए नीलामी कार्यवाहियों को अग्रसर करने के लिए स्वतंत्र होगा और उधार लेने वाले द्वारा पहले ही जो कुछ रकम संदत्त की गई है, वह ऋण वसूली अधिकरण द्वारा पारित किए गए अंतरिम अनुतोष और/या उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश के अनुसरण में हो सकेगी और उसे उधार लेने वाले के शोध्य/कुल दायित्व के विरुद्ध समायोजित किया जा सकेगा। साथ ही साथ, ऋण वसूली अधिकरण उधार लेने वाले द्वारा सारफेसी अधिनियम की धारा 17 के अधीन फाइल किए गए 2014 के

प्रतिभूतिकरण आवेदन (एसए) सं. 09 का विधि के अनुसार और इसके अपने गुणागुण के आधार पर और उन आधारों पर विनिश्चय और निपटारा करेगा, जो उधार लेने वाले को उपलब्ध हों । यह भी मत व्यक्त और निदेशित किया जाता है कि यदि ऋण वसूली अधिकरण और उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित किए गए आदेशों के अनुसरण में इस तथ्य पर विचार करते हुए कि बंधक संपत्ति एक आवासीय संपत्ति है और उधार लेने वाले को उस पर काबिज किया जाता है, तो नीलामी अंतिम हो जाने और बंधक संपत्ति का सार्वजनिक नीलामी में विक्रय किए जाने तक उधार लेने वाले के कब्जे में हस्तक्षेप न किया जाए । तथापि, यह निदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक नीलामी अंतिम हो जाने पर और बैंक द्वारा बंधक संपत्ति का विक्रय किए जाने पर उधार लेने वाला बैंक और/या नीलाम-क्रेता को संपत्ति का शांतिपूर्वक और खाली कब्जा सौंपेगा । तथापि, इसी बीच बंधक संपत्ति के मूल हक विलेखों को बैंक द्वारा विधारित किया जाए । इसी बीच, और जब तक उधार लेने वाला इस आदेश के अनुसार बंधक संपत्ति पर काबिज रहता है और जब तक सार्वजनिक नीलामी में बंधक संपत्ति को विक्रय किया जाता है, तब तक उधार लेने वाला बंधक संपत्ति का इसके कब्जे सहित किसी प्रकार की किसी भी रीति में अंतरण और/या अन्यसंक्रामण नहीं करेगा । तदनुसार, यह अपील उपरोक्त अतिरिक्त मताभिव्यक्तियों और निदेशों के साथ मंजूर की जाती है । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.

[2022] 2 उम. नि. प. 23

आबिद-उल-इस्लाम

बनाम

इन्द्र सेन दुआ

[2016 की सिविल अपील सं. 9444]

7 अप्रैल, 2022

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (1958 का 59) – धारा 14(1)(ड), धारा 25ख(5) और 25ख(8) – बेदखली – वास्तविक आवश्यकता – मकान मालिक द्वारा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किराएदार को बेदखल किए जाने के लिए किराया नियंत्रक के समक्ष आवेदन फाइल किया जाना – किराएदार-प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिरक्षा करने की इजाजत के लिए किराया नियंत्रक के समक्ष फाइल किया आवेदन खारिज हो जाना – किराएदार द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण आवेदन को अपील की तरह कार्यवाही करते हुए मंजूर किया जाना – संधार्यता – चूंकि अधिनियम में विधानमंडल द्वारा किराया नियंत्रक के आदेश के विरुद्ध अपील का उपबंध नहीं किया गया है और उच्च न्यायालय को केवल पुनरीक्षण की शक्ति होने के कारण उसके द्वारा किराया नियंत्रक के आदेश में हस्तक्षेप करने की परिधि अत्यंत निर्बंधनात्मक और उन मामलों तक सीमित होने के कारण जहां अभिलेख को देखने से ही गलती प्रकट होती हो और यह शक्ति अवर न्यायालय पर एक अधीक्षण की प्रकृति की होने के कारण उसकी भूमिका केवल विनिश्चय करने में अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में अपना समाधान करने तक है, इसलिए जहां किराया नियंत्रक द्वारा मकान मालिक की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किराएदार की बेदखली के लिए एक विस्तृत सकारण आदेश पारित किया गया हो और उच्च न्यायालय द्वारा किराया नियंत्रक के निष्कर्षों को उलटा तक न गया हो किंतु फिर भी पुनरीक्षण आवेदन को

एक अपील की तरह मानते हुए मंजूर किया गया हो, वहां उच्च न्यायालय का ऐसा दृष्टिकोण विधि के अनुसार संधार्य नहीं कहा जा सकता है ।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 – धारा 14(1)(ड) – बेदखली – वास्तविक आवश्यकता – मकान मालिक द्वारा किराए पर दिए गए परिसर का वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किराएदार को बेदखल किए जाने के लिए किराया नियंत्रक के समक्ष आवेदन फाइल किया जाना – किराएदार द्वारा मकान मालिक के पास आनुकल्पिक वास-सुविधा और अन्य संपत्तियां होने की दलील दिया जाना – किराया नियंत्रक द्वारा दलील को नामंजूर करते हुए मकान मालिक के आवेदन को मंजूर किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में आनुकल्पिक वास-सुविधा के संबंध में मकान मालिक के उत्तर को अस्पष्ट होने के आधार पर खारिज करते हुए पुनरीक्षण आवेदन मंजूर किया जाना – संधार्यता – जहां किराएदार द्वारा मकान मालिक के पास अन्य संपत्तियां विद्यमान होने की दलील दी जाती है किंतु किराया नियंत्रक के समक्ष इस आशय का कोई अभिवचन न किया गया हो, वहां ऐसी दलील किराएदार के फायदे के लिए तब तक प्रवृत्त नहीं हो सकती है जब तक कि उसके द्वारा कोई ऐसी समर्थनकारी सामग्री प्रस्तुत न की गई हो कि वे संपत्तियां वास-सुविधा के लिए युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त हैं ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हाजी बदरूल इस्लाम (जिसकी मृत्यु हो चुकी है) बहुत पहले वर्ष 1970 में प्रत्यर्थी को मौखिक रूप से पट्टे पर दी गई दो दुकानों का मूल स्वामी था । पट्टा दशकों तक जारी रहा । मूल मकान मालिक की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र श्री साजिद-उल-इस्लाम उत्तराधिकार द्वारा और तारीख 11 मार्च, 1980 के पंचाट, दोनों के फलस्वरूप स्वामी बना । तारीख 21 नवंबर, 1986 को उसका भी देहांत हो गया । अपीलार्थी ने पंचाट और विधि के प्रवर्तन द्वारा उत्तराधिकार के माध्यम से दावा करते हुए वर्ष 2014 में अधिनियम की धारा 25ख के साथ पठित धारा 14(1)(ड) के अधीन बेदखली के लिए किराया नियंत्रक के पास आवेदन फाइल किया ।

प्रत्यर्थी-किराएदार ने प्रतिरक्षा करने की इजाजत की ईप्सा करते हुए एक आवेदन फाइल किया जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, तीन मुख्य दलीलें दी गईं अर्थात् (i) अपीलार्थी का संपत्ति पर हक नहीं है ; (ii) संपत्ति वास्तव में शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के अधीन भारत सरकार की है और (iii) अपीलार्थी के पास कारबार करने के लिए उपलब्ध अन्य संपत्तियों के माध्यम से आनुकल्पिक वास-सुविधा है । इसलिए अपीलार्थी की आवश्यकता वास्तविक नहीं है । विद्वान् किराया नियंत्रक ने आवेदन को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के हक को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, आनुकल्पिक वास-सुविधा की उपयुक्तता के संबंध में प्राख्यान अस्पष्ट हैं और शत्रु संपत्ति अधिनियम के अधीन रोक प्रश्नगत संपत्तियों पर लागू नहीं होगी । प्रत्यर्थी ने विद्वान् किराया नियंत्रक के उक्त विनिश्चय से असंतुष्ट होकर अधिनियम की धारा 25ख(8) के परंतुक का अवलंब लेते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया । उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करने के बावजूद कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी के हक को प्रश्नगत नहीं कर सकता है, पुनरीक्षण को इस आधार पर मंजूर किया गया कि इसमें विचारणीय विवादक हैं क्योंकि आनुकल्पिक वास-सुविधा के विवादक के संबंध में अपीलार्थी के प्रत्याख्यान अस्पष्ट हैं । उच्च न्यायालय द्वारा किए गए पूर्वोक्त विनिश्चय को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 की धारा 25ख(5) के अधीन यथा परिकल्पित प्रतिरक्षा करने की इजाजत का उपभोग करने के लिए मात्र प्राख्यान करना स्वतः पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि धारा 14(1)(ड) वास्तविक आवश्यकता के संबंध में विद्वान् किराया नियंत्रक के समाधानप्रद मकान मालिक के पक्ष में एक उपधारणा सृजित होती है जो, कुछ सारवान् सामग्री के साथ, एक विचारणीय विवादक उठाने की सीमा तक स्पष्ट रूप से खंडनीय है । प्रतिरक्षा करने की इजाजत की ईप्सा करते हुए आवेदन का विनिश्चय करने में किराया नियंत्रक का समाधान स्पष्ट रूप से व्यक्तिपरक है । किराया नियंत्रक के व्यक्तिपरक

समाधान का गठन करने के लिए मात्रा अधिसंभाव्यता की प्रबलता है । इस प्रकार, न्यायनिर्णयन की गुणवत्ता मात्र एक मनगढ़त बात और बेदखली के लिए एक सामान्य आवेदन को नामंजूर करने के लिए पर्याप्त सामग्री और साक्ष्य के बीच की बात है । कोई उपधारणा किए जाने से पूर्व, मकान मालिक पर्याप्त प्रकथनों द्वारा समर्थित प्रथमदृष्ट्या सामग्री प्रस्तुत करने के लिए कर्तव्याबद्ध है । केवल उसके पश्चात् ही उपधारणा लागू होती है और भार किराएदार पर स्थानांतरित हो जाता है । धारा 14(1)(ड) को धारा 25ख के मुकाबले में धारा 19 के अधीन अंतर्विष्ट एक अन्य उपबंध के आलोक में भी देखा जाना चाहिए । धारा 19 बेकब्जा किए गए किराएदार को तब पुनःकब्जे का अधिकार देती है यदि हालांकि बेदखली के पश्चात् मकान मालिक की ओर से परिसरों को आशयित प्रयोजन के लिए उपयोग करने का अननुपालन किया गया है । इस प्रकार, धारा 19, अन्य बातों के साथ-साथ, त्वरित कब्जे को सुकर बनाने के विधायी उद्देश्य पर अधिक प्रकाश डालती है । यह उद्देश्य अपील के अधिकार से इनकार करते हुए धारा 25ख(8) के परंतुक से भी प्रतिबिंबित होता है । धारा 25ख(8) का परंतुक उच्च न्यायालय को विद्वान् किराया नियंत्रक के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण की अनन्य शक्ति देता है जो प्रक्रियात्मक अनुपालन सहित विनिश्चय करने की प्रक्रिया पर अवर न्यायालय के ऊपर अधीक्षण की प्रकृति की है । अतः उच्च न्यायालय से अपीली अधिकारिता का प्रयोग करते हुए विचारण न्यायालय के मत पर अपना मत प्रतिस्थापित करने और चालाकी से उसके मत को निरस्त करने की प्रत्याशा नहीं की जाती है । उसकी भूमिका अपनाई गई प्रक्रिया पर अपना समाधान करने तक है । उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की परिधि बहुत निर्बंधनात्मक है और उच्च न्यायालय को उन मामलों के सिवाए ऐसे किसी विनिश्चय में हस्तक्षेप करने का साहस नहीं करना चाहिए जहां अभिलेख को देखने से ही प्रकट होने वाली गलती है, जिसका केवल अर्थ यह है कि स्वतः किसी न्यायनिर्णयन का अभाव है । ऐसे मामलों में निरुद्देश्य जांच करने की आवश्यकता नहीं है, जो अन्यथा अधीक्षण की शक्ति को एक नियमित प्रथम अपील की शक्ति में संपरिवर्तित करने की कोटि में आएगा और यह एक ऐसा कृत्य है जिसे विधानमंडल द्वारा पूर्णतः प्रतिषिद्ध किया

गया है । विद्वान् किराया नियंत्रक ने एक विस्तृत सकारण आदेश पारित किया था । ऐसी कवायद करने पर उसने पाया था कि वास्तविक आवश्यकता का समाधान होता है ; आनुकल्पिक वास-सुविधा के संबंध में प्रत्यर्थी के प्रकथन अस्पष्ट हैं ; अपीलार्थी के हक को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है ; और शत्रु संपत्ति अधिनियम के अधीन रोक लागू नहीं होती है । इस प्रकार, यह पाए जाने पर कि प्रत्यर्थी द्वारा स्थापित की गई प्रतिरक्षा केवल एक मनगढ़त बात है, प्रतिरक्षा करने की इजाजत की ईप्सा करते हुए आवेदन को तदनुसार नामंजूर कर दिया गया । पूर्वोक्त प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात् न्यायालय ने गुणागुण के आधार पर आदेश के अतिरिक्त प्रत्यर्थी के आचरण पर अभ्यारोपण करते हुए कतिपय मताभिव्यक्तियां की, जिसने न केवल एक जिला न्यायाधीश अपितु उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के नाम का भी उल्लेख नहीं किया था, जो निश्चित रूप से मामले के लिए उपयुक्त नहीं था । उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी के पूर्वोक्त आचरण, जैसा कि विद्वान् किराया नियंत्रक द्वारा उल्लेख किया गया था, की अनदेखी करते हुए पुनरीक्षण को, इसे अपील की तरह मानते हुए, मंजूर करने के लिए अग्रसर हुआ । उसने विद्वान् किराया नियंत्रक के निष्कर्षों को ही नहीं उलटा, अपितु प्रत्यर्थी की इस दलील को नामंजूर करते हुए कि वह हक को प्रश्नगत नहीं कर सकता है, यह अभिनिर्धारित करने के लिए अग्रसर हुआ कि प्रतिरक्षा करने की इजाजत की ईप्सा करते हुए आवेदन के उत्तर में अपीलार्थी के आनुकल्पिक वास-सुविधा के संबंध में प्रत्याख्यान अस्पष्ट हैं । हमारे सुविचारित मत में, यह दृष्टिकोण विधि की दृष्टि में कायम नहीं रखा जा सकता है । धारा 14(1)(ड) केवल एक वास्तविक प्रयोजन के लिए आवश्यकता के संबंध में है । आनुकल्पिक वास-सुविधा होने के संबंध में दलील अधिक-से-अधिक एक आनुषंगिक दलील हो सकती है । ऐसी आवश्यकता को उच्च न्यायालय द्वारा गलत नहीं पाया गया था, यद्यपि वह सीमित अधिकारिता, जो उसे प्रयोग करनी थी, को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने के लिए स्वतंत्र भी नहीं था । इसलिए जिस आधार पर पुनरीक्षण मंजूर किया गया था, वह आधार ही धारा 14(1)(ड) और धारा 25ख(8) में अंतर्विष्ट उपबंध के प्रतिकूल होने के कारण स्पष्ट रूप से गलत है । (15, 16, 20, 22, 23, 24 और 25)

इस न्यायालय ने पहले ही अधिनियम की धारा 14(1)(ड) के मुकाबले में धारा 25ख(8) की परिधि की चर्चा की है। इसलिए मात्र अन्य संपत्तियां विद्यमान होने की बात, जिससे वास्तव में अपीलार्थी द्वारा इनकार किया गया है, विद्वान् किराया नियंत्रक के समक्ष इस आशय के किसी अभिवचन और समर्थनकारी सामग्री के अभाव में कि वे संपत्तियां वास-सुविधा के लिए युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त हैं, प्रत्यर्थी के फायदे के लिए प्रवृत्त नहीं होगी। (पैरा 26)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2021]	(2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 114 : बलवंत सिंह उर्फ बंत सिंह और एक अन्य बनाम सुदर्शन कुमार और एक अन्य ;	10
[2020]	(2020) 7 एस. सी. सी. 327 : मोहम्मद इनाम बनाम संजय कुमार सिंघल ;	21
[2020]	(2020) 12 एस. सी. सी. 506 : राम कृष्ण गोवर बनाम भारत संघ ;	18
[2014]	(2014) 15 एस. सी. सी. 610 : अनिल बजाज और एक अन्य बनाम विनोद आहूजा ;	10, 14
[2005]	(2005) 12 एस. सी. सी. 778 : बलदेव सिंह बाजवा बनाम मनीष सैनी ;	17
[2004]	(2004) 3 एस. सी. सी. 178 : इंडिया अम्ब्रेला मैनुफैक्चरिंग कंपनी और अन्य बनाम भागबंदेई अग्रवाला (मृत) विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत और अन्य ;	11
[2001]	(2001) 1 एस. सी. सी. 706 : इंद्रजीत कौर बनाम निरपाल सिंह ;	13
[2000]	(2000) 5 एस. सी. सी. 708 : लायक अहमद और अन्य बनाम हबीब-उर-रहमान ;	11

[2000]	(2000) 7 एस. सी. सी. 543 : ग्राम पंचायत बनाम उजागर सिंह और अन्य ;	11
[1998]	(1998) 8 एस. सी. सी. 119 : सरला आहूजा बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. ;	20
[1994]	(1994) 2 एस. सी. सी. 316 : पी. वी. पापन्ना और अन्य बनाम के. पदमनाभैया ;	11
[1987]	(1987) 4 एस. सी. सी. 424 : डी. सत्यनारायण बनाम पी. जगदीश ;	11
[1987]	[1987] 1 उम. नि. प. 801 = (1986) 4 एस. सी. सी. 736 : अमरजीत सिंह बनाम खातून क्यूमरैन ;	11
[1983]	(1983) 2 उम. नि. प. 181 = (1982) 3 एस. सी. सी. 270 : परिसीजन स्टील एंड इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम प्रेम देव ;	11
[1981]	(1981) 3 एस. सी. सी. 36 : एम. एम. कासिम बनाम मनोहर लाल शर्मा और अन्य ।	11

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2016 की सिविल अपील सं. 9444.

संविधान 1950 के अनुच्छेद 133 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री अमित ऐंडले, पी. एस. सुधीर,
ऋषि महेश्वरी, (सुश्री) ऐनी मेथ्यू, भरत
सूद और (सुश्री) श्रुति जोश

प्रत्यर्थी की ओर से वैयक्तिक रूप से

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश ने दिया ।

न्या. सुंदरेश – इस अपील का केंद्रबिंदु दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (संक्षेप में “अधिनियम”) की धारा 25ख(8) के परंतुक का अवलंब लेते हुए पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने के संबंध में है।

2. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री अमित ऐंडले और प्रत्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से सुना। हमने लिखित दलीलों के साथ फाइल किए गए सभी दस्तावेजों का परिशीलन किया।

संक्षिप्त तथ्य

3. श्री हाजी बदरूल इस्लाम (जिसकी मृत्यु हो चुकी है) बहुत पहले वर्ष 1970 में प्रत्यर्थी को मौखिक रूप से पट्टे पर दी गई दो दुकानों का मूल स्वामी था। पट्टा दशकों तक जारी रहा। मूल मकान मालिक की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र श्री साजिद-उल-इस्लाम उत्तराधिकार द्वारा और तारीख 11 मार्च, 1980 के पंचाट, दोनों के फलस्वरूप स्वामी बना। तारीख 21 नवंबर, 1986 को उसका भी देहांत हो गया और अपीलार्थी, जिसने पंचाट और विधि के प्रवर्तन द्वारा उत्तराधिकार के माध्यम से दावा किया है, ने वर्ष 2014 में अधिनियम की धारा 25ख के साथ पठित धारा 14(1)(ड) के अधीन बेदखली के लिए आवेदन फाइल किया।

4. प्रत्यर्थी ने प्रतिरक्षा करने की इजाजत की ईप्सा करते हुए एक आवेदन फाइल किया जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, तीन मुख्य दलीलें दी गईं अर्थात् (i) अपीलार्थी का संपत्ति पर हक नहीं है; (ii) संपत्ति वास्तव में शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “शत्रु संपत्ति अधिनियम” कहा गया है) के अधीन भारत सरकार की है और (iii) अपीलार्थी के पास कारबार करने के लिए उपलब्ध अन्य संपत्तियों के माध्यम से आनुकल्पिक वास-सुविधा है। इसलिए अपीलार्थी की आवश्यकता वास्तविक नहीं है।

5. विद्वान् किराया नियंत्रक ने आवेदन को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के हक को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, आनुकल्पिक वास-सुविधा की उपयुक्तता के

संबंध में प्राख्यान अस्पष्ट हैं और शत्रु संपत्ति अधिनियम के अधीन रोक प्रश्नगत संपत्तियों पर लागू नहीं होगी। आनुषंगिक रूप से, विद्वान् किराया नियंत्रक द्वारा अपीलार्थी की वास्तविक आवश्यकता पर भी चर्चा की गई थी।

6. प्रत्यर्थी ने विद्वान् किराया नियंत्रक के उक्त विनिश्चय से असंतुष्ट होकर अधिनियम की धारा 25ख(8) के परंतुक का अवलंब लेते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में समावेदन किया। यह अभिनिर्धारित करने के बावजूद कि प्रत्यर्थी उक्त तथ्य की अभिस्वीकृति करते हुए वाद फाइल करके अपीलार्थी के हक को प्रश्नगत नहीं कर सकता है, पुनरीक्षण को इस आधार पर मंजूर किया गया कि इसमें विचारणीय विवादक हैं क्योंकि आनुकल्पिक वास-सुविधा के विवादक के संबंध में अपीलार्थी के प्रत्याख्यान अस्पष्ट हैं।

7. उच्च न्यायालय द्वारा किए गए पूर्वोक्त विनिश्चय को चुनौती देते हुए हमारे समक्ष यह अपील की गई है।

अपीलार्थी की दलीलें

8. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसिल ने यह दलील दी कि उच्च न्यायालय को उपलब्ध अधिकारिता सीमित और निर्बंधनात्मक होने के कारण विद्वान् किराया नियंत्रक की तर्कणा पर किसी विनिर्दिष्ट निष्कर्ष के बिना किया गया विनिश्चय ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने की कोटि में आता है जो निहित नहीं थी। प्रत्यर्थी ने यहां तक कि तथ्यों के आधार पर भी मामला नहीं बनाया है। एक किराएदार होने के नाते प्रत्यर्थी किसी विशिष्ट संपत्ति पर जोर नहीं दे सकता है, विशेष रूप से जब कब्जे की बात पर एक स्पष्ट कथन किया गया है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिरक्षा करने की इजाजत की ईप्सा करते हुए अपने आवेदन में वर्णित किसी आनुकल्पित संपत्ति के स्वामित्व की बात से विनिर्दिष्ट रूप से इनकार किया है।

9. प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए अतिरिक्त दस्तावेजों पर यह दलील दी गई कि शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संशोधित अधिनियम")

कहा गया है) के अधीन आरंभ की गई पश्चात्पूर्ती कार्यवाही ऐसी कार्यवाही थी जो अधिकारिता के बिना थी, विशेष रूप से जब पूर्ववर्ती कार्यवाही को एक आरंभिक जांच करने के पश्चात् बंद कर दिया गया था। इस बात को सिद्ध करने के लिए, तारीख 4 नवंबर, 2015 की रिपोर्ट का अवलंब लिया गया है। विद्वान् काउंसेल ने यह भी उल्लेख किया कि पश्चात्पूर्ती सूचनाओं को चुनौती देते हुए कार्यवाहियां दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, जिनमें “कोई प्रपीडिक कार्यवाही न की जाए” का आदेश पारित किया गया है। पूर्वोक्त कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी द्वारा स्वयं को पक्षकार बनाने के लिए फाइल किए गए आवेदन को सद्भाविकता की कमी के कारण नामंजूर कर दिया गया था, जिसकी पुष्टि इस न्यायालय द्वारा की गई थी।

10. विद्वान् काउंसेल ने अपनी दलीलों पर बल देने के लिए इस न्यायालय द्वारा सुनाए गए निम्नलिखित निर्णयों का अवलंब लिया :-

- * अनिल बजाज और एक अन्य बनाम विनोद आहूजा¹
- * बलवंत सिंह उर्फ बंत सिंह और एक अन्य बनाम सुदर्शन कुमार और एक अन्य²

प्रत्यर्थी की दलीलें

11. प्रत्यर्थी, जो स्वयं पक्षकार के रूप में उपसंजात हुआ, यह दलील दी कि इसमें विचारणीय विवादक अंतर्वलित हैं और इसलिए उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण को मंजूर करके ठीक किया था। अपीलार्थी के हक पर गंभीर संदेह है क्योंकि संपत्तियों के स्वामियों में से कुछ पड़ोसी देश पाकिस्तान में रह रहे हैं। तारीख 11 मार्च, 1980 को अभिप्राप्त किया गया पंचाट संदेह के घेरे में है और इसलिए उपेक्षा किए जाने योग्य है। संशोधित अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकारी ने अपने किराएदार के रूप में प्रत्यर्थी की प्रास्थिति को मान्यता दी है। यह भी दलील दी गई कि अपीलार्थी कारबार चलाने के लिए उपलब्ध आनुकल्पिक वास-सुविधाओं पर काबिज है। अतः उच्च न्यायालय के

¹ (2014) 15 एस. सी. सी. 610.

² (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 114.

आदेश की पुष्टि करते समय पश्चात्त्वर्ती घटित घटनाओं पर ध्यान देना होगा, जो फाइल किए गए दस्तावेजों द्वारा साक्ष्यित हैं। प्रत्यर्थी ने इस अपील को खारिज करने की ईप्सा की। प्रत्यर्थी ने अपने पक्षकथन को और मजबूत करने की ईप्सा करते हुए इस न्यायालय का ध्यान निम्नलिखित निर्णयों की ओर आकर्षित किया :-

- * एम. एम. कासिम बनाम मनोहर लाल शर्मा और अन्य¹
- * पी. वी. पापन्ना और अन्य बनाम के. पदमनाभैया²
- * अमरजीत सिंह बनाम खातून क्यूमरैन³
- * डी. सत्यनारायण बनाम पी. जगदीश⁴
- * परिसीजन स्टील एंड इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम प्रेम देव⁵
- * लायक अहमद और अन्य बनाम हबीब-उर-रहमान⁶
- * इंडिया अम्ब्रेला मैनुफैक्चरिंग कंपनी और अन्य बनाम भागबंदेई अग्रवाला (मृत) विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत और अन्य⁷
- * ग्राम पंचायत बनाम उजागर सिंह और अन्य⁸

चर्चा

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 के सुसंगत उपबंध धारा 14(1)(ड) :-

“14. बेदखली के विरुद्ध किराएदार का संरक्षण – (1) किसी अन्य विधि या संविदा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी परिसर के कब्जे की पुनःप्राप्ति के लिए कोई आदेश या डिक्री

¹ (1981) 3 एस. सी. सी. 36.

² (1994) 2 एस. सी. सी. 316.

³ [1987] 1 उम. नि. प. 801 = (1986) 4 एस. सी. सी. 736.

⁴ (1987) 4 एस. सी. सी. 424.

⁵ [1983] 2 उम. नि. प. 181 = (1982) 3 एस. सी. सी. 270.

⁶ (2000) 5 एस. सी. सी. 708.

⁷ (2004) 3 एस. सी. सी. 178.

⁸ (2000) 7 एस. सी. सी. 543.

किसी न्यायालय या नियंत्रक द्वारा किराएदार के विरुद्ध, मकान मालिक के पक्ष में, नहीं की जाएगी :

परंतु नियंत्रक, विहित रीति में उसे आवेदन किए जाने पर, केवल निम्नलिखित एक या अधिक आधारों पर परिसर के कब्जे की पुनःप्राप्ति के लिए आदेश कर सकेगा, अर्थात् :-

* * * *

(ड) यह कि आवासीय प्रयोजनों के लिए किराए पर दिए गए परिसर की मकान मालिक को, यदि वह उसका स्वामी है, अपने लिए या उस पर आश्रित उसके कुटुंब के किसी सदस्य के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जिसके फायदे के लिए वह परिसर धारण किया गया है, निवास स्थान के रूप में अधिभोग के लिए वास्तविक आवश्यकता है और मकान मालिक या ऐसे व्यक्ति के पास उचित रूप में उपयुक्त कोई अन्य निवास स्थान नहीं है ।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ‘आवासीय प्रयोजनों के लिए किराए पर दिया गया परिसर’ के अंतर्गत ऐसा कोई परिसर है, जो निवास स्थान के रूप में प्रयोग के लिए किराए पर दिए जाने के पश्चात् मकान मालिक की सहमति के बिना वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजनों के लिए आकस्मिक रूप से प्रयोग किया जाता है ।”

धारा 19 :

“19. अधिभोग और पुनः प्रवेश के लिए कब्जे की पुनःप्राप्ति –
 (1) जहां कोई मकान मालिक, धारा 14 की उपधारा (1) के परंतुक के खंड (ग), 1988 के अधिनियम सं. 57 द्वारा अंतःस्थापित, धारा 10 (1-12-1988 से) के अधीन अथवा धारा 14क, 14ख, 14ग, 14घ और 21 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में किराएदार से किसी परिसर का कब्जा पुनः प्राप्त करता है, वहां मकान मालिक संपूर्ण परिसर या उसके किसी भाग को ऐसा कब्जा प्राप्त करने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर पुनः किराए पर

नियंत्रक के विहित रीति में प्राप्त अनुज्ञा से ही देगा, अन्यथा नहीं और ऐसी अनुज्ञा प्रदान करने में, नियंत्रक परिसर का कब्जा ऐसे बेदखल किए गए किराएदार को देने के लिए मकान मालिक को निदेश दे सकेगा ।

(2) जहां कोई मकान मालिक किसी परिसर का पूर्वोक्त रूप में कब्जा पुनः प्राप्त करता है और मकान मालिक द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा, जिसके फायदे के लिए परिसर धारित है, ऐसा कब्जा प्राप्त करने के 2 माह के भीतर वह परिसर अधिभोग में नहीं लिया जाता है या इस प्रकार अधिभोग में लिए जाने पर वह परिसर, कब्जा प्राप्त करने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय, उपधारा (1) के अधीन नियंत्रक की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना बेदखल किराएदार से भिन्न किसी व्यक्ति को पुनः किराए पर दे दिया जाता है या ऐसे परिसर का कब्जा, ऐसे कारणों से जो नियंत्रक को सद्भाविक प्रतीत होते हों, किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर दिया जाता है, वहां नियंत्रक इस प्रकार बेदखल किराएदार द्वारा, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इस निमित्त उसके समक्ष आवेदन किए जाने पर किराएदार को उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर, यदि परिसर उसी रूप में है अथवा नए निबंधनों और शर्तों पर, यदि परिसर पुनः निर्मित किया गया है और यदि उसने पहले ही दूसरा परिसर पुनः सन्निर्मित नहीं करा लिया है, उसका खाली कब्जा प्राप्त नहीं कर लिया है या उसे दूसरा परिसर आबंटित नहीं कर दिया है तो परिसर का कब्जा देने के लिए या उसे ऐसा प्रतिकर का संदाय करने के लिए, जैसा नियंत्रक ठीक समझे या दोनों के लिए, जैसा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपेक्षित हो, मकान मालिक को निदेश दे सकेगा ।”

धारा 25ख

“25 ख. वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बेदखली के लिए आवेदन का निपटारा करने के लिए विशेष प्रक्रिया –

* * * *

(5) नियंत्रक, यदि किराएदार द्वारा फाइल किए गए शपथपत्र से ऐसे तथ्य प्रकट होते हैं जो मकान मालिक को धारा 14 की उपधारा (1) के परंतुक (ग) या धारा 14क में विनिर्दिष्ट आधार पर परिसर के कब्जे की पुनःप्राप्ति के लिए आदेश अभिप्राप्त करने से वंचित करते हों, किराएदार को आवेदन का विरोध करने के लिए इजाजत देगा ।

* * * *

(8) किसी परिसर के कब्जे की पुनःप्राप्ति के लिए नियंत्रक द्वारा इस धारा में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किए गए आदेश के विरुद्ध कोई अपील या द्वितीय अपील नहीं होगी :

परंतु उच्च न्यायालय, अपना यह समाधान करने के लिए कि नियंत्रक द्वारा इस धारा के अधीन किया गया आदेश विधि के अनुसार है, मामले के अभिलेख को मंगवा सकेगा और उसके बारे में ऐसा आदेश, जैसा वह ठीक समझे, पारित कर सकेगा ।”

धारा 14(1)(ड) के अधीन अपेक्षा

12. धारा 14(1)(ड) में बेदखली के नियमित ढंग का एक अपवाद उपबंधित किया गया है । अतः ऐसे मामले में जहां कोई मकान मालिक अपनी वास्तविक आवश्यकता के लिए किराए पर दिए गए परिसरों के कब्जे की ईप्सा करते हुए आवेदन करता है, तो विद्वान् किराया नियंत्रक अधिनियम के अधीन विहित संरक्षण को त्याग सकता है और इसके पश्चात् बेदखली का आदेश प्रदान कर सकता है । यह आवश्यकता तब वास्तविक आवश्यकता का विद्यमान होना कही जा सकती है, जब कोई अन्य “युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त वास-सुविधा” न हो । अतः दो आधारों पर समाधान किया जाना चाहिए, अर्थात् (i) आवश्यकता वास्तविक है, और (ii) युक्तियुक्त रूप से एक उपयुक्त आवासीय वास-सुविधा की अन-उपलब्धता । ऐसी युक्तियुक्तता के साथ-साथ उपयुक्तता को मकान मालिक के परिप्रेक्ष्य से देखा जाना चाहिए न कि किराएदार के परिप्रेक्ष्य से । जब विद्वान् किराया नियंत्रक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि एक वास्तविक आवश्यकता विद्यमान है और उसका यह समाधान हो जाता

है कि कोई युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त आवासीय वास-सुविधा नहीं है, तो धारा 14(i)(ड) के अधीन आदिष्ट दोनों शर्तों का समाधान हो जाता है।

13. हम **इंद्रजीत कौर बनाम निरपाल सिंह¹** वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय को उपयोगी रूप से निर्दिष्ट कर सकते हैं :-

“9. अध्याय 3-क कतिपय आवेदनों का संक्षिप्त विचारण करने के संबंध में है, जिसमें अभिव्यक्त रूप से यह कहा गया है कि किसी मकान मालिक द्वारा अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परंतुक के खंड (ग) या धारा 14क या 14ख या 14ग या 14घ में विनिर्दिष्ट आधार पर कब्जे की पुनःप्राप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन का निपटारा अधिनियम की धारा 25ख में विनिर्दिष्ट विशेष उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। इस अध्याय की व्यापक स्कीम के अनुसार, किराएदार को पूर्वोल्लिखित उपबंधों में वर्णित आधारों पर बेदखली के लिए फाइल किए गए आवेदन का प्रतिवाद करने के लिए तब तक प्रवारित किया गया है जब तक कि वह नियंत्रक से बेदखली के लिए आवेदन का प्रतिवाद करने के लिए इजाजत अभिप्राप्त नहीं कर लेता है। प्रतिरक्षा करने के लिए इजाजत अभिप्राप्त करने में व्यतिक्रम करने पर या उसे इजाजत से इनकार करने पर बेदखली का आदेश किया जाएगा। यह प्रतीत होता है कि संक्षिप्त विचारण का आश्रय उन आधारों की प्रकृति पर सम्यक् रूप से ध्यान देते हुए लिया जाता है, जिन पर विलंब से बचने की दृष्टि से बेदखली की ईप्सा की जाती है जिससे कि मकान मालिक को उसके वास्तविक उपयोग के लिए परिसरों के तुरंत कब्जे के उसके अधिकार से वंचित या इनकार न किया जाए।

10. साथ ही साथ, यह विधि की सुस्थिर और स्वीकार्य स्थिति है कि किसी व्यक्ति को किसी परिसर से बेदखली जैसे किसी ऐसे सिविल परिणाम को उसके विरुद्ध मामले को नासाबित करने और यथा अभिवाचित अपने पक्षकथन को सिद्ध करने का

¹ (2001) 1 एस. सी. सी. 706.

पर्याप्त और प्रभावी अवसर प्रदान किए बिना सहन करने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप उसे कठिनाई होगी ।

11. जैसा कि अधिनियम की धारा 25ख(4) और (5) से स्पष्ट है, किराएदार पर डाला गया भार हल्का और सीमित है क्योंकि यदि उसके द्वारा फाइल किए गए शपथपत्र से ऐसे तथ्य प्रकट होते हैं जो मकान मालिक को अधिनियम की धारा 14(1) के परंतुक के खंड (ग), जिससे इस मामले में हमारा सरोकार है, में विनिर्दिष्ट आधार पर परिसर के कब्जे की पुनःप्राप्ति के लिए आदेश अभिप्राप्त करने के हक से वंचित करते हों, प्रतिरक्षा करने की इजाजत प्रदान करने के लिए पर्याप्त हैं ।

12. कोई मकान मालिक, जिसे किसी परिसर की अपने निवास और अधिभोग के लिए वास्तविक रूप से आवश्यकता है, किराएदार की बेदखली के लिए प्रतीक्षा करने के लिए लंबे समय तक भुगतना न पड़े । साथ ही साथ, किसी किराएदार को किसी परिसर से सरसरी तौर पर बाहर नहीं निकाला जा सकता है, भले ही वह प्रथम दृष्टया यह कहने के लिए योग्य हो कि मकान मालिक का दावा वास्तविक नहीं है या अमान्य है और इसलिए बेदखली का आदेश अभिप्राप्त करने के लिए हकदार नहीं है । अतः अध्याय 3क की व्यापक स्कीम के भीतर और विशिष्ट रूप से धारा 25ख(5) के स्पष्ट निबंधनों और भाषा को ध्यान में रखते हुए, बेदखली के आवेदन का प्रतिवाद करने के लिए किराएदार को प्रतिरक्षा करने की इजाजत प्रदान करने या इनकार करने में सचेत और न्यायसम्मत दृष्टिकोण होना चाहिए ।

13. हमारा यह सुविचारित मत है कि उस प्रक्रम पर जब किराएदार प्रतिरक्षा करने के लिए इजाजत की ईप्सा करता है, यह पर्याप्त है कि यदि वह ऐसे तथ्यों को प्रकट करके एक प्रथम दृष्टया मामला बनाता है, जो मकान मालिक को बेदखली का आदेश अभिप्राप्त करने के हक से वंचित करता हो । यह कहना एक सही दृष्टिकोण नहीं होगा कि जब तक स्वयं किराएदार इस प्रक्रम पर एक ऐसा मजबूत मामला स्थापित नहीं करता है जो

मकान मालिक के वाद का अवसान करता हो, प्रतिरक्षा करने की इजाजत प्रदान नहीं की जानी चाहिए, जबकि धारा 25ख(5) में ऐसी अपेक्षा नहीं की गई है। प्रतिरक्षा करने की इजाजत मात्र कहने भर से या एक नेमी रीति में भी प्रदान नहीं की जा सकती है जिससे अधिनियम के अध्याय 3क में अंतर्विष्ट विशेष उपबंधों का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। प्रतिरक्षा करने की इजाजत से वहां इनकार नहीं किया जा सकता है जहां बेदखली के लिए आवेदन धारा 14 की उपधारा (1) के परंतुक के खंड (ग) के अधीन किसी किराएदार से परिसर के कब्जे को पुनः प्राप्त करने के लिए मकान मालिक की मात्र षड्यंत्र या इच्छा पर फाइल किया गया है, जबकि वास्तव में उसकी आवश्यकता वास्तविक न हो। ऐसे किसी मामले में इजाजत देने से इनकार करने से किराएदार की सरसरी तौर पर बेदखली हो जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप उसे और उसके परिवार के सदस्यों को, यदि कोई है, अत्यधिक कठिनाई होगी, यद्यपि वह सिद्ध कर सकता था कि यदि केवल उसे इजाजत दी जाती है तो मकान मालिक बेदखली के आदेश के लिए हकदार नहीं होगा। प्रतिरक्षा करने के लिए इजाजत प्रदान करने के प्रक्रम पर पक्षकार अपनी-अपनी परस्पर-विरोधी दलीलों के समर्थन में शपथपत्रों का अवलंब लेते हैं। शपथपत्रों में किए गए प्राख्यानों और प्रति-प्राख्यानों से हो सकता है ऐसा सुरक्षित और स्वीकार्य साक्ष्य न आए जिससे किसी-न किसी तरह तब तक एक सकारात्मक निष्कर्ष पर न पहुंचा जा सके जब तक यह दर्शित करने के लिए एक मजबूत और स्वीकार्य साक्ष्य उपलब्ध न हो कि किराएदार द्वारा प्रतिरक्षा करने की इजाजत की ईप्सा करते हुए फाइल किए गए आवेदन में प्रकट किए गए तथ्य या तो तुच्छ, असमर्थनीय हैं या अत्यंत अयुक्तियुक्त हैं। ऐसा मामला लेते हैं, जब कब्जे की ईप्सा व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर की जाती है, तो मकान मालिक को अपनी आवश्यकता को सिद्ध करना चाहिए न कि उसकी मात्र इच्छा होनी चाहिए। धारा 14 की उपधारा (1) के परंतुक (ड़) के अधीन दिया गया आधार मकान मालिक को वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किराए पर दिए गए परिसरों का कब्जा

पुनः प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाता है । यह एक सामर्थ्यकारी उपबंध होने के कारण, आवश्यक रूप से यह भार मकान मालिक पर है कि वह अपने पक्षकथन को सकारात्मक रूप से सिद्ध करे । संक्षेप में और सारतः, पूरी तरह से तुच्छ और पूर्णतया असमर्थनीय प्रतिरक्षा किराएदार को प्रतिरक्षा करने की इजाजत के लिए हकदार न बना सके, किंतु जब एक विचारणीय विवादक उठाया जाता है तो स्वतः कानून द्वारा किराया नियंत्रक पर यह कर्तव्य डाला गया है कि इजाजत प्रदान की जाए । इजाजत प्रदान करने के प्रक्रम पर वास्तविक परीक्षण यह होना चाहिए कि क्या प्रतिरक्षा करने की इजाजत की ईप्सा करते हुए फाइल किए आवेदन में प्रकट किए गए तथ्यों से प्रथम दृष्ट्या यह दर्शित होता है कि मकान मालिक बेदखली का आदेश अभिप्राप्त करके के हक से वंचित हो जाएगा और न कि क्या अंत में प्रतिरक्षा असफल हो सकती है । यह स्मरण रखना उचित होगा कि जब प्रतिरक्षा करने की इजाजत से इनकार किया जाता है, तो बेदखली से गंभीर परिणाम होंगे और इजाजत की ईप्सा करने वाले पक्षकार को बेदखली के लिए आवेदन में किए गए प्रकथनों की प्रतिपरीक्षा द्वारा सत्यता की परख करने के अवसर से इनकार किया जाता है । यह भी ध्यातव्य है कि यहां तक कि ऐसे मामलों में भी जहां इजाजत प्रदान की जाती है, वहां इसी अध्याय में ही बेदखली के आवेदनों का शीघ्रता से निपटारा करने के लिए उपबंध किए गए हैं । धारा 25ख(6) में यह कहा गया है कि जहां किसी किराएदार को बेदखली के लिए आवेदन का प्रतिवाद करने के लिए इजाजत प्रदान की जाती है, तो नियंत्रक आवेदन पर यथासाध्य शीघ्रता से सुनवाई आरंभ करेगा । धारा 25ख(7) में ऐसे मामलों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है । धारा 25ख(8) में कब्जे की पुनःप्राप्ति के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण के उपबंध के सिवाय अपीलों पर रोक लगाई गई है । इस प्रकार, धारा 25ख(6), (7) और (8) का एक संयुक्त प्रभाव यह है कि बेदखली के लिए आवेदनों का शीघ्रता से निपटारा किया जाए जिससे मकान मालिक को लंबे समय तक प्रतीक्षा न करनी पड़े या कष्ट न झेलना पड़े ।

दूसरी ओर, जब किसी किराएदार को प्रतिरक्षा करने के लिए इजाजत से इनकार किया जाता है, यद्यपि उसके पास अपनी प्रतिरक्षा को साबित करने के लिए उचित संभावना है, तो उसे अत्यधिक कठिनाई झेलनी पड़ेगी। इस दृष्टि से, प्रतिस्पर्धी दावों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।”

14. हम **अनिल बजाज और एक अन्य बनाम विनोद आहूजा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का भी अवलंब लेना चाहते हैं :-

“6. प्रस्तुत मामले में यह स्पष्ट है कि मकान मालिक (अपीलार्थी) अपना कारबार एक तंग गली में अवस्थित एक दुकान के परिसर से चला रहा है, जबकि मुख्य सड़क पर अवस्थित परिसर किराएदार के अधिभोग में हैं जिन्हें मकान मालिक अपने स्वयं के कारबार के लिए अधिक उपयुक्त होना समझता है। अभिलेख पर की सामग्री से, वास्तव में यह प्रकट होता है कि मकान मालिक ने किराएदार को किराए पर दिए गए परिसरों के बदले में तंग गली में अवस्थित परिसर देने की प्रस्थापना की थी, जिस प्रस्थापना से किराएदार द्वारा इनकार कर दिया गया था। किराएदार का यह पक्षकथन नहीं है कि मकान मालिक, अपीलार्थी सं. 1 ने किराए पर दिए गए उन परिसरों का उपयोग करने की प्रस्थापना नहीं की थी जिनसे अपने कारबार के प्रयोजनार्थ बेदखली की ईप्सा की गई है। किराएदार का यह भी पक्षकथन नहीं है कि मकान मालिक ने किराए पर दिए गए परिसरों को उनका कब्जा अभिप्राप्त करने के पश्चात् किराए पर उठाने/खाली रखने या मकान मालिक की आवश्यकता से असंगत किसी अन्य तरीके से उपयोग करने की प्रस्थापना की थी। किराएदार की दलील यह है कि मकान मालिक के पास कई अन्य दुकाने हैं जिनसे वह विभिन्न कारबार चला रहा है और यह भी कि मकान मालिक के पास अन्य परिसर हैं जहां से प्रस्तावित कारबार को प्रभावी रूप से चलाया जा सकता है। विधि के इन स्थिर सिद्धांतों को दोहराने की मुश्किल से

कोई आवश्यकता होगी कि किराएदार मकान मालिक को यह आदेश नहीं दे सकता है कि मकान मालिक से संबंधित संपत्ति को उसके द्वारा अपने कारबार के प्रयोजनार्थ कैसे उपयोग किया जाए । इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि मकान मालिक विभिन्न अन्य परिसरों से कारबार कर रहा है, किराए पर दिए गए परिसरों से बेदखली की ईप्सा करने के उसके अधिकार को पुरोबंध नहीं कर सकता है जब तक कि उसका आशय अपने स्वयं के कारबार के लिए उक्त किराए पर दिए गए परिसरों का उपयोग करने का है ।”

15. धारा 25ख(5) के अधीन यथा परिकल्पित प्रतिरक्षा करने की इजाजत का उपभोग करने के लिए मात्र प्राख्यान करना स्वतः पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि धारा 14(1)(ड) वास्तविक आवश्यकता के संबंध में मकान मालिक के पक्ष में एक उपधारणा विद्वान् किराया नियंत्रक के समाधानप्रद सृजित होती है जो, कुछ सारवान् सामग्री के साथ, एक विचारणीय विवादक उठाने की सीमा तक स्पष्ट रूप से खंडनीय है । प्रतिरक्षा करने की इजाजत की ईप्सा करते हुए आवेदन का विनिश्चय करने में किराया नियंत्रक का समाधान स्पष्ट रूप से व्यक्तिपरक है । किराया नियंत्रक के व्यक्तिपरक समाधान का गठन करने के लिए मात्रा अधिसंभाव्यता की प्रबलता है । इस प्रकार, न्यायनिर्णयन की गुणवत्ता मात्र एक मनगढ़त बात और बेदखली के लिए एक सामान्य आवेदन को नामंजूर करने के लिए पर्याप्त सामग्री और साक्ष्य के बीच की बात है ।

16. कोई उपधारणा किए जाने से पूर्व, मकान मालिक पर्याप्त प्रकथनों द्वारा समर्थित प्रथम दृष्टया सामग्री प्रस्तुत करने के लिए कर्तव्याबद्ध है । केवल उसके पश्चात् ही उपधारणा लागू होती है और भार किराएदार पर स्थानांतरित हो जाता है । धारा 14(1)(ड) को धारा 25ख के मुकाबले में धारा 19 के अधीन अंतर्विष्ट एक अन्य उपबंध के आलोक में भी देखा जाना चाहिए । धारा 19 बेकब्जा किए गए किराएदार को तब पुनःकब्जे का अधिकार देती है यदि हालांकि बेदखली के पश्चात् मकान मालिक की ओर से परिसरों को आशयित प्रयोजन के लिए उपयोग करने का अननुपालन किया गया है । इस प्रकार, धारा 19, अन्य बातों के साथ-साथ, त्वरित कब्जे को सुकर बनाने के विधायी

उद्देश्य पर अधिक प्रकाश डालती है। यह उद्देश्य अपील के अधिकार से इनकार करते हुए धारा 25ख(8) के परंतुक से भी प्रतिबिंबित होता है।

17. इस न्यायालय ने **बलदेव सिंह बाजवा बनाम मनीष सैनी**¹ वाले मामले में एक सम विषयक उपबंध पर विचार करते हुए इस प्रक्रिया को एक संक्षिप्त प्रक्रिया अभिनिर्धारित करते हुए पूर्वोक्त स्थिति को स्पष्ट किया था। ऐसे मामले में, किराएदार से यह प्रत्याशा की जाती है कि वह उन तथ्यों के समर्थन में पर्याप्त और युक्तियुक्त सामग्री सन्निविष्ट करे जिनका अभिवाक् इस घोषणा के रूप में किया गया है कि ये तथ्य एक विचारणीय विवादक उठाने के लिए पर्याप्त हैं। कोई धारा 25ख के पीछे के उस उद्देश्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है जो एक श्रेणी के मकान मालिकों के लिए सामान्य प्रक्रियात्मक मार्ग के बिना न केवल त्वरित अपितु प्रभावी उपचार को सुकर बनाने के लिए है। इस संबंध में, हम **बलदेव सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय को उद्धृत करना चाहेंगे :-

“14. ‘वास्तविक अपेक्षा’ या ‘वास्तविक आवश्यकता’ या ‘युक्तियुक्त रूप से सद्भावपूर्वक चाहिए’ या ‘चाहिए’ वाक्यांश लगभग सभी किराया नियंत्रण अधिनियमों में अंतर्निहित विधायी आशय के साथ प्रकट होता है, जिस पर विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा और इस न्यायालय द्वारा भी अनेक बार विचार किया गया है और प्रदर्शित किया गया है, जिनमें से कुछ को हम निर्दिष्ट करना चाहेंगे। रामदास **बनाम** ईश्वर चंद्र [(1988) 3 एस. सी. सी. 131] वाले मामले में यह कहा गया है कि वास्तविक आवश्यकता असली और ईमानदार होनी चाहिए जिससे सद्भाविकता प्रकट होती हो। यह भी उपदर्शित किया गया था कि मकान मालिक की कब्जा लेने की इच्छा, चाहे यह अन्यथा कितनी भी ईमानदार हो, इसमें अपरिहार्य रूप से एक व्यक्तिपरक तत्व होता है और उस इच्छा में, इसे विधि की दृष्टि में एक ‘अपेक्षा’ बनने के लिए ‘आवश्यकता’ का वस्तुपरक तत्व होना चाहिए, जिसे केवल सभी सुसंगत परिस्थितियों पर

¹ (2005) 12 एस. सी. सी. 778.

विचार करके विनिश्चित किया जा सकता है ताकि किराएदार को प्राप्त संरक्षण भ्रामक या कम न हो जाए ।

15. बेगा बेगम **बनाम** अब्दुल अहाद खान [(1979) 1 एस. सी. सी. 273] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 'युक्तियुक्त आवश्यकता' शब्दों का निस्संदेह आधार-तत्त्व यह है कि इसमें मात्र इच्छा या आकांक्षा के विपरीत आवश्यकता के तत्त्व का होना आवश्यक है । इच्छा और आवश्यकता के बीच विभेद को निस्संदेह ध्यान में रखा जाना चाहिए जिससे कि असली आवश्यकता भी एक इच्छा बनकर न रह जाए ।

16. सुरजीत सिंह कालरा **बनाम** भारत संघ [(1991) 2 एस. सी. सी. 87] वाले मामले में इस न्यायालय की एक तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था (एस. सी. सी. पृ. 99, पैरा 20) –

'20. किराएदार निस्संदेह वर्गीकृत मकान मालिकों के दावे के विरुद्ध सभी सुसंगत दलीलें देने का हकदार है । इस तथ्य से कि धारा 14ख से 14घ में वास्तविक आवश्यकता शब्दों का कोई उल्लेख नहीं है, किराएदार को यह साबित करने के लिए कि उसकी आवश्यकता वास्तविक है या किराएदार को यह दर्शित करने से कि यह वास्तविक नहीं है, छुटकारा नहीं मिल जाता है । वास्तव में किसी किराएदार के विरुद्ध बेदखली के लिए प्रत्येक दावा अवश्य एक वास्तविक दावा होना चाहिए । इस अर्थान्वयन के समर्थन में धारा 25ख के शीर्षक में भी पर्याप्त संकेत है जिसमें वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बेदखली के लिए आवेदनों के निपटान के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है ।'

17. शिव सरूप गुप्ता **बनाम** डा. महेशचंद्र गुप्ता [(1999) 6 एस. सी. सी. 222] वाले मामले में इस न्यायालय ने वास्तविक आवश्यकता के पहलू पर विचार करते हुए यह कहा था कि अनुभूत

आवश्यकता का भाव, जो किसी किराएदार को बेदखल करने के लिए मात्र बहाने या दिखावे के प्रतिकूल एक सच्ची, ईमानदार इच्छा का परिणाम है, मकान मालिक के मस्तिष्क की अवस्था को निर्दिष्ट करता है। मकान मालिक के मस्तिष्क में झांकने का एकमात्र तरीका तथ्यों पर विचार करने वाले न्यायाधीश द्वारा मकान मालिक के स्थान पर स्वयं को रखकर अपनाई गई कवायद है और इसके पश्चात् स्वयं से यह प्रश्न पूछना कि क्या प्रस्तुत तथ्यों में जो मकान मालिक द्वारा सिद्ध किए गए हैं, परिसरों को अधिभोग में लेने की आवश्यकता को स्वाभाविक वास्तविक सच्ची और ईमानदार कहा जा सकता है।

* * * *

19.हमारे मत में, सुसंगत उपबंधों में किराएदारों के लिए ये अंतर्निहित संरक्षण हैं कि जब कभी मकान मालिक न्यायालय में समावेदन करेगा वह तब समावेदन करेगा जब उसकी आवश्यकता असली और वास्तविक है। यह आवश्यकता, निस्संदेह, किराएदार द्वारा इसका खंडन करने के अधिकार, किंतु मजबूत और सटीक साक्ष्य के साथ, के अधीन है। हमारे मत में, अनिवासी भारतीय मकान मालिकों द्वारा किराएदार की बेदखली के लिए धारा 13ख के अधीन की गई कार्यवाही में न्यायालय यह अवधारणा करेगा कि आवेदन में अभिवाचित मकान मालिक की आवश्यकता असली और वास्तविक है। किंतु यह किराएदार को यह साबित करने के उसके हक से वंचित नहीं करेगी कि तथ्य और विधि के अनुसार मकान मालिक की आवश्यकता असली नहीं है। किराएदार पर यह साबित करने का एक भारी भार होगा कि मकान की आवश्यकता असली नहीं है। इस तथ्य को साबित करने के लिए किराएदार को स्वतः शपथपत्र में किए गए अपने अभिवाक् के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ समर्थित, यदि उपलब्ध हों, सभी आवश्यक तथ्यों और विशिष्टियों को देने के लिए कहा जाएगा, जिससे कि नियंत्रक मकान मालिक की असली या वास्तविक आवश्यकता के प्रश्न का न्यायनिर्णयन और विनिश्चय करने की स्थिति में होगा। किराएदार

की ओर से मात्र यह प्रख्यान मकान मालिक के पक्ष में इस प्रबल उपधारणा का खंडन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि परिसरों को अधिभोग में लेने की उसकी आवश्यकता वास्तविक या असली है।”

18. हम राम कृष्ण ग़ोवर बनाम भारत संघ¹ वाले मामले में एक हाल ही विनिश्चय का भी अवलंब लेना चाहेंगे, जिसमें इस न्यायालय ने इंद्रजीत कौर (उपर्युक्त) और बलदेव सिंह (उपर्युक्त) वाले मामलों में के पूर्वोक्त विनिश्चयों पर विचार किया था और प्रतिरक्षा करने के लिए इजाजत के प्रक्रम पर किराएदार के भार का खंडन किए जाने का निर्वचन किया और यह मत व्यक्त किया :-

“39. प्रतिरक्षा करने के लिए इजाजत अभिप्राप्त करने हेतु एक ‘मजबूत मामले’ की आवश्यकता का अर्थ एक ऐसा उचित मामला हो, जो ऐसे युक्तियुक्त और सुआधारित आधार सामने लाए जिनके आधार पर किराएदार बेदखली की कार्यवाहियों का प्रतिवाद करने के लिए इजाजत की ईप्सा करता है। इसका अर्थ उस प्रक्रम पर किसी संदेह और बहस की गुंजाइश के परे मामले का गठन और सिद्ध करना नहीं है। जो आधार लिए गए हैं और अभिवाक् किए गए हैं उसमें स्पष्ट और मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिबिम्बित होनी चाहिए और उसका संबंध उन आधारों से होना चाहिए जिनका बलदेव सिंह बाजवा मोनीष सैनी [(2005) 12 एस. सी. सी. 778] वाले मामले में वर्णन किया गया है। जो मानक लागू किया जाता है वह इंद्रजीत कौर बनाम निरपाल सिंह [(2001) 1 एस. सी. सी. 706] वाले मामले में वर्णित मानदंडों के समान है, जिसमें इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि प्रतिरक्षा करने के लिए इजाजत मात्र कहने भर से प्रदान नहीं की जानी चाहिए किंतु जब अभिवाकों और दलीलों में विचारणीय विवादक उठाए जाते हैं और तथ्यों के आधार पर विवाद की यह मांग है कि साक्षियों द्वारा फाइल किए गए शपथपत्रों की उनकी प्रतिपरीक्षा में सत्यता का अभिनिश्चय करने के पश्चात् मामले का उचित रूप से न्यायनिर्णयन किया

¹ (2020) 12 एस. सी. सी. 506.

जाए। प्रत्येक मामले का विनिश्चय उसके गुणागुण के आधार पर किया जाना चाहिए न कि पूर्वावधारित अनुमानों और धारणाओं के आधार पर अनिवासी भारतीयों द्वारा बेदखली की एक सरलीकृत प्रक्रिया का उपबंध करके धारा 13ख किराएदारों के अधिकारों को कम नहीं करती है। यह किराएदारों को अपने मामले को गुणागुण के आधार पर सिद्ध करने और जब न्यायोचित और आवश्यक हो, मामले को विचारण में ले जाने का अवसर देती है। अतः किसी भी तरह से धारा 13ख को मनमाना और अयुक्तियुक्त अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है।”

पुनरीक्षण की परिधि

19. हमारा, वास्तव में, अधिक सरोकार धारा 25ख(8) के परंतुक की परिधि और व्याप्ति से है। यह परंतुक उपधारा (5) के अधीन फाइल किए गए आवेदन पर विद्वान् किराया नियंत्रक द्वारा पारित किए गए आदेश के विरुद्ध अपील का उपबंध न करते हुए एक सुभिन्न और असंदिग्ध रोक सृजित करता है। विधानमंडल का अभिप्राय बिल्कुल स्पष्ट है, जो है अपीली उपचार और उसके पश्चात् फिर द्वितीय अपील को हटाना। यह एक स्पष्ट लोप है जो विधानमंडल द्वारा अपील के दो प्रक्रमों के अधिकार को हटाकर एक प्रसंविदा के माध्यम से भानपूर्वक किया गया है।

20. धारा 25ख(8) का परंतुक उच्च न्यायालय को विद्वान् किराया नियंत्रक के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण की अनन्य शक्ति देता है जो प्रक्रियात्मक अनुपालन सहित विनिश्चय करने की प्रक्रिया पर अवर न्यायालय के ऊपर अधीक्षण की प्रकृति की है। अतः उच्च न्यायालय से अपीली अधिकारिता का प्रयोग करते हुए विचारण न्यायालय के मत पर अपना मत प्रतिस्थापित करने और चालाकी से उसके मत को निरस्त करने की प्रत्याशा नहीं की जाती है। उसकी भूमिका अपनाई गई प्रक्रिया पर अपना समाधान करने तक है। उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की परिधि बहुत निर्बंधनात्मक है और उच्च न्यायालय को उन मामलों के सिवाय ऐसे किसी विनिश्चय में हस्तक्षेप करने का साहस नहीं करना चाहिए जहां अभिलेख को देखने से ही प्रकट होने वाली गलती है, जिसका

केवल अर्थ यह है कि स्वतः किसी न्यायनिर्णयन का अभाव है । ऐसे मामलों में निरुद्देश्य जांच करने की आवश्यकता नहीं है, जो अन्यथा अधीक्षण की शक्ति को एक नियमित प्रथम अपील की शक्ति में संपरिवर्तित करने की कोटि में आएगा और यह एक ऐसा कृत्य है जिसे विधानमंडल द्वारा पूर्णतः प्रतिषिद्ध किया गया है । हम सरला आहूजा बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.¹ वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय को उद्धृत करने के सिवाय विधि की इस स्थिर प्रतिपादन पर और अधिक नहीं कहना चाहते हैं :-

“5. अधिनियम की धारा 25ख ‘वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बेदखली के आवेदन का निपटारा करने के लिए विशेष प्रक्रिया’ का अधिकथन करती है । उपधारा (1) में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 14(1)(ड) में विनिर्दिष्ट आधार पर कब्जे की पुनःप्राप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन का निपटारा धारा 25ख में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा । उपधारा (8) में यह कहा गया है कि किसी परिसर के कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए किराया नियंत्रक द्वारा इस धारा में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किए गए आदेश के विरुद्ध कोई अपील या द्वितीय अपील नहीं होगी । उस उपधारा का परंतुक इस प्रकार है :-

‘परंतु उच्च न्यायालय, अपना यह समाधान करने के लिए कि नियंत्रक द्वारा इस धारा के अधीन किया गया आदेश विधि के अनुसार है, मामले के अभिलेख को मंगवा सकेगा और उसके बारे में ऐसा आदेश, जैसा वह ठीक समझे, पारित कर सकेगा ।’

6. परंतुक से पता चलता है कि उच्च न्यायालय की शक्ति पर्यवेक्षी प्रकृति की है और वह यह सुनिश्चित करने के लिए आशयित है कि किराया नियंत्रक जो आदेश पारित करता है, वह विधि के अनुसार है । मामले के अभिलेखों का परिशीलन करते समय उच्च न्यायालय का समाधान इस सीमित क्षेत्र तक

¹ (1998) 8 एस. सी. सी. 119.

परिसीमित होना चाहिए कि किराया नियंत्रक का आदेश 'विधि के अनुसार' है। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय अभिलेखों की संवीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि क्या किराया नियंत्रक ने धारा 25ख के अधीन आदेश पारित करने में कोई अवैधता की है। उस कार्यवाही में उच्च न्यायालय के लिए यह अनुज्ञेय नहीं है कि वह कोई भिन्न तथ्यात्मक निष्कर्ष निकाले जब तक कि तथ्यों पर किराया नियंत्रक द्वारा निकाला गया निष्कर्ष इतना अयुक्तियुक्त न हो कि कोई किराया नियंत्रक उपलब्ध सामग्री के आधार पर ऐसे निष्कर्ष पर न पहुंच सकता हो।

7. यद्यपि अधिनियम की धारा 25ख(8) के परंतुक में 'पुनरीक्षण' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है तथापि, उसमें प्रयुक्त भाषा से यह स्पष्ट है कि प्रदत्त की गई शक्ति पुनरीक्षण संबंधी शक्ति है। विधि की भाषा में अपीलीय और पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता के बीच भेद सुस्पष्ट है। सामान्यतः अपीली अधिकारिता, अपील न्यायालय को उसके समक्ष आक्षेपित आदेश में निकाले गए निष्कर्षों से अवधारित नए निष्कर्ष निकालने में समर्थ बनाने के लिए संपूर्ण मामले की पुनः सुनवाई करने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक है। वस्तुतः, कानून जिसमें अपील संबंधी उपबंध है, ऐसी अपीली शक्तियों की सीमा को परिसीमित या सीमित कर सकता है। इसके विपरीत, पुनरीक्षण संबंधी शक्ति सामान्यतः पर्यवेक्षण की शक्ति है जो अधीनस्थ अधिकरणों को विधि की सीमाओं के भीतर रखती है। पुनरीक्षण संबंधी ऐसी शक्ति का विस्तार या संकुचन इस बात पर निर्भर करेगा कि कानून ने ऐसी शक्ति को उसमें किस प्रकार व्यक्त किया है। कुछ विधानों में पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाहियों या विनिश्चयों की नियमितता, वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के लिए तात्पर्यित है। श्री राजलक्ष्मी डाइंग वर्क्स बनाम रंगा स्वामी [(1980) 4 एस. सी. सी. 259] वाले मामले में इस न्यायालय ने उन शब्दों की सीमा पर विचार किया है। (उच्च न्यायालय ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता या किसी विनिश्चय या आदेश की

शुद्धता, अवैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के लिए अभिलेख मंगाकर परीक्षा कर सकेगा...) जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कानून द्वारा पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। इस दलील को निपटाते हुए कि उपरोक्त शब्दों से पुनरीक्षण करने वाले प्राधिकारी को अत्यंत विस्तृत शक्ति प्रदान की गई है। इस दलील को निपटाते हुए कि उपरोक्त शब्दों से पुनरीक्षण करने वाले प्राधिकारी को अत्यंत विस्तृत शक्ति प्रदत्त करना उपदर्शित होता है, इस न्यायालय ने उक्त विनिश्चय में इस प्रकार मत व्यक्त किया है :-

‘धारा 25 के अधीन ‘अपना समाधान करने के लिए’ शब्दों को सम्मिलित करने से जो प्रमुख विचार संप्रेषित होता है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 25 के अधीन उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति अनिवार्यतः अधीक्षण की शक्ति है। अतः धारा में विस्तृत भाषा का प्रयोग होते हुए भी, उच्च न्यायालय को स्पष्टतः तथ्यगत निष्कर्षों में मात्र इसीलिए हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि वह अधीनस्थ प्राधिकारी के निष्कर्ष से सहमत नहीं है।’

8. दिल्ली और अजमेर किराया (नियंत्रण) अधिनियम, 1952 जिसकी शब्दावली लगभग वैसी ही है जैसी अधिनियम की धारा 25ख(8) के परंतुक में है, के संबंध में चर्चा करते हुए इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने हरीशंकर **बनाम** राव गिरधारी लाल चौधरी [(1962) सप्ली. (1) एस. सी. आर. 933] के मामले में इस प्रकार कहा है :-

‘इस प्रकार यह धारा अधिकारिता की गलती को ठीक करने की शक्ति जिसके लिए धारा 115 सीमा है, से अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए बनाई गई है। किंतु इस बात को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि धारा, उसकी स्पष्ट विस्तृत धारा के होते हुए भी जहां वह उच्च न्यायालय को ऐसा आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करती है जैसा उच्च न्यायालय ठीक समझे, – आरंभिक शब्दों से नियंत्रित है, जहां

वह कहती है कि उच्च न्यायालय, अपना यह समाधान करने के लिए कि विनिश्चय 'विधि के अनुसार' है, मामले के अभिलेख को मंगवा सकेगा। इसका कारण यह है कि यदि यह आवश्यक समझा गया था कि पुनः सुनवाई होनी चाहिए तो अपील का अधिकार अधिक उपयुक्त उपचार होगा, किंतु अधिनियम कहता है कि कोई और अपील नहीं होगी।'

9. मालिनी अय्यप्पा नायकर बनाम सेठ मेघराज ऊधवदास [(1970)] 1 उम. नि. प. 359-(1969) 1 एस. सी. सी. 688 वाले मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक अन्य न्यायपीठ प्राविसियल इन्साल्वेंसी ऐक्ट, 1920 की धारा 75(1) में इसी प्रकार की भाषा वाले परंतुक पर विचार कर रही थी। यद्यपि, विद्वान् न्यायाधीशों ने 'विधि के अनुसार' पद की सांगोपांग परिभाषा नहीं दी, तथापि, ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जिनमें उच्च न्यायालय उक्त परंतुक के अधीन हस्तक्षेप कर सकेगा, उक्त विनिश्चय निम्नलिखित रूप में किया गया था :-

'वे ऐसे मामले हैं जिनमें आदेश पारित करने वाले न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं प्राप्त थी या जिनमें न्यायालय ने अपने विनिश्चय का आधार ऐसे साक्ष्य को बनाया है, जो ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए था, या ऐसे मामले हैं, जिनमें असफल पक्षकार को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया है या सबूत का भार गलत कंधों पर डाला गया है। जहां कहीं भी न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि असफल पक्षकार का विधि के अनुसार विचारण नहीं हुआ, तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।'

10. तथापि, न्यायालय ने चेतावनी दी कि केवल इसलिए उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि उसका यह विचार है कि मामले की सुनवाई करने वाला न्यायाधीश संभवतः ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा है जिस पर उच्च न्यायालय नहीं पहुंचा होता।

11. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने भिन्न निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए साक्ष्य का नए सिरे से पुनःविवेचन और उसे पुनर्मूल्यांकित इस प्रकार किया है, मानो वह अपीली अधिकारिता का प्रयोग कर रहा हो। निस्संदेह, पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता का प्रयोग करते समय भी, साक्ष्य की पुनर्विवेचना की जा सकती है किंतु वह सीमित प्रयोजन के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए होनी चाहिए कि क्या तथ्यात्मक निष्कर्ष निकालने वाले न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूर्णतः अयुक्तियुक्त था। आक्षेपित आदेश को पढ़ने से यह दर्शित होता है कि उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में अपनी शक्ति की सीमा का अतिक्रमण किया है। अतः आक्षेपित आदेश, उस हिसाब से, अधिकारिता संबंधी खामी से दूषित है।

12. अधिनियम की धारा 14(1) के परंतुक का खंड (ड) पट्टे पर दिए गए भवन का कब्जा पुनः प्राप्त करने के लिए मकान मालिक को एक आधार प्रदान करता है। उक्त खंड इस प्रकार है :-

“14. (1)(ड) यह कि आवासीय प्रयोजनों के लिए किराए पर दिए गए परिसर की मकान मालिक को यदि वह उसका स्वामी है, अपने लिए या उस पर आश्रित उसके कुटुंब के किसी सदस्य के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जिसके फायदे के लिए वह परिसर धारण किया गया है, निवास स्थान के रूप में अधिभोग के लिए, वास्तविक आवश्यकता है और मकान मालिक या ऐसे व्यक्ति के पास उचित रूप में उपयुक्त कोई अन्य निवास स्थान नहीं है।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए ‘आवासीय प्रयोजनों के लिए किराए पर दिया गया परिसर’ के अंतर्गत ऐसा कोई परिसर है जो निवास स्थान के रूप में प्रयोग के लिए किराए पर दिए जाने के पश्चात् मकान मालिक की सहमति के बिना वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजनों के लिए आकस्मिक रूप से प्रयोग किया जाता है।”

13. यदि मकान मालिक के पास कोई अन्य निवास स्थान है जो उचित रूप से उपयुक्त है तो उसे खंड में वर्णित आधार में दी गई सुविधा का स्वयं के लिए प्रयोग करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने इस बात पर ध्यान दिया है कि इस मामले में मकान मालिक ने 'अपने अभिसाक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि कलकत्ता वाला मकान बैठक/भोजन वाले कमरे सहित तीन शयनकक्ष वाला मकान था और शयन कक्षों में से एक कक्ष उसके उपयोग में था और अन्य कक्ष उसके पुत्र उसकी पत्नी द्वारा उपयोग किए जाते थे और एक अन्य कक्ष उसकी पुत्री के लिए था जो वहां आती और ठहरती थी।' यही एक कारण था जिसने बेदखली के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए विद्वान् एकल न्यायाधीश को प्रेरित किया। वैकल्पिक निवास स्थान की उपलब्धता के कारण धारा 14(1)(ड) में वर्णित आधार के फायदे से मकान मालिक को वंचित करने के लिए यही पर्याप्त नहीं है कि ऐसा वैकल्पिक स्थान किसी दूरस्थ भिन्न राज्य में है। ऐसा स्थान उसी शहर में या कस्बे में या यदि वह शहर की सीमाओं से बाहर है तो कम से कम उसके उचित सामीप्य के भीतर उपलब्ध होना चाहिए। खंड (ड) के उक्त भाग का निर्वचन इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि जिससे यह अर्थ निकलता हो कि यदि मकान मालिक के पास विश्व में कहीं कोई अन्य मकान हो, तो वह खंड (ड) के अधीन अपने भवन को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। अतः उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त करने में भूल की है कि चूंकि मकान मालिक के पास कलकत्ता में एक अन्य फ्लैट का कब्जा है अतः वह दिल्ली स्थित किराए पर दिए गए परिसर का कब्जा पुनः प्राप्त करने की हकदार नहीं है।

14. अधिनियम की धारा 14(1) के खंड (ड) में परिकल्पित आधार का निचोड़ यह है कि किराए पर दिए गए परिसर के अधिभोग के लिए मकान मालिक की आवश्यकता वास्तविक होनी चाहिए। जब कोई मकान मालिक यह प्राख्यान करता है कि उसे अपने ही अधिभोग के लिए अपने भवन की आवश्यकता है तब

किराया नियंत्रक इस उपधारणा पर अग्रसर नहीं होगा कि आवश्यकता वास्तविक नहीं है। जब खंड की अन्य शर्तों को पूरा किया जाता है और जब मकान मालिक प्रथमदृष्ट्या मामला स्थापित कर देता है तब किराया नियंत्रक यह उपधारणा बना सकता है कि मकान मालिक की आवश्यकता वास्तविक है। न्यायालयों द्वारा बहुधा यह कहा जाता है कि किराएदार मकान मालिक के समक्ष इस बाबत कोई निबंधन नहीं रख सकता कि किराए पर दिए गए परिसर का कब्जा प्राप्त किए बिना वह अपने आपको दूसरी तरह से किस प्रकार समायोजित करे। मकान मालिक की आवश्यकताओं की वास्तविकताओं के प्रश्न का विनिश्चय करते समय इस बाबत कोई प्रयास करना पूर्णतः अनावश्यक है कि मकान मालिक किसी दूसरी तरह से अपने आपको किस प्रकार समायोजित कर सकता था।”

21. पूर्वोक्त विनिश्चय पर इस न्यायालय द्वारा हाल ही में **मोहम्मद इनाम बनाम संजय कुमार सिंघल**¹ वाले मामले में विचार किया गया था और अनुमोदन किया गया था :-

“22. सरला आहूजा **बनाम** यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि. [(1998) 8 एस. सी. सी. 119] वाले मामले में इस न्यायालय को दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 की धारा 25ख(8) के परंतुक की परिधि पर विचार करना था। इस न्यायालय ने यह पाया कि यद्यपि ‘पुनरीक्षण’ शब्द को उक्त परंतुक में प्रयुक्त नहीं किया गया है, तो भी इसमें प्रयुक्त भाषा से यह विधायी आशय स्पष्ट होता है कि प्रदत्त की गई शक्ति पुनरीक्षण शक्ति है। इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया (एस. सी. सी. पृ. 124, पैरा 11) :-

‘वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने भिन्न निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए साक्ष्य का नए सिरे से पुनःविवेचन और उसे पुनर्मूल्यांकित इस प्रकार

¹ 2020) 7 एस. सी. सी. 327.

किया है, मानो वह अपीली अधिकारिता का प्रयोग कर रहा हो। निस्संदेह, पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता का प्रयोग करते समय भी, साक्ष्य की पुनर्विवेचना की जा सकती है किंतु वह सीमित प्रयोजन के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए होनी चाहिए कि क्या तथ्यात्मक निष्कर्ष निकालने वाले न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूर्णतः अयुक्तियुक्त था।'

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए यद्यपि साक्ष्य का पुनःविवेचन और पुनर्मूल्यांकन इस प्रकार नहीं कर सकता था, मानो वह अपीली अधिकारिता का प्रयोग कर रहा हो, तथापि, वह सीमित प्रयोजन के लिए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए सशक्त था, जिससे यह अभिनिश्चित किया जा सके कि क्या तथ्यात्मक निष्कर्ष निकालने वाले न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूर्णतः अयुक्तियुक्त है या नहीं।

23. पुनः, राम नारायण अरोड़ा बनाम आशा रानी [(1999) 1 एस. सी. सी. 141] वाले मामले में इस न्यायालय के पास दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 के अधीन पूर्वोक्त शक्तियों पर विचार करने का अवसर आया था। इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया (एस. सी. सी. पृ. 148, पैरा 12) :-

'12. निस्संदेह यह सही है कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 25ख(8) के परंतुक के अधीन पुनरीक्षण आवेदन की परिधि एक बहुत ही सीमित परिधि है, किंतु ऐसा होते हुए भी किराया नियंत्रक के समक्ष कार्यवाहियों की वैधता या औचित्य की परीक्षा करते हुए उच्च न्यायालय उपलब्ध तथ्यों की यह पता लगाने के लिए परीक्षा कर सकता है कि क्या किराया नियंत्रक ने मामले का विनिश्चय करने के लिए अभिलेख पर के विषयों पर सही रूप में या स्थापित विधि के आधार पर विचार किया था या नहीं। वह तथ्यात्मक विशुद्ध

निष्कर्षों में हस्तक्षेप किए जाने के लिए स्वतंत्र न हो, किंतु (एवमेव यदि) किसी प्रस्तुत मामले में तथ्यात्मक निष्कर्ष विधि के किसी गलत आधार पर दिया गया है, तो निश्चित रूप से पुनरीक्षण न्यायालय ऐसे किसी मामले में हस्तक्षेप करने के लिए स्वतंत्र होगा ।’

इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया था कि यद्यपि उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों की परिधि बहुत ही सीमित परिधि है, किंतु ऐसा होते हुए भी किराया नियंत्रक के समक्ष कार्यवाहियों की वैधता या औचित्य की परीक्षा करते हुए उच्च न्यायालय उपलब्ध तथ्यों की यह पता लगाने के लिए परीक्षा कर सकता है कि क्या किराया नियंत्रक ने मामले का विनिश्चय करने के लिए अभिलेख पर के विषयों पर सही रूप में या स्थापित विधि के आधार पर विचार किया था या नहीं । यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि वह तथ्यात्मक विशुद्ध निष्कर्षों में हस्तक्षेप किए जाने के लिए स्वतंत्र न हो, किंतु (एवमेव यदि) किसी प्रस्तुत मामले में तथ्यात्मक निष्कर्ष विधि के किसी गलत आधार पर दिया गया है, तो निश्चित रूप से पुनरीक्षण न्यायालय ऐसे किसी मामले में हस्तक्षेप करने के लिए स्वतंत्र होगा ।”

गुणागुण के आधार पर

22. विद्वान् किराया नियंत्रक ने एक विस्तृत सकारण आदेश पारित किया था । ऐसी कवायद करने पर उसने पाया था कि वास्तविक आवश्यकता का समाधान होता है; आनुकल्पिक वास-सुविधा के संबंध में प्रत्यर्थी के प्रकथन अस्पष्ट हैं ; अपीलार्थी के हक को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है ; और शत्रु संपत्ति अधिनियम के अधीन रोक लागू नहीं होती है । इस प्रकार, यह पाए जाने पर कि प्रत्यर्थी द्वारा स्थापित की गई प्रतिरक्षा केवल एक मनगढ़ंत बात है, प्रतिरक्षा करने की इजाजत की ईप्सा करते हुए आवेदन को तदनुसार नामंजूर कर दिया गया ।

23. पूर्वोक्त प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात् न्यायालय ने गुणागुण के आधार पर आदेश के अतिरिक्त प्रत्यर्थी के आचरण पर

अभ्यारोपण करते हुए कतिपय मताभिव्यक्तियां कीं, जिसने न केवल एक जिला न्यायाधीश अपितु उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के नाम का भी उल्लेख नहीं किया था, जो निश्चित रूप से मामले के लिए उपयुक्त नहीं था ।

24. उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी के पूर्वोक्त आचरण, जैसा कि विद्वान् किराया नियंत्रक द्वारा उल्लेख किया गया था, की अनदेखी करते हुए पुनरीक्षण को, इसे अपील की तरह मानते हुए, मंजूर करने के लिए अग्रसर हुआ । उसने विद्वान् किराया नियंत्रक के निष्कर्षों को ही नहीं उलटा, अपितु प्रत्यर्थी की इस दलील को नामंजूर करते हुए कि वह हक को प्रश्नगत नहीं कर सकता है, यह अभिनिर्धारित करने के लिए अग्रसर हुआ कि प्रतिरक्षा करने की इजाजत की ईप्सा करते हुए आवेदन के उत्तर में अपीलार्थी के आनुकल्पिक वास-सुविधा के संबंध में प्रत्याख्यान अस्पष्ट हैं । हमारे सुविचारित मत में, यह दृष्टिकोण विधि की दृष्टि में कायम नहीं रखा जा सकता है ।

25. धारा 14(1)(ड) केवल एक वास्तविक प्रयोजन के लिए आवश्यकता के संबंध में है । आनुकल्पिक वास-सुविधा होने के संबंध में दलील अधिक-से-अधिक एक आनुषंगिक दलील हो सकती है । ऐसी आवश्यकता को उच्च न्यायालय द्वारा गलत नहीं पाया गया था, यद्यपि वह सीमित अधिकारिता, जो उसे प्रयोग करनी थी, को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने के लिए स्वतंत्र भी नहीं था । इसलिए जिस आधार पर पुनरीक्षण मंजूर किया गया था, वह आधार ही धारा 14(1)(ड) और धारा 25ख(8) में अंतर्विष्ट उपबंध के प्रतिकूल होने के कारण स्पष्ट रूप से गलत है ।

26. हमने पहले ही अधिनियम की धारा 14(1)(ड) के मुकाबले में धारा 25ख(8) की परिधि की चर्चा की है । इसलिए मात्र अन्य संपत्तियां विद्यमान होने की बात, जिससे वास्तव में अपीलार्थी द्वारा इनकार किया गया है, विद्वान् किराया नियंत्रक के समक्ष इस आशय के किसी अभिवचन और समर्थनकारी सामग्री के अभाव में कि वे संपत्तियां वास-सुविधा के लिए युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त हैं, प्रत्यर्थी के फायदे के लिए प्रवृत्त नहीं होगी ।

27. प्रत्यर्थी ने प्रिसीजन स्टील (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय के आधार पर सारभूत दावा किया है। सुसंगत उपबंधों की परिधि पर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए हम उक्त विनिश्चय को प्रत्यर्थी के पक्षकथन की सहायता करने वाला नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रतिरक्षा करने की इजाजत मात्र मांग के आधार पर प्रदान नहीं की जा सकती है। हम केवल यह दोहरा सकते हैं कि हम विद्वान् किराया नियंत्रक द्वारा किए गए विनिश्चय में कोई अनुचितता नहीं पाते हैं और उच्च न्यायालय ने न केवल निश्चित रूप से अपनी अधिकारिता का परित्याग किया है अपितु एक प्रकार से इससे बाहर जाकर कार्य किया है।

28. हम यह उल्लेख करना चाहते हैं कि प्रत्यर्थी ने यहां तक कि हमारे समक्ष भी उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख न करना जारी रखा जो उच्च पद धारण किए हुए हैं। उसने अपनी बहस के दौरान गर्व से यह उद्घोषित किया कि शत्रु संपत्ति अधिनियम, यथासंशोधित, के अधीन कार्यवाहियां एक माननीय केंद्रीय मंत्री से उसकी व्यक्तिगत मुलाकात पर केवल उसकी प्रेरणा पर आरंभ की गई थीं। हम उक्त कथन को, इसके बावजूद कि यह अंतःकरण विरुद्ध और चौंकाने वाला कथन है, मामले का गुणागुण के आधार पर विनिश्चय करने के रास्ते में बाधा न मानकर, केवल विद्वान् किराया नियंत्रक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को अंगीकार कर सकते हैं।

29. संशोधित अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में किराएदारी अधिकार के पुनःसर्जन को उपदर्शित करते हुए दस्तावेजों का अत्यधिक अवलंब लिया गया है। हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, न ही उक्त संसूचना का हमारे आदेश पर कोई असर पड़ेगा। न तो उक्त प्राधिकारी हमारे समक्ष है और न ही इनकी विद्यमानता या व्यवहार्यता पर इन कार्यवाहियों में विचार किया जा सकता है। बेदखली के लिए कार्यवाहियों के मुकाबले में शत्रु संपत्ति अधिनियम, यथासंशोधित, की परिधि पर विद्वान् किराया नियंत्रक द्वारा पहले ही विचार किया गया था, यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा इस पर चर्चा नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, संशोधित अधिनियम के अधीन

पारित की गई सूचनाओं को दी गई चुनौती पर दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एक मामले में प्रत्यर्थी का स्वयं को पक्षकार बनाने के लिए प्रयत्न उच्च न्यायालय द्वारा की गई इस मताभिव्यक्ति के साथ बुरी तरह से असफल रहा था कि इसमें असद्भाविकता झलकती है। हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि तारीख 4 नवम्बर, 2015 की रिपोर्ट के द्वारा निकाले गए पूर्ववर्ती निष्कर्ष के होते हुए भी, जिसमें शत्रु संपत्ति अधिनियम के अधीन शत्रु संपत्ति सहायक अभिरक्षक ने यह मत व्यक्त किया था कि अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी अनिष्क्रांत व्यक्ति हैं और उनके स्वामित्व में की संपत्तियों को तनिक संदेह के बिना शत्रु संपत्ति कहा जा सकता है और जिस पर एक अन्य कार्रवाई आरंभ की गई है जिस पर हम कोई मत व्यक्त करना नहीं चाहते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को पक्षकार बनाने के आवेदन को नामंजूर करते हुए विनिश्चय की पुष्टि न केवल अंतर-न्यायालय अपील की खारिजी से हुई थी, अपितु इस न्यायालय द्वारा विशेष इजाजत याचिका को नामंजूर करने से भी हुई थी। तथ्य के आधार पर, शत्रु संपत्ति अधिनियम, यथासंशोधित, के अधीन आरंभ की गई कार्यवाहियों पर भी उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 4 नवम्बर, 2015 की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् एक सकारण आदेश द्वारा रोक लगा दी गई थी।

30. पूर्वोक्त विश्लेषण के आधार पर, हमें विद्वान् किराया नियंत्रक द्वारा पारित किए गए आदेश को प्रत्यावर्तित करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करने में कोई संकोच नहीं है। यह अपील मंजूर की जाती है। खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है।

अपील मंजूर की गई।

जस.

[2022] 2 उम. नि. प. 60

भारत संघ और अन्य

बनाम

एम. दुरईसामी

[2022 की सिविल अपील सं. 2665]

19 अप्रैल, 2022

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना

सेवा विधि – केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 – नियम 3(1)(i), (ii) – सरकारी सेवा में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी बनाए रखना – सरकारी सेवक-प्रत्यर्थी द्वारा लोक धन का कपट-वंचन किया जाना – कपट उजागर होने पर अपचारी कर्मचारी द्वारा कपट-वंचित रकम को विभाग में जमा किया जाना – अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा गंभीर प्रकृति के साबित अवचार के आधार पर कर्मचारी को सेवा से हटाया जाना – केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा सेवा से हटाने के आदेश को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में उपांतरित किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया जाना – संधार्यता – जहां सरकारी कर्मचारी द्वारा लोक धन का कपट-वंचन करने के अति गंभीर प्रकृति के साबित हो गए अवचार के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उसे सेवा से हटाने का भानपूर्ण विनिश्चय किया गया हो और विभागीय जांच में कोई प्रक्रियात्मक चूक या अनियमितता न हो, वहां मात्र यह कारण कि अपचारी कर्मचारी द्वारा कपट उजागर होने पर संपूर्ण कपट-वंचित रकम को स्वेच्छया जमा कर दिया था और कर्मचारी का निष्कलंक लंबा सेवा काल रहा है, प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित सेवा से हटाने के दंड के आदेश में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं हो सकता है।

इस अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी, जो सुसंगत समय पर डाक सहायक के रूप में सेवारत था, उसने वर्ष 2004 से 2007 की अवधि के दौरान 85 आवर्ती जमा खातों से कपटपूर्ण प्रत्याहरण के द्वारा और 71 आवर्ती जमा खातों में निक्षेपों को जमा न करके कपट कारित किया और इस प्रकार 16,59,065/- रुपए की राशि

का कपट-वंचन किया। कपट प्रकाश में आने के पश्चात् प्रत्यर्थी-अपचारी अधिकारी द्वारा संपूर्ण कपट-वंचित रकम ब्याज सहित जमा कर दी गई। तथापि, चूंकि अवचार बहुत गंभीर था, इसलिए विभाग द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3(1)(i) और 3(1)(ii) द्वारा उससे अपेक्षित अनुसार पूर्ण सत्यनिष्ठा और कार्य के प्रति निष्ठा बनाए रखने में असफल रहने के लिए विभागीय जांच आरंभ की गई। प्रत्यर्थी-अपचारी अधिकारी द्वारा आरोप को स्वीकार किया गया। जांच अधिकारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और सभी आरोपों को साबित हुआ ठहराया गया। उसके पश्चात्, अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों से सहमत होते हुए और कारित किए गए अवचार की गंभीरता पर विचार करते हुए उसे सेवा से हटाने का आदेश पारित किया। प्रत्यर्थी-आरोपी पदधारी ने सेवा से हटाने के आदेश को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल करके चुनौती दी। अधिकरण ने अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित सेवा से हटाने के दंड की मात्रा में हस्तक्षेप किया और इसके स्थान पर अनिवार्य सेवा-निवृत्ति मुख्य रूप से इस आधार और तर्कणा पर प्रतिस्थापित की कि अपचारी अधिकारी ने 39 वर्ष की निष्कलंक सेवा पूर्ण की है और कपट की संपूर्ण रकम को ब्याज सहित संदत्त कर दिया गया है और उससे बरामद कर लिया गया है, इसलिए विभाग को कोई वित्तीय हानि कारित नहीं हुई है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका फाइल करके चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज करते हुए अधिकरण के आदेश की पुष्टि की गई। उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय से व्यथित होकर भारत संघ द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती विनिश्चयों में अधिकथित विधि को प्रस्तुत मामले के तथ्यों को लागू करते हुए, अधिकरण द्वारा सेवा से हटाने के दंड के स्थान पर अनिवार्य सेवा-निवृत्ति प्रतिस्थापित करते हुए पारित किया गया आदेश, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय की

खंड न्यायपीठ द्वारा की गई है, असंधार्य है । न तो अधिकरण और न ही उच्च न्यायालय ने विभागीय जांच के संचालन में कोई अनियमितता पाई थी । कोई प्रक्रियात्मक चूक भी नहीं पाई गई है । वास्तव में, प्रत्यर्थी-कर्मचारी ने 16,59,065/- रुपए का कपट-वंचन करने के आरोप को स्वीकार किया था और कपट का पता चलने पर उसने 16,59,065/- रुपए की कपट-वंचित रकम को शास्तिक ब्याज सहित जमा किया था । यदि कपट का पता न चला होता तो, अधिसंभाव्यतः, प्रत्यर्थी-कर्मचारी ने कपट-वंचित रकम को जमा नहीं किया होता । जब एक बार अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को लोक धन का कपट-वंचन करने के अति गंभीर प्रकृति का अवचार साबित हो जाने पर सेवा से हटाने के लिए एक भानपूर्वक विनिश्चय किया गया था, तो न तो अधिकरण और न ही उच्च न्यायालय को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित दंड के आदेश में हस्तक्षेप करना चाहिए था, जो अवचार की घोरता और गंभीरता पर विचार करने के पश्चात् पारित किया गया था । केवल इस कारण कि प्रत्यर्थी-कर्मचारी ने 39 वर्ष कार्य किया था और उन वर्षों में कोई दंड अधिरोपित नहीं किया था और/या उसने कपट-वंचित रकम को शास्तिक ब्याज सहित स्वेच्छया जमा कर दिया था और इसलिए सरकार/विभाग को कोई हानि नहीं हुई थी, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित दंड के आदेश में हस्तक्षेप करने और सेवा से हटाने के दंड के स्थान पर अनिवार्य सेवा-निवृत्ति प्रतिस्थापित करने के लिए आधार नहीं हो सकता है । वास्तव में, न तो अधिकरण और न ही उच्च न्यायालय ने अपचारी अधिकारी द्वारा कारित किए गए अवचार की प्रकृति और गंभीरता पर विचार किया था । इसलिए अधिकरण तथा उच्च न्यायालय दोनों ने अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित दंड की मात्रा में हस्तक्षेप करके अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य किया था । कोई भी आधार/तर्कणा, जिनके आधार पर अधिकरण द्वारा सेवा से हटाने के दंड के आदेश में हस्तक्षेप किया गया है और जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, उपयुक्त नहीं हैं और संधार्य नहीं रखे जा सकते हैं । जब एक बार यह पाया गया था कि अपचारी अधिकारी ने, जो डाक घर में सेवारत था, 16,59,065/- रुपए का कपट-वंचन किया था और वह भी कुल 85 आवर्ती जमा खातों में से कपटपूर्ण प्रत्याहरण

के द्वारा और 71 आवर्ती जमा खातों में निक्षेपों को जमा न करके, इसलिए ऐसे कर्मचारी पर कोई सहानुभूति आवश्यक नहीं थी। डाक घर में एक लोक सेवक होने के नाते अपचारी अधिकारी विश्वास का पद धारित कर रहा था। केवल इस कारण कि बाद में कर्मचारी ने कपट-वंचित रकम को जमा कर दिया था और इसलिए विभाग को कोई हानि कारित नहीं हुई थी, ऐसे कर्मचारी के पक्ष में एक उदार दृष्टिकोण अपनाने और/या अनुचित सहानुभूति दिखाने के लिए आधार नहीं हो सकता है। उस हानि का क्या जो विभाग को गुडविल, विभाग के नाम और ख्याति तथा जनता में उसकी विश्वसनीयता को लेकर कारित हुई थी? अपचारी अधिकारी द्वारा किए गए ऐसे अवचार और कृत्य द्वारा विभाग की ख्याति धूमिल हुई थी। इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अधिकरण तथा उच्च न्यायालय दोनों ने अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित दंड की मात्रा में हस्तक्षेप करके और इसके स्थान पर अनिवार्य सेवा-निवृत्ति प्रतिस्थापित करके अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य किया था। (पैरा 10, 11 और 12)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2008]	(2008) 2 एस. सी. सी. 310 : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. बनाम सुरजी देवी ;	3.3
[2008]	(2008) 1 एस. सी. सी. 456 : मध्य प्रदेश राज्य बनाम संजय कुमार पाठक ;	3.3
[2008]	(2008) 5 एस. सी. सी. 569 : अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, वी. एस. पी. और अन्य बनाम गोपाराजू श्री प्रभाकर हरि बाबू ;	3.3, 8
[2007]	(2007) 11 एस. सी. सी. 681 : कर्नाटक राज्य बनाम अमीरबी ;	3.3
[2006]	(2006) 12 एस. सी. सी. 561 : बिहार राज्य बनाम अमरेन्द्र कुमार मिश्रा ;	3.3

- [2006] (2006) 13 एस. सी. सी. 727 :
आंचलिक प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक
 बनाम **महात्मा मिश्रा** ; 3.3
- [2005] (2005) 2 एस. सी. सी. 638 :
मारुति उद्योग लि. बनाम राम लाल ; 3.3
- [1995] (1995) 6 एस. सी. सी. 749 :
बी. सी. चतुर्वेदी बनाम भारत संघ । 3.3, 9.1

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2022 की सिविल अपील सं. 2665.

2013 की रिट याचिका सं. 33303 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 30 अगस्त, 2016 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री बलबीर सिंह, अपर महासिलिसिटर,
 गुरमीत सिंह मक्कड़, श्याम गोपाल,
 सिद्धार्थ कोहली, (सुश्री) सुहासिनी सेन,
 आर. बाला और गिरीश चौधरी

प्रत्यर्थी की ओर से श्री जी. शिवबालमुरुगन

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने दिया ।

न्या. शाह – भारत संघ और अन्य ने यह अपील 2013 की रिट याचिका सं. 33303 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 30 अगस्त, 2016 को पारित किए गए उस आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर फाइल की है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने इस अपील में अपीलार्थियों-भारत संघ और अन्य द्वारा फाइल की गई उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था और 2012 के मूल आवेदन (ओए) सं. 357 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मद्रास न्यायपीठ (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिकरण' कहा गया है) द्वारा पारित किए गए उस आदेश की पुष्टि की थी, जिसके द्वारा अधिकरण ने उक्त मूल आवेदन को मंजूर किया था और सेवा से पदच्युति/हटाने के दंड को अनिवार्य सेवा-निवृत्ति में उपांतरित कर दिया था ।

2. इस अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं । इस अपील में प्रत्यर्थी डाक सहायक के रूप में कार्यरत था । जब वह वर्ष 2004 से 2007 की अवधि के दौरान वेप्पुर एसओ में एसपीएम के रूप में कार्यरत था, तो उसने 85 आवर्ती जमा खातों से कपटपूर्ण प्रत्याहरण द्वारा और 71 आवर्ती जमा खातों में निक्षेपों को जमा न करके कपट कारित किया और 16,59,065/- रुपए का कपट-वंचन किया । यह कपट तब प्रकाश में आया जब कुछ आवर्ती जमा खातों के संबंध में आवर्ती जमा खाता के बंद होने पर दोहरा संदाय करने के बारे में पोस्टमास्टर, श्रीरंगम के तारीख 11 जून, 2007 के पत्र द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर जांच-पड़ताल की गई, जिससे यह प्रकट हुआ कि प्रत्यर्थी द्वारा दूसरी बार में जमाकर्ताओं के हस्ताक्षरों की कूटरचना करके कपटपूर्वक खाते बंद कर दिए थे और प्रत्यर्थी द्वारा उक्त खातों से कपटपूर्वक 52,395/- रुपए की राशि प्रत्याहृत कर ली गई थी । आगे और अन्वेषण करने पर प्रत्यर्थी द्वारा किए गए कपट को प्रकाश में लाया गया । उसके पश्चात् यह पता चलने पर कि कपट उजागर हो गया है, प्रत्यर्थी ने कुल 18,09,041/- रुपए की राशि (16,66,439/- रुपए कपट की रकम + 1,42,602/- रुपए शास्तिक ब्याज) जमा कर दिए ।

2.1 प्रत्यर्थी के विरुद्ध तारीख 26 जुलाई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा एक विभागीय जांच आरंभ की गई । प्रत्यर्थी के विरुद्ध छह आरोप विरचित किए गए । प्रत्यर्थी ने अपने प्रतिरक्षा अभ्यावेदन में कपट की बात स्वीकार की । एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । जांच अधिकारी ने प्रत्यर्थी-अपचारी के विरुद्ध सभी आरोपों को साबित ठहराया क्योंकि अपचारी अधिकारी ने स्वयंमेव आरंभिक जांच में ही सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था । जांच अधिकारी की रिपोर्ट को आरोपित पदधारी को प्रेषित किया गया । आरोपित पदधारी ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । उसके पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकारी ने यह पाए जाने पर कि आरोपित पदधारी-प्रत्यर्थी द्वारा कारित किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है और ऐसे व्यक्ति को विभाग में रखने से आगे भी जनता को दी जाने वाली सेवाओं में बाधा आएगी, तारीख 19 जनवरी, 2011 के ज्ञापन द्वारा सेवा से 'हटाने' की

शास्ति अधिरोपित की । सेवा से हटाने के आदेश के विरुद्ध विभागीय अपील को खारिज कर दिया गया ।

2.2 प्रत्यर्थी-आरोपी पदधारी ने 'हटाने' के आदेश को अधिकरण के समक्ष चुनौती दी । अधिकरण ने तारीख 26 मार्च, 2012 के आदेश द्वारा उक्त मूल आवेदन को भागतः मंजूर किया और सेवा से 'हटाने' के आदेश को सहानुभूति आधार पर यह मत व्यक्त करते हुए अनिवार्य सेवा-निवृत्ति में उपांतरित कर दिया कि चूंकि अपचारी अधिकारी ने स्वयंमेव अंतर्वलित संपूर्ण रकम जमा कर दी थी और इसलिए विभाग को कोई हानि कारित नहीं हुई थी । अधिकरण ने यह भी पाया कि अपचारी अधिकारी ने लगभग 39 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है और वर्तमान दंड के सिवाय कोई अन्य दंड नहीं भुगता है । अधिकरण ने ऐसा मत व्यक्त करते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित दंड के आदेश में हस्तक्षेप किया और इसे अनिवार्य सेवा-निवृत्ति में उपांतरित कर दिया ।

2.3 अधिकरण द्वारा सेवा से हटाने के दंड के आदेश को अनिवार्य सेवा-निवृत्ति में उपांतरित करते हुए पारित किए गए आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर विभाग ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका फाइल की । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश उक्त रिट याचिका खारिज कर दी । इसलिए विभाग ने इस न्यायालय के समक्ष यह अपील फाइल की है ।

3. भारत के विद्वान् अपर महासालिसिटर, श्री बलबीर सिंह ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अधिकरण तथा उच्च न्यायालय ने अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित दंड के आदेश में हस्तक्षेप करके गंभीर गलती कारित की है ।

3.1 विद्वान् अपर महासालिसिटर, श्री बलबीर सिंह द्वारा यह दलील दी गई कि अधिकरण तथा उच्च न्यायालय दोनों ने ऐसे अपचारी अधिकारी के प्रति अनुचित सहानुभूति दिखाई थी, जिसने कपट किया था और आवर्ती जमा खाता धारकों की 16,59,065/- रुपए की भारी-भरकम राशि को कपट-वंचित किया था ।

3.2 अपचारी अधिकारी ने आरोपों और अवचार को स्वीकार किया था तथा उसने उसके द्वारा कारित किए गए कपट का पता चलने के पश्चात् ही संपूर्ण रकम को शास्तिक ब्याज सहित जमा किया था। यह दलील दी गई कि गंभीर साबित अवचार को देखते हुए और जब प्रत्यर्थी डाक विभाग में विश्वास का एक लोक पद धारित कर रहा था तथा उसके पश्चात् जब अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उसे सेवा से हटाने का एक भानपूर्वक विनिश्चय किया गया था, तो अधिकरण तथा उच्च न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। यह आग्रह किया गया कि केवल इस कारण कि अपचारी अधिकारी ने 39 वर्ष कार्य किया था और वर्तमान अवचार उसका पहला अवचार था तथा संपूर्ण रकम जमा की गई थी (कपट का पता चलने के पश्चात्) अपचारी अधिकारी को सेवा से हटाने का अनुशासनिक अधिकारी द्वारा किए गए भानपूर्वक विनिश्चय में हस्तक्षेप करने के आधार नहीं हो सकते हैं।

3.3 उपरोक्त दलीलें देने और **बी. सी. चतुर्वेदी बनाम भारत संघ¹, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, वी. एस. पी. और अन्य बनाम गोपाराजू श्री प्रभाकर हरि बाबू²** वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों के साथ-साथ **मारुति उद्योग लि. बनाम राम लाल³, बिहार राज्य बनाम अमरेन्द्र कुमार मिश्रा⁴, आंचलिक प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक बनाम महात्मा मिश्रा⁵, कर्नाटक राज्य बनाम अमीरबी⁶, मध्य प्रदेश राज्य बनाम संजय कुमार पाठक⁷ और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. बनाम सुरजी देवी⁸** वाले मामलों में इस न्यायालय के अन्य विनिश्चयों का अवलंब लेते हुए जोरदार रूप से यह दलील दी गई कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है,

¹ (1995) 6 एस. सी. सी. 749.

² (2008) 5 एस. सी. सी. 569.

³ (2005) 2 एस. सी. सी. 638.

⁴ (2006) 12 एस. सी. सी. 561.

⁵ (2006) 13 एस. सी. सी. 727.

⁶ (2007) 11 एस. सी. सी. 681.

⁷ (2008) 1 एस. सी. सी. 456.

⁸ (2008) 2 एस. सी. सी. 310.

उच्च न्यायालय अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए एक भलीभांति सकारण आदेश को केवल सहानुभूति या भावनाओं के आधार पर अपास्त नहीं कर सकता है। यह दलील दी गई कि पूर्वोक्त विनिश्चयों में यह मत व्यक्त और अभिनिर्धारित किया गया है कि जब एक बार यह पाया जाता है कि सभी प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का पालन किया गया था, तो न्यायालय किसी अपचारिक कर्मचारी पर अधिरोपित दंड की मात्रा में सामान्यतया हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

4. प्रत्यर्थी-अपचारी अधिकारी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा इस अपील का पुरजोर विरोध किया गया।

4.1 प्रत्यर्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा जोरदार रूप से यह दलील दी गई कि जब अधिकरण ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित दंड के आदेश में हस्तक्षेप किया था, तो उच्च न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप न करके न्यायोचित किया था। यह दलील दी गई कि अधिकरण ने सेवा से हटाने के दंड को अनिवार्य सेवा-निवृत्ति में उपांतरित करते हुए सटीक कारण दिए हैं। उच्च न्यायालय द्वारा इसमें ठीक ही हस्तक्षेप नहीं किया गया है। यह आग्रह किया गया कि इस न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसमें हस्तक्षेप न किया जाए।

4.2 यह भी अनुरोध किया गया कि अन्यथा गुणागुण के आधार पर भी जब एक बार अपचारी अधिकारी ने संपूर्ण रकम ब्याज सहित यहां तक कि विभागीय जांच आरंभ होने से पूर्व जमा कर दी थी और विभाग को कोई हानि कारित नहीं हुई थी तथा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपचारी अधिकारी का 39 वर्ष का एक लंबा सेवा काल रहा है और संपूर्ण सेवा काल के दौरान कोई दंड अधिरोपित नहीं किया गया था तथा अब अनिवार्य सेवा-निवृत्ति के आदेश द्वारा उसे सेवा-निवृत्ति/पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त हो जाएंगे, जिन्हें अन्यथा वह सेवा से हटाने के आदेश को दृष्टिगत करते हुए प्राप्त करने में समर्थ नहीं होगा, इसलिए यह अनुरोध है कि उच्च न्यायालय तथा अधिकरण द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप न किया जाए।

5. हमने संबंधित पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसिलों को विस्तारपूर्वक सुना ।

6. इस अपील में प्रत्यर्थी, जो सुसंगत समय पर डाक सहायक के रूप में सेवारत था, के विरुद्ध 16,59,065/- रुपए की राशि का कपट-वंचन करने के लिए एक विभागीय जांच की गई थी । वर्ष 2004 से 2007 की अवधि के दौरान, उसने 85 आवर्ती जमा खातों से कपटपूर्ण प्रत्याहरण के द्वारा और 71 आवर्ती जमा खातों में निक्षेपों को जमा न करके कपट कारित किया और इस प्रकार 16,59,065/- रुपए की राशि का कपट-वंचन किया । कपट प्रकाश में आने के पश्चात् ही प्रत्यर्थी-अपचारी अधिकारी ने संपूर्ण कपट-वंचित रकम ब्याज सहित जमा की थी । तथापि, चूंकि अवचार बहुत गंभीर था, इसलिए विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3(1)(i) और 3(1)(ii) द्वारा उससे यथा अपेक्षित पूर्ण सत्यनिष्ठा और कार्य के प्रति निष्ठा बनाए रखने में असफल रहने के लिए विभागीय जांच आरंभ की गई थी । प्रत्यर्थी-अपचारी अधिकारी ने आरोप को स्वीकार किया था । जांच अधिकारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और सभी आरोपों को साबित हुआ ठहराया गया । उसके पश्चात्, अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों से सहमत होते हुए और कारित किए गए अवचार की गंभीरता पर विचार करते हुए सेवा से हटाने का आदेश पारित किया । अधिकरण ने अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित सेवा से हटाने के दंड की मात्रा में हस्तक्षेप किया और इसके स्थान पर अनिवार्य सेवा-निवृत्ति मुख्य रूप से इस आधार और तर्कणा पर प्रतिस्थापित की कि अपचारी अधिकारी ने 39 वर्ष की निष्कलंक सेवा पूर्ण की है और कपट की संपूर्ण रकम को ब्याज सहित संदत्त कर दिया गया है और उससे बरामद कर लिया गया है, इसलिए विभाग को कोई वित्तीय हानि कारित नहीं हुई है । अधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेश की उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा पुष्टि की गई है ।

7. अतः संक्षिप्त प्रश्न जो इस न्यायालय के विचार के लिए उठता है, यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अधिकरण और

उच्च न्यायालय ने अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित दंड में हस्तक्षेप करके और उसे सेवा से हटाने के दंड को उपांतरित करके/उसके स्थान पर अनिवार्य सेवा-निवृत्ति प्रतिस्थापित करके न्यायोचित किया था ।

8. पूर्वोक्त प्रश्न/विवादक का उत्तर देते हुए, न्यायिक पुनर्विलोकन और विभागीय प्राधिकारी के आदेश की आनुपातिकता पर उच्च न्यायालय की सीमित अधिकारिता पर **गोपाराजू श्री प्रभाकर हरि बाबू** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय को निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है ।

9. उक्त विनिश्चय में, इस न्यायालय के अनेक निर्णयों को निर्दिष्ट करने के पश्चात् इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त और अभिनिर्धारित किया गया कि विभागीय प्राधिकारी के आदेश की आनुपातिकता पर उच्च न्यायालय की अधिकारिता सीमित है । यह मत व्यक्त किया गया कि वह केवल सहानुभूति और भावनाओं के आधार पर एक भलीभांति सकारण आदेश को अपास्त नहीं कर सकता है । यह भी मत व्यक्त किया गया और अभिनिर्धारित किया गया कि जब एक बार यह पाया जाता है कि सभी प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का पालन किया गया था, न्यायालय किसी अपचारी कर्मचारी पर अधिनिरुपित दंड की मात्रा में सामान्यतया हस्तक्षेप नहीं करेंगे । यह भी मत व्यक्त किया गया कि उच्चतर न्यायालय केवल कुछ मामलों में आनुपातिकता के सिद्धांत का अवलंब ले सकते हैं, तथापि, यदि नियोजक का विनिश्चय विधिक मानदंडों के भीतर होना पाया जाता है, तो इस सिद्धांत का तब सामान्यतया अवलंब नहीं लिया जाएगा जब अवचार साबित हो गया हो ।

9.1 **बी. सी. चतुर्वेदी** (उपर्युक्त) वाले मामले में, उच्च न्यायालय ने अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित आदेश के दंड में हस्तक्षेप किया था और सेवा से पदच्युति के दंड के स्थान पर अनिवार्य सेवा-निवृत्ति को इस तर्कणा के आधार पर प्रतिस्थापित किया था कि कर्मचारी ने 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और उसका एक उत्कृष्ट शैक्षणिक अभिलेख रहा है और अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ होने के

पश्चात् उसने प्रोन्नति अर्जित की है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश को अपास्त करते हुए इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि यह तर्कणा पूरी तरह से असमर्थनीय है। ऐसे कारण दंड को उपांतरित करने के लिए सुसंगत या उपयुक्त नहीं हैं। जिस बात पर विचार किया जाना है वह अवचार की गंभीरता है। उक्त मामले में, कर्मचारी के कब्जे में उसकी आय के ज्ञात स्रोतों के अननुपात में आस्तियां पाई गई थीं। इसलिए इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त और अभिनिर्धारित किया कि दंड के अधिरोपण में हस्तक्षेप पूर्णतः अनावश्यक था।

10. प्रस्तुत मामले के तथ्यों को पूर्वोक्त विनिश्चयों में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को लागू करते हुए, अधिकरण द्वारा सेवा से हटाने के दंड के स्थान पर अनिवार्य सेवा-निवृत्ति प्रतिस्थापित करते हुए पारित किया गया आदेश, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा की गई है, असंधार्य है। न तो अधिकरण और न ही उच्च न्यायालय ने विभागीय जांच के संचालन में कोई अनियमितता पाई थी। कोई प्रक्रियात्मक चूक भी नहीं पाई गई है। वास्तव में, प्रत्यर्थी-कर्मचारी ने 16,59,065/- रुपए का कपट-वंचन करने के आरोप को स्वीकार किया था और कपट का पता चलने पर उसने 16,59,065/- रुपए की कपट-वंचित रकम को शास्तिक ब्याज सहित जमा किया था। यदि कपट का पता न चला होता तो, अधिसंभाव्यतः, प्रत्यर्थी-कर्मचारी ने कपट-वंचित रकम को जमा नहीं किया होता। जब एक बार अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को लोक धन का कपट-वंचन करने के अति गंभीर प्रकृति का अवचार साबित हो जाने पर सेवा से हटाने के लिए एक भानपूर्वक विनिश्चय किया गया था, तो न तो अधिकरण और न ही उच्च न्यायालय को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित दंड के आदेश में हस्तक्षेप करना चाहिए था, जो अवचार की घोरता और गंभीरता पर विचार करने के पश्चात् पारित किया गया था।

11. केवल इस कारण कि प्रत्यर्थी-कर्मचारी ने 39 वर्ष कार्य किया था और उन वर्षों में कोई दंड अधिरोपित नहीं किया था और/या उसने कपट-वंचित रकम को शास्तिक ब्याज सहित स्वेच्छया जमा कर दिया

था और इसलिए सरकार/विभाग को कोई हानि नहीं हुई थी, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित दंड के आदेश में हस्तक्षेप करने और सेवा से हटाने के दंड के स्थान पर अनिवार्य सेवा-निवृत्ति प्रतिस्थापित करने के लिए आधार नहीं हो सकता है। वास्तव में, न तो अधिकरण और न ही उच्च न्यायालय ने अपचारी अधिकारी द्वारा कारित किए गए अवचार की प्रकृति और गंभीरता पर विचार किया था। इसलिए अधिकरण तथा उच्च न्यायालय दोनों ने अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित दंड की मात्रा में हस्तक्षेप करके अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य किया था।

12. कोई भी आधार/तर्कणा, जिनके आधार पर अधिकरण द्वारा सेवा से हटाने के दंड के आदेश में हस्तक्षेप किया गया है और जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, उपयुक्त नहीं हैं और संधार्य नहीं रखे जा सकते हैं। जब एक बार यह पाया गया था कि अपचारी अधिकारी ने, जो डाक घर में सेवारत था, 16,59,065/- रुपए का कपट-वंचन किया था और वह भी कुल 85 आवर्ती जमा खातों में से कपटपूर्ण प्रत्याहरण के द्वारा और 71 आवर्ती जमा खातों में निक्षेपों को जमा न करके, इसलिए ऐसे कर्मचारी पर कोई सहानुभूति आवश्यक नहीं थी। डाक घर में एक लोक सेवक होने के नाते अपचारी अधिकारी विश्वास का पद धारित कर रहा था। केवल इस कारण कि बाद में कर्मचारी ने कपट-वंचित रकम को जमा कर दिया था और इसलिए विभाग को कोई हानि कारित नहीं हुई थी, ऐसे कर्मचारी के पक्ष में एक उदार दृष्टिकोण अपनाए और/या अनुचित सहानुभूति दिखाने के लिए आधार नहीं हो सकता है। उस हानि का क्या जो विभाग को गुडविल, विभाग के नाम और ख्याति तथा जनता में उसकी विश्वसनीयता को लेकर कारित हुई थी? अपचारी अधिकारी द्वारा किए गए ऐसे अवचार और कृत्य द्वारा विभाग की ख्याति धूमिल हुई थी। इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अधिकरण तथा उच्च न्यायालय दोनों ने अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित दंड की मात्रा में हस्तक्षेप करके और इसके स्थान पर अनिवार्य सेवा-निवृत्ति प्रतिस्थापित करके अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य किया था।

13. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से, उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश के साथ-साथ अधिकरण द्वारा सेवा से हटाने के दंड के आदेश के स्थान पर अनिवार्य सेवा-निवृत्ति प्रतिस्थापित करते हुए पारित किए गए आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और ये अभिखंडित और अपास्त किए जाने योग्य हैं ।

14. तदनुसार, यह अपील मंजूर की जाती है । उच्च न्यायालय द्वारा 2013 की रिट याचिका सं. 33303 को खारिज करते हुए और 2012 के मूल आवेदन सं. 357 में अधिकरण द्वारा तारीख 26 मार्च, 2013 को पारित किए गए निर्णय और आदेश की पुष्टि करते हुए तारीख 30 अगस्त, 2016 को पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश को तद्वारा अभिखंडित और अपास्त किया जाता है । परिणामतः, 2012 के मूल आवेदन सं. 357 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मद्रास द्वारा तारीख 26 मार्च, 2013 को पारित किए गए उस आदेश को तद्वारा अभिखंडित और अपास्त किया जाता है, जिसके द्वारा अधिकरण ने सेवा से हटाने के दंड के स्थान पर अनिवार्य सेवा-निवृत्ति प्रतिस्थापित की थी । परिणामतः अपचारी अधिकारी द्वारा फाइल किए गए 2012 के मूल आवेदन सं. 357 को खारिज किया जाता है और अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अपचारी अधिकारी को सेवा से हटाने का दंड अधिरोपित करते हुए पारित किए गए आदेश को तद्वारा प्रत्यावर्तित किया जाता है । तथापि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.

[2022] 2 उम. नि. प. 74

मोहम्मद फ़िरोज

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

[2019 की दांडिक अपील सं. 612]

19 अप्रैल, 2022

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति रवीन्द्र भट और न्यायमूर्ति
बेला एम. त्रिवेदी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376(2)(i)(ड), 363, 366 और 302 [लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(i)(ड) और धारा 6 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 106] – बलात्संग और हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा चार वर्षीया बालिका को अपने साथ ले जाना और बलात्संग तथा शारीरिक क्षतियां कारित किया जाना – विपदग्रस्त-मृतका क्षतिग्रस्त हालत में खेत में बेहोश पड़े हुए पाया जाना – क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु हो जाना – विपदग्रस्त-मृतका को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा जाना – अभियुक्त द्वारा विपदग्रस्त के साथ से अलग होने के बारे में कोई स्पष्टीकरण न दिया जाना – दोषसिद्धि – जहां अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध सभी परिस्थितियों को अलग-अलग युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया गया हो और साबित की गई परिस्थितियों से इतनी निश्चयक श्रृंखला बनती हो कि वह अभियुक्त ही था जिसने अपराध कारित किया था और उसकी दोषिता के सिवाय अन्य किसी कल्पना की संभाव्यता को नकारा जा सकता है, वहां पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर की गई अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 376(2)(i)(ड), 376क, 363, 366 और 302 [लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(i)(ड) और धारा 6 तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 354(3)

और 235(2)] – बलात्संग और हत्या – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा चार वर्षीया बालिका को अपने साथ ले जाना और बलात्संग तथा शारीरिक क्षतियां कारित किया जाना – क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु हो जाना – दोषसिद्धि – मृत्यु दंडादेश – लघुकरण – यद्यपि अपराध की घोरता और गंभीरता पर विचार करते हुए अभियुक्त के मृत्यु दंडादेश को लघुकृत करते हुए उसके शेष नैसर्गिक जीवन के लिए कारावास का दंडादेश देना समुचित होगा, तथापि, प्रतिकारक और सुधारात्मक न्याय के बीच संतुलन बनाते हुए उसे बीस वर्षों के कारावास का दंडादेश देना उचित होगा ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि मूल अभियुक्त सं. 2 (राकेश चौधरी) तारीख 17 अप्रैल, 2013 को लगभग 6.30 बजे अपराहन में एक अज्ञात व्यक्ति (वर्तमान अपीलार्थी-मूल अभियुक्त सं. 1) के साथ इत्तिलाकर्ता रामकुमारी (विपदग्रस्त की माता) के मकान पर आया और उक्त रामकुमारी और उसकी माता हिम्माबाई से उक्त अज्ञात व्यक्ति को एक दिन के लिए वास-सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया, तथापि, हिम्माबाई ने ऐसी वास-सुविधा प्रदान करने से इनकार कर दिया । उसके पश्चात्, राकेश चौधरी चला गया और उसका मित्र कुछ समय तक शिकायतकर्ता के मकान के आंगन में बैठा रहा, जहां विपदग्रस्त, जिसकी आयु लगभग चार वर्ष थी, अपने भाई रामकिशन और अन्य चचेरे भाइयों के साथ खेल रही थी । कुछ समय के पश्चात्, रामकुमारी ने पाया कि उसकी पुत्री गुम हो गई है और दूसरा व्यक्ति (अभियुक्त सं. 1) भी वहां नहीं था । उसने अन्य व्यक्तियों के साथ निकटवर्ती स्थानों पर अपनी पुत्री को ढूढ़ने की कोशिश की, तथापि उसकी पुत्री नहीं पाई । कुछ समय के पश्चात् रामकिशन कुछ केले लेकर आया और रामकुमारी को बताया कि भाईजान (अभियुक्त सं. 1) विपदग्रस्त को अपने साथ ले गया है । अतः रामकुमारी एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने गई । अगले दिन अर्थात् 18 अप्रैल, 2013 को सवेरे कुछ ग्रामवासियों ने यह पाया कि एक बालिका बदरी यादव नामक व्यक्ति के खेत में बेहोश पड़ी हुई थी । ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, रामकुमारी का भाई उस स्थल पर गया और पाया कि विपदग्रस्त बेहोश पड़ी हुई थी

और उसके मुंह और नथूनों से रक्त बह रहा था । वह विपदग्रस्त को तुरंत पहले तो पुलिस थाने और फिर राजकीय अस्पताल, घनसौर लेकर गया, तथापि, चूंकि विपदग्रस्त की हालत बिगड़ रही थी, इसलिए उसे जबलपुर स्थित अस्पताल में स्थानांतरित किया गया । डॉक्टरों ने, जिन्होंने उसका परीक्षण और उपचार किया था, यह पुष्टि की कि विपदग्रस्त के साथ बलात्संग किया गया है । विपदग्रस्त की गंभीर हालत पर विचार करते हुए उसे नागपुर स्थित केयर अस्पताल ले जाया गया, तथापि, तारीख 29 अप्रैल, 2013 को विपदग्रस्त की उक्त अस्पताल में मृत्यु हो गई । मृत्यु का अंतिम कारण “श्वासनली और फेफड़ों का प्रदाह (ब्रॉनकोन्यूमोनिया) और प्रमस्तिष्कीय ऑक्सीजन-अल्पता होना बताया गया था, जो नाक और मुंह दबाने से कारित हुआ था” । पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान अभियुक्त राकेश चौधरी और अपीलार्थी-अभियुक्त मोहम्मद फ़िरोज को गिरफ्तार किया गया । अन्वेषक अधिकारी ने अन्वेषण पूर्ण करने के पश्चात् विचारण न्यायालय के समक्ष दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया । अभियुक्त मोहम्मद फ़िरोज को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376(2)(i), 376(2)(ड) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् पॉक्सो अधिनियम कहा गया है) की धारा 5(i), 5(ड) और धारा 6 के अधीन अपराधों के लिए आरोपित किया गया और अभियुक्त राकेश चौधरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 363 और 366 तथा धारा 109 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 16/17 के अधीन आरोपित किया गया । सेशन न्यायालय द्वारा अभिलेख पर के साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् दोनों अभियुक्तों को उनके विरुद्ध अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया और अभियुक्त फ़िरोज खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए मृत्यु दंडादेश के साथ-साथ अन्य दंडादेश भी दिए गए । सेशन न्यायालय द्वारा अभियुक्त राकेश चौधरी को भी विभिन्न धाराओं के अधीन दोषसिद्ध और आजीवन कारावास से दंडित किया गया । अभियुक्तों द्वारा दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलें फाइल की गईं । उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त मोहम्मद फ़िरोज की दोषसिद्धि और उस

पर अधिरोपित मृत्यु दंडादेश की पुष्टि की गई, तथापि, अन्य अभियुक्त की अपील को मंजूर करते हुए उसे दोषमुक्त कर दिया गया। अभियुक्त मोहम्मद फ़िरोज द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई। उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए किंतु मृत्यु दंडादेश को बीस वर्ष के कारावास में लघुकृत करके अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेख पर साबित परिस्थितियों, विशिष्ट रूप से उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो मृतका-विपदग्रस्त को अंतिम बार अपीलार्थी-अभियुक्त के साथ देखे जाने के पूर्व और पश्चात् की थीं, इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने सभी परिस्थितियों को अलग-अलग युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया था और एक ऐसी श्रृंखला का गठन करने के लिए भी परिस्थितियों को साबित किया था जो इतनी निश्चायक थी कि अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषिता के सिवाए किसी अन्य कल्पना की संभाव्यता को नकारा जा सके। यह सम्यक् रूप से साबित किया गया था कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने लगभग चार वर्षीया किशोर बालिका-विपदग्रस्त के साथ बलात्संग और लैंगिक हमला करने का बर्बर कृत्य कारित करते हुए शारीरिक क्षतियां कारित की थीं, जिनका मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है और जिनके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। अतः यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 376(2)(i), 376(2)(ड), 363, 366 और पाँक्सो अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित धारा 5(i) और धारा 6 के साथ पठित धारा 5(ड) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए ठीक ही दोषसिद्ध किया था। दोषसिद्धि के उक्त आदेश की उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्टि की गई थी ; और इस न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की जा रही है। (पैरा 36)

अगला प्रश्न जो विचार के लिए उद्भूत होता है, वह अपीलार्थी पर अधिरोपित किए जाने वाले दंडादेश के विषय में है। विचारण न्यायालय ने अन्य अपराधों के लिए विभिन्न दंडादेशों को अधिरोपित करते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए मृत्यु की

शास्ति अधिरोपित की थी, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में पुष्टि की गई है। यह उल्लेखनीय है कि चूंकि विपदग्रस्त की मृत्यु अपीलार्थी द्वारा धारा 376(2)(i) और 376(2)(ड) के अधीन अपराध कारित करते हुए पहुंचाई गई क्षतियों के कारण हुई थी, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376क के उपबंध भी लागू होंगे जो तारीख 3 फरवरी, 2013 से अर्थात् अभिकथित प्रश्नगत घटना के पूर्व प्रवृत्त हुए थे, और जिनमें मृत्यु की शास्ति तक व्यापक श्रेणी के दंडों के लिए उपबंध किया गया है। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में, यद्यपि इस संबंध में मताभिव्यक्ति की थी, किंतु इस पर इस आधार पर विचार नहीं किया था कि सेशन न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376क के अधीन आरोप विरचित नहीं किया गया था। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि धारा 215 को दृष्टिगत करते हुए, आरोप में अपराध या इसकी विशिष्टियों का उल्लेख करने में लोप को तब तक तात्त्विक नहीं समझा जा सकता है, जब तक कि अभियुक्त वास्तव में ऐसी गलती या लोप से भ्रमित न हुआ हो और इसके परिणामस्वरूप न्याय की हानि न हुई हो। प्रस्तुत मामले में, अभियुक्त को पहले ही धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आरोपित किया गया था, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है, और भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(i) और 376(2)(ड) के अधीन अपराधों के लिए भी आरोपित किया गया था, जो धारा 376क के अंतर्गत आते हैं और जो अन्य कमतर दंडों के साथ-साथ मृत्यु दंडादेश तक भी दंडनीय है। अतः आरोप में धारा 376क का उल्लेख न होने से यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त भ्रमित हुआ था, न ही यह कहा जा सकता है कि न्याय की कोई हानि हुई थी। यह न्यायालय अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपित अपराधों के लिए उसकी दोषसिद्धि के विषय में निचले न्यायालयों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की अभिपुष्टि करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास के दंडादेश में लघुकृत करना उचित समझता है और तदनुसार लघुकृत किया जाता है। चूंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 376क भी इस मामले के तथ्यों पर लागू होती है, इसलिए अपराध की घोरता और गंभीरता पर विचार करते हुए अपीलार्थी के शेष नैसर्गिक जीवन के लिए

कारावास का दंडादेश एक समुचित दंडादेश होगा, तथापि, हमें ऑस्कर वाइल्ड द्वारा कही गई बात याद आती है - "संत और पापी के बीच एकमात्र फर्क यह है कि प्रत्येक संत का एक अतीत होता है और प्रत्येक पापी का एक भविष्य" । इस न्यायालय द्वारा वर्षों से यथा विकसित सुधारात्मक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों का एक सिद्धांत यह भी है कि अपराधी को कारित की गई हानि की भरपाई करने का अवसर दिया जाए और जब वह जेल से रिहा हो, तो सामाजिक रूप से उपयोगी व्यक्ति बने । विहित किया गया अधिकतम दंड अपराधी के कुत्सित मस्तिष्क को सुधारने के लिए सदैव निश्चयक पहलू नहीं हो सकता है । इसलिए प्रतिकारक न्याय और सुधारात्मक न्याय का संतुलन बनाते हुए यह न्यायालय अपीलार्थी-अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376क के अधीन अपराध के लिए उसके शेष नैसर्गिक जीवन के लिए कारावास के बजाय बीस वर्ष की अवधि के कारावास का दंडादेश अधिरोपित करना समुचित समझता है । निचले न्यायालयों द्वारा भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अन्य अपराधों के लिए अभिलिखित दोषसिद्धि और दंडादेश की अभिपुष्टि की जाती है । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अधिरोपित किए गए सभी दंड साथ-साथ चलेंगे । (पैरा 37 और 43)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2021]	(2021) 1 एस. सी. सी. 596 : शत्रुघ्न बबन मेशराम बनाम महाराष्ट्र राज्य ;	42
[2021]	(2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 542 : सूरजदेव महतो बनाम बिहार राज्य ;	29
[2019]	(2019) 10 एस. सी. सी. 623 : राजेन्द्र बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली) ;	27
[2018]	(2018) 6 एस. सी. सी. 610 : सतपाल बनाम हरियाणा राज्य ;	28

[2007]	(2007) 12 एस. सी. सी. 341 : अजय सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य ;	20
[2006]	(2006) 3 एस. सी. सी. 374 : ज़हिरा हबिबुल्ला शेख और एक अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य ;	20
[2004]	(2004) 3 एस. सी. सी. 767 : के. अनभाइगन बनाम पुलिस अधीक्षक और अन्य ;	20
[2002]	(2002) 10 एस. सी. सी. 236 : मोहन सिंह बनाम प्रेम सिंह और एक अन्य ;	23
[1985]	[1985] 1 उम. नि. प. 995 = (1984) 4 एस. सी. सी. 116 : शरद विरधीचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य ;	22
[1983]	[1983] 4 उम. नि. प. 215 = (1983) 3 एस. सी. सी. 470 : माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य ;	41
[1980]	[1980] 3 उम. नि. प. 856 = (1980) 2 एस. सी. सी. 684 : बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य ;	38, 41
[1979]	[1979] 1 उम. नि. प. 243 = (1978) 1 एस. सी. सी. 248 : मेनका गांधी बनाम भारत संघ ;	33
[1965]	ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 202 : मशालती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ।	20

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 612.

2013 के निर्देश सं. 9, 2013 की दांडिक अपील सं. 2920 और 3132 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा तारीख 15 जुलाई,

2014 को पारित किए गए सामान्य निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री बी. एच. मार्लापल्ले, ज्येष्ठ अधिवक्ता, (सुश्री) श्रेया रस्तोगी, (सुश्री) हरिणी रघुपति, (सुश्री) त्रिशा चंद्रन, रमनेश कुमार साहू और सत्य मित्रा
प्रत्यर्थी की ओर से	सर्वश्री पी. वी. योगेश्वरन, अपर महाधिवक्ता, पशुपति नाथ राजदान, कयेश रेग, आस्तिक गुप्ता (सुश्री) स्नेह बैरवा और प्रखर श्रीवास्तव

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने दिया ।

न्या. त्रिवेदी – वर्तमान अपील आरंभ में अभियुक्त मोहम्मद फ़िरोज की माता अपीलार्थी-बीबी सिद्धिका द्वारा 2013 के दांडिक निर्देश सं. 9, 2013 की दांडिक अपील सं. 2920 और 2013 की दांडिक अपील सं. 3132 में मद्रास उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा तारीख 15 जुलाई, 2014 को पारित किए गए आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश की वैधता और विधिमान्यता को चुनौती देते हुए फाइल की गई थी । वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान उक्त अपीलार्थी का देहांत हो गया, इसलिए इस न्यायालय द्वारा तारीख 21 अक्टूबर, 2021 को पारित किए गए आदेश को दृष्टिगत करते हुए अभियुक्त फ़िरोज को अपीलार्थी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया ।

अभियोजन का पक्षकथन

2. विचारण न्यायालय के समक्ष यथा प्रकटित अभियोजन का पक्षकथन यह था कि राकेश चौधरी (मूल अभियुक्त सं. 2) तारीख 17 अप्रैल, 2013 को लगभग 6.30 बजे अपराह्न में एक अज्ञात व्यक्ति (वर्तमान अपीलार्थी-मूल अभियुक्त सं. 1) के साथ इत्तिलाकर्ता रामकुमारी (विपदग्रस्त की माता) के मकान पर आया और उक्त रामकुमारी और उसकी माता हिम्माबाई से उक्त अज्ञात व्यक्ति को एक दिन के लिए वास-सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया, तथापि,

हिम्माबाई ने ऐसी वास-सुविधा प्रदान करने से इनकार कर दिया । उसके पश्चात्, राकेश चौधरी चला गया और उसका मित्र कुछ समय तक शिकायतकर्ता के मकान के आंगन में बैठा रहा, जहां विपदग्रस्त, जिसकी आयु लगभग चार वर्ष थी, अपने भाई रामकिशन और अन्य चचेरे भाइयों के साथ खेल रही थी । कुछ समय के पश्चात्, रामकुमारी ने पाया कि उसकी पुत्री गुम हो गई है और दूसरा व्यक्ति (अभियुक्त सं. 1) भी वहां नहीं था । उसने अन्य व्यक्तियों के साथ निकटवर्ती स्थानों पर अपनी पुत्री को ढूंढने की कोशिश की, तथापि, उसकी पुत्री नहीं पाई । कुछ समय के पश्चात् रामकिशन कुछ केले लेकर आया और रामकुमारी को बताया कि भाईजान (अभियुक्त सं. 1) विपदग्रस्त को अपने साथ ले गया है । अतः रामकुमारी एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाना, घनसौर गई । अगले दिन अर्थात् 18 अप्रैल, 2013 को सवेरे कुछ ग्रामवासियों ने यह पाया कि एक बालिका बदरी यादव नामक व्यक्ति के खेत में बेहोश पड़ी हुई थी । ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, रामकुमारी का भाई श्याम यादव उस स्थल पर गया और पाया कि विपदग्रस्त बेहोश पड़ी हुई थी और उसके मुंह और नथूनों से रक्त बह रहा था । वह विपदग्रस्त को तुरंत पहले तो पुलिस थाने और फिर राजकीय अस्पताल, घनसौर लेकर गया, तथापि, चूंकि विपदग्रस्त की हालत बिगड़ रही थी, इसलिए उसे जबलपुर स्थित अस्पताल में स्थानांतरित किया गया । डाक्टरों ने, जिन्होंने उसका परीक्षण और उपचार किया था, यह पुष्टि की कि विपदग्रस्त के साथ बलात्संग किया गया है । विपदग्रस्त की गंभीर हालत पर विचार करते हुए उसे नागपुर स्थित केयर अस्पताल ले जाया गया, तथापि, तारीख 29 अप्रैल, 2013 को विपदग्रस्त की उक्त अस्पताल में मृत्यु हो गई । डा. प्रदीप गंगाधर दीक्षित, न्याय-आयुर्विज्ञान विभाग, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष ने अपने सहयोगियों के साथ तारीख 30 अप्रैल, 2013 को लगभग 10.35 बजे पूर्वाह्न में विपदग्रस्त के शव की मरणोत्तर परीक्षा की और विपदग्रस्त के शरीर पर बाह्य और आंतरिक क्षतियां पाईं । मृत्यु का अंतिम कारण “श्वासनली और फेफड़ों का प्रदाह (ब्रॉन्कोन्यूमोनिया) और प्रमस्तिष्कीय ऑक्सीजन-अलप्ता होना बताया गया था, जो नाक और मुंह दबाने से कारित हुआ था” ।

3. इसी बीच, श्री आर. डी. बार्थी, भारसाधक निरीक्षक, पुलिस थाना, घनसौर ने रामकुमारी बाई द्वारा दी गई गुमशुदा व्यक्ति रिपोर्ट के आधार पर अन्वेषण आरंभ कर दिया था और पाया कि अभियुक्त फ़िरोज खान (वर्तमान अपीलार्थी), जो झबुआ विद्युत संयंत्र में कार्य कर रहा था, विपदग्रस्त को प्रवंचनापूर्वक ले गया था। अतः उसने तारीख 18 अप्रैल, 2013 को लगभग 6.40 बजे पूर्वाह्न में अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के अधीन अपराधों के लिए 2014 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 68 रजिस्ट्रीकृत की। अभियुक्त राकेश चौधरी को तारीख 20 अप्रैल, 2013 को गिरफ्तार किया गया और अपीलार्थी-अभियुक्त फ़िरोज को तारीख 23 अप्रैल, 2013 को हुसैनाबाद, पुलिस थाना मोजाहिदपुर, बलसौर, भागलपुर, बिहार से गिरफ्तार किया गया।

4. अन्वेषक अधिकारी ने अन्वेषण पूर्ण करने के पश्चात् विचारण न्यायालय के समक्ष दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अभियुक्त मोहम्मद फ़िरोज को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376(2)(i), 376(2)(ड) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् पाँक्सो अधिनियम कहा गया है) की धारा 5(i), 5(ड) और धारा 6 के अधीन अपराधों के लिए आरोपित किया गया और अभियुक्त राकेश चौधरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 363 और 366 तथा धारा 109 और पाँक्सो अधिनियम की धारा 16/17 के अधीन आरोपित किया गया। दोनों अभियुक्तों ने अपनी दोषिता से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया। अभियोजन पक्ष ने उनकी दोषिता को साबित करने के लिए कुल मिलाकर 34 साक्षियों की परीक्षा की। दोनों अभियुक्तों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए अपने-अपने कथनों में उनके विरुद्ध लगाए गए अभिकथनों से इनकार किया और कहा कि उन्हें मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। अभियुक्त सं. 2, राकेश चौधरी ने अपनी प्रतिरक्षा में दो साक्षियों अर्थात् प्रति. सा. 1 विरेन्द्र चौधरी और प्रति. सा. 2 गोपाल प्रसाद अहिरवार की परीक्षा की। सेशन न्यायालय, सियोनी ने अभिलेख पर के साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् दोनों अभियुक्तों को उनके विरुद्ध

अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया और अभियुक्त फ़िरोज खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए मृत्यु दंडादेश दिया और भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अधीन अपराध के लिए 7 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भुगतने और 2,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने, धारा 366 के अधीन अपराध के लिए 10 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भुगतने और 2,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने, धारा 376(2)(i), 376(2)(ड) तथा पाँक्सो अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित धारा 5(i) और धारा 6 के साथ पठित धारा 5(ड) के अधीन अपराधों के लिए आजीवन कारावास भुगतने और 2,000/- रुपए का संदाय करने का निदेश दिया । सेशन न्यायालय ने अभियुक्त राकेश चौधरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363/34 के अधीन अपराधों के लिए 7 वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और 2000/- रुपए का संदाय करने, धारा 366/34 के अधीन अपराधों के लिए 10 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भुगतने और 2000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 109 और पाँक्सो अधिनियम की धारा 16/17 के अधीन अपराधों के लिए आजीवन कारावास भुगतने और 2,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का निदेश दिया ।

5. सेशन न्यायालय द्वारा अभियुक्त-फ़िरोज के मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को किए गए निर्देश को 2013 के दांडिक निर्देश सं. 9 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था । अभियुक्त मोहम्मद फ़िरोज ने भी उच्च न्यायालय के समक्ष 2013 की दांडिक अपील सं. 2920 फाइल की थी और अभियुक्त राकेश चौधरी ने 2013 की दांडिक अपील सं. 3132 फाइल की थी । उच्च न्यायालय ने तारीख 15 जुलाई, 2014 के आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा अभियुक्त राकेश चौधरी द्वारा फाइल की गई 2013 की दांडिक अपील सं. 3132 मंजूर की और उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से उसे दोषमुक्त कर दिया, तथापि, अभियुक्त मोहम्मद फ़िरोज द्वारा फाइल की गई 2013 की दांडिक अपील सं. 2920 खारिज कर दी और उसे दिए गए मृत्यु दंडादेश की पुष्टि की । इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष यह अपील फाइल की है ।

साक्ष्य

6. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों की दोषिता को साबित करने के लिए साक्षियों के तीन संवर्गों की परीक्षा की थी। प्रथम संवर्ग में, नातेदारों और विपदग्रस्त की माता, इत्तिलाकर्ता-रामकुमारी की जान-पहचान वाले व्यक्तियों की परीक्षा की गई थी। इत्तिलाकर्ता रामकुमारी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिसाक्ष्य दिया था कि तारीख 17 अप्रैल, 2013 को लगभग 7.00 बजे अपराहन में जब वह अपना काम निपटाने के पश्चात् घर आई, तो उसने देखा कि एक व्यक्ति (अभियुक्त-फ़िरोज खान) उसके मकान के आंगन में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और राकेश चौधरी (अन्य अभियुक्त) आंगन के चबूतरे पर बैठा हुआ था। उसके अनुसार, राकेश चौधरी उसकी माता हिम्माबाई को कह रहा था कि “अम्मा भाईजान यहीं सोएगा”, तथापि, उसकी माता ने इनकार कर दिया। उक्त बातचीत के पश्चात्, उसे नहीं पता कि उक्त चौधरी कहां चला गया था किंतु भाईजान (फ़िरोज) कुर्सी पर बैठा रहा था। उस समय, उसकी पुत्रियां पूजा, मधु, उसके भाई का पुत्र रामकिशन और उसकी बहन का पुत्र नीलेश सभी आंगन में खेल रहे थे। वह मकान के अंदर गई और कुछ समय के पश्चात् जब वह बाहर आई, तो उसने देखा कि उसकी पुत्री पूजा और उसके भाई का पुत्र रामकिशन आंगन में नहीं थे और उक्त फ़िरोज भाईजान भी दिखाई नहीं दिया। अतः वह पूजा और रामकिशन को ढूंढने लगी और उसने रामकिशन को एक पॉलिथीन की थैली में केले लेकर आते हुए देखा। उसके द्वारा यह पूछताछ करने पर कि पूजा कहां है, रामकिशन ने उसे बताया कि भाईजान पूजा को अपने साथ ले गया है। उसके पश्चात् वह पूजा को ढूंढती रही किंतु वह नहीं मिल सकी। अतः वह अपनी बहन ज्योति के साथ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस थाना, घनसौर गई। गुमशुदा व्यक्ति की उक्त रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) पुलिस थाना, घनसौर में लगभग 8.35 बजे अपराहन में दर्ज की गई थी। उसने न्यायालय के समक्ष यह भी अभिसाक्ष्य दिया था कि अगले दिन जो व्यक्ति खुले में शौच करने के लिए बाहर गए थे, उसके मकान पर आए और उसके भाई श्याम को बताया कि एक लड़की खेत में बेहोश पड़ी हुई है। अतः उसका भाई खेत में गया और पाया कि

विपदग्रस्त वहां बेहोश पड़ी हुई थी और उसकी नाक और जननांगों से रक्त बह रहा था। उसके पश्चात्, वह अपनी माता हिम्माबाई और अपने भाई श्याम के साथ अपनी पुत्री पूजा को पुलिस थाने लेकर गई और उसके पश्चात् घनसौर अस्पताल लेकर गई, तथापि, पूजा बेहोश बनी रही। उसके पश्चात्, उसकी पुत्री को घनसौर के अस्पताल से आयुर्विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर और फिर वायुयान द्वारा उपचार के लिए नागपुर ले जाया गया, जहां उसे केयर अस्पताल में भर्ती किया गया था। उक्त अस्पताल में उसकी पुत्री का लगभग 8 दिनों तक उपचार किया गया था और तारीख 29 अप्रैल, 2013 को उसकी मृत्यु हो गई थी। इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया था कि सभी स्थानों जैसे घनसौर, जबलपुर और नागपुर के डाक्टरों ने, जहां उसकी पुत्री का उपचार किया गया था, बताया था कि उसके साथ बलात्संग किया गया था और उसका गला घोटकर उसकी हत्या करने का प्रयत्न किया गया था। उसकी मृत्यु के पश्चात्, नागपुर पुलिस ने एक रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) रजिस्ट्रीकृत की थी। इस साक्षी ने अपने अभिसाक्ष्य के दौरान, न्यायालय में मौजूद अभियुक्त-फ़िरोज की शनाख्त की थी और यह कहा था कि यह वही भाईजान है। उसने यह भी कहा था कि उक्त फ़िरोज ने पूजा के साथ बलात्संग किया था और उसे क्षतियां कारित की थी, जिनके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। अभि. सा. 1 रामकुमारी के उक्त बयान का साक्षियों - अभि. सा. 2 मधु यादव, जो मृतका की बहन थी, अभि. सा. 6 हिम्माबाई, जो मृतका की दादी और रामकुमारी की माता थी, अभि. सा. 7 प्रीति यादव, जो रामकुमारी की छोटी बहिन थी, द्वारा पूरी तरह से समर्थन किया गया था। उन्होंने यह कथन किया था कि जब दोनों अभियुक्त राकेश और फ़िरोज रामकुमारी के मकान पर आए थे, तब वे मकान में मौजूद थे।

7. अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए कि विपदग्रस्त को अंतिम बार अभियुक्त-फ़िरोज के साथ देखा गया था, अभि. सा. 31 रामकिशन यादव की परीक्षा की थी। उक्त रामकिशन, जिसकी आयु लगभग चार वर्ष थी, अभि. सा. 5 श्याम यादव का पुत्र था अर्थात् रामकुमारी का भाई। रामकिशन ने न्यायालय के समक्ष अन्य बातों के

साथ-साथ यह अभिसाक्ष्य दिया था कि फ़िरोज भाई उनके घर आया था और फिर उसे तथा पूजा को एक फल की दुकान पर लेकर गया था। फ़िरोज भाई ने उसे तीन केले और बिस्कुट दिए थे तथा उसके पश्चात् उसे घर जाने के लिए कहा था, तथापि, पूजा को अपने साथ ले गया था। न्यायालय में बैठे अभियुक्त-फ़िरोज की शनाख्त करते हुए रामकिशन ने यह कहा था कि वह फ़िरोज भाईजान हैं जो उसकी बहन पूजा को अपने साथ ले गया था और उसके पश्चात् पूजा मृत पाई थी। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में इस बात से विनिर्दिष्ट रूप से इनकार किया था कि फ़िरोज भाईजान द्वारा उसे केले और बिस्कुट देने के पश्चात् पूजा भी उसके साथ आई थी।

8. अभि. सा. 4 नितिन नामदेव फल विक्रेता था। उसने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि तारीख 17 अप्रैल, 2013 को लगभग 7.00 बजे अपराह्न में सफेद कमीज और काली पैंट पहने हुए एक व्यक्ति एक लड़की और एक लड़के साथ, जिनकी आयु लगभग 4 वर्ष थी, आया था और उसकी दुकान से छह केले 20/- रुपए में खरीदे थे। इस साक्षी ने भी न्यायालय में बैठे हुए अभियुक्त-फ़िरोज की शनाख्त की थी और कहा था कि वह उसकी दुकान पर आया था। उसने यह भी कथन किया था कि उक्त व्यक्ति ने लड़के को तीन केले दिए थे और उसे घर जाने के लिए कहा था तथा चार वर्षीया लड़की को अपने साथ ले गया था और फिर क्रॉसिंग की ओर गया था। अगले दिन उसे पता चला कि विद्युत संयंत्र में कार्यरत फ़िरोज नामक व्यक्ति ने लड़की के साथ बलात्संग किया था और उसे मार दिया था, और यह वही व्यक्ति था जिसने उसकी दुकान से केले खरीदे थे। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा था कि घटना के कुछ दिनों के पश्चात् तहसीलदार ने उसे एक विद्यालय में आने के लिए कहा था, जहां उसने अभियुक्त फ़िरोज की शनाख्त की थी।

9. अभि. सा. 5 श्याम यादव, जो रामकुमारी का भाई और विपदग्रस्त का मामा था, ने यह कथन किया था कि वह अपनी माता और बहिन के साथ नहीं रह रहा था, तथापि, उस दिन जब विपदग्रस्त गुम पाई गई थी, वह उनके साथ रुक गया था। अगले दिन सवेरे ग्राम

कोतवार संतोष दास आया और उसे सूचित किया कि एक लड़की बदरी यादव के खेत में पड़ी हुई है। अतः वह कोतवार के साथ खेत में गया और देखा कि लड़की-पूजा बेहोश पड़ी हुई थी और उसके नथूनों से रक्त बह रहा था। उसने उसके शव के निकट उसके जांघिए, केलों के छिलके और कुछ धनराशि भी पड़े हुए देखे। वह पूजा को पहले पुलिस थाना घनसौर लेकर गया और वहां से उसे उपचार के लिए घनसौर स्थित अस्पताल लेकर गया। उसके अनुसार, चूंकि उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी, इसलिए उसे उपचार के लिए जबलपुर स्थित अस्पताल ले जाया गया था और उसके पश्चात् नागपुर स्थित अस्पताल ले जाया गया था, तथापि, उसकी वहां मृत्यु हो गई थी।

10. साक्षियों के दूसरे संवर्ग में, अभियोजन पक्ष ने उन डाक्टरों की परीक्षा की थी जिन्होंने विपदग्रस्त का उपचार किया था। अभि. सा. 17 डा. भारती सोनकेसरिया, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, घनसौर ने तारीख 18 अप्रैल, 2013 को लगभग 7.30 बजे पूर्वाह्न में विपदग्रस्त का परीक्षण किया था। उसने यह कथन किया था कि रोगी बेहोश थी और उसके नाक और उसकी योनि से भी रक्त बह रहा था। चूंकि उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी, इसलिए उसे आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर रेफर किया गया था। उसकी चिकित्सा रिपोर्ट प्रदर्श पी-36 के रूप में चिह्नित है। अभि. सा. 20 डा. भारती साहू, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर में सहायक प्रोफेसर ने यह कथन किया था कि तारीख 18 अप्रैल, 2013 को लगभग 9.30 बजे पूर्वाह्न में पूजा नामक एक लड़की को पुलिस थाना, घनसौर के पुलिस कांस्टेबल दिलीप राजपूत द्वारा उपचार के लिए लाया गया था और उसने यह पाया था कि पूजा बेहोश थी और दौरा पड़ा हुआ था। इस साक्षी ने क्षतियों को निर्दिष्ट करने के पश्चात् चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्श पी-40) में यह राय व्यक्त की थी कि मैथुन के कारण विपदग्रस्त का योनिच्छद फटा हुआ पाया गया था और उसके साथ बलात्संग किया गया था। अभि. सा. 21 डा. हेमंत, जबलपुर अस्पताल, जबलपुर में एक प्राइवेट चिकित्सा व्यवसायी (बाल रोग विशेषज्ञ) ने भी पूजा का परीक्षण किया था और सी. टी. स्कैन किया था। उसे उसके मस्तिष्क में सूजन पाई थी। उसे वेंटीलेटर पर रखा गया था किंतु उसकी हालत बहुत ही नाजुक

थी और इसलिए उसे नागपुर स्थानांतरित किया गया था ।

11. अभि. सा. 19 डा. दीपक रामरतन गोयल, केयर अस्पताल, नागपुर में बालरोग शल्य चिकित्सक ने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि तारीख 20 अप्रैल, 2013 को लगभग 11.00 बजे अपराह्न में कुमारी पूजा यादव को जबलपुर अनुसंधान केंद्र से एयर एंबुलेंस द्वारा अस्पताल लाया गया था । लड़की बेहोश थी और उसे कृत्रिम श्वसन पर रखा गया था । उसे तुरंत बाल गहन चिकित्सा केंद्र में भर्ती किया गया था । उसे ऑक्सीजन की कमी के कारण उसके मस्तिष्क में सूजन और उसके योनिक क्षेत्र पर कई क्षतियां पाई थीं । उसके अनुसार, सभी प्रयासों के बावजूद लड़की को बचाया नहीं जा सका था और उसकी तारीख 29 अप्रैल, 2013 को लगभग 7.45 बजे अपराह्न में मृत्यु हो गई थी । उसकी राय में, मृत्यु का कारण “स्थानिक रक्ताल्पता के कारण मानसिक विकृति (हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफैलोपैथी) और इसके साथ योनिक क्षति तथा हृदय श्वसन अवरोध” था अर्थात् उसकी मृत्यु मुंह और गला दबाने के कारण मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होने से हृदयश्वसन अवरोध और जनानंग में अत्यधिक क्षति के कारण हुई थी । उसके द्वारा दी गई चिकित्सा रिपोर्ट को प्रदर्श पी-50 के रूप में चिह्नित किया गया है ।

12. विपदग्रस्त की मरणोत्तर परीक्षा तारीख 30 अप्रैल, 2013 को अभि. सा. 24 डा. प्रदीप गंगाधर दीक्षित, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, न्याय-आयुर्विज्ञान विभाग, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नागपुर द्वारा अपने सहयोगियों के साथ की गई थी । उसने मरणोत्तर परीक्षा नोट (प्रदर्श पी-44) में निम्नलिखित अभिलिखित किया था :-

“1. मृतका अस्पताल का एक कमीज और पायजामा पहने हुए थी । मुंह के उपरि भाग में 8 दांत थे और निचले भाग पर 10 अस्थायी दांत थे । दाएं उपरि सामने के दांत और बाएं उपरि पार्श्विक सामने के दांत नहीं थे । बांया उपरि मध्य में सामने का दांत ढीला था और इसके चारों ओर सूजा हुआ रंगीन दंतमांस था ।

‘1. बाह्य जननांगों का परीक्षण करने पर, मैंने पाया था

कि बृहत् भगोष्ठ और लघु भगोष्ठ मर्दित थे, विवर्ण नीले रंग के साथ सूजन थी, भग की सतह पर आंशिक रूप से भरा हुआ चीरा था जो '6 बजे' की स्थिति में 0.3 सें. मी. × 0.3 सें. मी. आकार का था । योनिय मुख फैला हुआ था । मूत्र मार्ग में सूजन और रगड़ मौजूद थी ।'

2. मृतका के शव पर निम्नलिखित क्षतियां पाई गई थीं :-

1. उपरि होंठ पर मध्यरेखा में श्लेष्मा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 0.2 सें. मी. × 0.2 सें. मी. आकार का मांसपेशी की गहराई तक आंशिक रूप से भरा हुआ विदीर्ण घाव मौजूद, आस-पास का भाग मर्दित और नीलापनयुक्त ।

2. निचले होंठ पर मध्यरेखा में श्लेष्मा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 0.2 सें. मी. × 0.2 सें. मी. आकार का मांसपेशी की गहराई तक आंशिक रूप से भरा हुआ विदीर्ण घाव मौजूद था, आस-पास का भाग मर्दित और नीलापनयुक्त ।

3. गर्दन के दाईं तरफ पार्श्विक भाग पर, दाईं कर्णमूलास्थि के सिरे से 3 सें. मी. नीचे गहरे भूरे रंग का 2 सें. मी. × 2 सें. मी. आकार की खरोंच मौजूद ।

4. क्षति सं. 3 के 2 सें. मी. नीचे 2 सें. मी. × 0.3 सें. मी. आकार की खरोंच मौजूद ।

5. दाएं उप-जबड़े के उपरि भाग पर 0.3 सें. मी. × 0.3 सें. मी. आकार की खरोंच मौजूद ।

6. गर्दन के पिछले भाग पर दाईं तरफ सी-7 कशेरुका के स्तर पर 0.4 सें. मी. 0.4 सें. मी. आकार की खरोंच मौजूद ।

7. दाएं अंतः अंशफलकीय भाग पर 0.2 सें. मी. × 0.2 सें. मी. आकार की खरोंच ।

8. बाएं अंतः अंशफलकीय भाग पर 1.5 सें. मी. × 0.5 सें. मी. आकार की खरोंच ।

9. उदर के निचले भाग पर दाईं तरफ 0.3 सें. मी. ×

0.2 सें. मी. से लेकर 0.2 सें. मी. × 0.1 सें. मी. आकार की बहुत सारी खरोंचें ।

10. बाईं जांघ के पश्च भाग के 1/3 मध्य भाग पर 4 सें. मी. × 3 सें. मी. के क्षेत्र पर 4 सें. मी. × 0.2 से लेकर 3 सें. मी. × 0.1 सें. मी. आकार की बहुत सारी रेखाकार खरोंचें ।

11. गर्दन के अग्रवर्ती भाग पर श्वसननली छेदन का घाव मौजूद, जिस पर टांके लगे हुए थे, जो कि वायुसंचार के लिए किया जाता है ।

12. गर्दन के दाईं तरफ एक छिद्र, जो केंद्रीय शिरा संबंधी दबाव का निर्धारण करने के लिए किया जाता है ।

13. आई. वी. फ्लूइस चढ़ाने के लिए दोनों हाथों की कुहनियों पर, दाईं कलाई के ऊपरी भाग, दाएं हाथ के पृष्ठ और दोनों टांगों पर छेदन चिह्न मौजूद ।

14. शव का आंतरिक परीक्षण करने पर मैंने निम्नलिखित पाया था :-

उसके दाएं फेफड़े में निमोनिया के लक्षण पाए गए थे । गर्दन की आंतरिक मांसपेशियों पर रक्त के थक्के थे । सभी अंग संकुलित पाए गए थे । मस्तिष्क में सूजन पाई गई थी ।”

13. उक्त डाक्टर ने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि शव पर पाई गई सभी क्षतियां मृत्यु-पूर्व की थीं और मृत्यु के कारण से संबंधित राय को आरक्षित रखा गया था । उसके पश्चात्, तारीख 15 मई, 2013 को विकृति विज्ञान विभाग, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नागपुर से उक्त-विकृति-विज्ञान रिपोर्ट (प्रदर्श पी-46) प्राप्त हुई थी, जिसमें मृत्यु का अंतिम कारण “श्वसनली और फेफड़ों का प्रदाह (ब्रॉनकोन्यूमोनिया) और प्रमस्तिष्कीय ऑक्सीजन-अल्पता होना बताया गया था, जो नाक और मुंह को दबाने के कारण कारित हुआ था ।”

14. अभियुक्त फ़िरोज का चिकित्सीय परीक्षण तारीख 25 अप्रैल, 2021 को अभि. सा. 18 डा. दीपेन्द्र सल्लामे, चिकित्सा अधिकारी, सामान्य स्वास्थ्य केंद्र, लखनाडोन, जिला सियोनी द्वारा किया गया था और उसके परीक्षण के पश्चात् उसने यह राय व्यक्त की थी कि अभियुक्त फ़िरोज मैथुन करने के लिए समर्थ था। डाक्टर ने मोहम्मद फ़िरोज के वीर्य की दो वीर्य स्लाइडें तैयार और मुहरबंद की थीं और उक्त फ़िरोज का एक काले रंग का जांघिया भी उस पर एक सफेद धब्बे पर गोला लगाते हुए मुहरबंद किया था और इसे उक्त कांस्टेबल को सौंपा था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श पी-39 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। अभि. सा. 23 डा. विनोद दहायत, चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल सियोनी, जिसके पास तारीख 4 मई, 2013 को अभियुक्त फ़िरोज को लाया गया था, ने डी. एन. ए. जांच के लिए उसके रक्त का नमूना लिया था। उसने अभियुक्त फ़िरोज के फोटो को भी अनुप्रमाणित किया था। उक्त डाक्टर ने न्यायालय में बैठे हुए अभियुक्त फ़िरोज की यह कहते हुए शनाख्त की थी कि यह वही व्यक्ति है जिसका उसके द्वारा रक्त का नमूना लिया गया था और उसके फोटो को अनुप्रमाणित किया गया था।

15. अभि. सा. 25 डा. पंकज श्रीवास्तव, वैज्ञानिक अधिकारी, न्यायालयिक प्रयोगशाला, सागर ने तारीख 24 अप्रैल, 2013 को पुलिस अधीक्षक, सियोनी के तारीख 21 अप्रैल, 2013 के पत्र द्वारा वर्तमान मामले से संबंधित वस्तुएं, जो पुलिस थाना, घनसौर के कांस्टेबल द्वारा लाई गई थी और तारीख 6 मई, 2013 को पुलिस अधीक्षक, सियोनी के तारीख 4 मई, 2013 के पत्र द्वारा पुलिस थाना घनसौर के कांस्टेबल द्वारा लाई गई वस्तुएं डी. एन. ए. जांच करने के लिए प्राप्त की थी। इस साक्षी ने यह कथन किया था कि परीक्षण के समय पर सभी वस्तुएं मुहरबंद अवस्था में पाई गई थीं और मुहरें अविकल पाई गई थीं। उसने प्राप्त की गई वस्तुओं से डी. एन. ए. अभिप्राप्त करने के लिए उसके द्वारा प्रयुक्त की गई पद्धति और डी. एन. ए. परीक्षण के आधार पर उसके द्वारा दी गई राय (पी-47) के बारे में भी कथन किया था। उसने निम्नलिखित राय व्यक्त की थी :-

“(i) स्रोत फ्रॉक और पूजा यादव की योनिक स्राव से आलेपित स्लाइड (वस्तु ‘ए’), फ्रॉक और फुरेरी (वस्तु ‘एफ’) और रक्त के नमूने (वस्तु ‘जी’) से एकसमान स्त्री डी. एन. ए. अभिप्राप्त हुआ था ।

(ii) घटना स्थल से पाए गए बाल (वस्तु ‘बी’) से अभिप्राप्त डी. एन. ए. प्रोफाइल और अभियुक्त फ़िरोज के रक्त के नमूने के स्रोत (वस्तु ‘आई’) से अभिप्राप्त डी. एन. ए. प्रोफाइल एकसमान है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि ये बाल के तंतु अभियुक्त फ़िरोज के हैं ।”

16. अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा किए गए साक्षियों के अंतिम संवर्ग में पुलिस साक्षी, पंच साक्षी और वह तहसीलदार था, जिसने शनाख्त परीक्षण परेड का संचालन किया था । अभि. सा. 13 मोहम्मद सुलतान पुलिस थाना, घनसौर में सहायक उप निरीक्षक था । उसने पुलिस उप अधीक्षक आर. एन. प्रतेती के साथ तारीख 20 अप्रैल, 2013 को खेत में बाल के तंतु और केले के छिलके पाए थे और उन्हें अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी-10) के अनुसार मुहरबंद किया था । उसने यह भी कथन किया था कि तारीख 21 अप्रैल, 2013 को उसे कांस्टेबल दिलीप से साक्षियों की मौजूदगी में एक मुहरबंद पीला लिफाफा प्राप्त हुआ था, जिसमें मृतका का एक फ्रॉक और योनिक स्लाइडें थीं, और अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी-29) तैयार किया था । अभि. सा. 15 हैड कांस्टेबल नियाज अहमद, पुलिस थाना, घनसौर ने तारीख 17 अप्रैल, 2013 को 8.35 बजे अपराहन में श्रीमती रामकुमारी यादव द्वारा बताए अनुसार सन्हा सं. 747 पर गुमशुदा व्यक्ति रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की थी ।

17. अभि. सा. 30 एस. राम मारवी, उप निरीक्षक, पुलिस थाना भारसाधक, पुलिस थाना किंदराई, जिला सियोनी (मध्य प्रदेश) अभियुक्त फ़िरोज की तलाश और गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधीक्षक, सियोनी द्वारा गठित दल का सदस्य था । इस साक्षी के अनुसार, वह अन्य के साथ भागलपुर, बिहार गया था और अभियुक्त का कॉल ब्यौरा एकत्रित करने के पश्चात् भागलपुर की स्थानीय पुलिस के सहयोग से उसके अवस्थान का पता लगाया गया था । अभियुक्त फ़िरोज को तारीख 23

अप्रैल, 2013 को उसकी चाची के मकान के निकट स्थित एक मस्जिद के पास के स्थान से गिरफ्तार किया गया था और भागलपुर स्थित संबंधित न्यायालय से प्रदर्श पी-50 पर के आदेश के अनुसार पारगमन प्रतिप्रेषण अभिप्राप्त करने के पश्चात् वापस लाया गया था ।

18. अभि. सा. 33 पुलिस थाना भारसाधक, घनसौर, श्री आर. डी. बर्ही ने गुमशुदा व्यक्ति मामला सं. 10/13 का अन्वेषण किया था और अन्वेषण के दौरान यह पाया गया था कि अभिकथित अपराध अभियुक्त फ़िरोज द्वारा कारित किए गए थे । अतः उसने अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 के अधीन अपराध के लिए अपराध सं. 68/13 (प्रदर्श पी-60) रजिस्ट्रीकृत किया था । उसने उसके द्वारा किए गए अन्वेषण के बारे में और अभियुक्त राकेश चौधरी की गिरफ्तारी के बारे में बताया था । पुलिस उप अधीक्षक श्री आर. एन. प्रतेती, जिसने आगे का अन्वेषण किया था, की अभि. सा. 34 के रूप में परीक्षा की गई थी । उसने मामले में आरोप पत्र फाइल किए जाने तक उसके द्वारा किए गए अन्वेषण के ब्योरों के बारे में अभिसाक्ष्य दिया था । अभि. सा. 16 तहसीलदार, सियोनी श्री सुधीर जैन ने अभियुक्त मोहम्मद फ़िरोज की शनाख्त परेड आयोजित की थी । उसके अनुसार, साक्षियों श्रीमती रामकुमारी, प्रीति यादव, नितिन नामदेव और हिम्माबाई ने शनाख्त परीक्षण परेड के दौरान अभियुक्तों की शनाख्त की थी ।

19. महत्वपूर्ण रूप से, अभियुक्त फ़िरोज ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए अपने आगे के कथन में अन्य अभियुक्त राकेश चौधरी के साथ श्याम के बारे में पूछताछ करने के लिए विपदग्रस्त के मकान पर जाने के बारे में स्वीकारोक्ति की थी । अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया था कि उसने श्याम की माता को यह बताया था कि वह (अभियुक्त) गोरखपुर से आया है और दस्सी यादव के मकान में ठहरा हुआ है । अभियुक्त ने गिरफ्तारी जापन प्रदर्श पी-54 के अनुसार अपनी गिरफ्तारी की बात भी स्वीकार की थी और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भागलपुर से पारगमन प्रतिप्रेषण अभिप्राप्त करने के पश्चात् घनसौर लाए जाने की बात भी स्वीकार की थी । अन्य अभियुक्त राकेश चौधरी (जिसे उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया

गया है) ने अपने आगे के कथन में यहां तक स्वीकार किया था कि वह अभियुक्त फ़िरोज के साथ रामकुमारी के मकान पर गया था, तथापि, उसके अनुसार, अभियुक्त फ़िरोज को मकान दिखाने के पश्चात् वह मकान से चला गया था। उसने अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में दो साक्षियों अर्थात् प्रति. सा. 1 विरेन्द्र चौधरी, जो उसके मकान से सटे मकान में रह रहा था और प्रति. सा. 2 गोपाल प्रसाद अहिरवार, जिसकी विरेन्द्र चौधरी की जूतों की दुकान से सटी जूतों की दुकान थी, की परीक्षा की थी। इस न्यायालय को अभियुक्त राकेश की ओर से प्रस्तुत किए गए उक्त साक्ष्य पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही दोषमुक्त कर दिया गया है। उसकी दोषमुक्ति को अभियोजन पक्ष द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए उसने अंतिमता प्राप्त कर ली है।

दलीलें

20. अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा नियुक्त विद्वान् ज्येष्ठ काउंसिल श्री बी. एच. मार्लापल्ले ने अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार तारीख और समय पर अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा विपदग्रस्त के मकान पर जाने की बात को उचित रूप से विवादग्रस्त न करते हुए और विपदग्रस्त की चिकित्सा रिपोर्टों को भी विवादग्रस्त न करते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा किए गए साक्षियों के साक्ष्य में प्रतीत होने वाली कतिपय कमियों को रेखांकित किया। **मशाल्ती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य¹** वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेते हुए उन्होंने यह दलील दी कि समर्थक और हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालय को ऐसे साक्ष्य पर विचार-मनन करते समय अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। उन्होंने इस न्यायालय के विभिन्न विनिश्चयों का भी अपनी इस दलील को सिद्ध करने के लिए अवलंब लिया कि अभियोजन का पक्षकथन एकमात्र पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर होने के कारण संपूर्ण श्रृंखला को तर्कपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करके युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया जाना चाहिए, जिसको साबित करने में अभियोजन

¹ ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 202.

पक्ष असफल रहा था । विचारण न्यायालय भी अभियुक्त के विरुद्ध अपराध में फंसाने वाले साक्ष्य के संबंध में स्पष्ट प्रश्नों को अभियुक्त की जानकारी में लाने में असफल रहा था । “अंतिम बार देखे जाने की कहानी” जो अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई है, भी साबित नहीं की गई है, जिससे अभियुक्त को अभिकथित अपराध से संपृक्त किया जा सके । केवल इस कारण कि अभियुक्त ने विपदग्रस्त के मकान पर जाने की बात स्वीकार की थी, अभियुक्त के विरुद्ध यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि उसने बलात्संग और हत्या का अभिकथित अपराध कारित किया था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के उपबंधों का अवलंब लेते हुए उन्होंने यह दलील दी कि उक्त उपबंधों का निष्ठापूर्वक और उचित रूप से पालन किया जाना चाहिए । अभियुक्त का ध्यान आरोप के विनिर्दिष्ट बिंदुओं और उस साक्ष्य की ओर दिलाया जाना चाहिए जिनके आधार पर अभियोजन पक्ष यह दावा करता है कि उसके विरुद्ध मामला बनता है जिससे कि वह ऐसा स्पष्टीकरण दे सकने के योग्य हो सके जैसा कि वह देना चाहता है । श्री बी. एच. मार्लापल्ले ने इस बाबत **अजय सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य**¹ वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई मताभिव्यक्तियों का अवलंब लिया । श्री मार्लापल्ले ने यह भी दलील दी कि जब घटना घटी थी, तब अन्वेषक अभिकरण पर मीडिया का बहुत दबाव था और इसलिए अन्वेषक अधिकारी ने गहराई से अन्वेषण किए बिना जल्दबाजी में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया था । चूंकि अभियुक्त की ओर से कोई अधिवक्ता उपसंजात होने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए विचारण न्यायालय ने विधिक सेवा समिति से दोनों अभियुक्तों के लिए एक सामान्य अधिवक्ता नियुक्त किया था, तथापि, कोई ऋजु विचारण नहीं किया गया था । दांडिक विचारण का प्रयोजन बाह्य बातों से प्रभावित हुए बिना ऋजु और निष्पक्ष विचारण करना है । इस बाबत उन्होंने के. **अनभाङ्गन बनाम पुलिस अधीक्षक और अन्य**² तथा **ज़हिरा हबीबुल्ला शेख और एक अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य**³ वाले मामले में

¹ (2007) 12 एस. सी. सी. 341.

² (2004) 3 एस. सी. सी. 767.

³ (2006) 3 एस. सी. सी. 374.

इस न्यायालय के विनिश्चयों का अवलंब लिया ।

21. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री पी. वी. योगेश्वरन ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा कारित किया गया अपराध एक जघन्य और घृणित अपराध था । विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कपूर्ण साक्ष्य का अवलंब लिया था और अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया था, इसलिए यह न्यायालय उस साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन न करे, जिसका पहले ही उक्त दो न्यायालयों द्वारा उचित रूप से मूल्यांकन किया गया है । उनके अनुसार, अपीलार्थी-अभियुक्त ने राकेश चौधरी के साथ विपदग्रस्त के मकान पर जाने की बात स्वीकार करके, अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार अपनी गिरफ्तारी की बात स्वीकार करके और विपदग्रस्त की चिकित्सीय रिपोर्टों को विवादग्रस्त न करके उसके विरुद्ध अभिकथनों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के भार को आधा कर दिया था । उन्होंने यह भी दलील दी कि साक्षियों के साक्ष्य में के प्रत्येक छुटपुट विरोधाभास या विसंगतियों को ऐसे बड़े विरोधाभासों के रूप में नहीं माना जा सकता है जिससे कि न्यायालय से अभियोजन के साक्ष्य को पूर्ण रूप से नकारने की अपेक्षा की जाए । यह सम्यक् रूप से साबित किया गया था कि विपदग्रस्त को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था और यह बात अभियुक्त की विशेष जानकारी में थी कि फल विक्रेता की दुकान से विपदग्रस्त को अपने साथ ले जाने के पश्चात् उसके साथ क्या घटित हुआ था । विपदग्रस्त को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखे जाने और उस समय जब वह खेत में बेहोश पाई गई थी, के बीच समय का अंतराल अत्यधिक सन्निकट था, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाना आवश्यक था कि वह केवल अभियुक्त ही था जिसने अभिकथित अपराध कारित किया था । अंत में, उन्होंने यह दलील दी कि अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा यह शिकायत कि गलत विचारण किया गया था या विचारण उचित रीति में नहीं किया गया था, न तो विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान और यहां तक कि न ही अपीली प्रक्रम पर की गई थी और इस शिकायत को पहली बार इस न्यायालय के समक्ष उठाने की ईप्सा की गई है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए ।

विश्लेषण और निष्कर्ष

22. यह सही है कि अभियोजन का संपूर्ण पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है, यद्यपि अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने आगे के कथन में अभिकथित घटना की पूर्ववर्ती सायंकाल में विपदग्रस्त के मकान पर जाने और संबंधित न्यायालय द्वारा पारगमन प्रतिप्रेषण के अनुसार उसे भागलपुर, बिहार से गिरफ्तार और वापस लाए जाने जैसे कतिपय तथ्यों को स्वीकार किया था, तो भी अभिकथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था। जब अभियोजन का पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर करता हो, तब साक्ष्य का मूल्यांकन करने के विषय में विधि भली-भांति स्थिर है। शरद विरधीचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य¹ वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित पांच स्वर्णिम सूत्रों और जिनका अनेक विनिश्चयों में अनुसरण किया गया है, को उद्धृत करना उपयोगी है :-

“153. इस विनिश्चय के सूक्ष्म-विश्लेषण से पता चलता है कि अभियुक्त के प्रतिकूल मामले को पूरी तरह सिद्ध मानने से पहले निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए :

(1) वे परिस्थितियों जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूरी तरह सिद्ध की जानी चाहिए।

जहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस न्यायालय ने इंगित किया था कि संबंधित परिस्थितियां ‘सिद्ध करनी होंगी’ या ‘की जानी चाहिए’ न कि की जा सकती हैं’। ‘साबित की जा सकती हैं’ और ‘साबित करनी होंगी या की जानी चाहिए’ में केवल व्याकरणिक अंतर ही नहीं हैं, बल्कि विधिक अंतर है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य {[1973] 3 उम. नि. प. 1011 = (1973) 2 एस. सी. सी. 793} वाले मामले में अभिनिर्धारित किया था। उस मामले में न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया था -

¹ [1985] 1 उम. नि. प. 995 = (1984) 4 एस. सी. सी. 116.

‘निश्चय ही यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि इससे पहले कि न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सके, अभियुक्त दोषी ‘होना चाहिए’ न कि केवल ‘दोषी हो सकता है’ और ‘हो सकता है’ तथा ‘होना चाहिए’ के बीच मानसिक अंतर बहुत लंबा है और अस्पष्ट अटकलों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करता है।’

(2) इस प्रकार सिद्ध किए गए तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की कल्पना के अनुरूप होने चाहिए अर्थात् इस बात के सिवाए कि अभियुक्त दोषी है, किसी अन्य कल्पना के पोषक नहीं होने चाहिए :

(3) परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए ;

(4) उन्हें साबित की जाने वाली हर उप-कल्पना के सिवाय हर संभावित उप-कल्पना अपवर्जित करनी चाहिए ; और

(5) साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार न बचे और उससे यह दर्शित हो कि संपूर्ण मानवीय अधिसंभाव्यता में वह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।”

23. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम यह परीक्षा करेंगे कि क्या अभियोजन पक्ष ने परिस्थितियों की संपूर्ण श्रृंखला को, अभियुक्त के लिए विधि के शिकंजे से बचने हेतु कोई कड़ी गायब न होते हुए, युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया था या नहीं। वर्तमान अपीलार्थी द्वारा राकेश चौधरी के साथ यथा अभिकथित तारीख और समय पर विपदग्रस्त के मकान पर जाने से संबंधित सर्वप्रथम परिस्थिति सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी और अपीलार्थी द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। ऐसी स्वीकारोक्ति से, यहां तक कि उसकी शनाख्त भी साबित हो जाती है। इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि कोई दोषसिद्धि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए अभियुक्त

के कथन पर आधारित नहीं हो सकती है और अभियोजन पक्ष को अभियुक्त की दोषिता को स्वतंत्र और सटीक साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित करना चाहिए, तो भी विधि की यह समान रूप से स्थिर प्रतिपादना है कि जब अभियुक्त अभिशंसी (अपराध में फंसाने वाला) और अनभिशंसी (निर्दोष होने का) कथन करता है, तो कथन के अभिशंसी (अपराध में फंसाने वाला) भाग अभियोजन के पक्षकथन को स्वीकार करने में सहायक हो सकता है। इस न्यायालय ने **मोहन सिंह बनाम प्रेम सिंह और एक अन्य**¹ वाले मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किए गए अभियुक्त के अपराध में फंसाने वाले और निर्दोष होने के कथनों के विवादक पर विचार करते हुए बहुत ही उपयुक्त मताभिव्यक्तियों की थी :-

“27. अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन प्रतिरक्षा में किए गए कथन की अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को विश्वसनीय ठहराने के लिए निश्चित रूप से सहायता ली जा सकती है, किंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किए गए कथन के केवल ऐसे भाग को उसकी दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता है। इस विषय पर विधि लगभग स्थिर है कि अभियुक्त के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कथन का या तो पूर्णतः या भागतः अवलंब लिया जा सकता है। उसके कथन के अभिशंसी भाग का अवलंब लेना भी संभव हो सकता है, यदि अनभिशंसी भाग अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर मिथ्या पाया जाता है। [निशि कांत झा बनाम बिहार राज्य (1969) 1 एस. सी. सी. 347 = ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 422 = (एस. सी. सी. पृ. 357-58, पैरा 23) वाला मामला देखें] :

‘23. इस मामले में प्रदर्श-6 में कथन का अनभिशंसी भाग न केवल अंतर्निहित रूप से अनधिसंभाव्य है, अपितु अन्य साक्ष्य द्वारा खंडन होता है। इस कथन के अनुसार, क्षति, जो अपीलार्थी को कारित हुई थी, वह विपदग्रस्त पर

¹ (2002) 10 एस. सी. सी. 236.

आक्रमण को रोकने के लिए लाल मोहन शर्मा के हाथ को पकड़ने के अपीलार्थी के प्रयत्न से कारित हुई थी । इसका खंडन स्वयं अभियुक्त के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के अधीन इस आशय के कथन से होता है कि उसे क्षति एक चरवाहे के साथ हाथापाई में कारित हुई थी । जब तारीख 13 अक्टूबर, 1961 को डाक्टर द्वारा उसका परीक्षण किया गया था तब उसके शरीर पर पाई गई क्षति इन दोनों वृत्तांतों को नकारती है । इन वृत्तांतों में से किसी में भी अत्यधिक रक्तस्राव का कारण नहीं बताया गया है जो उसके वस्त्रों को धोने से हुई थी और पतरो नदी में स्नान करने पर रक्तस्राव और रक्त के धब्बों के धोवन की मात्रा इतनी पर्याप्त थी कि रामकिशोर पांडे, अभि. सा. 17 का ध्यान आकर्षित हुआ था और इसके कारण के बारे में पूछा था । रक्तस्राव कोई साधारण रक्तस्राव नहीं था क्योंकि उसके सभी वस्त्र रक्तरंजित होने के साथ-साथ उसकी पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिका और उसकी पेट्टी और जूते रक्तरंजित थे । इससे भी बढ़कर उसके पास जो चाकू बरामद हुआ था, उस पर रसायनज्ञ की रिपोर्ट के अनुसार रक्त के धब्बे पाए गए थे । मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, यह चाकू विपदग्रस्त को पहुंची क्षतियों का कारण हो सकता था । ऐसी परिस्थितियों में प्रदर्श-6 में अपीलार्थी के कथन के निर्दोष होने के अभिवाक् वाले भाग को नामंजूर करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण उच्च न्यायालय ने अपराध में फंसाने वाले भाग को स्वीकार करके और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि अपीलार्थी अपराध के लिए उत्तरदायी व्यक्ति था, अन्य साक्ष्य के साथ विचार करके ठीक कार्य किया था ।’

28.

29.

30. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन एक सारभूत साक्ष्य नहीं होता है । इसका उपयोग इसे

स्वीकार या नामंजूर करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है। तथापि, यह अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का अनुकल्प नहीं होता है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निशि कांत [(1969) 1 एस. सी. सी. 347 = ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 422] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, यदि उसके कथन का अनभिंशंसी (निर्दोष होने का कथन करने वाला) भाग मिथ्या पाया जाता है और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला साक्ष्य विश्वसनीय है, तो उसके कथन के अभिंशंसी (अपराध में फंसाने वाले) भाग को अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को विश्वसनीय मानने के लिए सहायक हो सकता है। यदि अभियोजन पक्ष का साक्ष्य अभियुक्त की दोषसिद्धि को संधार्य रखने के लिए विश्वासोत्पादक नहीं लगता है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उसके कथन के अपराध में फंसाने वाले भाग के एकमात्र आधार पर उसकी दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है।”

24. प्रस्तुत मामले में भी, यद्यपि अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि दुर्भाग्यपूर्ण दिन की पूर्ववर्ती सायंकाल में उसके इत्तिलाकर्ता के मकान पर जाने की परिस्थिति की उसकी मात्र स्वीकृति के आधार पर नहीं की जा सकती है, तो भी ऐसी स्वीकारोक्ति निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए सहायक हो सकती है।

25. अगली और सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई “अंतिम बार एक साथ देखे जाने” की कहानी के विषय में थी। इस संबंध में, यदि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा किए गए साक्षियों, विशिष्ट रूप से अभि. सा. 1 रामकुमारी अर्थात् विपदग्रस्त की माता, अभि. सा. 6 हिम्माबाई अर्थात् विपदग्रस्त की दादी, अभि. सा. 7 प्रीति यादव अर्थात् विपदग्रस्त की चाची और अभि. सा. 31 रामकिशन के बयान का बारीकी से मूल्यांकन किया जाए, तो तनिक संदेह नहीं रह जाता है कि सम्यक् रूप से यह साबित होता है कि हिम्माबाई द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को अपने मकान में ठहरने की अनुज्ञा देने से राकेश

चौधरी को इनकार करने के पश्चात्, राकेश चौधरी मकान से चला गया था किंतु अपीलार्थी इत्तिलाकर्ता-रामकुमारी के मकान के आंगन में बैठा रहा था। यह भी साबित होता है कि उस समय पर विपदग्रस्त अपने चचेरे भाई-बहनों के साथ उक्त आंगन में खेल रही थी और कुछ समय के पश्चात् अपीलार्थी-अभियुक्त, विपदग्रस्त और राम किशन आंगन में नहीं देखे गए थे। रामकुमारी, विपदग्रस्त की माता के अनुसार, जब वह अपनी पुत्री को ढूँढ़ रही थी, तो उसने देखा कि राम किशन एक पॉलीथीन की थैली में केले लेकर आ रहा था और राम किशन ने उसे बताया कि उक्त केले भाईजान अर्थात् अपीलार्थी द्वारा दिए गए हैं और वह (अर्थात् भाईजान) विपदग्रस्त को अपने साथ ले गया है। उक्त राम किशन की अभि. सा. 31 के रूप में परीक्षा की गई थी, यद्यपि यह एक किशोर लड़का था, तो भी उसने न्यायालय के समक्ष अपने अभिसाक्ष्य में रामकुमारी के उक्त वृत्तांत की पूरी तरह से संपुष्टि की थी। फल विक्रेता, नितिन नामदेव (अभि. सा. 4) ने भी यह कथन किया था कि अपीलार्थी दो बालकों के साथ केले खरीदने के लिए उसकी दुकान पर आया था और उसने तीन केले राम किशन को दिए थे और उसे घर जाने के लिए कहा था, और वह विपदग्रस्त को अपने साथ ले गया था। इन साक्षियों के साक्ष्य को केवल इस कारण अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि वे इत्तिलाकर्ता के नातेदार थे, जैसी कि अपीलार्थी की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री मार्लापल्ले द्वारा दलील देने की ईप्सा की गई है। प्रासंगिक रूप से, अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा किए गए इन साक्षियों में से किसी भी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के दौरान कोई सुदृढ़ प्रतिरक्षा नहीं ली गई थी। साक्षियों के साक्ष्य में कि छुटपुट विसंगतियों को अभियोजन के पक्षकथन को पूर्ण रूप से नकारने या अभियोजन के पक्षकथन पर अविश्वास करने के लिए बड़े विरोधाभास नहीं कहा जा सकता है। राम किशन, जिसकी आयु लगभग चार वर्ष थी, से उससे अधिक प्रत्याशा नहीं की जा सकती थी जो उसने अपने अभिसाक्ष्य में कहा था, विशिष्ट रूप से, जबकि उसके परिसाक्ष्य को सत्य पाया गया था और जबकि अभियुक्त की शनाख्त विवादग्रस्त नहीं थी। अतः यह भी सम्यक् रूप से साबित होता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त विपदग्रस्त को अभिकथित घटना की सायंकाल में फल विक्रेता नितिन नामदेव की

दुकान से अपने साथ ले गया था, जो अभियुक्त के विरुद्ध साबित एक बहुत ही मजबूत परिस्थिति है ।

26. जब एक बार “एक साथ अंतिम बार देखे जाने” की कहानी सिद्ध हो गई थी, तो अभियुक्त से इस बारे में कुछ-न-कुछ स्पष्टीकरण देने की प्रत्याशा थी कि किन परिस्थितियों में वह विपदग्रस्त के संग से अलग हुआ था । यह मुश्किल से दोहराए जाने की आवश्यकता है कि दांडिक विधिशास्त्र में अभियुक्त की दोषिता को साबित करने का संपूर्ण भार अभियोजन पक्ष पर होता है, तो भी यदि अभियुक्त उन तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डालता है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को ध्यान में रखते हुए उसकी विशेष जानकारी में होना साबित होते हैं, तो अभियुक्त की ओर से ऐसी असफलता से भी उसके विरुद्ध साबित किए जाने के लिए अपेक्षित परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी जुड़ सकती है । निस्संदेह, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अभियोजन पक्ष के भार को अभियुक्त पर स्थानांतरित नहीं करती है, न ही अभियुक्त से उन तथ्यों के विषय में स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा करती है जो विशेष रूप से उसकी जानकारी में हैं, तो भी अभियुक्त द्वारा स्पष्टीकरण देना या न देना तब यह जानने के लिए कि अभियुक्त विपदग्रस्त के संग से कैसे और कब अलग हुआ था, एक अति महत्वपूर्ण तथ्य होगा, जब अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई “अंतिम बार एकसाथ देखे जाने की कहानी” उसके विरुद्ध साबित हो जाती है ।

27. राजेन्द्र बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली)¹ वाले मामले में इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को ध्यान में रखते हुए “अंतिम बार एकसाथ देखे जाने” के सिद्धांत पर संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से विचार किया था । सुसंगत मताभिव्यक्तियां निम्नलिखित हैं :-

“12.2.4. इस प्रकार मत व्यक्त करते हुए, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त द्वारा इस बारे में दिए गए इस स्पष्टीकरण की युक्तियुक्तता का सरोकार, कि कैसे और कब वह

¹ (2019) 10 एस. सी. सी. 623.

मृतक के संग से अलग हुआ था/हुई थी, किसी मामले में अंतिम बार देखे जाने की बात से है। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 में यह उपबंधित है कि किसी ऐसे तथ्य, जो विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, के सबूत का भार उसी व्यक्ति पर होता है। इस प्रकार, यदि कोई व्यक्ति अंतिम बार मृतक के साथ देखा जाता है, तो उसे अवश्य यह स्पष्टीकरण देना चाहिए कि कैसे और कब वह मृतक के संग से अलग हुआ था। दूसरे शब्दों में, उसे अवश्य ऐसा स्पष्टीकरण देना चाहिए जो न्यायालय को अधिसंभाव्य और समाधानप्रद होना प्रतीत होता हो, और यदि वह अपने विशेष ज्ञान में के तथ्यों के आधार पर ऐसा स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है, तो धारा 106 के अधीन उस पर अधिरोपित भार का निर्वहन नहीं होता है। विशिष्ट रूप से, पारिस्थितिक साक्ष्यों पर आधारित मामलों में, यदि अभियुक्त अपने ऊपर के भार के निर्वहन में एक युक्तियुक्त स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है, तो स्वतः ऐसी असफलता उसके विरुद्ध साबित परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान कर सकती है, तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि धारा 106 किसी दांडिक विचारण के सबूत का भार अभियुक्त पर स्थानांतरित करती है। ऐसा भार सदैव अभियोजन पक्ष पर होता है। धारा 106 केवल यह नियम अभिकथित करती है कि जब अभियुक्त उन तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डालता है जो विशेषतः उसके ज्ञान में हैं और जो उसकी निर्दोषिता के समरूप किसी कहानी या उप-कल्पना का समर्थन नहीं कर सकते हैं, तो न्यायालय स्पष्टीकरण देने में उसकी असफलता पर एक ऐसी अतिरिक्त कड़ी के रूप में विचार कर सकता है, जिससे अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण होती हो।”

28. **सतपाल बनाम हरियाणा राज्य**¹ वाले मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था :-

“6. हमने अलग-अलग दलीलों और अभिलेख पर के साक्ष्य पर विचार किया है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है अपितु

¹ (2018) 6 एस. सी. सी. 610.

केवल परिस्थितियों के साथ-साथ मृतक को अंतिम बार अपीलार्थी के साथ देखे जाने का तथ्य है। दांडिक विधिशास्त्र और अनेक न्यायिक पूर्व-निर्णयों से पारिस्थितिक साक्ष्य के एक पहलू के रूप में अंतिम बार देखे जाने की कहानी का अवलंब लेने के लिए मूलभूत सिद्धांतों पर पुनर्विचार करने की गुंजाइश कम रह जाती है। संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से, एकमात्र रूप से इस पर दोषसिद्ध प्राप्त करने के लिए यह स्वयंमेव एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य हो सकता है। किंतु जब इसके साथ अन्य परिस्थितियां हों जैसे वह समय जब मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था, और शव की बरामदगी उस समय की बहुत ही निकटता में होना, तब साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन अभियुक्त का उन परिस्थितियों के विषय में स्पष्टीकरण देने का दायित्व हो जाता है, जिनमें मृत्यु हुई थी। यदि अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, या गलत स्पष्टीकरण देता है, फरार हो जाता है, हेतु सिद्ध हो जाता है और परिस्थितियों की ऐसी श्रृंखला का गठन करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ बरामदगी या अन्यथा के रूप में ऐसा संपुष्टिकारी साक्ष्य उपलब्ध है, जिससे केवल अभियुक्त की दोषिता का निष्कर्ष निकलता हो और उसकी निर्दोषिता की किसी संभाव्य कल्पना से असंगत है, तो इसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। यदि कोई संदेह हो या परिस्थितियों की श्रृंखला की कड़ी टूटी हुई है, तो संदेह का फायदा अवश्य अभियुक्त को जाना चाहिए। अतः इस सिद्धांत का अवलंब लेने के लिए प्रत्येक मामले की परीक्षा उसके स्वयं के तथ्यों के आधार पर करनी होगी।”

29. उपरोक्त विनिश्चयाधार का अनुसरण करते हुए, **सूरजदेव महतो बनाम बिहार राज्य**¹ वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था :-

“29. प्रस्तुत मामले में अभियोजन का पक्षकथन बहुत अधिक ‘अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत’ पर आधारित है। संक्षेप में, अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत वहां लागू होता है जहां उस समय

¹ (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी; 542.

जब अभियुक्त और मृतक अंतिम बार एक साथ देखे गए थे और जब विपदग्रस्त मृत पाया जाता है, के बीच समय का अंतराल इतना कम है कि अपराध का अपराधी होने के लिए अभियुक्त के बजाय किसी अन्य व्यक्ति की संभाव्यता असंभाव्य हो जाती है। “अंतिम बार जीवित देखे जाने” के सिद्धांत को सतपाल **बनाम** हरियाणा राज्य [(2018) 6 एस. एस. सी. 610] वाले मामले में इस न्यायालय की एक तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने सविस्तार प्रतिपादित करते हुए, तथापि, यह चेतावनी दी थी कि अंतिम बार देखे जाने के तथ्य की संपुष्टि किसी अन्य साक्ष्य द्वारा हुए बिना यह तथ्य कि मृतक अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था, स्वतः केवल एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य होगा। इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया –

‘.....संक्षिप्त और स्पष्ट रूप में कहा जाए, तो यह साक्ष्य केवल इसी एकल साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि करने के लिए स्वतः एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य हो सकता है। किंतु जब इस साक्ष्य के साथ अन्य परिस्थितियां भी हों, जैसे वह समय जब मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था और शव की बरामदगी उस समय के बहुत ही निकट की गई थी, तो अभियुक्त उस परिस्थिति के संबंध में जिसके अधीन मृत्यु हो सकती थी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन स्पष्टीकरण देने के लिए दायित्वाधीन है। यदि अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या गलत स्पष्टीकरण देता है, फरार हो जाता है, हेतु को सिद्ध किया जाता है और परिस्थितियों की श्रृंखला का गठन करने के लिए ऐसा संपुष्टिकारी साक्ष्य, अन्य बातों के साथ-साथ, बरामदगी या अन्यथा के रूप में उपलब्ध है जिससे केवल अभियुक्त की दोषिता का निष्कर्ष निकलता है और निर्दोषिता की किसी संभाव्य परिकल्पना के असंगत है, तो ऐसे साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। यदि कोई संदेह हो या परिस्थितियों की श्रृंखला की कड़ी में दरार है, तो संदेह का फायदा अवश्य अभियुक्त को मिलना चाहिए। इसलिए इस

सिद्धांत का अवलंब लेने के लिए प्रत्येक मामले की परीक्षा उसके स्वयं के तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिए ।’

30. हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि अंतिम बार देखे जाने के तथ्य का अवलोकन एकाकी रूप में नहीं किया जाना चाहिए या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्य साक्ष्य से अलग नहीं किया जाना चाहिए । बल्कि अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत को अभियोजन के संपूर्ण पक्षकथन पर विचार करके लागू किया जाना चाहिए । अतः न्यायालयों को न केवल अंतिम बार देखे जाने के तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए, अपितु उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो मृतक को अभियुक्त की मौजूदगी में अंतिम बार देखे जाने के समय से पूर्व और पश्चात् की थीं ।”

30. प्रस्तुत मामले में, यद्यपि यह सम्यक् रूप से साबित किया गया था कि अपीलार्थी-अभियुक्त विपदग्रस्त को फल विक्रेता की दुकान से अपने साथ ले गया था, तो भी अपीलार्थी द्वारा न तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने आगे के कथन में कोई स्पष्टीकरण दिया गया था और न ही साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के दौरान कोई सुदृढ़ प्रतिरक्षा ली गई थी । यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अभिकथित घटना के पश्चात् वह बिहार में अपने मूल निवास स्थान पर भाग गया था । स्वीकृत रूप से, उसे वहां से गिरफ्तार किया गया था और भागलपुर स्थित संबंधित न्यायालय से पारगमन प्रतिप्रेषण अभिप्राप्त करने के पश्चात् वापस लाया गया था । अभियुक्त द्वारा फरार हो जाने का उक्त आचरण भी एक ऐसी परिस्थिति थी, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा उसके विरुद्ध सम्यक् रूप से साबित किया गया था ।

31. जहां तक समय की सन्निकटता का संबंध है, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि रामकुमारी, विपदग्रस्त की माता को राम किशन (अभि. सा. 31) द्वारा यह सूचित किए जाने पर कि भाईजान अर्थात् अपीलार्थी विपदग्रस्त को अपने साथ ले गया है, उक्त रामकुमारी अपनी माता हिम्माबाई और अन्य के साथ तुरंत गुमशुदा व्यक्ति रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज करने के लिए घनसौर स्थित पुलिस थाने गई थी ।

यह सही है कि उनके द्वारा उक्त रिपोर्ट में अपीलार्थी के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष अभिकथन नहीं किया गया था, तथापि, उस सुसंगत समय पर इत्तिलाकर्ता अपीलार्थी के दूषित आशय और ऐसा कोई अपराध कारित किए जाने के बारे में अभिज्ञ नहीं थी। अगले दिन भौर में जब विपदग्रस्त को बदरी यादव के खेत में बेहोश पड़े हुए पाया गया था, केवल तब उसके विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी। विपदग्रस्त को भी तुरंत उसके उपचार के लिए घनसौर स्थित अस्पताल ले जाया गया था और उसके पश्चात् बेहतर उपचार के लिए जबलपुर और नागपुर स्थित अस्पताल ले जाया गया था क्योंकि उसका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। चिकित्सा रिपोर्टों के अनुसार, उसके साथ बलात्संग किया गया था और उसके शरीर के गुप्तांगों पर क्षतियां पाई गई थीं। वह पूरे समय बेहोशी की हालत में रही थी। उसकी तारीख 29 अप्रैल, 2013 को मृत्यु हो गई थी और मृत्यु का अंतिम कारण “शवासनली और फेफड़ों का प्रदाह (ब्रॉनकोन्यूमोनिया) और प्रमस्तिष्कीय ऑक्सीजन-अलप्ता होना बताया गया था, जो नाक और मुंह दबाने से कारित हुआ था”। इस प्रकार, अपीलार्थी-अभियुक्त के साथ विपदग्रस्त को अंतिम बार देखे जाने के समय और उस समय जब वह खेत में क्षतिग्रस्त और बेहोश पाई गई थी, के बीच अंतराल मुश्किल से 12 घंटे का था। उक्त क्षतियों के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी।

32. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने अन्य साक्ष्य के साथ समय की उस सन्निकटता को साबित किया था जब विपदग्रस्त को अंतिम बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था और जब विपदग्रस्त बेहोश और क्षतिग्रस्त हालत में पाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप अंततोगत्वा उसकी मृत्यु हो गई थी। घटनास्थल से पाए गए बाल से अभिप्राप्त डी. एन. ए. प्रोफाइल और अपीलार्थी के रक्त के नमूने के स्रोत से अभिप्राप्त डी. एन. ए. प्रोफाइल एकसमान था और अभि. सा. 25 डा. पंकज श्रीवास्तव, वैज्ञानिक अधिकारी, न्यायालयिक प्रयोगशाला, सागर द्वारा दी गई प्रदर्श पी-47 पर राय के अनुसार यह पुष्टि की गई थी कि बालों के तंतु केवल अपीलार्थी के ही थे।

ऋजु विचारण

33. विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता, श्री मार्लापल्ले द्वारा विचारण उचित रीति में नहीं किए जाने के विषय में उठाए गए अगले विवादक पर आते हैं। यह उल्लेखनीय है कि ऋजु विचारण की धारणा को न केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 39क में, अपितु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 में भी प्रतिष्ठापित किया गया है। निष्पक्ष और ऋजु विचारण अनुच्छेद 21 के लिए अत्यावश्यक है और **मेनका गांधी बनाम भारत संघ**¹ वाले मामले में रचनात्मक विनिश्चय के पश्चात् यह स्पष्ट किया गया था कि दांडिक विचारणों में प्रक्रिया सही, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए न कि मनमानी, कल्पनात्मक या दमनकारी। अनुच्छेद 39क में समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त विधिक सहायता के लिए उपबंध किया गया है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 में भी यह उपबंधित है कि जहां सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में अभियुक्त का किसी प्लीडर द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है, और जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास प्लीडर नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, तो न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के खर्चे पर प्लीडर नियुक्त करेगा। इस न्यायालय ने भी बारंबार भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित विभिन्न प्रत्याभूतियों से प्रवाहित होने वाले जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की भाषा और भाव की दृष्टि से न्यायालयों द्वारा ऋजु विचारण करने के अधिकार पर बल दिया है। हम इस प्रक्रम पर यह भी कहना चाहेंगे कि ऋजु और त्वरित विचारण का अधिकार जितना विपदग्रस्त पर लागू होता है, उतना ही अभियुक्त पर लागू होता है। त्वरित न्याय प्राप्त करने का अधिकार विपदग्रस्त पर भी लागू होता है। अतः अपराध की घोरता और गंभीरता पर विचार करते हुए, यदि न्यायालय द्वारा शीघ्रतापूर्वक विचारण किया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त विचारण अभियुक्त के लिए ऋजु नहीं था। निस्संदेह, शीघ्रतापूर्वक विचारण करते समय न्यायालय के लिए यह

¹ [1979] 1 उम. नि. प. 243 = (1978) 1 एस. सी. सी. 248.

देखना आवश्यक है कि विचारण के दौरान सम्यक् प्रक्रिया का पालन किया जाए ।

34. जहां तक प्रस्तुत मामले के तथ्यों का संबंध है, अभिलेख पर यह सुझाव देने के लिए कुछ नहीं है कि सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया था या अपीलार्थी-अभियुक्त को विधिक सहायता से वंचित होने के कारण कष्ट उठाना पड़ा था या उसे विधिक सहायता प्राप्त नहीं हुई थी । विचारण न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को राज्य के खर्च पर एक वकील की नियुक्ति करके विधिक सहायता प्रदान की थी, जिसने अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा कराए गए सभी साक्षियों की विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षा की थी और अभियुक्त राकेश चौधरी की ओर से भी 2 साक्षियों की परीक्षा की थी । इस तथ्य के अतिरिक्त कि विचारण के दौरान या यहां तक कि अभियुक्तों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई दो अलग-अलग अपीलों में भी, जिनमें दो अलग-अलग वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था, ऐसी कोई दलील नहीं दी गई थी, और यहां तक कि अपीलार्थी-अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत अपील के ज्ञापन में भी कोई ऐसी दलील नहीं दी गई है । अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसिल द्वारा अपने तर्कों के बिल्कुल अंत में दी गई यह मौखिक दलील कि कोई ऋजु विचारण नहीं किया गया था, उक्त दलील को सिद्ध किए बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता है । अन्यथा भी, यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी-अभियुक्त का और आगे कथन अभिलिखित करने के दौरान उसने उसके ध्यान में लाई गई अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों का उन्हें पूरी तरह से समझने के पश्चात् उत्तर दिया था, जैसा कि न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए उत्तरों से प्रकट होता है । यह संभव है कि प्रश्नगत घटना से जनसाधारण के साथ-साथ मीडिया में भी रोष पैदा हो गया होगा, तो भी अभिलेख पर की सामग्री के अभाव में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि ऐसे मीडिया दबाव के कारण विचारण उचित रीति में नहीं किया गया था ।

35. यद्यपि यह सही है कि “समता, न्याय और स्वातंत्र्य” न्याय प्रशासन में मान्यताप्राप्त ऋजु विचारण के त्रितत्व हैं, तो भी समान रूप

से यह भी सही है कि ऋजु विचारण की इस धारणा में अभियुक्त, विपदग्रस्त और बृहत् समाज का त्रिकोणीय हित अंतर्वलित है । अभियुक्त के अधिकारों की संरक्षा करने के अति-उत्साही दृष्टिकोण में, विपदग्रस्त, जो सबसे अधिक व्यथित होता है, के अधिकारों को न तो कम करके आंका जाना चाहिए और न ही उपेक्षा की जानी चाहिए । समान रूप से, जघन्य अपराधों के मामलों में, बृहत् समाज एक महत्वपूर्ण हितधारक होगा । समाज का हित, जो राज्य और अभियोजनकारी अभिकरणों के माध्यम से कार्य करता है, उसका भी तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए । अतः विचारण/अपील का संचालन करने वाला न्यायालय न केवल अभियुक्त के अधिकारों की संरक्षा करने के लिए, अपितु विपदग्रस्त के अधिकारों और बृहत् समाज के अधिकार की भी संरक्षा करने के लिए आबद्ध है । दांडिक विचारण का सभापतित्व करने वाले न्यायाधीश को न केवल यह देखना चाहिए कि निर्दोष व्यक्ति दंडित न हो अपितु यह भी देखना चाहिए कि दोषी व्यक्ति न बचे । दोनों ही उसके लोक कर्तव्य हैं जिनका लोक विश्वास बनाए रखने और विधि का आधिपत्य कायम रखने के लिए तत्परतापूर्वक निर्वहन किया जाना आवश्यक है ।

निष्कर्ष

36. अभिलेख पर साबित परिस्थितियों, विशिष्ट रूप से उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो मृतका-विपदग्रस्त को अंतिम बार अपीलार्थी-अभियुक्त के साथ देखे जाने के पूर्व और पश्चात् की थीं, इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने सभी परिस्थितियों को अलग-अलग युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया था और एक ऐसी श्रृंखला का गठन करने के लिए भी परिस्थितियों को साबित किया था जो इतनी निश्चयक थी कि अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषिता के सिवाय किसी अन्य कल्पना की संभाव्यता को नकारा जा सके । यह सम्यक् रूप से साबित किया गया था कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने लगभग चार वर्षीया किशोर बालिका-विपदग्रस्त के साथ बलात्संग और लैंगिक हमला करने का बर्बर कृत्य कारित करते हुए शारीरिक क्षतियां कारित की थीं, जिनका मरणोत्तर

परीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है और जिनके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। अतः यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 376(2)(i), 376(2)(ड), 363, 366 और पाँक्सो अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित धारा 5(i) और धारा 6 के साथ पठित धारा 5(ड) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए ठीक ही दोषसिद्ध किया था। दोषसिद्धि के उक्त आदेश की उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्टि की गई थी; और इस न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की जा रही है।

37. अगला प्रश्न जो विचार के लिए उद्भूत होता है, वह अपीलार्थी पर अधिरोपित किए जाने वाले दंडादेश के विषय में है। विचारण न्यायालय ने अन्य अपराधों के लिए विभिन्न दंडादेशों को अधिरोपित करते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए मृत्यु की शास्ति अधिरोपित की थी, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में पुष्टि की गई है। यह उल्लेखनीय है कि चूंकि विपदग्रस्त की मृत्यु अपीलार्थी द्वारा धारा 376(2)(i) और 376(2)(ड) के अधीन अपराध कारित करते हुए पहुंचाई गई क्षतियों के कारण हुई थी, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376क के उपबंध भी लागू होंगे जो तारीख 3 फरवरी, 2013 से अर्थात् अभिकथित प्रश्नगत घटना के पूर्व प्रवृत्त हुए थे, और जिनमें मृत्यु की शास्ति तक व्यापक श्रेणी के दंडों के लिए उपबंध किया गया है। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में, यद्यपि इस संबंध में मताभिव्यक्ति की थी, किंतु इस पर इस आधार पर विचार नहीं किया था कि सेशन न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376क के अधीन आरोप विरचित नहीं किया गया था। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि धारा 215 को दृष्टिगत करते हुए, आरोप में अपराध या इसकी विशिष्टियों का उल्लेख करने में लोप को तब तक तात्त्विक नहीं समझा जा सकता है, जब तक कि अभियुक्त वास्तव में ऐसी गलती या लोप से भ्रमित न हुआ हो और इसके परिणामस्वरूप न्याय की हानि न हुई हो। प्रस्तुत मामले में, अभियुक्त को पहले ही धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आरोपित किया गया था, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है, और

भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(i) और 376(2)(ड) के अधीन अपराधों के लिए भी आरोपित किया गया था, जो धारा 376क के अंतर्गत आते हैं और जो अन्य कमतर दंडों के साथ-साथ मृत्यु दंडादेश तक भी दंडनीय है। अतः आरोप में धारा 376क का उल्लेख न होने से यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त भ्रमित हुआ था, न ही यह कहा जा सकता है कि न्याय की कोई हानि हुई थी।

38. यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस न्यायालय ने **बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य**¹ वाले मामले में संविधान न्यायपीठ द्वारा अधिकथित की गई विधि के निबंधनों के अनुसार और न्यूनकारी कारकों से संबंधित विवाद्यों को स्पर्श करते हुए अन्य इसी प्रकार के मामलों में जारी किए गए निदेशों के अनुरूप तारीख 25 नवंबर, 2021 के आदेश द्वारा जेल में रहते हुए उसके आचरण और उसके द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति के बारे में राज्य प्राधिकारियों को परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, यदि कोई है, को अभिलेख पर प्रस्तुत करने का निदेश दिया था और राज्य के महानिदेशक (कारागार) को उन संबंधित जेलों और कारागारों से रिपोर्टों को अभिलेख पर प्रस्तुत करने का निदेश दिया था, जहां अपीलार्थी को रखा गया था या वर्तमान में रखा गया है। इस न्यायालय ने अपीलार्थी की मनःस्थिति और मनोविज्ञान विकास संबंधी रिपोर्टों की भी मांग की थी। उक्त प्राधिकारियों ने न्यायालय के समक्ष अपनी-अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।

39. विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री मार्लोपल्ले ने इस न्यायालय के विभिन्न विनिश्चयों का अवलंब लेते हुए यह दलील दी कि वर्तमान मामले जैसे इसी प्रकार के मामलों में इस न्यायालय ने न्यूनकारी परिस्थितियों पर विचार करते हुए मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास में लघुकृत किया है। प्रस्तुत मामले को "विरल से विरलतम मामला" नहीं कहा जा सकता है, जहां मृत्यु की शास्ति के बजाय कमतर दंड देने का प्रश्न पूरी तरह से प्रोबंधित हो गया हो। उन्होंने न्यायालय से याचना की कि अपीलार्थी पर दंडादेश अधिरोपित करने से पूर्व, दलीलें पूर्ण होने के पश्चात् अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों जैसे परिवार के

¹ [1980] 3 उम. नि. प. 856 = (1980) 2 एस. सी. सी. 684.

सदस्यों के शपथपत्रों, जेल के दस्तावेजों और अपीलार्थी की सामाजिक जांच रिपोर्ट पर विचार किया जाए ।

40. जैसा कि पहले प्रदर्शित किया गया है, एक बार फिर अति बर्बर और घृणित मानवीय चेहरा सामने आया है । एक मासूम लड़की को इस संसार में प्रफुल्लित होने से पूर्व रौंद दिया गया । अपीलार्थी के अति कुत्सित कृत्यों ने विपदग्रस्त को इस सीमा तक रौंद दिया था कि उसके पास इस संसार को छोड़ने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था । पुनः एक बार, सभी सांविधानिक प्रत्याभूतियां विपदग्रस्त को अपीलार्थी के पैशाचिक कृत्यों के शिकंजे से बचाने में असफल रही हैं । इस न्यायालय की राय में, अपीलार्थी के प्रति दिखाई गई किसी सहानुभूति से न्याय की हानि होगी । तथापि, इस न्यायालय के ध्यान में यह बात लाई गई है कि श्रेणीबद्ध निर्णयों में इस न्यायालय ने ऐसे मामलों को विरल से विरलतम मामला नहीं माना है ।

41. **बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य** (उपर्युक्त) वाले मामले में संविधान न्यायपीठ ने मृत्यु दंडादेश की सांविधानिक विधिमान्यता को कायम रखते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अभिनिर्धारित किया था कि मृत्यु की शास्ति अधिरोपित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(3) और 235(2) से इंद्रियगोचर विधायी नीति के प्रमुख संकेतकों द्वारा अर्थात् - (i) अधिकतम शास्ति केवल उच्च कोटि की आपराधिकता के गंभीरतम मामलों में दी जा सकती है ; और (ii) दंडादेश का चयन करने के लिए मार्गदर्शन । **माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य**¹ वाले मामले में इस न्यायालय की एक तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने मृत्यु दंडादेश अधिरोपित करने के लिए “विरल से विरलतम मामले” के सिद्धांत के संबंध में बचन सिंह वाले मामले में अधिकथित सिद्धांतों का उल्लेख करने के पश्चात् यह मत व्यक्त किया था कि बचन सिंह वाले मामले में उपदर्शित मार्गदर्शक सिद्धांत प्रत्येक मामले के तथ्यों से निष्कर्षित और लागू करने होंगे जहां मृत्यु दंडादेश अधिरोपित करने का प्रश्न उद्भूत होता है ।

¹ [1983] 4 उम. नि. प. 215 = (1983) 3 एस. सी. सी. 470.

42. शत्रुघ्न बबन मेशराम बनाम महाराष्ट्र राज्य¹ वाले हाल ही के मामले में इस न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376क के साथ पठित धारा 302 को ध्यान में रखते हुए अनेक पूर्ववर्ती विनिश्चयों पर विचार करते हुए यह मत व्यक्त किया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के मुकाबले, भारतीय दंड संहिता की धारा 376क के अधीन मामलों पर विचार करते समय न्यायालयों द्वारा अधिनिर्णीत किए जाने वाले दंड के बारे में विचार करने के लिए एक व्यापक गुंजाइश उपलब्ध रहती है। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से दी गई इस दलील को अस्वीकार कर दिया था कि पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास में लघुकृत कर दिया जाना चाहिए। तथापि, इन तथ्यों पर विचार करते हुए कि अभियुक्त ने विपदग्रस्त के जीवन को समाप्त करने के आशय से भानपूर्वक कोई क्षति कारित नहीं की थी और उस मामले में अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के चौथे खंड के अधीन आता था, इसलिए इस न्यायालय ने मृत्यु की शास्ति के दंडादेश को आजीवन कारावास में लघुकृत कर दिया था। प्रस्तुत मामले के तथ्य और परिस्थितियां एक विभेद के साथ शत्रुघ्न बबन मेशराम वाले मामले के समान हैं क्योंकि प्रस्तुत मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376क लागू होती है।

43. उपरोक्त पर विचार करते हुए, हम अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपित अपराधों के लिए उसकी दोषसिद्धि के विषय में निचले न्यायालयों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की अभिपुष्टि करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास के दंडादेश में लघुकृत करना उचित समझते हैं और तदनुसार लघुकृत करते हैं। चूंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 376क भी इस मामले के तथ्यों पर लागू होती है, इसलिए अपराध की घोरता और गंभीरता पर विचार करते हुए अपीलार्थी के शेष नैसर्गिक जीवन के लिए कारावास का दंडादेश एक समुचित दंडादेश होगा, तथापि, हमें ऑस्कर वाइल्ड द्वारा कही गई बात याद आती है – “संत

¹ (2021) 1 एस. सी. सी. 596.

और पापी के बीच एकमात्र फर्क यह है कि प्रत्येक संत का एक अतीत होता है और प्रत्येक पापी का एक भविष्य” । इस न्यायालय द्वारा वर्षों से यथा विकसित सुधारात्मक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों का एक सिद्धांत यह भी है कि अपराधी को कारित की गई हानि की भरपाई करने का अवसर दिया जाए और जब वह जेल से रिहा हो, तो सामाजिक रूप से उपयोगी व्यक्ति बने । विहित किया गया अधिकतम दंड अपराधी के कुत्सित मस्तिष्क को सुधारने के लिए सदैव निश्चायक पहलू नहीं हो सकता है । इसलिए प्रतिकारक न्याय और सुधारात्मक न्याय का संतुलन बनाते हुए हम अपीलार्थी-अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376क के अधीन अपराध के लिए उसके शेष नैसर्गिक जीवन के लिए कारावास के बजाय बीस वर्ष की अवधि के कारावास का दंडादेश अधिरोपित करना समुचित समझते हैं । निचले न्यायालयों द्वारा भारतीय दंड संहिता और पाँकसो अधिनियम के अधीन अन्य अपराधों के लिए अभिलिखित दोषसिद्धि और दंडादेश की अभिपुष्टि करते हैं । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अधिरोपित किए गए सभी दंड साथ-साथ चलेंगे ।

44. समापन करने से पूर्व, हम उच्चतम न्यायालय विधिक सेवाएं समिति के माध्यम से नियुक्त किए गए अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसिल श्री मार्लापल्ले द्वारा की गई अमूल्य सहायता और दी गई सेवाओं के लिए कृतज्ञता अभिलिखित करते हैं और सराहना करते हैं ।

45. यह अपील पूर्वोक्त सीमा तक मंजूर की जाती है ।

अपील भागत: मंजूर की गई ।

जस.

[2022] 2 उम. नि. प. 118

देवेन्द्र सिंह और अन्य

बनाम

उत्तराखंड राज्य

[2018 की दांडिक अपील सं. 383]

21 अप्रैल, 2022

मुख्य न्यायमूर्ति एन. वी. रमना, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और
न्यायमूर्ति हिमा कोहली

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304ख, 498क और 120ख [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख] – दहेज मृत्यु – दहेज मृत्यु की उपधारणा – मृतका का विवाह के छह माह के भीतर अपने दांपत्य निवास से गुम हो जाना और बाद में शव एक नदी में पाया जाना – मृतका के शव पर मृत्यु-पूर्व की क्षतियां पाया जाना – मृतका के पति, सास और देवर के विरुद्ध दहेज की मांग के लिए मृतका के साथ क्रूरता और उसे तंग करने की शिकायत दर्ज किया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाना – अपील में उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया जाना – दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील – अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षियों के तर्कपूर्ण साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध करने में सफल रहने पर कि मृतका के साथ उसके विवाह के लगभग छह माह के भीतर दांपत्य निवास में उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता की गई थी और तंग किया गया था तथा उसकी मृत्यु अस्वाभाविक परिस्थितियों में हुई थी, वहां यह उपधारणा की जाएगी कि मृतका की दहेज मृत्यु कारित की गई थी और अभियुक्तों द्वारा उक्त उपधारणा का खंडन करने में असफल रहने पर दोषसिद्धि उचित है, तथापि, यह पाए जाने पर कि दहेज की मांग केवल पति के फायदे के लिए थी और अन्य अभियुक्तों (सास और देवर) के विरुद्ध मामला सिद्ध न होने पर केवल पति को दोषसिद्ध करना और अन्य अभियुक्तों को संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त करना उचित होगा ।

इस मामले के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि अपीलार्थी सं. 1, देवेन्द्र सिंह पुत्र अपीलार्थी सं. 3 का विवाह मृतका सुशीला के साथ हुआ था और यह विवाह तारीख 20 अक्टूबर, 2007 को अनुष्ठापित हुआ था। सुशीला कथित रूप से तारीख 24 अप्रैल, 2008 से अपने दांपत्य निवास से गुम हो गई थी। यह बात मृतका की माता की जानकारी में तब आई जब इस अपील में अपीलार्थी सं. 2 जगदीश सिंह, अपीलार्थी सं. 1 का भाई, ने तारीख 25 अप्रैल, 2008 को 7.00 बजे अपराहन में उसे यह सूचित करने और पूछने के लिए फोन किया कि क्या सुशीला पैतृक गृह में आई है। इसके बाद मृतका की माता ने अपने पुत्र, शिकायतकर्ता, जो हरिद्वार में रहता था, को सूचित किया। शिकायतकर्ता अपने घर लौटने पर तारीख 28 अप्रैल, 2008 को मृतका के दांपत्य निवास पर गया। शिकायतकर्ता द्वारा यह अभिकथन किया गया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थियों द्वारा बार-बार की गई दहेज की मांग और जब वह उनके घर गया था, तब जिस रीति में उन्होंने उसके साथ जो व्यवहार किया था, उसे संदेह हुआ कि अपीलार्थियों द्वारा उसकी बहन की हत्या कर दी गई है किंतु वे अनजान होने का बहाना कर रहे थे और इस प्रकार ढोंग कर रहे थे मानो उसकी बहन गुम हो गई है। शिकायत के आधार पर स्थानीय पुलिस द्वारा अन्वेषण किया गया और सुशीला का शव बाद में गंगा नदी में पाया गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवाह के लगभग छह माह के भीतर अस्वाभाविक मृत्यु हुई थी और चूंकि दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता का अभिकथन था, अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, 304ख और 120ख के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् अपीलार्थियों के पक्ष में निष्कर्ष अभिलिखित किए और उन सभी को दोषमुक्त कर दिया गया। उत्तराखंड राज्य द्वारा उक्त निर्णय से व्यथित होकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष अपील फाइल की गई। उच्च न्यायालय द्वारा संपूर्ण साक्ष्य का विस्तारपूर्वक पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात् और विधिक सिद्धांतों को लागू करते हुए उक्त अपील मंजूर की गई और सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश को अपास्त कर दिया गया। अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क,

304ख और 120ख के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । अभियुक्तों द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि जब एक बार अभियोजन पक्ष यह प्रदर्शित करने में सफल हो गया हो कि स्त्री के साथ उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता की गई थी या उसे तंग किया गया था, तो उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध यह उपधारणा की जाएगी कि उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन यथा अनुध्यात दहेज मृत्यु कारित की है । उक्त उपधारणा एक उपरिका के साथ आती है क्योंकि इस उपधारणा का अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान यह प्रदर्शित करके खंडन किया जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के सभी संघटकों का समाधान नहीं किया गया है । सुसंगत उपबंध और उसके संघटकों पर विचार करने के पश्चात्, प्रस्तुत मामले के तथ्यों से यह प्रकट होता है कि मृतका और अपीलार्थी सं. 1 का विवाह तारीख 20 अक्टूबर, 2007 को हुआ था । सुशीला, अपीलार्थी सं. 1 की पत्नी तारीख 24 अप्रैल, 2008 को दांपत्य निवास से गुम हो गई थी और उसका शव दसवें दिन नारागासु के निकट अलखनंदा नदी से खोज निकाला गया था । ऊपर उल्लिखित मूलभूत तथ्यों से, भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के संघटक, जैसे मृत्यु का स्वाभाविक न होना और ऐसी मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर होना, पूर्णतः सिद्ध हो जाते हैं । अतः प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य दहेज की मांग के विषय में और ऐसी मांग के संबंध में क्रूरता करने और तंग करने का अपराध करने के शेष संघटकों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है या नहीं । इसके अतिरिक्त, क्या ऐसी क्रूरता या तंग करना मृतका द्वारा उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व सहन किया गया था जिससे दहेज मृत्यु का गठन हो सके । 'उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व' वाक्यांश के बारे में यह भली-भांति स्थिर है कि इसका निर्वचन

निकटता के अर्थ में किया जाना चाहिए और इसके साथ संबंध किया जाना चाहिए किंतु इस वाक्यांश का अर्थ मृत्यु से ठीक पूर्व नहीं समझा जाना चाहिए। साक्ष्य और मामले के अन्य पहलुओं पर विचार करते हुए, प्रस्तुत मामले में जिस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, वह यह है कि मृत्यु, जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई थी, विवाह की तारीख से लगभग 6 माह के भीतर ही हो गई थी। इस संदर्भ में, श्रीमती थापा देवी (अभि. सा. 1), मृतका की माता का साक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाता है। उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया था कि जब मृतका अपनी ससुराल से पहली बार अपने पैतृक गृह आई थी, उसने यह कहा था कि उसके ससुराल वाले और पति दहेज की मांग कर रहे थे और उसे तंग कर रहे थे। इस मांग की प्रकृति को भी यह कहते हुए विनिर्दिष्ट किया गया था कि वे दहेज के रूप में 2,00,000/- रुपए (दो लाख रुपए) की रकम चाह रहे थे और अनुकल्पतः, हरिद्वार में एक मकान का निर्माण कराया जाए। अभि. सा. 1 ने यह भी कथन किया कि तारीख 10 अप्रैल, 2008 को जब वह अपनी पुत्र के घर गई थी, अपीलार्थियों ने उस प्रक्रम पर उसके साथ झगड़ा किया था और उसके समक्ष 2,00,000/- रुपए (दो लाख रुपए) की मांग रखी थी या फिर उनके लिए हरिद्वार में एक मकान का निर्माण कराया जाए। तथापि, वह तारीख 11 अप्रैल, 2008 को अपने पुत्री को वहीं छोड़कर वापस आ गई थी। उसके पश्चात् 2-4 दिनों के भीतर मृतका ने कथित रूप से अभि. सा. 1 को फोन किया और यह इंगित किया कि वह परेशान है क्योंकि अपीलार्थी उसे बुरी तरह से तंग कर रहे हैं और उसे पीट भी रहे हैं। अभि. सा. 1 ने यह कथन किया कि उसने यह बात अपने देवर, श्री राजेन्द्र सिंह को बताई थी और उसके साथ ऐसी मांग और मृतका द्वारा झेले जा रहे उत्पीड़न के बारे में बातचीत की थी। उसके देवर ने उसे आश्वस्त किया था कि वह 2-3 दिनों में मिलने आएगा और मामले को सुलझाने का प्रयत्न करेगा। जब यह स्थिति चल रही थी, तब तारीख 25 अप्रैल, 2008 को अभि. सा. 1 को अपीलार्थी सं. 2, उसके दामाद (अपीलार्थी सं. 1) के भाई का फोन आया और पूछताछ की कि क्या मृतका पैतृक गृह आई है क्योंकि वह दांपत्य निवास से गुम हो गई है। अभि. सा. 1 ने इसके पश्चात् अपने पुत्रों को सूचित किया, जो हरिद्वार

से आए और उसके पश्चात् मृतका की ससुराल में गए । यह निर्विवाद है कि शव 10 दिनों के पश्चात् मिला था । अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए साक्ष्य को प्रतिपरीक्षा में झुठलाया नहीं गया था । अभि. सा. 1 को यह जताया गया था कि मृतका विवाह के पश्चात् लगभग 10-11 दिनों के भीतर अधिकांश समय पैतृक गृह में थी जिससे कि वह शिक्षा पूर्ण कर सके और उक्त सुझाव यह उपदर्शित करने के लिए दिया गया था कि दहेज की मांग करने की कोई गुंजाइश नहीं थी । तथापि, अभि. सा. 1 द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया, जिसने यह कथन किया कि यद्यपि ऐसी बात थी, तो भी मृतका जब उसके इंटर की परीक्षा समाप्त हो गई थी तो वह अगले ही दिन दांपत्य निवास वापस चली गई थी । आगे दिए गए इस सुझाव से भी इनकार किया गया था कि अपीलार्थी सं. 2 और 3 एक पृथक् मकान में अपीलार्थी सं. 1 के मकान से दूर रह रहे थे । पूर्वोक्त साक्ष्य के अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने बलबीर सिंह (अभि. सा. 2), मृतका के भाई के साक्ष्य पर विचार किया था, जिसने मृतका की माता (अभि. सा. 1) के वृत्तांत की संपुष्टि की थी । वास्तव में, अभि. सा. 2 ने भी इस विषय में कथन किया था कि मृतका ने तारीख 24 अप्रैल, 2008 को सवेरे टेलीफोन किया था और उन्हें सूचित किया था कि वह गर्भवती है और उसके उदर में दर्द हो रहा था और जब उसने अपने पति को ओषधि और एक कुर्ती के लिए कपड़ा लाने के लिए कहा तो उसकी यह कहकर पिटाई की गई कि वह इसे अपने माता-पिता से ले आए । श्रीमती मीरा भंडारी (अभि. सा. 3), मृतका की भाभी और श्री ताजवर सिंह (अभि. सा. 4), मृतका के भाई के साक्ष्य पर भी उच्च न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विस्तार से विचार किया गया था जिसमें अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा यथा वर्णित घटनाओं के क्रम की उनके द्वारा संपुष्टि की गई थी । इसके अतिरिक्त, मृतका के चाचा श्री ऋषिपाल सिंह (अभि. सा. 5) और श्री राजेन्द्र सिंह (अभि. सा. 7) ने भी घटना के विषय में अभिसाक्ष्य दिया था और उन्हें दहेज की मांग करने और मृतका के साथ किए गए उत्पीड़न के बारे में बताया गया था । श्री विजयपाल सिंह (अभि. सा. 8), ग्राम प्रधान ने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि उसे इस बात की जानकारी थी कि मृतका तारीख 24 अप्रैल, 2008 को गुम हो गई थी और वे उसके पश्चात् उसे ढूंढ रहे थे । वह

घटनास्थल पर भी गया था जहां से शव बरामद किया गया था । यद्यपि अपीलार्थियों की ओर से यह दलील दी गई कि पटवारी को तुरंत सूचित किया गया था । श्री जगदीश प्रसाद गैरोला (अभि. सा. 9), जो पटवारी था, ने यह कथन किया था कि अपीलार्थी सं. 1 ने उसे तारीख 26 अप्रैल, 2008 को ही टेलीफोन पर सूचित किया था कि उसकी पत्नी गुम हो गई है, जिसकी उसने कथित रूप से अपनी साधारण डायरी में प्रविष्टि की थी । अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसिल द्वारा जो यह दलील दी गई है कि शिकायत करने में कोई विलंब नहीं किया था, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है, उसका अन्य संबद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए महत्वहीन हो जाती है । आक्षेपित निर्णय के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया था । यद्यपि विचारण न्यायालय ने भी इसी साक्ष्य को विनिर्दिष्ट किया था और इसका विश्लेषण निर्णय के पैरा 27 से आरंभ किया था, तो भी यह उपदर्शित होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा की गई इस मताभिव्यक्ति से कि फाइल पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि मृतका, सुशीला की हत्या की गई थी, यह प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय आरोप का भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन निर्धारण करने की दृष्टि से मूल्यांकन कर रहा था, जबकि अभिलेख पर के साक्ष्य का विश्लेषण और मूल्यांकन भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख और धारा 498क की अपेक्षाओं और उनके संघटकों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए था । उपरोक्त पृष्ठभूमि में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतका दांपत्य निवास में रह रही थी और उन परिस्थितियों में गुम हो गई थी, जहां धारा 304ख के सभी संघटकों का समाधान हो जाता है, डा. दिग्विजय सिंह (अभि. सा. 10) का साक्ष्य सुसंगत हो जाता है । मरणोत्तर परीक्षा के समय मृतका के शव पर पाई गई क्षतियों की प्रकृति का उल्लेख किया गया था और अभि. सा. 10 ने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि मरणोत्तर परीक्षा से लगभग एक सप्ताह पूर्व हुई थी । उसने यह राय व्यक्त की थी कि मृत्यु सदमे और उन क्षतियों से हुए रक्तस्राव के कारण हुई थी, जो मृत्यु से पूर्व पहुंची थीं । डाक्टर की यह स्पष्ट राय थी कि मृत्यु डूबने के कारण नहीं हुई थी क्योंकि फेफड़ों और उदर के

अंदर कोई पानी नहीं था । यद्यपि अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने इस पहलू को यह दलील देने के लिए निर्दिष्ट किया कि उच्च न्यायालय ने इस पहलू पर उचित रूप से विचार न करके गलती की थी, हमारी राय में, जब यह उपदर्शित होता है कि मृतका को उसकी मृत्यु से पूर्व क्षतियां पहुंची थीं और रक्तस्राव हुआ था और जब चिकित्सीय रूप से भी यह उपदर्शित होता है कि मृत्यु डूबने के कारण नहीं हुई थी क्योंकि उसके फेफड़ों और उदर में कोई पानी नहीं था, इसका स्वाभाविक परिणाम और एक उचित निष्कर्ष यह होगा कि उक्त मृत्यु नदी में गिरने से पूर्व ही हुई थी, जिससे दुर्घटनावश गिरने जैसा कि अपीलार्थियों द्वारा दावा किया गया है, की किसी बात का खंडन होता है । वास्तव में, इस बात से तो इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अपीलार्थियों पर अधिरोपित भार में ही वृद्धि हो जाती है । यद्यपि अपीलार्थियों ने यह एक कहानी गढ़ने का प्रयत्न किया है कि मृतका घास काटने के लिए पहाड़ियों पर गई थी, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा ठीक ही उल्लेख किया गया है, वह अकेली नहीं गई होगी । जो भी स्थिति हो, अपीलार्थियों द्वारा एक अस्पष्ट कथन करने के सिवाय, यह प्रदर्शित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं लाई गई है कि घास काटने के लिए पहाड़ियों पर जाना मृतका के लिए एक सामान्य परिपाटी थी और इससे भी बढ़कर उन परिस्थितियों में जहां वह अपने दांपत्य निवास में छह माह से कम समय से थी, गर्भवती थी और यह भी कि वह इसी अवधि के दौरान अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए अपने पैतृक गृह जा रही थी, जैसा कि स्वयं अपीलार्थियों द्वारा दलील दी गई है । अतः ऐसी स्थिति में, हमें यह मत व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं है कि अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराध से संबंधित मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन उनके विरुद्ध की गई उपधारणा का खंडन करने में असफल रहे हैं । उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् इस न्यायालय के समक्ष विवादक यह है कि क्या प्रस्तुत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलार्थी सं. 2 और 3 को भी समान रूप से अपीलार्थी सं. 1 की तरह दोषी ठहराया जाना चाहिए या नहीं । निस्संदेह, यह सत्य है कि अभि. सा. 1 के साक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि मृतका ने उसे यह सूचित

किया था कि पति और ससुराल वाले उसे तंग कर रहे हैं और जब अभि. सा. 1 तारीख 10 अप्रैल, 2008 को अपनी पुत्री को दांपत्य निवास पर वापस छोड़ने के लिए गई थी, तब ससुराल वालों ने दहेज की मांग की थी। तथापि, अभिलेख पर जो लाया गया है वह यह है कि अपीलार्थी सं. 2 और 3 पृथक् रूप से एक अलग मकान में रह रहे थे। अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा में उससे दोनों मकानों के बीच की दूरी के बारे में प्रश्न पूछा गया था। इसके अतिरिक्त, वास्तविकता यह है कि विचारण न्यायालय ने निर्णय के पैरा 31 में इस पहलू को भी निर्दिष्ट किया है जहां प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से विद्वान् काउंसेल ने न्यायालय के ध्यान में यह लाया था कि दो राशन कार्ड हैं और अपीलार्थी सं. 2 और 3 का राशन कार्ड अपीलार्थी सं. 1 के राशन कार्ड से अलग है, जिसमें उसका नाम और मृतका का नाम वर्णित है। इसके अतिरिक्त, जो मांग की गई थी वह 2,00,000/- रुपए की एकमुश्त रकम के लिए या हरिद्वार में एक मकान का निर्माण करने के लिए थी, दोनों में से कोई भी आवश्यक रूप से अपीलार्थी सं. 1 के फायदे के लिए थी। अतः दहेज की मांग के संबंध में अपीलार्थी सं. 2 और 3 की कोई विनिर्दिष्ट भूमिका नहीं है और न ही साधारण प्राख्यान के सिवाय उन पर क्रूरता और तंग करने का कोई निर्दिष्ट दृष्टांत बताया गया है। इसके अलावा, ऐसी परिस्थिति में, जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन भी आरोप था, अपीलार्थियों द्वारा अभिकथित रूप से रचे गए षड्यंत्र के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई विनिर्दिष्ट साक्ष्य नहीं है। पूर्वोक्त परिस्थितियों में, इस न्यायालय की यह राय है कि अपीलार्थी सं. 2 और 3 संदेह का फायदा दिए जाने योग्य हैं और उनकी दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं होगी। (पैरा 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22 और 23)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2015]	(2015) 17 एस. सी. सी. 405 : माया देवी और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य ;	11
[2011]	(2011) 11 एस. सी. सी. 359 : बंसी लाल बनाम हरियाणा राज्य ;	11

- [2010] (2010) 3 एस. सी. सी. 152 :
जी. वी. सिद्धारमेश बनाम कर्नाटक राज्य ; 11
- [2010] (2010) 12 एस. सी. सी. 350 :
अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य । 11

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 383.

2010 की सरकारी अपील सं. 57 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 14 सितंबर, 2017 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध अपील ।

- अपीलार्थियों की ओर से** सर्वश्री रोबिन आर. डेविड, धीरज अब्राहम फिलिप, फेबिन मैथ्यू बर्गीज, सेम्यूल डेविड, अमित नेगी, सौरभ सचदेवा और आफताब अली खान
- प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से** सर्वश्री जतिन्द्र कुमार भाटिया और कृष्ण मिश्रा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने दिया ।

न्या. कोहली – अपीलार्थियों ने 2010 की सरकारी अपील सं. 57 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा तारीख 14 सितंबर, 2017 को पारित किए गए उस निर्णय को चुनौती दी है, जिसके द्वारा विद्वान् सेशन न्यायाधीश, रुद्रप्रयाग द्वारा उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, 304ख और 120ख के अधीन आरोपों से दोषमुक्त करते हुए तारीख 17 अप्रैल, 2010 को पारित किए गए निर्णय को उलट दिया गया और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराध के लिए सात वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और 10,000/- रुपए (दस हजार रुपए) के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर तीन माह का साधारण कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया । अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन एक वर्ष का और भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दो वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का भी दंडादेश दिया गया । दोषसिद्धि

के उक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी विशेष इजाजत के द्वारा इस अपील में इस न्यायालय के समक्ष आए हैं ।

2. इस मामले के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि अपीलार्थी सं. 1, देवेन्द्र सिंह पुत्र अपीलार्थी सं. 3, श्रीमती कुंजा देवी और भवन सिंह, का विवाह मृतका सुशीला के साथ हुआ था और यह विवाह तारीख 20 अक्टूबर, 2007 को अनुष्ठापित हुआ था । सुशीला कथित रूप से तारीख 24 अप्रैल, 2008 से अपने दांपत्य निवास से गुम हो गई थी । यह बात मृतका की माता की जानकारी में तब आई जब इस अपील में अपीलार्थी सं. 2 जगदीश सिंह, अपीलार्थी सं. 1 का भाई, ने तारीख 25 अप्रैल, 2008 को 7.00 बजे अपराहन में उसे यह सूचित करने और पूछने के लिए फोन किया कि क्या सुशीला पैतृक गृह में आई है । इसके बाद मृतका की माता ने अपने पुत्र, शिकायतकर्ता, जो हरिद्वार में रहता था, को सूचित किया । शिकायतकर्ता अपने घर लौटने पर तारीख 28 अप्रैल, 2008 को मृतका के दांपत्य निवास पर गया । शिकायतकर्ता द्वारा यह अभिकथन किया गया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थियों द्वारा बार-बार की गई दहेज की मांग और जब वह उनके घर गया था, तब जिस रीति में उन्होंने उसके साथ जो व्यवहार किया था, उसे संदेह हुआ कि अपीलार्थियों द्वारा उसकी बहन की हत्या कर दी गई है किंतु वे अनजान होने का बहाना कर रहे थे और इस प्रकार ढोंग कर रहे थे मानो उसकी बहन गुम हो गई है ।

3. शिकायत के आधार पर स्थानीय पुलिस द्वारा अन्वेषण किया गया और सुशीला का शव बाद में गंगा नदी में पाया गया । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवाह के लगभग छह माह के भीतर अस्वाभाविक मृत्यु हुई थी और चूंकि दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता का अभिकथन था, अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, 304ख और 120ख के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया । अपीलार्थियों द्वारा उनके विरुद्ध लगाए गए अभिकथनों से इनकार करने पर 2008 के सेशन विचारण सं. 18 में जिला और सेशन न्यायाधीश, रुद्रप्रयाग के समक्ष विचारण किया गया । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में अभि. सा. 1 से अभि. सा. 14 के रूप में

सूचीबद्ध 14 साक्षियों की परीक्षा की। अपीलार्थी/अभियुक्तों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उनके कथनों को अभिलिखित करते समय अपनी भूमिका से इनकार करने के अतिरिक्त प्रति. सा. 1 से प्रति. सा. 3 की अपने साक्षियों के रूप में भी परीक्षा कराई। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् अपीलार्थियों के पक्ष में निष्कर्ष अभिलिखित किए और तारीख 17 अप्रैल, 2010 के निर्णय द्वारा उन सभी को दोषमुक्त कर दिया।

4. उत्तराखंड राज्य ने तारीख 17 अप्रैल, 2010 के निर्णय से व्यथित होकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष 2010 की सरकारी अपील सं. 57 के द्वारा अपील फाइल की। उच्च न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्य का विस्तारपूर्वक पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात् और विधिक सिद्धांतों को लागू करते हुए उक्त अपील मंजूर की। परिणामतः, 2018 के सेशन विचारण सं. 18 में सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 17 अप्रैल, 2010 को पारित किए गए निर्णय और आदेश को अपास्त कर दिया गया। अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, 304ख और 120ख के अधीन दोषसिद्ध किया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन सात वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और 10,000/- रुपए (दस हजार रुपए) के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर तीन माह का साधारण कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया। अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन एक वर्ष का कठोर कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दो वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का भी दंडादेश दिया गया। दंडादेश तारीख 5 अक्टूबर, 2017 के एक अलग आदेश द्वारा लेखबद्ध किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा लेखबद्ध दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय से व्यथित होने का दावा करते हुए अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष आए हैं।

5. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री रोबिन आर. डेविड ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय को प्रश्नगत करते हुए अभिलेख की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने यह दलील दी कि उच्च न्यायालय ने मृतका के संबंध में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज

करने में विलंब कारित करने में अपीलार्थियों के आचरण का उल्लेख करते हुए स्वयं को दिशा-भ्रमित करके गलती कारित की है। उन्होंने यह दलील दी कि उच्च न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए एक विरोधाभासी दृष्टिकोण अपनाया गया है कि शिकायत इस तथ्य के बावजूद घटना के 48 घंटे के पश्चात् फाइल की गई थी कि अपीलार्थी सं. 1 ने गांव के पटवारी को तारीख 26 अप्रैल, 2008 को दूरभाष पर सूचित किया था और अपीलार्थी सं. 2 ने मृतका की माता को दांपत्य निवास से तारीख 24 अप्रैल, 2008 को ही मृतका के गुम हो जाने के बारे में सूचित कर दिया था। उन्होंने यह दलील दी कि उच्च न्यायालय द्वारा की गई ऐसी धारणा के कारण एक गलत निष्कर्ष निकाला गया था। इसके अतिरिक्त, यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके गलती की थी कि अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए सामग्री है कि अपीलार्थी मृतका को अपर्याप्त दहेज लाने के लिए तंग कर रहे थे। उन्होंने यह उल्लेख किया कि मृतका की माता (अभि. सा. 1) ने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि मृतका पैतृक गृह में केवल अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए रह रही थी। अतः जैसा कि उल्लेख किया गया है, दहेज की मांग किए जाने का दावा स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रति. सा. 3, जिसकी मौजूदगी में विवाह से संबंधित बातें हुई थीं, ने अपने साक्ष्य में यह अभिसाक्ष्य दिया था कि दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी और विवाह का खर्च भी पक्षकारों के बीच सांझा किया गया था।

6. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसिल ने यह दलील दी कि इस तथ्य से, कि अपीलार्थी सं. 1 ने मृतका के नाम से एक बैंक खाता खोला था जिसमें वह एक दिन छोड़कर अगले दिन 100/- रुपए (एक सौ रुपए) की राशि जमा करा रहा था, यह दर्शित होता है कि अपीलार्थियों द्वारा उससे कोई धनीय मांग करने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने यह भी दलील दी कि उच्च न्यायालय ने सुशीला की मृत्यु के कारण से संबंधित निष्कर्षों पर पहुंचने में गलती की थी। उन्होंने अभि. सा. 10, डाक्टर के अभिसाक्ष्य के प्रति संकेत किया, जिसने यह उपदर्शित किया था कि मृत्यु का कारण कारित हुई क्षतियों से हुआ सदमा और रक्तस्राव

था और डाक्टर ने यह राय व्यक्त की थी कि ऐसी क्षतियां तब पहुंच सकती हैं यदि कोई व्यक्ति किसी खड़ी चट्टान से नीचे गिरता है। उच्च न्यायालय द्वारा की गई यह न्यायिक अवेक्षा कि ग्रामवासी चारा और ईंधन की लकड़ी लाने के लिए समूह में जंगल जाते हैं, इस बाबत किसी सटीक साक्ष्य के अभाव में कथित रूप से वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अनावश्यक थी। यह दलील दी गई कि विचारण न्यायालय ने वास्तव में साक्ष्य पर इसके सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया था और एक विधिमान्य निष्कर्ष पर पहुंचा था, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था, इससे भी बढ़कर जब ऐसा करने के लिए कोई प्रबल आधार नहीं था। अतः यह निवेदन किया गया कि यह अपील मंजूर की जाए और आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाए।

7. राज्य की ओर से विद्वान् काउंसिल श्री जतिन्द्र भाटिया ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय को कायम रखने की ईप्सा की। उनकी दलील यह थी कि विचारण न्यायालय वास्तव में साक्ष्य का विश्लेषण करने के लिए इस प्रकार अग्रसर हुआ था मानो वह ऐसे मामले पर विचार कर रहा हो जहां विरचित आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन हत्या करने का हो, जबकि वर्तमान मामले में अपीलार्थियों के विरुद्ध विरचित आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के साथ पठित धारा 304ख और 498क के अधीन “दहेज मृत्यु” का था। उक्त उपबंध में स्वयमेव अभियुक्तों के विरुद्ध कतिपय उपधारणाएं की गई हैं। ऐसे मामले में जहां अपीलार्थी सं. 1 की पत्नी की मृत्यु उसके विवाह के कुछ ही माह के भीतर तब हो गई थी जब वह दांपत्य निवास में रह रही थी और ऐसी मृत्यु एक अस्वाभाविक मृत्यु थी, ऐसी स्थिति में अपीलार्थियों को उस परिस्थिति को स्पष्ट करना चाहिए था जिसमें मृत्यु हुई थी, जबकि अभियोजन पक्ष, प्रथमदृष्ट्या, इस धारा के मूलभूल संघटकों को साबित करने में सफल रहा था। इस आलोक में, यह आग्रह करना चाहा गया कि विचारण न्यायालय ही वास्तव में पूर्णतः दिशा-विहिन हो गया था। यह भी दलील दी गई कि उच्च न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह अपील का विनिश्चय करते

समय साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करे, जो कि प्रत्येक साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य को निर्दिष्ट करके सावधानीपूर्वक किया गया था। राज्य की ओर से विद्वान् काउंसिल ने यह दलील दी कि उच्च न्यायालय उस विधिक स्थिति के संदर्भ में, जो इस न्यायालय के विभिन्न विनिश्चयों में प्रतिपादित की गई है और जिन पर विचार किया था, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य का विश्लेषण करने पर एक न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा था और विचारण न्यायालय के निर्णय को गलत पाया था और परिणामस्वरूप उसे अपास्त किया गया था।

8. परस्पर-विरोधी दलीलों और अपीलार्थियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए और मामले को इसके सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख में यथाअंतर्विष्ट उपबंध पर विचार किया जाए, जो निम्न प्रकार से है :-

“304ख. दहेज मृत्यु – (1) जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था वहां ऐसी मृत्यु को ‘दहेज मृत्यु’ कहा जाएगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ‘दहेज’ का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।

(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा।”

9. उपरोक्त उपबंध के परिशीलन से यह उपदर्शित होता है कि इस अपराध के जिन मुख्य संघटकों को सिद्ध किया जाना आवश्यक है, वे हैं :-

(i) मृतका के साथ मृत्यु के कुछ पूर्व दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता की गई थी और तंग किया गया था ;

(ii) मृतका की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की गई थी या किसी ऐसी अन्य परिस्थिति में हुई थी जो सामान्य नहीं थी ;

(iii) ऐसी मृत्यु उसके विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर हुई है ;

(iv) विपदग्रस्त के साथ उसके पति या पति के किसी नातेदार द्वारा क्रूरता की गई थी या तंग किया गया था ;

(v) ऐसी क्रूरता या तंग किया जाना दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में होना चाहिए ;

(vi) यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि ऐसी क्रूरता या तंग उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व किया गया था ।

10. दहेज मृत्यु के संबंध में की जाने वाली उपधारणा को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख में अनुध्यात किया गया है, जिसमें निम्नलिखित उपबंधित है :-

“113ख. दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा – जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए ‘दहेज मृत्यु’ का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 304ख में है ।”

11. भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि जब एक बार अभियोजन पक्ष यह प्रदर्शित करने में सफल हो गया

हो कि स्त्री के साथ उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता की गई थी या उसे तंग किया गया था, तो उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध यह उपधारणा की जाएगी कि उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन यथाअनुध्यात दहेज मृत्यु कारित की है। उक्त उपधारणा एक उपरिका के साथ आती है क्योंकि इस उपधारणा का अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान यह प्रदर्शित करके खंडन किया जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के सभी संघटकों का समाधान नहीं किया गया है। [संदर्भ: बंसी लाल बनाम हरियाणा राज्य¹, माया देवी और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य², जी. वी. सिद्धारमेश बनाम कर्नाटक राज्य³ और अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य⁴]।

12. सुसंगत उपबंध और उसके संघटकों पर विचार करने के पश्चात्, प्रस्तुत मामले के तथ्यों से यह प्रकट होता है कि मृतका और अपीलार्थी सं. 1 का विवाह तारीख 20 अक्टूबर, 2007 को हुआ था। सुशीला, अपीलार्थी सं. 1 की पत्नी तारीख 24 अप्रैल, 2008 को दांपत्य निवास से गुम हो गई थी और उसका शव दसवें दिन नारागासु के निकट अलखनंदा नदी से खोज निकाला गया था। ऊपर उल्लिखित मूलभूत तथ्यों से, भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के संघटक, जैसे मृत्यु का स्वाभाविक न होना और ऐसी मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर होना, पूर्णतः सिद्ध हो जाते हैं। अतः प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य दहेज की मांग के विषय में और ऐसी मांग के संबंध में क्रूरता करने और तंग करने का अपराध करने के शेष संघटकों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। इसके अतिरिक्त, क्या ऐसी क्रूरता या तंग करना मृतका द्वारा उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व सहन किया गया था जिससे दहेज मृत्यु का गठन हो सके। 'उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व' वाक्यांश के बारे में यह भली-भांति स्थिर है

¹ (2011) 11 एस. सी. सी. 359.

² (2015) 17 एस. सी. सी. 405.

³ (2010) 3 एस. सी. सी. 152.

⁴ (2010) 12 एस. सी. सी. 350.

कि इसका निर्वचन निकटता के अर्थ में किया जाना चाहिए और इसके साथ संबद्ध किया जाना चाहिए किंतु इस वाक्यांश का अर्थ मृत्यु से ठीक पूर्व नहीं समझा जाना चाहिए ।

13. साक्ष्य और मामले के अन्य पहलुओं पर विचार करते हुए, प्रस्तुत मामले में जिस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, वह यह है कि मृत्यु, जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई थी, विवाह की तारीख से लगभग 6 माह के भीतर ही हो गई थी । इस संदर्भ में, श्रीमती थापा देवी (अभि. सा. 1), मृतका की माता का साक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाता है । उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया था कि जब मृतका अपनी ससुराल से पहली बार अपने पैतृक गृह आई थी, उसने यह कहा था कि उसके ससुराल वाले और पति दहेज की मांग कर रहे थे और उसे तंग कर रहे थे । इस मांग की प्रकृति को भी यह कहते हुए विनिर्दिष्ट किया गया था कि वे दहेज के रूप में 2,00,000/- रुपए (दो लाख रुपए) की रकम चाह रहे थे और अनुकल्पतः, हरिद्वार में एक मकान का निर्माण कराया जाए । अभि. सा. 1 ने यह भी कथन किया कि तारीख 10 अप्रैल, 2008 को जब वह अपनी पुत्र के घर गई थी, अपीलार्थियों ने उस प्रक्रम पर उसके साथ झगड़ा किया था और उसके समक्ष 2,00,000/- रुपए (दो लाख रुपए) की मांग रखी थी या फिर उनके लिए हरिद्वार में एक मकान का निर्माण कराया जाए । तथापि, वह तारीख 11 अप्रैल, 2008 को अपने पुत्री को वहीं छोड़कर वापस आ गई थी । उसके पश्चात् 2-4 दिनों के भीतर मृतका ने कथित रूप से अभि. सा. 1 को फोन किया और यह इंगित किया कि वह परेशान है क्योंकि अपीलार्थी उसे बुरी तरह से तंग कर रहे हैं और उसे पीट भी रहे हैं । अभि. सा. 1 ने यह कथन किया कि उसने यह बात अपने देवर, श्री राजेन्द्र सिंह को बताई थी और उसके साथ ऐसी मांग और मृतका द्वारा झेले जा रहे उत्पीड़न के बारे में बातचीत की थी । उसके देवर ने उसे आश्वस्त किया था कि वह 2-3 दिनों में मिलने आएगा और मामले को सुलझाने का प्रयत्न करेगा ।

14. जब यह स्थिति चल रही थी, तब तारीख 25 अप्रैल, 2008 को अभि. सा. 1 को अपीलार्थी सं. 2, उसके दामाद (अपीलार्थी सं. 1) के

भाई का फोन आया और पूछताछ की कि क्या मृतका पैतृक गृह आई है क्योंकि वह दांपत्य निवास से गुम हो गई है। अभि. सा. 1 ने इसके पश्चात् अपने पुत्रों को सूचित किया, जो हरिद्वार से आए और उसके पश्चात् मृतका की ससुराल में गए। यह निर्विवाद है कि शव 10 दिनों के पश्चात् मिला था। अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए साक्ष्य को प्रतिपरीक्षा में झुठलाया नहीं गया था। अभि. सा. 1 को यह जताया गया था कि मृतका विवाह के पश्चात् लगभग 10-11 दिनों के भीतर अधिकांश समय पैतृक गृह में थी जिससे कि वह शिक्षा पूर्ण कर सके और उक्त सुझाव यह उपदर्शित करने के लिए दिया गया था कि दहेज की मांग करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तथापि, अभि. सा. 1 द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया, जिसने यह कथन किया कि यद्यपि ऐसी बात थी, तो भी मृतका जब उसके इंटर की परीक्षा समाप्त हो गई थी तो वह अगले ही दिन दांपत्य निवास वापस चली गई थी। आगे दिए गए इस सुझाव से भी इनकार किया गया था कि अपीलार्थी सं. 2 और 3 एक पृथक् मकान में अपीलार्थी सं. 1 के मकान से दूर रह रहे थे।

15. पूर्वोक्त साक्ष्य के अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने बलबीर सिंह (अभि. सा. 2), मृतका के भाई के साक्ष्य पर विचार किया था, जिसने मृतका की माता (अभि. सा. 1) के वृत्तांत की संपुष्टि की थी। वास्तव में, अभि. सा. 2 ने भी इस विषय में कथन किया था कि मृतका ने तारीख 24 अप्रैल, 2008 को सवेरे टेलीफोन किया था और उन्हें सूचित किया था कि वह गर्भवती है और उसके उदर में दर्द हो रहा था और जब उसने अपने पति को ओषधि और एक कुर्ती के लिए कपड़ा लाने के लिए कहा तो उसकी यह कहकर पिटाई की गई कि वह इसे अपने माता-पिता से ले आए। श्रीमती मीरा भंडारी (अभि. सा. 3), मृतका की भाभी और श्री ताजवर सिंह (अभि. सा. 4), मृतका के भाई के साक्ष्य पर भी उच्च न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विस्तार से विचार किया गया था जिसमें अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा यथा वर्णित घटनाओं के क्रम की उनके द्वारा संपुष्टि की गई थी। इसके अतिरिक्त, मृतका के चाचा श्री ऋषिपाल सिंह (अभि. सा. 5) और श्री राजेन्द्र सिंह (अभि. सा. 7) ने भी घटना के विषय में अभिसाक्ष्य दिया था और उन्हें दहेज की मांग करने

और मृतका के साथ किए गए उत्पीड़न के बारे में बताया गया था। श्री विजयपाल सिंह (अभि. सा. 8), ग्राम प्रधान ने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि उसे इस बात की जानकारी थी कि मृतका तारीख 24 अप्रैल, 2008 को गुम हो गई थी और वे उसके पश्चात् उसे ढूंढ रहे थे। वह घटनास्थल पर भी गया था जहां से शव बरामद किया गया था।

16. यद्यपि अपीलार्थियों की ओर से यह दलील दी गई कि पटवारी को तुरंत सूचित किया गया था। श्री जगदीश प्रसाद गैरोला (अभि. सा. 9), जो पटवारी था, ने यह कथन किया था कि अपीलार्थी सं. 1 ने उसे तारीख 26 अप्रैल, 2008 को ही टेलीफोन पर सूचित किया था कि उसकी पत्नी गुम हो गई है, जिसकी उसने कथित रूप से अपनी साधारण डायरी में प्रविष्टि की थी। अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा जो यह दलील दी गई है कि शिकायत करने में कोई विलंब नहीं किया था, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है, उसका अन्य संबद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए महत्वहीन हो जाती है।

17. यद्यपि उच्च न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों द्वारा पेश किए गए शेष साक्षियों के साक्ष्य को भी निर्दिष्ट किया है, तो भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दहेज की मांग और तंग करने की बात को सिद्ध करने के लिए यथा अपेक्षित साक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए और इसमें ऊपर यथा उल्लिखित साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि अपीलार्थियों ने यह आग्रह करने की ईप्सा की है कि विवाह तय करने के समय पर किसी दहेज का आदान-प्रदान नहीं हुआ था या मांग नहीं रखी गई थी और विवाह के खर्च को भी दोनों पक्षों द्वारा सांझा किया गया था, तो भी अभि. सा. 1 से अभि. सा. 4 के स्पष्ट मौखिक साक्ष्य से, जो अविचल रहा था, यह उपदर्शित होता है कि विवाह के कुछ समय के पश्चात् जब मृतका पहली बार अपने पैतृक गृह आई थी, तब उसने उससे की गई दहेज की मांग के बारे में बताया था और मांग अर्थात् 2,00,000/- रुपए (दो लाख रुपए) देने या हरिद्वार में एक मकान का निर्माण करने की मांग को भी विनिर्दिष्ट किया था। यद्यपि अपीलार्थियों की ओर से यह दलील दी गई कि मृतका अपनी पढ़ाई को

पूर्ण करने के लिए अपने पैतृक गृह में रह रही थी, तो भी अभि. सा. 1 ने इस स्थिति को स्वीकार करते हुए उसने यह प्राख्यान किया था कि विवाह के लगभग 10-11 दिनों के पश्चात् सुशीला अपने पैतृक गृह आई थी किंतु माध्यमिक परीक्षा में बैठने के पश्चात् वह दांपत्य निवास में वापस चली गई थी। तथापि, वास्तविकता यह है कि वह दांपत्य निवास से गुम हो गई थी और उसका शव दांपत्य निवास के आस-पास नदी से बरामद किया गया था। इस संबंध में, साक्षियों के परिसाक्ष्य, जिन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि मृतका ने पैतृक गृह में पहली बार आने के दौरान उन्हें दहेज की मांग और उसे तंग करने के बारे में बताया था, के अतिरिक्त अभि. सा. 1 ने उस घटना को निर्दिष्ट किया था, जो तारीख 10 अप्रैल, 2008 को उस समय घटी थी, जब वह स्वयंमेव अपनी पुत्री के साथ उसकी ससुराल में उसे छोड़ने के लिए गई थी और उन सभी ने दहेज की उसी प्रकार की मांग अर्थात् 2,00,000/- रुपए (दो लाख रुपए) देने या हरिद्वार में एक मकान बनवाने को लेकर उसके साथ झगड़ा किया था। उसके पश्चात् वह तारीख 11 अप्रैल, 2008 को वापस आ गई थी, जो उस तारीख से लगभग दो सप्ताह पूर्व थी जिस तारीख से मृतका गुम हुई थी। इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 1 ने यह भी कथन किया था कि उसके वापस आने के पश्चात् तारीख 11 अप्रैल, 2008 से 2-4 दिनों के भीतर मृतका ने एक फोन किया था और वह बहुत परेशान थी चूंकि उसे बुरी तरह से तंग किया जा रहा था और उसकी पिटाई की जा रही थी। उसने यह बात अपने देवर श्री राजेन्द्र सिंह, जिसकी अभि. सा. 7 के रूप में परीक्षा की गई थी, को बताई थी। इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 2 ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया था कि मृतका ने दुर्भाग्यपूर्ण दिन अर्थात् तारीख 24 अप्रैल, 2008 को सवेरे फोन पर उसके पति द्वारा उसके साथ उस समय क्रूरता करने के बारे में शिकायत की थी, जब वह गर्भवती थी और उसने अपने उदर में दर्द के लिए ओषधि की मांग की थी।

18. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, भले ही श्रीमती माया देवी (प्रति. सा. 3), जो विवाह को तय कराने के लिए बिचौलिया थी, ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया था कि उस सुसंगत समय पर दहेज की कोई मांग नहीं की

गई थी, यह बात मायने नहीं रखती है चूंकि जो सुसंगत है, वह मांग है जो विवाह के पश्चात् और घटना के कुछ पूर्व की गई थी, जिससे उक्त साक्षी किसी स्थिति में अभिज्ञ नहीं थी ।

19. इसके अतिरिक्त, श्री राकेश बिष्ट (प्रति. सा. 1) के इस आशय के साक्ष्य से, कि अपीलार्थी सं. 1 ने मृतका के नाम पर एक बैंक खाता खोला था और तारीख 7 दिसंबर, 2007 से उक्त खाते में एक दिन छोड़कर अगले दिन 100/- रुपए (सौ रुपए) जमा करा रहा था, स्थिति परिवर्तित नहीं हो सकती है चूंकि इस बात से, किसी भी स्थिति में, दहेज की मांग की उस विनिर्दिष्ट प्रकृति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जो अभि. सा. 1 से 4 द्वारा निर्दिष्ट की गई थी और जो मांग अपीलार्थी सं. 1 द्वारा की गई थी । श्री प्रेम सिंह (प्रति. सा. 2) के साक्ष्य, जिसने यह कथन किया था कि जब वह तारीख 24 मई, 2008 को एक बस में यात्रा कर रहा था तब उसने लाल वस्त्र पहने हुए एक लड़की को खड़ी चट्टान से गिरते हुए देखा था, को ठीक ही अविश्वसनीय ठहराया गया था, क्योंकि यदि उसके द्वारा ऐसी घटना देखी गई थी, तो स्वीकृत रूप से उक्त साक्षी ने इस संबंध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की थी ।

20. आक्षेपित निर्णय के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया था । यद्यपि विचारण न्यायालय ने भी इसी साक्ष्य को विनिर्दिष्ट किया था और इसका विश्लेषण निर्णय के पैरा 27 से आरंभ किया था, तो भी यह उपदर्शित होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा की गई इस मताभिव्यक्ति से कि फाइल पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि मृतका, सुशीला की हत्या की गई थी, यह प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय आरोप का भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन निर्धारण करने की दृष्टि से मूल्यांकन कर रहा था, जबकि अभिलेख पर के साक्ष्य का विश्लेषण और मूल्यांकन भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख और धारा 498क की अपेक्षाओं और उनके संघटकों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए था ।

21. उपरोक्त पृष्ठभूमि में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए

कि मृतका दांपत्य निवास में रह रही थी और उन परिस्थितियों में गुम हो गई थी, जहां धारा 304ख के सभी संघटकों का समाधान हो जाता है, डा. दिग्विजय सिंह (अभि. सा. 10) का साक्ष्य सुसंगत हो जाता है। मरणोत्तर परीक्षा के समय मृतका के शव पर पाई गई क्षतियों की प्रकृति का उल्लेख किया गया था और अभि. सा. 10 ने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि मरणोत्तर परीक्षा से लगभग एक सप्ताह पूर्व हुई थी। उसने यह राय व्यक्त की थी कि मृत्यु सदमे और उन क्षतियों से हुए रक्तस्राव के कारण हुई थी, जो मृत्यु से पूर्व पहुंची थीं। डाक्टर की यह स्पष्ट राय थी कि मृत्यु डूबने के कारण नहीं हुई थी क्योंकि फेफड़ों और उदर के अंदर कोई पानी नहीं था। यद्यपि अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसिल ने इस पहलू को यह दलील देने के लिए निर्दिष्ट किया कि उच्च न्यायालय ने इस पहलू पर उचित रूप से विचार न करके गलती की थी, हमारी राय में, जब यह उपदर्शित होता है कि मृतका को उसकी मृत्यु से पूर्व क्षतियां पहुंची थीं और रक्तस्राव हुआ था और जब चिकित्सीय रूप से भी यह उपदर्शित होता है कि मृत्यु डूबने के कारण नहीं हुई थी क्योंकि उसके फेफड़ों और उदर में कोई पानी नहीं था, इसका स्वाभाविक परिणाम और एक उचित निष्कर्ष यह होगा कि उक्त मृत्यु नदी में गिरने से पूर्व ही हुई थी, जिससे दुर्घटनावश गिरने जैसा कि अपीलार्थियों द्वारा दावा किया गया है, की किसी बात का खंडन होता है। वास्तव में, इस बात से तो इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अपीलार्थियों पर अधिरोपित भार में ही वृद्धि हो जाती है।

22. यद्यपि अपीलार्थियों ने यह एक कहानी गढ़ने का प्रयत्न किया है कि मृतका घास काटने के लिए पहाड़ियों पर गई थी, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा ठीक ही उल्लेख किया गया है, वह अकेली नहीं गई होगी। जो भी स्थिति हो, अपीलार्थियों द्वारा एक अस्पष्ट कथन करने के सिवाय, यह प्रदर्शित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं लाई गई है कि घास काटने के लिए पहाड़ियों पर जाना मृतका के लिए एक सामान्य परिपाटी थी और इससे भी बढ़कर उन परिस्थितियों में जहां वह अपने दांपत्य निवास में छह माह से कम समय से थी, गर्भवती थी और यह भी कि वह इसी अवधि के दौरान अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए अपने पैतृक गृह जा रही थी, जैसा कि स्वयं अपीलार्थियों

द्वारा दलील दी गई है। अतः ऐसी स्थिति में, हमें यह मत व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं है कि अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराध से संबंधित मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन उनके विरुद्ध की गई उपधारणा का खंडन करने में असफल रहे हैं।

23. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् हमारे समक्ष विवादक यह है कि क्या प्रस्तुत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलार्थी सं. 2 और 3 को भी समान रूप से अपीलार्थी सं. 1 की तरह दोषी ठहराया जाना चाहिए या नहीं। निस्संदेह, यह सत्य है कि अभि. सा. 1 के साक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि मृतका ने उसे यह सूचित किया था कि पति और ससुराल वाले उसे तंग कर रहे हैं और जब अभि. सा. 1 तारीख 10 अप्रैल, 2008 को अपनी पुत्री को दांपत्य निवास पर वापस छोड़ने के लिए गई थी, तब ससुराल वालों ने दहेज की मांग की थी। तथापि, अभिलेख पर जो लाया गया है वह यह है कि अपीलार्थी सं. 2 और 3 पृथक् रूप से एक अलग मकान में रह रहे थे। अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा में उससे दोनों मकानों के बीच की दूरी के बारे में प्रश्न पूछा गया था। इसके अतिरिक्त, वास्तविकता यह है कि विचारण न्यायालय ने निर्णय के पैरा 31 में इस पहलू को भी निर्दिष्ट किया है जहां प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से विद्वान् काउंसिल ने न्यायालय के ध्यान में यह लाया था कि दो राशन कार्ड हैं और अपीलार्थी सं. 2 और 3 का राशन कार्ड अपीलार्थी सं. 1 के राशन कार्ड से अलग है, जिसमें उसका नाम और मृतका का नाम वर्णित है। इसके अतिरिक्त, जो मांग की गई थी वह 2,00,000/- रुपए की एकमुश्त रकम के लिए या हरिद्वार में एक मकान का निर्माण करने के लिए थी, दोनों में से कोई भी आवश्यक रूप से अपीलार्थी सं. 1 के फायदे के लिए थी। अतः दहेज की मांग के संबंध में अपीलार्थी सं. 2 और 3 की कोई विनिर्दिष्ट भूमिका नहीं है और न ही साधारण प्राख्यान के सिवाय उन पर क्रूरता और तंग करने का कोई निर्दिष्ट दृष्टांत बताया गया है। इसके अलावा, ऐसी परिस्थिति में, जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन भी आरोप था, अपीलार्थियों द्वारा अभिकथित रूप से रचे गए षड्यंत्र के संबंध में

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई विनिर्दिष्ट साक्ष्य नहीं है । पूर्वोक्त परिस्थितियों में, हमारी यह राय है कि अपीलार्थी सं. 2 और 3 संदेह का फायदा दिए जाने योग्य हैं और उनकी दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं होगी ।

24. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी सं. 1 (मृतका के पति) की अभिलिखित की गई दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम रखा जाता है । तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी सं. 2 और 3 की अभिलिखित की गई दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है । सरकारी अपील सं. 57/2010 में तारीख 14 सितंबर, 2017 को पारित किए गए निर्णय को उक्त सीमा तक उपांतरित किया जाता है । यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी सं. 2 और 3, जिन्हें तारीख 12 मार्च, 2018 को जमानत पर छोड़ा गया था, रिहा कर दिया जाए । तदनुसार, अपीलार्थी सं. 2 और 3 द्वारा निष्पादित किए गए बंधपत्रों को रद्द किया जाता है । तथापि, अपीलार्थी सं. 1 दो सप्ताह के भीतर अभ्यर्पण करेगा और उस पर अधिरोपित दंडादेश का शेष भाग भुगतेगा ।

25. यह अपील उपरोक्त निबंधनों के अनुसार भागतः मंजूर की जाती है ।

26. लंबित आवेदन, यदि कोई हैं, का निपटारा हो जाएगा ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

जस.

[2022] 2 उम. नि. प. 142

अनुज सिंह उर्फ रामानुज सिंह उर्फ सेठ सिंह

बनाम

बिहार राज्य

[2020 की दांडिक अपील सं. 150]

और

मनोज सिंह

बनाम

बिहार राज्य

[2020 की दांडिक अपील सं. 151]

22 अप्रैल, 2022

मुख्य न्यायमूर्ति एन. वी. रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति
हिमा कोहली

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 324 और 307/34 [सपठित आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27] – खतरनाक आयुधों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना – अभियुक्तों द्वारा भूमि विवाद को लेकर क्षतिग्रस्त-इत्तिलाकर्ता को अग्न्यायुध से क्षतियां कारित किया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को धारा 307/34 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाना – अपील में उच्च न्यायालय द्वारा धारा 307 के अधीन दोषसिद्धि को धारा 324 में उपांतरित किया जाना और आयुध अधिनियम के अधीन दोषसिद्धि की पुष्टि किया जाना – दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील – संधार्यता – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, साक्षियों के साक्ष्य से यह सिद्ध होता हो कि अभियुक्त-अपीलार्थी अग्न्यायुधों से लैस होकर घटनास्थल पर मौजूद थे और भूमि विवाद को लेकर हुई कहासुनी में अग्न्यायुधों से क्षतिग्रस्त-इत्तिलाकर्ता को स्वेच्छया उपहति कारित की थी, वहां अभियुक्तों की दोषसिद्धि और दंडादेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा ।

इन अपीलों के तथ्य इस प्रकार हैं कि क्षतिग्रस्त-इत्तिलाकर्ता जब अपनी 'कच्ची मिट्टी की दीवार', जो वर्षा के कारण गिर गई थी, की श्रमिकों की सहायता से मरम्मत कर रहा था, तब उसका पड़ोसी अर्थात् अभियुक्त-अपीलार्थी मनोज सिंह आया और दीवार की मरम्मत करने का विरोध किया। इत्तिलाकर्ता ने उसे कहा कि यह भूमि उसकी है, जिसके पश्चात् मनोज सिंह अपने मकान पर गया और सह-अभियुक्त अनुज सिंह के साथ अपने हाथों में बंदूक लेकर पुनः वापस आया। अन्य दो अभियुक्त, प्रवीण सिंह और अरविंद सिंह भी अपने हाथों में भाले लिए हुए वहां आए। मनोज सिंह और अनुज सिंह, दोनों ने उसकी हत्या करने के असद्भावी आशय से गोलियां चलाईं। मनोज सिंह की बंदूक से चलाई गई गोली उसकी बांयी टांग में लगी और अनुज सिंह की बंदूक से चलाई गई गोली हाथ में लगी। उसे क्षतिग्रस्त अवस्था में अस्पताल लाया गया जहां पुलिस के पहुंचने पर उसका कथन अभिलिखित किया गया। उसके द्वारा किए गए पूर्वोक्त कथन के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई। अन्वेषण पूर्ण करने के पश्चात्, पुलिस ने दो अभियुक्तों अनुज सिंह और मनोज सिंह के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 27 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अन्य दो अभियुक्तों, प्रवीण सिंह और अरविंद सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 307 के अधीन आरोपित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षियों द्वारा किए गए कथन और प्रतिरक्षा पक्ष के साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थियों, अनुज सिंह और मनोज सिंह तथा अन्य दो सह-अभियुक्तों, प्रवीण सिंह और अरविंद सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 307 के अधीन दोषसिद्ध किया गया। अभियुक्त अनुज सिंह और मनोज सिंह (इस अपील में अपीलार्थी) को आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन भी दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया। अभियुक्तों द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष दो समूह में दांडिक अपीलें फाइल की गईं। उच्च न्यायालय द्वारा दोनों अपीलों का सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा विनिश्चय किया गया और प्रवीण सिंह तथा अरविंद सिंह द्वारा फाइल

की गई दांडिक अपील को मंजूर करते हुए उनकी दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त कर दिया गया तथा उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। जहां तक अभियुक्त अनुज सिंह और मनोज सिंह, इस अपील में के दोनों अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई दांडिक अपील का संबंध है, उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 307 के अधीन उनकी दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 में उपांतरित कर दिया गया। तथापि, दोनों अपीलार्थियों की आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की गई। दोनों अभियुक्तों द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – साक्षियों के अभिसाक्ष्य के परिशीलन मात्र से यह साबित होता है कि दोनों अपीलार्थी, अनुज सिंह और मनोज सिंह अग्न्यायुध के साथ घटनास्थल पर मौजूद थे और अपीलार्थियों के कृत्य के कारण इत्तिलाकर्ता, अभि. सा. 6 को क्षति कारित हुई थी। अपीलार्थी मनोज सिंह द्वारा प्रतिरक्षा में अन्यत्र उपस्थित होने का किया गया यह अभिवाक् कि वह इस्लामपुर ब्लॉक में तैनात था, विश्वासोत्पादक नहीं है क्योंकि कार्यालय द्वारा बनाए रखा गया कोई हाजिरी रजिस्टर नहीं है और अभियोजन साक्षियों ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थी मनोज सिंह घटनास्थल पर मौजूद था। यह विवादग्रस्त नहीं है कि घटना के समय के संबंध में या हाथ या पैर पर बताई गई क्षतियों के संबंध में छुट-पुट विरोधाभास हैं किंतु साक्षियों का सतत् वृत्तांत यह है कि अपीलार्थी बंदूकों से लैस होकर घटनास्थल पर मौजूद थे और उन्होंने इत्तिलाकर्ता, अभि. सा. 6 को क्षति कारित की थी। तथापि, दांडिक विचारण में किसी साक्षी के परिसाक्ष्य को केवल छुट-पुट विरोधाभासों या लोप के कारण त्यक्त नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में, अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि दोनों अपीलार्थियों ने एक कहा-सुनी, जो अपीलार्थियों और इत्तिलाकर्ता, अभि. सा. 6 के बीच हुई थी, के कारण अग्न्यायुध का प्रयोग करके इत्तिलाकर्ता, अभि. सा. 6 के शरीर पर उपहति कारित की थी। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से इस बात की भी संपुष्टि होती है कि एक भूमि विवाद के

कारण पक्षकारों के बीच पूर्ववर्ती दुश्मनी थी और इस बात को उनके कृत्यों से समझा जा सकता है। इस प्रकार, दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन आरोप सिद्ध होता है। जब एक बार अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन अग्न्यायुध, जो एक खतरनाक आयुध है, से स्वेच्छया क्षतियां कारित करने का आरोप सिद्ध हो गया है, तो वे अग्न्यायुध का प्रयोग करने के लिए आयुध अधिनियम की धारा 27 द्वारा विहित दंड से नहीं बच सकते हैं। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों का विश्लेषण करने पर, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए ठीक ही दोषसिद्ध किया था। (पैरा 16, 17, 22 और 23)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2000] (2000) 8 एस. सी. सी. 457 :

नारायण चेतनराम चौधरी और एक

अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य।

17

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2020 की दांडिक अपील सं. 150
(इसके साथ 2020 की दांडिक
अपील सं. 151).**

2007 की दांडिक अपील सं. 69 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 16 जनवरी, 2018 को पारित किए गए सामान्य निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील।

अपीलार्थियों की ओर से श्रीमती अंजना प्रकाश, ज्येष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री साकेत सिंह और गौरव अग्रवाल

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी ने दिया।

न्या. मुरारी – अपीलार्थियों ने इन दोनों संबद्ध अपीलों में उनके द्वारा फाइल की गई 2007 की दांडिक अपील (एसजे) सं. 69 में पटना उच्च न्यायालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् उच्च न्यायालय कहा गया है) द्वारा तारीख 16 जनवरी, 2018 को पारित किए गए उस सामान्य

निर्णय और आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 307 के अधीन दोषसिद्ध करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय को उपांतरित किया गया था और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को आयुध अधिनियम की धारा 27 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दोषसिद्ध करने के पश्चात् उन्हें धारा 307 के अधीन पांच वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और पांच हजार रुपए के जुर्माने तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन तीन वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और दो हजार रुपए के जुर्माने का दंडादेश दिया था। उनके द्वारा फाइल की गई अपील पर उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 307 के अधीन उनकी दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 में संपरिवर्तित कर दिया और पांच हजार रुपए के जुर्माने सहित दो वर्ष का कठोर कारावास तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने की दशा में तीन माह का साधारण कारावास अधिनिर्णीत किया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दिए गए तीन वर्ष के कठोर कारावास की पुष्टि की गई थी। इससे व्यथित होकर दो अपीलार्थी हमारे समक्ष आए हैं।

2. अभियोजन का पक्षकथन संक्षेप में निम्नलिखित है :-

अभि. सा. 6, कुमार नंदन सिंह (क्षतिग्रस्त इत्तिलाकर्ता) के डा. हिमकर के क्लीनिक पर दिए गए फर्दबयान के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 323, 307 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन तारीख 10 अक्टूबर, 1999 को एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, 1999 का मामला सं. 312, पुलिस थानालखी सराय रजिस्ट्रीकृत की। क्षतिग्रस्त इत्तिलाकर्ता, अभि. सा. 6 ने अपने फर्दबयान में यह कथन किया कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन को लगभग 5.30 बजे अपराहन में जब वह 'कच्ची मिट्टी की दीवार', जो वर्षा के कारण गिर गई थी, की भाड़े पर लिए गए श्रमिकों की सहायता से मरम्मत कर रहा था, तब उसका पड़ोसी अर्थात् अभियुक्त-अपीलार्थी मनोज सिंह आया और दीवार की मरम्मत करने का विरोध किया।

इत्तिलाकर्ता ने उसे कहा कि यह भूमि उसकी है, जिसके पश्चात् मनोज सिंह अपने मकान पर गया और सह-अभियुक्त अनुज सिंह के साथ अपने हाथों में बंदूक लेकर पुनः वापस आया। अन्य दो अभियुक्त, प्रवीण सिंह और अरविंद सिंह भी अपने हाथों में भांले लिए हुए वहां आए। यह भी कथन किया गया कि मनोज सिंह और अनुज सिंह दोनों ने उसकी हत्या करने के असद्भावी आशय से गोलियां चलाईं। मनोज सिंह की बंदूक से चलाई गई गोली बांयी टांग में लगी और अनुज सिंह की बंदूक से चलाई गई गोली हाथ में लगी। आगे यह भी कथन किया गया कि प्रवीण सिंह और अरविंद सिंह ने अपने हाथों में लिए हुए भांले और लाठी से उस पर हमला किया। बंदूक की गोलियों की आवाज सुनकर, उसके परिवार के सदस्य और अन्य ग्रामवासी वहां आए। लोगों को आते हुए देखकर सभी चारों अभियुक्त अपने मकानों की ओर भाग गए। यह भी कथन किया गया कि उसे डा. हिमकर के क्लीनिक में क्षतिग्रस्त अवस्था में लाया गया था जहां पुलिस के पहुंचने पर उसका कथन अभिलिखित किया गया था।

3. क्षतिग्रस्त साक्षी, अभि. सा. 6 द्वारा किए गए पूर्वोक्त कथन के आधार पर उसी दिन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी, तथापि, इसे उसी दिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने प्रेषित नहीं किया था अपितु दो दिनों के पश्चात् तारीख 12 अक्टूबर, 1999 को भेजा गया था। अन्वेषण पूर्ण करने के पश्चात्, पुलिस ने दो अपीलार्थियों अनुज सिंह और मनोज सिंह के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 27 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अन्य दो अभियुक्तों, प्रवीण सिंह और अरविंद सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 307 के अधीन आरोपित किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तारीख 1 सितंबर, 2000 को अभियुक्तों के विरुद्ध संज्ञान लिया और तारीख 16 जनवरी, 2001 को मामला सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया।

4. विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षी द्वारा किए गए कथन और प्रतिरक्षा पक्ष के साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् तारीख 22 दिसंबर, 2006 के निर्णय और आदेश द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थियों, अनुज सिंह और मनोज सिंह तथा अन्य दो सह-अभियुक्तों, प्रवीण सिंह

और अरविंद सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 307 के अधीन दोषसिद्ध किया। इस अपील में दो अपीलार्थियों को आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन भी दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। सभी चारों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 307 के अधीन पांच वर्ष का कठोर कारावास भुगतने के साथ-साथ प्रत्येक को 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर छह माह का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया। इस अपील में दो अपीलार्थियों को आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दो-दो हजार रुपए के जुर्माने और जुर्माने का संदाय करने में असफल रहने पर तीन माह के व्यतिक्रम खंड सहित तीन वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का भी दंडादेश दिया गया।

5. उच्च न्यायालय के समक्ष दो समूह में दांडिक अपीलें फाइल की गईं। अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश को चुनौती देते हुए दो अभियुक्तों, प्रवीण सिंह और अरविंद सिंह ने 2007 की दांडिक अपील (एसजे) सं. 16 फाइल की जबकि वर्तमान अपीलार्थियों ने 2007 की दांडिक अपील (एसजे) सं. 69 फाइल की।

6. उच्च न्यायालय ने दोनों अपीलों का तारीख 16 जनवरी, 2018 के इस अपील में आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा विनिश्चय किया। जहां तक प्रवीण सिंह और अरविंद सिंह द्वारा फाइल की गई 2007 की दांडिक अपील (एसजे) सं. 16 का संबंध है, इसे उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर किया गया और उनकी दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त कर दिया गया तथा उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया।

7. जहां तक इस अपील में के दो अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई 2007 की दांडिक अपील (एसजे) सं. 69 का संबंध है, उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 307 के अधीन दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 में उपांतरित कर दिया और विचारण न्यायालय द्वारा उक्त धारा के अधीन अधिनिर्णीत दंडादेश को पांच हजार रुपए के जुर्माने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने की दशा में तीन माह के कठोर कारावास सहित दो वर्ष के कठोर

कारावास में उपांतरित कर दिया । तथापि, दोनों अपीलार्थियों की आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दोषसिद्धि और उनके दंडादेश की पुष्टि की गई ।

8. हमने अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्रीमती अंजना प्रकाश और प्रत्यर्थी राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री अभिनव मुखर्जी और श्री साकेत सिंह तथा मध्यक्षेपी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री गौरव अग्रवाल को सुना ।

9. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्रीमती अंजना प्रकाश ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि यद्यपि आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दोषसिद्धि की गई है किंतु अभिलेख पर किसी बंदूक की बरामदगी को उपदर्शित करने के लिए कोई सामग्री और घटनास्थल से किसी गोली या छर्रे की बरामदगी को दर्शित करते हुए कोई अभिग्रहण जापन उपलब्ध नहीं है । उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यद्यपि फर्दबयान तारीख 10 अक्टूबर, 1999 को अभिलिखित किया गया था और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट उसी दिन रजिस्ट्रीकृत की गई थी किंतु इसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में तारीख 12 अक्टूबर, 1999 को भेजा गया था और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को विलंब से प्रस्तुत करने के लिए किसी स्पष्टीकरण के अभाव में संपूर्ण अभियोजन वृत्तांत संदेहास्पद बन जाता है ।

10. अभियोजन साक्षियों के कथन की ओर हमारा ध्यान दिलाने के पश्चात् उन्होंने उसमें विरोधाभासों का उल्लेख किया और जोरदार रूप से यह दलील दी कि अभियोजन साक्षियों द्वारा किए गए विरोधाभासी कथनों से अभियोजन के वृत्तांत की असलियत पर गंभीर संदेह पैदा होता है और इस प्रकार अपीलार्थियों को गलत रूप से दोषसिद्ध किया गया है और वे उन्मोचित किए जाने के दायी हैं ।

11. प्रत्यर्थी और मध्यक्षेपी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेलों ने यह दलील दी कि उच्च न्यायालय ने साक्षियों के कथन का विश्लेषण करने के पश्चात् अपीलार्थियों को ठीक ही दोषसिद्ध किया था और आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता न होने के कारण इसमें किसी

हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

12. हमने पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेलों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया और अभिलेख का परिशीलन किया ।

13. इस अपील में हमारे विचार के लिए उद्भूत मुख्य विवादयक यह है कि क्या दो अपीलार्थियों, अनुज सिंह और मनोज सिंह, की भारतीय दंड संहिता की धारा 324 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दोषसिद्धि संधार्य है या नहीं ?

14. अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 9 साक्षियों की परीक्षा की थी और प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से दो साक्षी पेश किए गए थे । अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य का विश्लेषण निम्न प्रकार से है :

(क) अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2, विद्या सागर और अनिल सिंह, को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया था ।

(ख) अभि. सा. 3 जनार्दन सिंह ने कथन किया था कि तारीख 10 अक्टूबर, 1999 को 5.30 बजे अपराहन में एक घटना घटी थी और उस समय वह अपने खेत से बजरंगबली मंदिर आया था और कुमार नंदन सिंह को देखा था जो अपनी दीवार की मरम्मत कर रहा था । इसी बीच, सभी अभियुक्त आए और कुमार नंदन सिंह को गाली देने लगे । इसके पश्चात्, आयुध अपने घर गए और अनुज सिंह और मनोज सिंह बंदूक से लैस होकर वापस आए जबकि प्रवीण सिंह और अरविंद सिंह लाठी और भाले से लैस होकर आए । कुमार नंदन सिंह ने शोर मचाया और आस-पास के हर व्यक्ति को उसे घटनास्थल से बचाकर ले जाने के लिए कहा और इसी बीच अभियुक्त मनोज सिंह ने कुमार नंदन सिंह पर एक गोली दाग दी जो उसके बाएं पैर में लगी । दूसरी गोली अभियुक्त अनुज सिंह द्वारा दागी गई जिसके कारण कुमार नंदन सिंह गिर गया । उसके पश्चात्, सभी अभियुक्त घटनास्थल से भाग गए । अभि. सा. 3 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया था कि अभियुक्त मनोज सिंह घटना के समय पर मौजूद था । उसने यह भी कथन किया कि बंदूक की गोली से पहुंची क्षति के कारण कुमार नंदन सिंह के शरीर से रक्त बह रहा था, जिसके परिणामस्वरूप उसके

वस्त्र रक्तरंजित हो गए थे । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि लखीसराय रेफरल अस्पताल उसके मकान और डा. हिमकर के क्लीनिक के बीचों-बीच है, तथापि, रेफरल अस्पताल में डाक्टर उपलब्ध नहीं था । इसलिए कुमार नंदन सिंह को उपचार के लिए डा. हिमकर के प्राइवेट क्लीनिक में ले जाया गया था ।

(ग) अभि. सा. 4 नवीन सिंह ने यह कथन किया था कि घटना तारीख 10 अक्टूबर, 1999 को 5.00 बजे अपराहन में घटी थी । उस समय पर वह बजरंगबली मंदिर के निकट खड़ा था और कुमार नंदन सिंह अपनी दीवार की मरम्मत कर रहा था । इसी बीच, अभियुक्त मनोज सिंह आया और उसने दीवार की मरम्मत को रुकवाना चाहा । इस पर, उनके बीच कहा-सुनी हुई और इसके पश्चात् अभियुक्त अपने घर वापस चले गए । अभियुक्त मनोज सिंह और अनुज सिंह अपने घर से वापस आए और कुमार नंदन सिंह पर गोली चला दी जो उसके पैर और हाथ में लगी । अभियुक्त यह सुनकर घटनास्थल से भाग गए कि शोर मच गया है । अभि. सा. 4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि गोली से पहुंची क्षति के कारण उसके पैर और हाथ से रक्त बह रहा था । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त मनोज सिंह सरकारी सेवा में है किंतु वह घटनास्थल पर मौजूद था ।

(घ) अभि. सा. 5 गौरी शंकर सिंह फर्दबयान के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है किंतु उसने फर्दबयान पर अपने हस्ताक्षर को साबित नहीं किया था । उसने यह कथन किया था कि घटना तारीख 10 अक्टूबर, 1999 को 5.00 बजे अपराहन में घटी थी और उस समय कुमार नंदन सिंह अपनी दीवार की मरम्मत कर रहा था और अभियुक्त मनोज सिंह आया तथा मरम्मत का काम रुकवाना चाहा । दोनों के बीच कहा-सुनी हुई और इसके पश्चात् अभियुक्त मनोज सिंह अपने मकान की ओर दौड़ा और अपने हाथ में एक बंदूक लेकर वापस आया । अनुज सिंह के हाथ में भी एक बंदूक थी जबकि प्रवीण सिंह और अरविंद सिंह क्रमशः अपने हाथों में भाला और लाठी लिए हुए थे । अभियुक्त मनोज सिंह ने कुमार नंदन सिंह पर गोली चला दी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी टांग पर

क्षति पहुंची और अनुज सिंह ने कुमार नंदन सिंह पर गोली चलाई जो कुमार नंदन सिंह की बाजू में लगी । अभि. सा. 5 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि अभियुक्तों और कुमार नंदन सिंह के बीच एक विवाद चल रहा है । उसने यह भी कथन किया कि गोली से पहुंची क्षति के कारण उसके हाथ और पैर से रक्त बह रहा था । उसने यह भी कथन किया कि मनोज सिंह और अनुज सिंह ने 6-7 हाथ की दूरी से गोली चलाई थी और दोनों गोलियां एक जैसी दूरी से चलाई गई थीं ।

(ड) अभि. सा. 6 कुमार नंदन सिंह, क्षतिग्रस्त और मामले का इत्तिलाकर्ता, ने यह कथन किया था कि घटना तारीख 10 अक्टूबर, 1999 को 5.30 बजे अपराहन में घटी थी और उस समय पर वह अपनी दीवार की मरम्मत कर रहा था । अभियुक्त मनोज सिंह एक मोटरसाइकिल पर आया और उससे कहा कि वह सड़क की तरफ दीवार की मरम्मत क्यों कर रहा है, जिसका उसने यह कहते हुए उत्तर दिया कि वह अपनी भूमि पर ही दीवार खड़ी कर रहा है । उसके पश्चात्, दोनों के बीच कहा-सुनी हुई । अभियुक्त मनोज सिंह और अनुज सिंह बंदूकों के साथ आए और अरविंद सिंह तथा प्रवीण सिंह लाठियों के साथ आए । उसके पश्चात्, अभियुक्त मनोज सिंह और अनुज सिंह ने उस पर गोली चला दी जो उसके बाएं पैर और दांयी बाजू में लगी, जिसके परिणामस्वरूप वह गिर गया और बेहोश हो गया । उसे तुरंत डा. हिमकर के प्राइवेट क्लीनिक में ले जाया गया, जिसके द्वारा उसे उपचार दिया गया । अभि. सा. 6 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि उसके और अभियुक्त के बीच 30 वर्ष पहले विभाजन हुआ था और उसने यह भी कथन किया कि वह नहीं कह सकता कि उसके शरीर से कोई रक्त बह रहा था या नहीं क्योंकि वह बेहोश था । उसने यह भी कथन किया कि उसकी धोती और कुर्ता रक्त-रंजित थे और उप निरीक्षक को इसे दिखाने पर उसने इन्हें नहीं लिया था ।

(च) अभि. सा. 7 जगदीश सिंह ने यह कथन किया था कि घटना के समय पर उसने कुमार नंदन सिंह को चाहर दिवारी का इसे सड़क पर बढ़ा कर निर्माण करते हुए देखा था । इसके उपरांत,

प्रवीण सिंह, अनुज सिंह और अरविंद सिंह वहां आए और कुमार नंदन सिंह पर हमला करना आरंभ कर दिया। शोर मचाने पर, विनोद सिंह एक पिस्तौल के साथ आया और कुमार नंदन सिंह पर गोली चला दी जिसके परिणामस्वरूप उसे उसकी टांग और हाथ पर क्षतियां पहुंची। अभि. सा. 7 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि अभियुक्त मनोज सिंह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था।

(छ) अभि. सा. 8 डा. हिमकर ने कथित रूप से क्षतिग्रस्त इत्तिलाकर्ता, कुमार नंदन सिंह का परीक्षण किया था। उसने यह कथन किया कि तारीख 10 अक्टूबर, 1999 को जब वह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, परसामा में तैनात था, तब उसने कुमार नंदन सिंह का परीक्षण किया था और निम्नलिखित क्षतियां पाई थीं :-

“I. (क) प्रविष्टि का घाव – दाएं प्रबाहु के पृष्ठ पर कलाई के लगभग 2 इंच निकट लगभग 1/6 इंच व्यास का विदीर्ण घाव, जिसके किनारे उलटे हुए थे। त्वचा पर कालश थी।

(ख) निकासी का घाव – दाएं प्रबाहु के पृष्ठ पर घाव के स्तर पर ही लगभग 1/4 इंच व्यास का विदीर्ण घाव, जिसके किनारे अनउलटे थे।

II. (क) बाईं टांग के पार्श्विक भाग पर बाएं घुटने से लगभग 6 इंच दूर लगभग 1/6 इंच का विदीर्ण घाव। यह प्रविष्टि का घाव था चूंकि घाव का किनारा उलटा हुआ था।

(ख) निकासी का घाव – बाईं टांग के पार्श्विक भाग पर घाव II(क) के स्तर पर ही लगभग 1/4 इंच व्यास का विदीर्ण घाव।

III. क्षतियों की अवधि छह घंटे के भीतर की थी। सभी क्षतियां अग्न्यायुधों से कारित की गई हैं और साधारण प्रकृति की हैं।”

उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसने क्षतिग्रस्त इत्तिलाकर्ता का उपचार अपनी प्राइवेट हैसियत में किया था और यह भी कथन किया कि उसने इसके बारे में पुलिस को सूचित किया था। उसने आगे यह भी कथन किया कि जब कोई व्यक्ति 5 फुट परे से गोली चलाता है, तो वह नहीं कह सकता घाव की प्रविष्टि और निकास की

स्थिति के बारे में उसने यह भी कथन किया कि उसे कुंद वस्तु से पहुंची क्षति नहीं पाई थी और टांग और हाथ शरीर के मार्मिक अंग नहीं हैं ।

(ज) अभि. सा. 9 राम अनूप महतो, मामले का अन्वेषक अधिकारी ने यह कथन किया था कि तारीख 10 अक्टूबर, 1999 को वह लखीसराय पुलिस थाने में तैनात था और उसी दिन उसे इस मामले का अन्वेषण सौंपा गया था । अन्वेषण के दौरान उसने इत्तिलाकर्ता का बयान लिया था और वह घटनास्थल पर गया था, जो गांव सोढ़ी में स्थित है । उसने यह भी कथन किया कि उक्त भूमि को लेकर पक्षकारों के बीच एक विवाद चल रहा था और उसने अन्य साक्षियों के भी बयान लिए थे । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसने अभियुक्तों के बयान नहीं लिए थे ।

15. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से दो साक्षियों की परीक्षा की गई थी । प्रति. सा. 1 शिवेंदु रंजन है, जिसकी अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् के प्रश्न पर परीक्षा की गई थी और उसने यह कथन किया था कि अभियुक्त मनोज सिंह इस्लामपुर ब्लॉक में कनिष्ठ इंजीनियर के रूप में तैनात था और वह सुसंगत तारीख को घटनास्थल पर मौजूद नहीं था । अभि. सा. 2 मनीष कुमार है, जिसने बी. डी. ओ., इस्लामपुर द्वारा उप निरीक्षक लखीसराय को भेजा गया मूल पत्र (प्रदर्श-ए) स्वीकार किया था, जो हाजिरी रजिस्टर की पड़ताल के आधार पर जारी किया गया था ।

16. साक्षियों के अभिसाक्ष्य के परिशीलन मात्र से यह साबित होता है कि दोनों अपीलार्थी, अनुज सिंह और मनोज सिंह अग्न्यायुध के साथ घटनास्थल पर मौजूद थे और अपीलार्थियों के कृत्य के कारण इत्तिलाकर्ता, अभि. सा. 6 को क्षति कारित हुई थी । अपीलार्थी मनोज सिंह द्वारा प्रतिरक्षा में अन्यत्र उपस्थित होने का किया गया यह अभिवाक् कि वह इस्लामपुर ब्लॉक में तैनात था, विश्वासोत्पादक नहीं है क्योंकि कार्यालय द्वारा बनाए रखा गया कोई हाजिरी रजिस्टर नहीं है और अभियोजन साक्षियों ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थी मनोज सिंह घटनास्थल पर मौजूद था ।

17. यह विवादग्रस्त नहीं है कि घटना के समय के संबंध में या हाथ या पैर पर बताई गई क्षतियों के संबंध में छुट-पुट विरोधाभास हैं

किंतु साक्षियों का सतत् वृत्तांत यह है कि अपीलार्थी बंदूकों से लैस होकर घटनास्थल पर मौजूद थे और उन्होंने इत्तिलाकर्ता, अभि. सा. 6 को क्षति कारित की थी। तथापि, दांडिक विचारण में किसी साक्षी के परिसाक्ष्य को केवल छुट-पुट विरोधाभासों या लोप के कारण त्यक्त नहीं किया जा सकता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा नारायण चेतनराम चौधरी और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य¹ वाले मामले में मत व्यक्त किया गया है। इस न्यायालय ने किसी दांडिक विचारण में साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय परिसाक्ष्य में विरोधाभासों के विवादक पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि केवल तात्विक विशिष्टियों में विरोधाभास न कि छुट-पुट विरोधाभास साक्षियों के परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का आधार हो सकता है। निर्णय के पैरा 42 का सुसंगत भाग निम्नलिखित है :-

“42. केवल ऐसे लोप, जो तात्विक विशिष्टियों में विरोधाभास की कोटि में आते हैं, साक्षी के परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय मानने के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। पुलिस के कथन में लोप से स्वयमेव आवश्यक रूप से साक्षी का परिसाक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाएगा। जब साक्षी द्वारा न्यायालय में दिया गया वृत्तांत तात्विक विशिष्टियों में उस वृत्तांत से भिन्न है जो उसके पूर्ववर्ती कथनों में प्रकटित होता है, तो अभियोजन का पक्षकथन संदेहास्पद बन जाता है अन्यथा नहीं। सत्यभाषी साक्षियों के कथनों में छुट-पुट विरोधाभास होना लाजिमी है क्योंकि याददाश्त कभी-कभी धोखा दे जाती है और अवलोकन करने की शक्ति व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न होती है। पूर्ववर्ती कथन में के लोप, यदि तुच्छ होना पाए गए हैं, जैसा कि प्रस्तुत मामले में है, तो उनसे अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि किसी तात्विक बिंदु पर किसी साक्षी के कथन में विरोधाभास है, तो यह ऐसे साक्षी के संपूर्ण परिसाक्ष्य को नामंजूर करने का आधार नहीं है।”

18. किसी चिकित्सा साक्षी का साक्ष्यिक महत्व अभियोजन के पक्षकथन की संपुष्टि करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह

¹ (2000) 8 एस. सी. सी. 457.

प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य से मिलान करना मात्र नहीं है, यह स्वतंत्र परिसाक्ष्य भी होता है क्योंकि इससे कतिपय ऐसे तथ्य सिद्ध हो सकते हैं जो अन्य मौखिक साक्ष्य से बिल्कुल अलग हों। इस न्यायालय द्वारा यह दोहराया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए चिकित्सा साक्ष्य का अत्यधिक संपुष्टिकारी महत्व होता है क्योंकि इससे यह साबित होता है कि क्षतियां अभिकथित रीति में कारित की जा सकती थीं। प्रस्तुत मामले में, अभि. सा. 8 डा. हिमकर, जिसने इत्तिलाकर्ता अभि. सा. 6 का परीक्षण किया था, ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि इत्तिलाकर्ता पर पाई गई सभी क्षतियां अग्न्यायुधों से कारित की गई थीं और यदि कोई व्यक्ति 6-7 फुट से गोली चलाता है तो घाव (क्षतिग्रस्त क्षेत्र) पर गोदण नहीं हो सकता है।

19. अभियोजन साक्षियों की विस्तृत परीक्षा से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि :-

(i) इत्तिलाकर्ता, अभि. सा. 6 को अपनी दीवार की मरम्मत करने से रोकने के संबंध में इत्तिलाकर्ता, अभि. सा. 6 और दो अपीलार्थियों अनुज सिंह और मनोज सिंह के बीच कहा-सुनी हुई थी।

(ii) सभी साक्षियों ने असंदिग्ध रूप से दोनों अपीलार्थियों की तारीख 10 अक्टूबर, 1999 को घटनास्थल पर मौजूदगी की पुष्टि की है।

(iii) सभी साक्षियों ने यह पुष्टि की है कि दोनों अपीलार्थी अनुज सिंह और मनोज सिंह अग्न्यायुध से लैस थे।

(iv) अभि. सा. 8, डा. हिमकर के चिकित्सा साक्ष्य से यह संपुष्टि होती है कि इत्तिलाकर्ता, अभि. सा. 6 को पहुंची क्षतियां अग्न्यायुध से कारित की गई क्षतियां थीं।

(v) क्षतियां इत्तिलाकर्ता, अभि. सा. 6 के शरीर के अमार्मिक अंग पर कारित की गई थी।

20. यह एक सुपरिचित तथ्य है कि "उपहति" पद से मात्र ऐसा कार्य करना अभिप्रेत है जिसके कारण किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, क्षति या कोई रोग हो जाए। कभी-कभी, उपहति स्वेच्छया कारित की

जा सकती है या इसे खतरनाक आयुधों या साधन का प्रयोग करके कारित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन खतरनाक आयुधों और साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति कारित करने का दायी होगा :-

“324. खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना- उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है, जो कोई असन, वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए, तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा, या किसी विष या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा, जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीवजन्तु द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।”

21. भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन अपराध को सिद्ध करने के लिए जिन संघटकों का मौजूद होना आवश्यक है, वे निम्नलिखित हैं :-

1. अभियुक्त द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को स्वेच्छया उपहति कारित करना, और

2. ऐसी उपहति -

क. असन, वेधन या काटने के लिए प्रयुक्त किसी उपकरण द्वारा, या किसी अन्य उपकरण द्वारा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, या

ख. अग्नि या किसी तप्त उपकरणों द्वारा, या

ग. विष या अन्य संक्षारक पदार्थ द्वारा, या

घ. किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा, या

ड. किसी ऐसे पदार्थ द्वारा, जिसका श्वास में जाना या

निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए खतरनाक है, या
 च. किसी जीवजन्तु द्वारा,
 कारित की गई हो ।

जब कोई व्यक्ति खतरनाक आयुधों और भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन वर्णित साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करने का अपराध करता है, तब ऐसे व्यक्ति को तीन वर्ष के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा ।

22. प्रस्तुत मामले में, अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि दोनों अपीलार्थियों ने एक कहा-सुनी, जो अपीलार्थियों और इत्तिलाकर्ता, अभि. सा. 6 के बीच हुई थी, के कारण अग्न्यायुध का प्रयोग करके इत्तिलाकर्ता, अभि. सा. 6 के शरीर पर उपहति कारित की थी । अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से इस बात की भी संपुष्टि होती है कि एक भूमि विवाद के कारण पक्षकारों के बीच पूर्ववर्ती दुश्मनी थी और इस बात को उनके कृत्यों से समझा जा सकता है । इस प्रकार, दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन आरोप सिद्ध होता है । जब एक बार अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन अग्न्यायुध, जो एक खतरनाक आयुध है, से स्वेच्छया क्षतियां कारित करने का आरोप सिद्ध हो गया है, तो वे अग्न्यायुध का प्रयोग करने के लिए आयुध अधिनियम की धारा 27 द्वारा विहित दंड से नहीं बच सकते हैं ।

23. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों का विश्लेषण करने पर, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए ठीक ही दोषसिद्ध किया था । हम आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए कोई उचित आधार नहीं पाते हैं । यह अपीलें गुणागुण रहित हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं ।

अपीलें खारिज की गईं ।

जस.

संसद् के अधिनियम

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960

(1960 का अधिनियम संख्यांक 59)

[26 दिसम्बर, 1960]

पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या यातना पहुंचाने के निवारणार्थ

और उस प्रयोजन के लिए पशुओं के प्रति

क्रूरता निवारण संबंधी विधि का

संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के ग्यारहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, और विभिन्न राज्यों के लिए तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें¹ नियत की जा

¹ 1 अप्रैल, 1961, पंजाब राज्य और अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र के लिए, देखिए अधिसूचना सं. का. आ. 823, तारीख 1 अप्रैल, 1961, भारत का राजपत्र, 1961, भाग II, खंड 3(ii), पृ. 806 ।

1 सितम्बर, 1961, अध्याय 1 और 2 के लिए, असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों और दिल्ली, मणिपुर तथा त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में देखिए अधिसूचना सं. का. आ. 2061, तारीख 25 अगस्त, 1961, भारत का राजपत्र, 1961, भाग II, खंड 3(ii), पृ. 2154 ।

2 अक्टूबर, 1961, अध्याय 1 और 2 के लिए, हिमाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, देखिए अधिसूचना सं. का. आ. 2286, तारीख 15 सितम्बर, 1961, भारत का राजपत्र, भाग II, खंड 3 (ii), पृ. 2397 ।

26 जनवरी, 1962, अध्याय 1 और 2 के लिए, राजस्थान राज्य के संबंध में, देखिए अधिसूचना सं. का. आ. 21, तारीख 28 दिसम्बर, 1961, भारत का राजपत्र, भाग II, खंड 3(ii), पृ. 11 ।

सकती हैं ।

2. **परिभाषाएं** – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) “पशु” से अभिप्रेत है वह जीवित प्राणी जो मनुष्य से भिन्न है ;

¹[(ख) “बोर्ड” से धारा 4 के अधीन स्थापित और धारा 5क के अधीन समय-समय पर यथापुनर्गठित बोर्ड अभिप्रेत है ;]

(ग) “बंधुआ पशु” से अभिप्रेत है कोई पशु (जो पालतू पशु न हो) जो चाहे स्थायी रूप से अथवा अस्थायी रूप से बंधुआ हालत में हो या परिरोध में हो, या जिसे बंधुआ हालत अथवा परिरोध में से उसके निकल भागने में रुकावट डालने या निकल भागने की रोकथाम करने के प्रयोजनार्थ कोई साधित्र या यंत्र लगाकर रखा गया हो, या जिसे बांधकर रखा गया हो, या जो विकलांग कर दिया गया हो या विकलांग हो गया प्रतीत होता हो ;

(घ) “पालतू पशु” से ऐसा पशु अभिप्रेत है जो सधायी हुआ है ;

15 जुलाई, 1963, अध्याय 4 के लिए, असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में, देखिए अधिसूचना सं. का. आ. 2000, तारीख 11 जुलाई, 1963, भारत का राजपत्र, भाग II, खंड 3(ii), पृ. 2242 ।

20 नवम्बर, 1963, अध्याय 3 और 4 के लिए असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों तथा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में, देखिए अधिसूचना सं. का. आ. 3160, तारीख 29 अक्टूबर, 1963, भारत का राजपत्र, 1961 भाग II, खंड 3(ii), पृ. 3980 ।

1963 के विनियम सं. 7 की धारा 3 द्वारा और अनुसूची 1 द्वारा 1 अक्टूबर, 1963 से यह अधिनियम पांडिचेरी में प्रवृत्त हुआ ।

1963 के विनियम सं. 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1 जुलाई, 1965 से) दादरा और नागर हवेली पर विस्तारित और प्रवृत्त किया गया ।

1963 के विनियम सं. 11 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमन और दीव पर विस्तारित ।

1 मार्च, 1993 से सिक्किम राज्य में प्रवृत्त किया गया ।

¹ 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 2 द्वारा खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

या जो मनुष्य के काम आने के लिए किसी प्रयोजन की पूर्ति के निमित्त पर्याप्त रूप से सधाया गया है या सधाया जा रहा है, या जो, भले ही वह न तो इस प्रकार सधाया गया हो और न सधाया जा रहा हो और न ही उसका इस प्रकार सधाया जाना आशयित हो, वस्तुतः पूर्णतः या अंशतः सधाया हुआ है या हो गया है ;

(ड) “स्थानीय प्राधिकारी” से नगरपालिका समिति, जिला बोर्ड या अन्य ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसमें किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र में किन्हीं मामलों का नियंत्रण और प्रशासन विधि द्वारा तत्समय निहित है ;

(च) “स्वामी” के अंतर्गत, जब कि उसका प्रयोग किसी पशु के प्रतिनिर्देश से किया गया हो, न केवल स्वामी किन्तु कोई ऐसा अन्य व्यक्ति भी है जिसके कब्जे में या जिसकी अभिरक्षा में वह पशु, चाहे स्वामी की सहमति से या उसके बिना, तत्समय हो ;

(छ) “फूका” या “डूमदेव” के अंतर्गत दुधारू पशु की योनि में वायु या किसी अन्य पदार्थ को इस उद्देश्य से प्रविष्ट करने की प्रक्रिया है जिससे कि उस पशु से दूध का कोई साव निकाला जा सके ;

(ज) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(झ) “मार्ग” के अंतर्गत कोई ऐसा रास्ता, सड़क, गली, चौक, आंगन, वीथि, पथ या खुला स्थान आता है, चाहे वह आम रास्ता हो या न हो, जिस तक जनता की पहुंच हो ।

3. उन व्यक्तियों के कर्तव्य जिनके भारसाधन में पशु है - ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का, जिसकी देख-रेख या भारसाधन में कोई पशु है, यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे पशु का कल्याण सुनिश्चित करने तथा उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना पहुंचाने का निवारण करने के लिए सभी समुचित उपाय करे ।

अध्याय 2

¹[भारतीय पशु-कल्याण बोर्ड]

4. कल्याण बोर्ड की स्थापना - (1) साधारणतया पशु-कल्याण के

¹ 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 3 द्वारा “पशु-कल्याण बोर्ड” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

संवर्धन के लिए तथा विशिष्टतया अनावश्यक पीड़ा या यातना से पशुओं की संरक्षा करने के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, एक बोर्ड की स्थापना करेगी, जो ¹[भारतीय पशु-कल्याण बोर्ड] कहलाएगा ।

(2) बोर्ड शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा और उसे, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन करने की शक्ति होगी और जो अपने नाम से वाद ला सकेगा तथा उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(5) **बोर्ड का गठन** - (1) बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

(क) भारत सरकार का वन महानिरीक्षक, पदेन ;

(ख) भारत सरकार का पशुपालन आयुक्त, पदेन ;

²[(खक) दो व्यक्ति, जो क्रमशः गृह और शिक्षा से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ;

(खख) एक व्यक्ति, जो भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड का प्रतिनिधित्व करेगा, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(खग) तीन व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार की राय में, पशु-कल्याण कार्य में सक्रिय रूप से लगे हैं या लगे रहे हैं और सुविख्यात लोकोपकारक हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;]

(ग) एक व्यक्ति, जो पशु चिकित्सा व्यवसायियों के किसी ऐसे संगम का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसका केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए और वह व्यक्ति विहित रीति से उस संगम द्वारा निर्वाचित किया जाएगा ।

¹ 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 4 द्वारा "पशु-कल्याण बोर्ड" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।

(घ) दो व्यक्ति, जो आधुनिक देशी चिकित्सा प्रणाली के व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व करेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;

¹[(ड) एक-एक व्यक्ति, जो ऐसे दो नगर निगमों में से, जिनका केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करेगा, विहित रीति से उक्त निगमों में से प्रत्येक के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे ;]

(च) एक-एक व्यक्ति, जो उन तीनों संगठनों में से प्रत्येक का, जो पशु-कल्याण कार्यों में सक्रिय रूप से रुचि रखने वाले हों और जिनका, केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, प्रतिनिधित्व करेगा ; और ये व्यक्ति विहित रीति से उक्त प्रत्येक संगठन द्वारा चुने जाएंगे ;

(छ) एक-एक व्यक्ति, जो उन तीनों सोसाइटियों में से प्रत्येक का, जो पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करने के कार्य से संबंधित हों और जिनका केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, प्रतिनिधित्व करेगा ; और ये व्यक्ति विहित रीति से चुने जाएंगे ;

(ज) तीन व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;

(झ) छह संसद् सदस्य, जिनमें से चार लोक सभा द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे और दो राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) ²[या खंड (ख) या खंड (खक)] में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति बोर्ड की किसी भी बैठक में हाजिर होने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिनियुक्त कर सकेगा ।

¹ 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 5 द्वारा खंड (ड) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 5 द्वारा "खंड (ख)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

¹[(3) केन्द्रीय सरकार बोर्ड के सदस्यों में से एक सदस्य को बोर्ड का अध्यक्ष और बोर्ड के एक अन्य सदस्य को बोर्ड का उपाध्यक्ष नामनिर्दिष्ट करेगी ।]

²[5क. **बोर्ड का पुनर्गठन** - (1) केन्द्रीय सरकार, इस दृष्टि से कि बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य एक ही तारीख तक पद धारण करें और उनकी पदावधियां उसी तारीख को समाप्त हों, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बोर्ड का पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1982 के प्रवृत्त होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, पुनर्गठन कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन पुनर्गठित बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन अपने पुनर्गठन की तारीख से प्रत्येक तीसरे वर्ष के अवसान पर समय-समय पर पुनर्गठित किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन पुनर्गठित बोर्ड के सदस्यों में वे सभी व्यक्ति सम्मिलित किए जाएंगे जो उस तारीख के ठीक पहले, जिसको ऐसा पुनर्गठन प्रभावशील होना है, बोर्ड के सदस्य हैं, किन्तु ऐसे व्यक्ति उस अवधि के, अनवसित भाग के लिए ही जिसके लिए वे, यदि ऐसा पुनर्गठन न किया गया होता तो, पद धारण करते, पद धारण करेंगे और उनके बोर्ड के सदस्य न रह जाने के परिणामस्वरूप पैदा होने वाली रिक्तियां इस प्रकार पुनर्गठित बोर्ड की अवशिष्ट कालावधि के लिए आकस्मिक रिक्तियों के रूप में भरी जाएंगी :

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होगी जो पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1982 की धारा 5 के खंड (क) के उपखंड (ii) द्वारा धारा 5 की उपधारा (1) में किए गए संशोधन के फलस्वरूप बोर्ड का सदस्य नहीं रह जाता है ।]

¹ 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 5 द्वारा उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित ।

¹[6. बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल और उनकी सेवा की शर्तें - (1) वह अवधि जिसके लिए बोर्ड का धारा 5क के अधीन पुनर्गठन किया जा सकेगा, पुनर्गठन की तारीख से तीन वर्ष होगी और इस प्रकार पुनर्गठित बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य उस अवधि के अवसान तक पद धारण करेंगे जिसके लिए बोर्ड का इस प्रकार पुनर्गठन किया गया है।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, -

(क) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह उस पद को धारण किए रहता है जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है ;

(ख) व्यक्तियों के किसी निकाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए धारा 5 के खंड (ग), खंड (ड), खंड (च), खंड (छ), खंड (ज) या खंड (झ) के अधीन निर्वाचित या चुने गए सदस्य की पदावधि जैसे ही वह सदस्य उस निकाय का, जिसने उसे निर्वाचित किया था या जिसकी बाबत वह चुना गया था, सदस्य नहीं रह जाता है, समाप्त हो जाएगी ;

(ग) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त, नामनिर्दिष्ट, निर्वाचित या चुने गए सदस्य की पदावधि उस सदस्य की अवशिष्ट पदावधि के लिए होगी जिसके स्थान पर वह नियुक्त, नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित किया गया है या चुना गया है ;

(घ) केन्द्रीय सरकार किसी सदस्य को, उसके प्रस्थापित हटाए जाने के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का उसे उचित अवसर देने के पश्चात् उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, किसी भी समय हटा सकेगी और ऐसे हटाए जाने से हुई कोई रिक्ति खंड (ग) के प्रयोजन के लिए आकस्मिक रिक्ति मानी जाएगी।

(3) बोर्ड के सदस्य ऐसे भत्ते, यदि कोई हों, पाएंगे जिनके लिए बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा, उपबंध करे।

¹ 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 7 द्वारा धारा 6 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(4) बोर्ड द्वारा किए गए किसी भी कार्य या कार्यवाही को केवल इसी कारण प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि बोर्ड में कोई रिक्ति थी अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि थी तथा विशिष्टतया और पूर्वगामी भाग की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस अवधि की समाप्ति, जिसके लिए बोर्ड का धारा 5क के अधीन पुनर्गठन किया गया है और उस धारा के अधीन उसके आगे पुनर्गठन के बीच की कालावधि के दौरान, बोर्ड के पदेन सदस्य बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेंगे।]

7. बोर्ड के सचिव तथा अन्य कर्मचारी - (1) केन्द्रीय सरकार ^{1***} बोर्ड का सचिव नियुक्त करेगी।

(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, बोर्ड उतने अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने उसकी शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हों और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धनों और शर्तों को, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, अपने द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा, अवधारित कर सकेगा।

8. बोर्ड की निधियां - बोर्ड की निधियों में वे अनुदान जो सरकार द्वारा उसे समय-समय पर दिए गए हों और किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा उसे दिए गए अंशदान, संदान, अभिदान, वसीयत-संपत्ति, दान और इसी प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित होंगी।

9. बोर्ड के कृत्य - बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे -

(क) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करने के लिए भारत में प्रवृत्त विधि का बराबर अध्ययन करते रहना और ऐसी किसी विधि में समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में सरकार को सलाह देना ;

¹ 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 8 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया।

(ख) इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को इस दृष्टि से सलाह देना कि पशुओं के प्रति अनावश्यक पीड़ा या यातना का साधारणतया और विशिष्टतया तब जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाए जा रहे हों या जब उनका उपयोग करतब दिखाने वाले पशुओं के रूप में किया जा रहा हो या जब वे बंधुआ हालत में या परिरोध में रखे गए हों, निवारण किया जा सके ;

(ग) सरकार को या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को यह सलाह देना कि यानों के डिजाइनों का सुधार इस प्रकार किया जाए जिससे कि भार ढोने वाले पशुओं पर बोझ कम किया जा सके ;

(घ) सायबानों, चरहियों और वैसी ही चीजों के निर्माण को प्रोत्साहन देकर अथवा उनकी व्यवस्था करके तथा पशुओं के लिए पशु चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करके ¹[पशुओं की बेहतरी] के लिए ऐसे सभी उपाय करना जिन्हें बोर्ड ठीक समझे ;

(ङ) वधशालाओं के डिजाइन तैयार करने अथवा उन्हें बनाए रखने अथवा पशुओं के इस प्रकार वध के संबंध में, कि पशुओं के प्रति वध-पूर्व प्रक्रमों में अनावश्यक शारीरिक या मानसिक पीड़ा या यातना को जहां तक संभव हो समाप्त किया जा सके और पशुओं का, जहां कहीं आवश्यक हो, यथासंभव दयालु ढंग से वध किया जा सके, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को सलाह देना ;

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे पशुओं को, जिनकी जरूरत नहीं रह गई है, या तो तत्क्षण, या पीड़ा अथवा यातना के प्रति उन्हें संज्ञाहीन बनाकर, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा, जब कभी वैसा करना आवश्यक हो, नष्ट कर दिया जाए, सभी ऐसे उपाय करना जिन्हें बोर्ड उचित समझे ;

¹ 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 9 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(छ) ¹[पिंजरापोलों, बचावगृहों, पशुआश्रयों, पशुवनों और वैसे ही अन्य स्थानों के, जहां पशु और पक्षी बूढ़े और बेकार हो जाने पर, या जब उन्हें संरक्षण की आवश्यकता हो तब, शरण पा सकें, निर्माण या स्थापना को] वित्तीय सहायता प्रदान करके अथवा अन्यथा, प्रोत्साहन देना ;

(ज) पशुओं के प्रति अनावश्यक पीड़ा या यातना के निवारण के प्रयोजनार्थ अथवा पशु-पक्षियों की संरक्षा के लिए स्थापित संगमों या निकायों के साथ सहयोग करना और उनके कार्य का समन्वय करना ;

(झ) किसी स्थानीय क्षेत्र में कार्य कर रहे पशु-कल्याण संगठनों को वित्तीय तथा अन्य सहायता देना, अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में किन्हीं ऐसे पशु-कल्याण संगठनों के निर्माण को प्रोत्साहन देना जो बोर्ड के सामान्य अधीक्षण और मार्गदर्शन में कार्य करेंगे ;

(ञ) सरकार को चिकित्सीय देख-रेख और परिचर्या की उन बातों के बारे में सलाह देना जिनकी व्यवस्था पशु अस्पतालों में की जाए और जब कभी बोर्ड पशु-अस्पतालों को वित्तीय तथा अन्य सहायता देना आवश्यक समझे तब ऐसी सहायता देना ;

(ट) पशुओं के प्रति दयालुतापूर्ण बर्ताव करने की शिक्षा देना और पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या यातना पहुंचाने के विरुद्ध, तथा व्याख्यानों, पुस्तकों, पोस्टरों, चलचित्र प्रदर्शनों तथा अन्य वैसे ही बातों से पशु-कल्याण कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, लोकमत तैयार करना ;

(ठ) पशु-कल्याण कार्यों अथवा पशुओं के प्रति अनावश्यक पीड़ा या यातना के निवारण से संबंधित बातों के बारे में सरकार को सलाह देना ।

¹ 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 9 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

10. विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति - बोर्ड अपने कार्यों को संपन्न करने तथा अपने कृत्यों को क्रियान्वित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन रहते हुए, ऐसे विनियम बना सकेगा जैसे वह ठीक समझे ।

अध्याय 3

साधारणतया पशुओं के प्रति क्रूरता

11. पशुओं के प्रति क्रूरता का व्यवहार - (1) यदि कोई व्यक्ति -

(क) किसी पशु को पीटेगा, ठोकर मारेगा, उस पर अत्यधिक सवारी करेगा, उस पर सवारी करके उसे अत्यधिक हांकेगा, उस पर अत्यधिक बोझ लादेगा, उसे यंत्रणा देगा, या अन्यथा उसके साथ ऐसे बर्ताव करेगा या करवाएगा जिससे उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना होती है, या स्वामी होते हुए किसी पशु के प्रति इस प्रकार का बर्ताव करने देगा ; अथवा

(ख) ¹[किसी कार्य श्रम में, या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी ऐसे पशु को लगाएगा जो अपनी आयु या किसी रोग,] अंग-शैथिल्य, घाव, फोड़े के कारण अथवा किसी अन्य कारण से इस प्रकार लगाए जाने के अनुपयुक्त है, या स्वामी होते हुए ऐसे किसी अनुपयुक्त पशु को इस प्रकार लगाए जाने देगा ; अथवा

(ग) ¹[किसी पशु को] जानबूझकर तथा अनुचित रूप से कोई क्षतिकारक औषधि या क्षतिकारक पदार्थ देगा या ¹[किसी पशु को] जानबूझकर और अनुचित रूप से ऐसी कोई औषधि या पदार्थ, खिलवाएगा या खिलवाने का प्रयास करेगा ; अथवा

(घ) किसी पशु को किसी यान में, या यान पर, या अन्यथा ऐसी रीति से या ऐसी स्थिति में प्रवहित करेगा या ले जाएगा जिससे कि उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना पहुंचती है ; अथवा

(ङ) किसी पशु को किसी ऐसे पिंजरे या अन्य पात्र में रखेगा या परिरुद्ध करेगा, जिसकी ऊंचाई, लम्बाई और चौड़ाई इतनी पर्याप्त न हो कि पशु को उसमें हिल-डुल सकने का उचित स्थान प्राप्त हो सके ; अथवा

¹ 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 10 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(च) किसी पशु को अनुचित रूप से छोटी या अनुचित रूप से भारी किसी जंजीर या रस्सी में किसी अनुचित अवधि तक के लिए बांधकर रखेगा ; अथवा

(छ) स्वामी होते हुए, किसी ऐसे कुत्ते को, जो अभ्यासतः जंजीर में बंधा रहता है या बन्द रखा जाता है, उचित रूप से व्यायाम करने या करवाने की उपेक्षा करेगा ; अथवा

(ज) ¹[किसी पशु का] स्वामी होते हुए ऐसे पशु को पर्याप्त खाना, जल या आश्रय नहीं देगा ; अथवा

(झ) उचित कारण के बिना, किसी पशु को ऐसी परिस्थिति में परित्यक्त कर देगा जिससे यह संभाव्य हो कि उसे भुखमरी या प्यास के कारण पीड़ा पहुंचे ; अथवा

(ञ) किसी ऐसे पशु को, जिसका वह स्वामी है, जानबूझकर किसी मार्ग में छोड़कर घूमने देगा जब कि वह पशु किसी सांसर्गिक या संक्रामक रोग से ग्रस्त हो, या किसी रोगग्रस्त या विकलांग पशु को, जिसका वह स्वामी है, उचित कारण के बिना, किसी मार्ग में मर जाने देगा ; अथवा

(ट) किसी ऐसे पशु को बिक्री के लिए प्रस्तुत करेगा, या बिना किसी उचित कारण के अपने कब्जे में रखेगा, जो अंगविच्छेद, भुखमरी, प्यास, अतिभरण या अन्य दुर्व्यवहार के कारण पीड़ाग्रस्त हो ; अथवा

²[(ठ) किसी पशु का अंगविच्छेद करेगा या किसी पशु को (जिसके अन्तर्गत आवारा कुत्ते भी हैं) हृदय में स्ट्रीक्नीन-अन्तःक्षेपण की पद्धति का उपयोग करके या किसी अन्य अनावश्यक क्रूरदंग से मार डालेगा ; अथवा]

³[(ड) केवल मनोरंजन करने के उद्देश्य से, -

¹ 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 10 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 10 द्वारा खण्ड (ठ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 10 द्वारा खण्ड (ड) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(i) किसी पशु को ऐसी रीति से परिरुद्ध करेगा या कराएगा (जिसके अन्तर्गत किसी पशु का किसी व्याघ्र या अन्य पशु वन में चारे के रूप में बांधा जाना भी है) कि वह किसी अन्य पशु का शिकार बन जाए ; अथवा

(ii) किसी पशु को किसी अन्य पशु के साथ लड़ने के लिए या उसे सताने के लिए उद्दीप्त करेगा ; अथवा]

(ढ) पशुओं की लड़ाई के लिए या किसी पशु को सताने के प्रयोजनार्थ, किसी स्थान को ^{1***} सुव्यवस्थित करेगा, बनाए रखेगा उसका उपयोग करेगा, या उसके प्रबन्ध के लिए कोई कार्य करेगा या किसी स्थान को इस प्रकार उपयोग में लाने देगा या तदर्थ प्रस्ताव करेगा, या ऐसे किसी प्रयोजन के लिए रखे गए या उपयोग में लाए गए किसी स्थान में किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश के लिए धन प्राप्त करेगा ; अथवा

(ण) गोली चलाने या निशानेबाजी के किसी मैच या प्रतियोगिता को, जहां पशुओं को बंधुआ हालत से इसलिए छोड़ दिया जाता है कि उन पर गोली चलाई जाए या उन्हें निशाना बनाया जाए, बढ़ावा देगा या उसमें भाग लेगा,

²[तो वह प्रथम अपराध की दशा में, जुर्माने से, जो दस रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्त्वर्ती अपराध की दशा में, जो पिछले अपराध के किए जाने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है, जुर्माने से, जो पच्चीस रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, अथवा दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।]

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए किसी स्वामी के बारे में यह तब समझा जाएगा कि उसने अपराध किया है जब वह ऐसे अपराध के निवारण के लिए समुचित देख-रेख और पर्यवेक्षण करने में

¹ 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 10 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

² 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 10 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

असफल रहा हो :

परन्तु जहां स्वामी केवल इसी कारण क्रूरता होने देने के लिए दोषसिद्ध किया जाता है कि वह ऐसी देख-रेख और पर्यवेक्षण करने में असफल रहा है वहां वह जुर्माने के विकल्प के बिना कारावास का दायी नहीं होगा ।

(3) इस धारा की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी -

(क) विहित रीति से ढोरों के सींग निकालना, या किसी पशु को बधिया करना या उसे दागना या उसकी नाक में रस्सी डालना ; अथवा

(ख) आवारा कुत्तों को प्राणहर कक्षों में या ¹[किन्हीं अन्य ढंगों से, जो विहित किए जाएं] नष्ट करना ; अथवा

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के प्राधिकार के अधीन किसी पशु का उन्मूलन करना या उसे नष्ट करना ; अथवा

(घ) कोई विषय, जो अध्याय 4 में वर्णित है ; अथवा

(ङ) मनुष्यों के भोजन के रूप में किसी पशु को नष्ट करने या नष्ट करने की तैयारी के दौरान किसी कार्य का किया जाना या कोई कार्य-लोप, यदि ऐसे नाश या ऐसी तैयारी के समय उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना न पहुंची हो ।

12. **फूका या डूमदेव करने के लिए शास्ति** - यदि कोई व्यक्ति किसी गाय या अन्य दुधारू ²[पशु पर "फूका" या "डूमदेव" नामक क्रिया या दुग्ध स्रवण को बढ़ाने के लिए कोई अन्य ऐसी क्रिया (जिसके अन्तर्गत किसी पदार्थ का अन्तःक्षेपण भी है) करेगा जो उस पशु के स्वास्थ्य के लिए हानिकर है] या अपने कब्जे में या नियंत्रणाधीन ऐसे किसी पशु पर ऐसी क्रिया करने देगा तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की

¹ 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 10 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 11 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

हो सकेगी, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा, और जिस पशु पर ऐसी क्रिया की गई है वह सरकार को समपहृत हो जाएगा ।

13. यातनाग्रस्त पशुओं को नष्ट करना - (1) जहां कि किसी पशु का स्वामी धारा 11 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है वहां, यदि न्यायालय का समाधान हो गया है कि पशु को जीवित रखना क्रूरता होगी तो, न्यायालय के लिए यह वैध होगा कि वह यह निदेश दे कि उस पशु को नष्ट कर दिया जाए और उस प्रयोजन के लिए उसे किसी उपयुक्त व्यक्ति को सौंप दिया जाए, तथा जिस व्यक्ति को वह पशु इस प्रकार सौंपा जाए वह, उसे अनावश्यक यातना दिए बिना, अपनी उपस्थिति में यथासंभवशीघ्र नष्ट कर देगा या करवा देगा तथा न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि उस पशु को नष्ट करने में जो भी उचित व्यय हुआ है वह उसके स्वामी से वैसे ही वसूल कर लिया जाए मानो वह जुर्माना हो :

परन्तु यदि स्वामी उसके लिए अपनी अनुमति नहीं देता है तो इस धारा के अधीन कोई भी आदेश, उस क्षेत्र के भारसाधक पशु चिकित्सा अधिकारी के साक्ष्य के बिना, नहीं दिया जाएगा ।

(2) जब किसी मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी पशु के सम्बन्ध में धारा 11 के अधीन कोई अपराध किया गया है तो वह उस पशु को तुरन्त नष्ट किए जाने का निदेश दे सकेगा यदि उसे जीवित रखना उसकी राय में क्रूरता हो ।

(3) कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का कोई पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, जो किसी पशु को इतना रुग्ण या इतने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त या ऐसी शारीरिक स्थिति में पाता है कि उसकी राय में उसे क्रूरता के बिना हटाया नहीं जा सकता है तो वह, यदि स्वामी अनुपस्थित है या उस पशु को नष्ट करने के लिए अपनी सहमति देने से इनकार करता है तो, तुरन्त उस क्षेत्र के भारसाधक पशु चिकित्सा अधिकारी को, जिसमें वह पशु पाया गया हो, आहूत कर सकेगा और यदि पशु चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित करता है कि वह पशु घातक रूप से क्षतिग्रस्त है या इतने गंभीर रूप से

क्षतिग्रस्त है या ऐसी शारीरिक स्थिति में है कि उसे जीवित रखना क्रूरतापूर्ण होगा तो, यथास्थिति, वह पुलिस अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति, मजिस्ट्रेट के आदेश प्राप्त करने के पश्चात्, उस ¹[क्षतिग्रस्त पशु को ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, नष्ट कर सकेगा या नष्ट करा सकेगा ।]

(4) पशु को नष्ट करने के संबंध में मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के खिलाफ कोई भी अपील नहीं होगी ।

अध्याय 4

पशुओं पर प्रयोग

14. **पशुओं पर प्रयोग** - इस अधिनियम की कोई भी बात शरीर-क्रियात्मक ज्ञान या ऐसे ज्ञान को, जो जीवन को बचाने या दीर्घ बनाने के लिए, या यातना न्यून करने या मनुष्यों, पशुओं अथवा पौधों को लगने वाले किसी रोग की रोकथाम के लिए उपयोगी हो, नई खोज द्वारा, समुन्नत करने के प्रयोजनार्थ प्रयोगों के किए जाने को (जिनके अन्तर्गत पशुओं पर शल्य-क्रिया सम्बन्धी प्रयोग भी हैं) विधिविरुद्ध नहीं बनाएगी ।

15. **पशुओं पर प्रयोगों संबंधी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति** - (1) यदि बोर्ड की सलाह पर किसी भी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो, वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक समिति का गठन कर सकेगी जिसमें उतने पदधारी और अशासकीय व्यक्ति होंगे जितने वह उस समिति में नियुक्त करना ठीक समझे ।

(2) केन्द्रीय सरकार समिति के सदस्यों में से एक को उसका अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट करेगी ।

(3) समिति को अपने कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(4) समिति की निधियों में, उसे सरकार द्वारा समय-समय पर

¹ 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।

दिए गए अंशदान, संदान, अभिदान, वसीयत-सम्पत्ति, दान और इसी प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित होंगी ।

¹[15क. **उपसमितियां** - (1) समिति की किसी शक्ति का प्रयोग करने या उसके किसी कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए या किसी ऐसे विषय पर, जो समिति निर्देशित करे, जांच करने या रिपोर्ट और सलाह देने के लिए समिति उतनी उपसमितियां गठित कर सकेगी जितनी वह उचित समझे ।

(2) उपसमिति केवल समिति के सदस्यों से गठित होगी ।]

16. **समिति का कर्मचारिवृन्द** - केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, समिति अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपने को समर्थ बनाने के निमित्त उतने अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगी जितने आवश्यक हों और ऐसे अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें अवधारित कर सकेगी ।

17. **समिति के कर्तव्य और पशुओं पर किए जाने वाले प्रयोगों के सम्बन्ध में नियम बनाने की समिति की शक्ति** - (1) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि पशुओं पर किए जाने वाले प्रयोगों से पूर्व, उनके दौरान, या उनके पश्चात् उन्हें अनावश्यक पीड़ा या यातना न पहुंचे ऐसे सभी उपाय करे, जो आवश्यक हों, और उस प्रयोजन के लिए वह भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रयोगों के किए जाने के सम्बन्ध में ऐसे नियम बना सकेगी जिन्हें वह ठीक समझे ।

²[(1क) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :-

¹ 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 13 द्वारा अंतःस्थापित ।

² 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 14 द्वारा अंतःस्थापित ।

(क) पशुओं पर प्रयोग करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण ;

(ख) वे रिपोर्टें और अन्य जानकारी जो पशुओं पर प्रयोग करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा समिति को भेजी जाएंगी ।]

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समिति द्वारा बनाए गए नियम इस प्रकार के होंगे जो निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित कर सकें, अर्थात् :-

(क) उन दशाओं में, जिनमें प्रयोग किसी संस्था द्वारा किए जाएं, उनकी जिम्मेदारी उस संस्था के भारसाधक व्यक्ति की होगी, और उन दशाओं में, जिनमें प्रयोग संस्था के बाहर किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किए जाएं, वे व्यक्ति उस निमित्त अर्हित हों और प्रयोग उनकी पूरी-पूरी जिम्मेदारी पर किए जाएं ;

(ख) प्रयोग सम्यक् सतर्कता और सहृदयता के साथ किए जाएं और शल्य-क्रिया वाले प्रयोग यथासंभव पर्याप्त शक्ति के संज्ञाहारी के प्रभावाधीन किए जाएं जिससे कि पशुओं को पीड़ा का अनुभव न हो ;

(ग) ऐसे पशु, जो संज्ञाहारियों के प्रभावाधीन प्रयोग के क्रम में इतने क्षत हो जाएं कि उनके ठीक होने के पश्चात् भी उन्हें गंभीर यातना बनी रहे, जब वह संज्ञाहीन ही हों तभी, साधारणतया नष्ट कर दिए जाएं ;

(घ) जहां कहीं, उदाहरणार्थ चिकित्सा संबंधी स्कूलों, अस्पतालों, कालेजों जैसे स्थानों में, पशुओं पर प्रयोगों का परिवर्जन कर सकना संभव हो वहां उस दशा में ऐसा ही किया जाए जब पुस्तकें, माडल, फिल्म और अन्य वैसी ही शिक्षण-प्रयुक्तियां समान रूप से पर्याप्त हों ;

(ङ) बड़े-बड़े पशुओं पर प्रयोग न किए जाएं यदि गिनी-पिग, शशक, मेंढक और चूहे जैसे छोटे-छोटे पशुओं पर प्रयोग करके वही परिणाम प्राप्त करना संभव हो ;

(च) जहां तक संभव हो, हस्तकौशल प्राप्त करने के प्रयोजन

के लिए ही प्रयोग न किए जाएं ;

(छ) प्रयोग किए जाने के लिए आशयित पशुओं की, प्रयोगों से पूर्व और पश्चात् दोनों ही समय समुचित रूप से देख-रेख रखी जाए ;

(ज) पशुओं पर किए गए प्रयोगों के संबंध में समुचित अभिलेख रखे जाएं ।

(3) इस धारा के अधीन नियम बनाने में, समिति का मार्गदर्शन ऐसे निदेशों द्वारा होगा, जो केन्द्रीय सरकार (उन उद्देश्यों के अनुरूप जिनके लिए समिति स्थापित की गई है) उसे दे और केन्द्रीय सरकार को ऐसे निदेश देने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है ।

(4) समिति द्वारा बनाए गए सभी नियम संस्थाओं के बाहर प्रयोग करने वाले सभी व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों पर आबद्धकर होंगे जो उन संस्थाओं के भारसाधक हैं जिनमें प्रयोग किए जाते हैं ।

18. प्रवेश तथा निरीक्षण करने की शक्ति - यह सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि समिति द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन किया जाता है समिति अपने अधिकारियों में से किसी को या किसी अन्य व्यक्ति को लिखित रूप में इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह किसी संस्था या स्थान का, जहां प्रयोग किए जा रहे हों, निरीक्षण करे और ऐसे निरीक्षण के परिणाम की उसे रिपोर्ट दे, और इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी या व्यक्ति, -

(क) ऐसे किसी समय, जिसे वह उचित समझता है, किसी ऐसी संस्था या स्थान में, जहां पशुओं पर प्रयोग किए जा रहे हों, प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा ; और

(ख) किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह पशुओं पर किए गए प्रयोगों के बारे में अपने द्वारा रखा गया कोई अभिलेख प्रस्तुत करे ।

19. पशुओं पर प्रयोगों का प्रतिषेध करने की शक्ति - यदि धारा 18 के अधीन किए गए किसी निरीक्षण के परिणामस्वरूप, समिति को दी गई किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की रिपोर्ट पर, या अन्यथा, उस समिति का यह समाधान हो जाता है कि धारा 17 के अधीन उसके

द्वारा बनाए गए नियमों का किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो पशुओं पर प्रयोग कर रहा है तो समिति, उस व्यक्ति या संस्था को उस मामले में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा, उस व्यक्ति या संस्था को ऐसा कोई प्रयोग करने के लिए, या तो किसी विनिर्दिष्ट अवधि तक के लिए, या अनिश्चित काल के लिए, प्रतिषिद्ध कर सकेगी, अथवा उस व्यक्ति या संस्था को, ऐसी विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित करना समिति ठीक समझे, ऐसे प्रयोग करने की अनुज्ञा दे सकेगी ।

20. शास्तियां - यदि कोई व्यक्ति, -

(क) धारा 19 के अधीन समिति द्वारा किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा ; अथवा

(ख) उस धारा के अधीन समिति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त को भंग करेगा,

तो वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और यदि वह उल्लंघन या शर्त-भंग किसी संस्था में हुआ है तो उस संस्था के भारसाधक व्यक्ति को उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार वह दंडनीय होगा ।

अध्याय 5

करतब दिखाने वाले पशु

21. "प्रदर्शन" और "प्रशिक्षण" की परिभाषा - इस अध्याय में, "प्रदर्शन" से किसी ऐसे खेल-तमाशे में प्रदर्शन अभिप्रेत है जिसमें टिकट बेच कर जनता को प्रवेश दिया जाता है, और "प्रशिक्षण" से ऐसे किसी प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ प्रशिक्षण अभिप्रेत है, और "प्रदर्शक" तथा "प्रशिक्षक" पदों के क्रमशः तत्सम अर्थ हैं ।

22. करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रदर्शन और प्रशिक्षण पर निर्बंधन - कोई भी व्यक्ति, -

(i) करतब दिखाने वाले किसी पशु का तब तक प्रदर्शन नहीं करेगा या उसे प्रशिक्षण नहीं देगा जब तक कि वह व्यक्ति इस

अध्याय के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत न हो ;

(ii) किसी ऐसे पशु का, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे पशु के रूप में विनिर्दिष्ट करे जिसे करतब दिखाने वाले पशु के रूप में न तो प्रदर्शित किया जाएगा और न ही प्रशिक्षित किया जाएगा, करतब दिखाने वाले पशु के रूप में न तो प्रदर्शन करेगा और न उसे प्रशिक्षण देगा ।

23. रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया - (1) करतब दिखाने वाले किसी पशु का प्रदर्शन करने या उसे प्रशिक्षण देने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जब तक कि वह ऐसा व्यक्ति न हो जो इस अध्याय के अधीन न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश के आधार पर रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार न हो, विहित प्राधिकारी को विहित रूप में आवेदन किए जाने तथा विहित फीस अदा किए जाने पर, इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर किया जाएगा ।

(2) इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में, पशुओं के बारे में और जिस करतब में पशुओं का प्रदर्शन किया जाना है या जिस करतब के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना है उसकी साधारण प्रकृति के बारे में, ऐसी विशिष्टियां दी जाएंगी जो विहित की जाएं, और इस प्रकार दी गई विशिष्टियां विहित प्राधिकारी द्वारा रखे गए रजिस्टर में दर्ज की जाएंगी ।

(3) विहित प्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को, जिसका नाम उसके द्वारा रखे गए रजिस्टर में दर्ज है, रजिस्ट्रीकरण का विहित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र देगा जिसमें रजिस्टर में दर्ज विशिष्टियां होंगी ।

(4) इस अध्याय के अधीन रखा गया प्रत्येक रजिस्टर, विहित फीस अदा करने पर, निरीक्षण के लिए हर उचित समय पर उपलब्ध रहेगा और विहित फीस अदा करने पर कोई भी व्यक्ति उसकी प्रतियां पाने तथा उसमें से उद्धरण लेने का हकदार होगा ।

(5) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम रजिस्टर में दर्ज है, किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के

उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपने बारे में रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियां परिवर्तित कराने का, उस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर, हकदार होगा, और जहां ऐसी कोई विशिष्टियां इस प्रकार परिवर्तित की जाती हैं वहां विद्यमान प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा और नया प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।

24. करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रदर्शन के प्रशिक्षण को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की न्यायालय की शक्ति - (1) जहां किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, या धारा 23 में निर्दिष्ट विहित प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, किए गए किसी परिवाद पर किसी मजिस्ट्रेट के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि करतब दिखाने वाले किसी पशु का प्रशिक्षण या प्रदर्शन अनावश्यक पीड़ा या यातना के साथ किया गया है और उसे प्रतिषिद्ध या कुछ शर्तों पर ही अनुज्ञात किया जाना चाहिए वहां, न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके बारे में परिवाद किया गया है, प्रशिक्षण या प्रदर्शन का प्रतिषेध करते हुए, या उसके संबंध में ऐसी शर्तें अधिरोपित करते हुए, आदेश दे सकेगा जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) कोई भी न्यायालय, जिसके द्वारा इस धारा के अधीन कोई आदेश किया जाता है, उस आदेश के किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र उसकी एक प्रति उस विहित प्राधिकारी को भिजवाएगा जिसके द्वारा वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है, रजिस्टर किया गया है, और आदेश की विशिष्टियां उस व्यक्ति द्वारा धारित प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित कराएगा और वह व्यक्ति, पृष्ठांकन के प्रयोजनों के लिए न्यायालय द्वारा प्रमाणपत्र के इस प्रकार अपेक्षित किए जाने पर, प्रमाणपत्र पेश करेगा, तथा वह विहित प्राधिकारी, जिसे इस धारा के अधीन आदेश की कोई प्रति भेजी जाए, उस रजिस्टर में आदेश की विशिष्टियां दर्ज करेगा ।

25. परिसर में प्रवेश करने की शक्ति - (1) धारा 23 में निर्दिष्ट विहित प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति और कोई पुलिस अधिकारी, जो उप-निरीक्षक से नीचे की पंक्ति का न हो, -

(क) किसी भी ऐसे परिसर में, जिसमें करतब दिखाने वाले पशुओं को प्रशिक्षित या प्रदर्शित किया जाता हो अथवा उन्हें

प्रशिक्षण या प्रदर्शन के लिए रखा जाता हो, किसी भी उचित समय पर प्रवेश कर सकेगा और उसका तथा उसमें पाए गए ऐसे किसी भी पशु का निरीक्षण कर सकेगा ; और

(ख) किसी भी व्यक्ति से, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह करतब दिखाने वाले पशुओं का प्रशिक्षक या प्रदर्शक है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पेश करे ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति या पुलिस अधिकारी, करतब दिखाने वाले पशुओं के सार्वजनिक तमाशे के दौरान, स्टेज पर या उसके पीछे जाने के लिए, इस धारा के अधीन अधिकृत नहीं होगा ।

26. अपराध - यदि कोई व्यक्ति, -

(क) जो इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, करतब दिखाने वाले किसी पशु का प्रदर्शन करेगा या उसे प्रशिक्षण देगा ; अथवा

(ख) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होते हुए, करतब दिखाने वाले किसी ऐसे पशु का, जिसकी बाबत, या ऐसी रीति से, जिसकी बाबत, वह रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्रदर्शन करेगा या उसे प्रशिक्षण देगा ; अथवा

(ग) किसी ऐसे पशु का, करतब दिखाने वाले पशु के रूप में प्रदर्शन करेगा या उसे प्रशिक्षण देगा जो धारा 22 के खंड (ii) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के कारण उक्त प्रयोजन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाना है ; अथवा

(घ) प्रवेश और निरीक्षण के बारे में इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने में, धारा 25 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या पुलिस अधिकारी को बाधा पहुंचाएगा या जानबूझकर टालमटोल करेगा ; अथवा

(ङ) ऐसे निरीक्षण से बचने की दृष्टि से किसी पशु को

छिपाएगा ; अथवा

(च) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होते हुए, इस अधिनियम के अधीन अपना प्रमाणपत्र पेश करने के लिए इस अधिनियम के अनुसरण में सम्यक् रूप से अपेक्षित किए जाने पर, बिना उचित कारण के वैसा करने में असफल रहेगा ; अथवा

(छ) जब कि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार नहीं है तब ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन देगा,

तो वह दोषसिद्ध किए जाने पर जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

27. छूट - इस अध्याय की कोई भी बात, -

(क) वास्तविक सैनिक या पुलिस प्रयोजनों के लिए पशुओं के प्रशिक्षण को, अथवा इस प्रकार प्रशिक्षित किन्हीं पशुओं के प्रदर्शन को, लागू नहीं होगी ; अथवा

(ख) किसी चिड़ियाघर में या किसी ऐसी सोसाइटी या संगम द्वारा रखे गए पशुओं को लागू नहीं होगी जिसका मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए पशुओं का प्रदर्शन करना है ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

28. धर्म द्वारा विहित वध की रीति के संबंध में व्यावृत्ति - इस अधिनियम की कोई भी बात किसी समुदाय के धर्म द्वारा अपेक्षित रीति से किसी पशु के वध को अपराध नहीं बनाएगी ।

29. सिद्धदोष व्यक्ति को, पशु के स्वामित्व से वंचित करने की न्यायालय की शक्ति - (1) यदि यह पाया जाता है कि किसी पशु का स्वामी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषी है तो न्यायालय, उस अपराध के लिए उसे सिद्धदोष ठहराए जाने पर, यदि

न्यायालय ठीक समझे तो, किसी अन्य दंड के साथ-साथ यह आदेश भी कर सकेगा कि जिस पशु की बाबत अपराध किया गया था वह सरकार के प्रति समपहत कर लिया जाए और इसके अतिरिक्त, पशु के व्ययन के संबंध में ऐसा आदेश भी कर सकेगा जिसे वह परिस्थितियों में ठीक समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन किसी पूर्वतन दोषसिद्धि के बारे में साक्ष्य द्वारा अथवा स्वामी के चरित्र के बारे में या अन्यथा पशु के प्रति बर्ताव के बारे में यह दर्शित नहीं कर दिया जाता कि यदि उस पशु को स्वामी के पास छोड़ दिया जाएगा तो उसके प्रति और भी अधिक क्रूरता होना संभाव्य है ।

(3) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यायालय यह आदेश भी दे सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया व्यक्ति किसी भी किस्म के पशु को, या आदेश में विनिर्दिष्ट किसी प्रकार या नस्ल के पशु को, जैसा भी न्यायालय ठीक समझे, अभिरक्षा में रखने से स्थायी रूप से अथवा ऐसी अवधि के दौरान, जो आदेश द्वारा नियत की जाए, प्रतिषिद्ध होगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक -

(क) किसी पूर्वतन दोषसिद्धि के बारे में साक्ष्य द्वारा अथवा उक्त व्यक्ति के चरित्र के बारे में, या अन्यथा उस पशु के प्रति बर्ताव के बारे में, जिसके संबंध में उसे दोषसिद्ध किया गया है, यह दर्शित न किया गया हो कि उक्त व्यक्ति की अभिरक्षा में के पशु के प्रति क्रूरता की जानी संभाव्य है ;

(ख) उस परिवाद में, जिस पर दोषसिद्धि हुई थी, यह उल्लेख न किया गया हो कि परिवादी का आशय यह अनुरोध करना है कि अपराधी के दोषसिद्ध किए जाने पर उसे यथापूर्वोक्त आदेश दिए जाएं ; और

(ग) वह अपराध, जिसके लिए दोषसिद्धि हुई थी, ऐसे क्षेत्र में

न किया गया हो जिसमें किसी ऐसे पशु को रखने के लिए, जिसकी बाबत दोषसिद्धि हुई थी, तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक है ।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी भी व्यक्ति को, जिसकी बाबत उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश किया गया है, उस आदेश के उपबंधों के प्रतिकूल किसी पशु को अपनी अभिरक्षा में रखने का अधिकार नहीं होगा और यदि वह आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(6) कोई भी न्यायालय, जिसने उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश दिया है, स्वप्रेरणा से या इस निमित्त उसे किए गए आवेदन पर, किसी भी समय उस आदेश का विखंडन या उपान्तरण कर सकेगा ।

30. कतिपय दशाओं में दोष के बारे में उपधारणा - यदि कोई व्यक्ति धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ठ) के उपबंधों के प्रतिकूल किसी बकरी, गाय या उसकी सन्तति का वध करने के अपराध से आरोपित किया गया है और यह साबित हो जाता है कि जिस समय अपराध का किया जाना अभिकथित है उस समय उस व्यक्ति के कब्जे में ऐसे किसी पशु की, जो इस धारा में निर्दिष्ट है, सिर की खाल के किसी भाग से संलग्न कोई खाल थी तो, जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उस पशु का वध क्रूरता से किया गया था ।

31. अपराधों की संज्ञेयता - दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ठ), खंड (ढ), खंड (ण) या धारा 12 के अधीन दंडनीय अपराध उस संहिता के अर्थ में संज्ञेय अपराध होगा ।

32. तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियां - (1) यदि किसी पुलिस अधिकारी के पास, जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है, या

इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 30 में निर्दिष्ट किसी ऐसे पशु के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ठ) के अधीन कोई अपराध किसी स्थान में किया जा रहा है या किया ही जाने वाला है या किया गया है या किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसे पशु की ऐसी खाल है जिससे सिर की खाल का कोई भाग संलग्न है तो वह ऐसे स्थान या किसी भी स्थान में, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वहां ऐसी कोई खाल है, प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा और ऐसी कोई खाल या वस्तु या चीज, जो ऐसा अपराध करने में प्रयुक्त की गई हो या की जानी आशयित हो, अभिगृहीत कर सकेगा ।

(2) यदि किसी पुलिस अधिकारी के पास, जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है, या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर किसी पशु पर फूका या ¹[डूमदेव या धारा 12 में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई क्रिया की गई है या की जा रही है] तो वह उस स्थान में प्रवेश कर सकेगा जिसमें उसे उस पशु के होने का विश्वास है और वह उस पशु को अभिगृहीत कर सकेगा और उसे उस क्षेत्र के, जिसमें वह पशु अभिगृहीत किया गया है, भारसाधक पशु चिकित्सा अधिकारी के पास परीक्षा के लिए ले जाएगा ।

33. **तलाशी वारण्ट** - (1) यदि किसी प्रथम या द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक के पास, लिखित इत्तिला पर और ऐसी जांच के पश्चात्, जैसी वह ठीक समझे, यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी स्थान में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया ही जाने वाला है तो वह या तो स्वयं उस स्थान में प्रवेश करके तलाशी ले सकेगा या अपने अधिपत्र द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को, जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, उस स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

¹ 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 15 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) तलाशियों से सम्बन्धित दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के उपबन्ध, जहां तक वे लागू किए जा सकते हैं, इस अधिनियम के अधीन तलाशियों को लागू किए जाएंगे ।

34. **परीक्षा के लिए अभिग्रहण की सामान्य शक्ति** - कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का कोई पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, जिसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी पशु के संबंध में इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है, यदि उसकी राय में परिस्थितियों से ऐसा अपेक्षित है तो, उस पशु को अभिगृहीत कर सकेगा और उसे किसी निकटवर्ती मजिस्ट्रेट द्वारा या किसी ऐसे पशु चिकित्सा अधिकारी जो विहित किया जाए, परीक्षा के लिए ले जाएगा; और ऐसा पुलिस अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति उस पशु को अभिगृहीत करते समय उसके भारसाधक व्यक्ति से परीक्षास्थल तक उसके साथ चलने की अपेक्षा कर सकेगा ।

35. **पशुओं का उपचार और देख-रेख** - (1) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे पशुओं के उपचार और उनकी देख-रेख के लिए, जिनके सम्बन्ध में इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध किए गए हैं रुग्णावास स्थापित कर सकेगी और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के समय तक के लिए किसी पशु का उसमें निरोध प्राधिकृत कर सकेगी ।

(2) वह मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष इस अधिनियम के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए अभियोजन संस्थित किया गया है, यह निदेश दे सकेगा कि सम्बद्ध पशु की तब तक रुग्णावास में देख-रेख और उपचार किया जाए जब तक वह अपना सामान्य कार्य करने योग्य न हो जाए या अन्यथा उन्मोचन के योग्य न हो जाए, या यह निदेश दे सकेगा कि वह पिंजरापोल में भेज दिया जाए, या यदि उस क्षेत्र का, जिसमें वह पशु पाया जाए, भारसाधक पशु चिकित्सा अधिकारी या ऐसा अन्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिसे इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, यह प्रमाणित करता है कि वह लाइलाज है या उसे क्रूरता किए बिना हटाया नहीं जा सकता तो उसे

नष्ट कर दिया जाए ।

(3) किसी रुग्णावास में उपचार और देख-रेख के लिए भेजा गया पशु उस स्थान से, जब तक कि मजिस्ट्रेट यह निदेश नहीं देता कि उसे पिंजरापोल में भेज दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए, उस क्षेत्र का, जिसमें रुग्णावास स्थित है, भारसाधक पशु चिकित्सा अधिकारी या अन्य ऐसा पशु चिकित्सा अधिकारी, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, यह प्रमाणपत्र नहीं दे देता कि वह उन्मोचित किए जाने के योग्य है, छोड़ा नहीं जाएगा ।

(4) किसी पशु को किसी रुग्णावास या पिंजरापोल तक ले जाने का, और रुग्णावास में उसके पोषण और उपचार का खर्च पशु के स्वामी द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंसी नगरों में पुलिस आयुक्त द्वारा विहित की जाने वाली दरों के मापमान के अनुसार संदेय होगा :

परन्तु उस पशु के उपचार के लिए कोई भी प्रभार संदेय नहीं होगा, यदि पशु के स्वामी की निर्धनता के कारण मजिस्ट्रेट वैसा आदेश दे ।

(5) उपधारा (4) के अधीन किसी पशु के स्वामी द्वारा संदेय रकम उसी रीति से वसूल की जा सकेगी जिस रीति से भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है ।

(6) यदि स्वामी उतने समय के भीतर, जितना मजिस्ट्रेट विहित करे, उस पशु को हटाने से इनकार करता है या उसकी उपेक्षा करता है तो मजिस्ट्रेट निदेश दे सकेगा कि वह पशु बेच दिया जाए और बिक्री से प्राप्त धन को उस खर्च का संदाय करने में उपयोजित किया जाए ।

(7) बिक्री से प्राप्त ऐसे धन का अतिशेष, यदि कोई हो, बिक्री की तारीख से दो मास के भीतर स्वामी द्वारा आवेदन किए जाने पर, उसे दे दिया जाएगा ।

36. अभियोजनों के लिए परिसीमा - इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध के लिए अभियोजन उस अपराध के किए जाने की तारीख से तीन मास के अवसान के पश्चात् संस्थित नहीं किया जाएगा ।

37. **शक्तियों का प्रत्यायोजन** - केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या कोई भी शक्तियां, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे, किसी राज्य सरकार द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी ।

38. **नियम बनाने की शक्ति** - (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी विषयों का उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् :-

(क) बोर्ड के सदस्यों की सेवा ¹[की शर्तों], उन्हें संदेय भत्ते और वह रीति जिससे वे अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निर्वहन कर सकेंगे ;

²[(कक) वह रीति जिससे नगर निगमों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों का धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन निर्वाचन किया जाना है ;]

(ख) किसी पशु द्वारा ले जाया या ढोया जाने वाला अधिकतम भार (जिसमें उस पर सवारी करने वालों का भार भी सम्मिलित है) ;

(ग) पशुओं के अतिभरण की रोकथाम के लिए पालन की जाने वाली शर्तें ;

(घ) वह अवधि जिसके दौरान और वे घंटे, जिनके बीच किसी भी वर्ग के पशुओं को भार ढोने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाएगा ;

¹ 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 16 द्वारा "के निबन्धन और शर्तें" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 16 द्वारा अंतःस्थापित ।

(ड) किसी लगाम के दहाने या जुए का ऐसा प्रयोग प्रतिषिद्ध करना जिससे कि पशुओं के प्रति क्रूरता होती हो ;

¹[(डक) धारा 11 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट आवारा कुत्तों के नष्ट किए जाने की अन्य पद्धतियां ;

(डख) वे पद्धतियां जिनसे ऐसे पशु को, जिसे बिना क्रूरता के नहीं हटाया जा सकता है, धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन नष्ट किया जा सकेगा ;]

(च) नालबन्दी का कारबार करने वाले व्यक्तियों के लिए अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण की ऐसे प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा करना जो विहित किया जाए, और उस प्रयोजन के लिए फीस उद्गृहीत करना ;

(छ) बिक्री या निर्यात के प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए पशुओं को पकड़ने के सम्बन्ध में बरती जाने वाली पूर्वावधानी, तथा वे विभिन्न उपकरण और युक्तियां, जिनका ही उस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकेगा ; और इस प्रकार पकड़े जाने के लिए अनुज्ञप्ति तथा ऐसी अनुज्ञप्तियों के लिए फीस का उद्ग्रहण ;

(ज) रेल, सड़क, अन्तर्देशीय जलमार्ग, समुद्र या वायु द्वारा पशुओं के परिवहन के सम्बन्ध में बरती जाने वाली पूर्वावधानी और वह रीति जिससे तथा वे पिंजरे या अन्य पात्र, जिनमें उनका इस प्रकार परिवहन किया जा सकेगा ;

(झ) उन परिसरों के स्वामियों या भारसाधक व्यक्तियों से, जिनमें पशु रखे जाते हैं या दुहे जाते हैं, ऐसे परिसरों को रजिस्टर करवाने की, परिसरों की चहारदीवारियों या चारों ओर के वातावरण के सम्बन्ध में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करने की, यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या उनमें इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा

¹ 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 16 द्वारा अंतःस्थापित ।

हैं उनका निरीक्षण करने देने की, और ऐसे परिसरों में इस अधिनियम की धारा 12 की प्रतियां उस भाषा या उन भाषाओं में, जो उस क्षेत्र में सामान्यतः समझी जाती हों, प्रदर्शित करने की, अपेक्षा करना ;

(ज) वह प्ररूप जिसमें अध्याय 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किए जा सकेंगे, वे विशिष्टियां जो उसमें अंतर्विष्ट होंगी, ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय फीस और वे प्राधिकारी जिन्हें ऐसे आवेदन किए जा सकेंगे ;

¹[(जक) वे फीसों जो उन व्यक्तियों या संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए, जो पशुओं पर प्रयोग कर रहे हैं, या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, धारा 15 के अधीन गठित समिति द्वारा प्रभारित की जा सकेंगी ;]

(ट) वे प्रयोजन, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन वसूल किए गए जुर्माने उपयोजित किए जा सकेंगे, और इन प्रयोजनों के अन्तर्गत रुग्णावासों, पिंजरापोलों और पशु चिकित्सा के अस्पतालों का बनाए रखना जैसे प्रयोजन भी हैं ;

(ठ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।

(3) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा तो वह जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

²* * * *

³[38क. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना - केन्द्रीय सरकार द्वारा या धारा 15 के अधीन गठित समिति द्वारा

¹ 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 16 द्वारा अंतःस्थापित ।

² 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 16 द्वारा उपधारा (4) का लोप किया गया ।

³ 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 17 द्वारा अंतःस्थापित ।

बनाया गया प्रत्येक नियम और बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि, यथास्थिति, वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

39. धारा 34 के अधीन प्राधिकृत व्यक्तियों का लोक सेवक होना - धारा 34 के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।

40. संरक्षण - इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक है या समझा जाता है, न होगी।

41. 1890 के अधिनियम सं. 11 का निरसन - जहां कि धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन किसी अधिसूचना के अनुसरण में इस अधिनियम का कोई उपबंध किसी राज्य में प्रवृत्त होता है वहां, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1890 (1890 का 11) का ऐसा कोई उपबंध, जो इस प्रकार प्रवृत्त होने वाले उपबन्ध का तत्स्थानी है, तदुपरि निरसित हो जाएगा।

**विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध
पाठ्य पुस्तकों की सूची**

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय - डा. एस. सी. खरे - 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) - विधि साहित्य प्रकाशन - 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र - डा. शिवदत्त शर्मा - 2004	501	580	290.00
4.	मानव अधिकार - डा. शिवदत्त शर्मा - 2006	340	120	60.00
5.	निर्णय लेखन - न्या. भगवती प्रसाद बेरी - 2019	190	175	-

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान (सिंधी भाषा में)	1998	कीमत रु. 45/-
4. बहुभाषी संविधान शब्दावली	1986	कीमत रु. 12/-
5. भारत का संविधान	2021	कीमत रु. 300/-

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं - **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है। उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है। उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है। तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें। साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन <https://bharatkosh.gov.in/product/> पर प्राप्त किया जा सकता है।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001। दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in